चतुर्दश माला, खंड 34, अंक 21

मंगलवार, 22 अप्रैल, 2008
2 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)



Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. [illegible]25
Block 'G'
Acc. No.....75.....
Dated...16 April 2009

(खण्ड 34 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्ढा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

प्रतिभा कश्यप
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 34, तेरहवां सत्र, 2008/1930 (शक)]

अंक 21, मंगलवार, 22 अप्रैल, 2008/2 वैशाख, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
पृथ्वी दिवस	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 401 से 420	4-34
अतारांकित प्रश्न संख्या 4010 से 4179	34-359
सभा पटल पर रखे गए पत्र	359-370
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
16वां प्रतिवेदन	370
ऊर्जा संबंधी संबंधी समिति	
25वां और 26वां प्रतिवेदन	370
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
28वां और 29वां प्रतिवेदन	371
रेल संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	371
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
9वां प्रतिवेदन	372
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य .	372-373
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री कपिल सिब्बल	373

विषय

(दो) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07 तथा 2007-2008) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 157वें, 172वें और 179वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री कपिल सिब्बल 374-375

(तीन) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 68वें, 72वें, 76वें, 79वें, 80वें और 82वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री जयराम रमेश 375-376

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसनसोल, झरिया और रानीगंज में संपूर्ण कोयला पट्टी में भूमि के धंसान से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम

श्री बसुदेव आचार्य 378

श्री संतोष बागड़ोदिया 378

श्री अधीर चौधरी 386

हॉकी संघ के महासचिव द्वारा कथित त्याग-पत्र के संबंध में 397-402

विश्व पृथ्वी दिवस के संबंध में 402-405

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कर्नाटक सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों के लिए अनुदान की राशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 418

(दो) गुजरात के गिर (पश्चिम) वन क्षेत्र के निवासियों तथा उनके सभी वंशजों को जनजातीय दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ 419

विषय		कॉलम
(तीन)	छत्तीसगढ़ तथा देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक तथा सर्वांगीण विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री पुन्नूलाल मोहले	420
(चार)	उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	420
(पांच)	गुजरात में सामुद्रिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.एस. गढ़वी	421
(छह)	राजस्थान के अजमेर में विमान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. रासा सिंह रावत	421
(सात)	राजस्थान राज्य सहकारी आवास सोसायटी से लघु और सीमांत किसानों के द्वारा लिए गए आवास ऋण को ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	422
(आठ)	भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कर्मचारियों के संवर्ग पुनर्गठन संबंधी प्रतिवेदन को लागू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री स्वदेश चक्रवर्ती	422
(नौ)	उत्तर प्रदेश के देवरिया में सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नगर पंचायत क्षेत्र में एक रसोई गैस एजेंसी खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिकेवल प्रसाद	423
(दस)	बिहार के सारण जिला के अंतर्गत मशरक स्थित केन्द्रीय विद्यालय के लिए भवन का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रभुनाथ सिंह	424

विषय कॉलम

(ग्यारह) इस्पात के बढ़ते मूल्यों को रोके जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु 424

(बारह) डा. बी.आर. अम्बेडकर के योगदानों को उजागर किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थामस 425

अनुदानों की मांगे, (सामान्य) 2008-2009

रक्षा मंत्रालय

लेफ्टिनैंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजपाल सिंह रावत 427

श्री अधीर चौधरी 435

श्री रूपचंद पाल 441

श्री मोहन सिंह 447

श्री गणेश प्रसाद सिंह 452

श्री इलियास आजमी 455

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 458

डा. रतन सिंह अजनाला 463

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन 466

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 470

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह 475

श्री के.एस. राव 478

डा. के.एस. मनोज . . . 483

श्री शैलेन्द्र कुमार 486

श्री पी.एस. गढ़वी 489

श्री मानवेन्द्र सिंह 492

श्री एस.के. खारवेनथन 495

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 498

श्री अविनाश राय खन्ना 502

विषय	कॉलम
श्री जे.एम. आरुन रशीद	506
प्रो. एम. रामदास	512
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	516
डा. करण सिंह यादव	518
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	521
चौधरी लाल सिंह	522
श्री कीरेन रिजीजू	524
श्री ए.के. एंटनी	526
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	547-548
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	547-560
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	561-562
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	561-564

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 22 अप्रैल, 2008/2 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव उन सदस्यों के नाम पुकारें जिन्हें शपथ लेनी है अथवा प्रतिज्ञान करना है।

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री हेमंत खंडेलवाल (बेतुल)

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (खलीलाबाद)

श्री अकबर अहमद डम्पी (आजमगढ़)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

पृथ्वी दिवस

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने और इस बारे में सार्वजनिक प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए 22 अप्रैल का दिन विश्वभर में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण का संकट आज मानव जाति के सामने एक कड़वी सच्चाई है। आइये इस अवसर पर हम एक सुरक्षित, प्रदूषण मुक्त और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने और भावी पीढ़ियों को विरासत में एक स्वच्छ और हरा-भरा विश्व देने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराएं।

[अनुवाद]

अब प्रश्न काल होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : माननीय अध्यक्ष जी, एक अत्यंत गम्भीर विषय पर प्रश्नकाल स्थगित करके चर्चा कराने के हमने नोटिस दिया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बुन्देलखंड और पूर्वांचल, जो उत्तर प्रदेश का अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, आज वहां पर जनजीवन दूभर हो गया है, उस मुद्दे पर आप हमें अपनी बात रखने का मौका दें।

अध्यक्ष महोदय : ब्रजेश जी, हमने तीन दफा इस सैशन में आपको बोलने का मौका दिया है, हम आज भी आपको बोलने का मौका देंगे, लेकिन आप प्रश्नकाल के बाद बोलिये।

(व्यवधान)

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : अध्यक्ष जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि ऐसे गम्भीर मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी को अपनी बात रखने को मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया हुआ है, इसलिए हमें इस गंम्भीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आप जानते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाये।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने कहा है कि आपको बोलने का मौका जरूर देंगे। हमने तीन बार पहले दिया है, आज भी देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप स्लोगन मत दीजिए। स्लोगन देने वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप स्लोगन देने से मना कीजिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन माननीय सदस्यों के नाम नोट किए जाएं जो शोर कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, एक बार, सुनिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज ही आप पहली बार आए हैं और आते ही स्लोगन देना शुरू कर दिया। यह अच्छी छवि नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिये। जो स्लोगन देंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हम बोल रहे हैं, आप बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज एक बार सुनिये। जब हम खड़े हुए हैं, तो आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं माननीय सदस्यों को पहले ही तीन बार अनुमति दे चुका हूं। मैं इस मुद्दे की अहमियत समझता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अहमियत जानता हूं। मैंने इस सत्र के दौरान ही माननीय सदस्यों को यह मुद्दा उठाने के लिए तीन बार अनुमति दी है। मैं आज आपको एक और अवसर प्रदान करने के लिए तैयार हूं। यदि आप विस्तृत चर्चा चाहते हैं तो मैं उसकी भी अनुमति दे दूंगा। परन्तु कृपया प्रश्नकाल जारी रहने दो पूर्वाह्न ग्यारह बजकर 10 मिनट हो चुके हैं, 50 मिनट के पश्चात मैं आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं बुंदेलखंड के महत्व को स्वीकार करता हूं। मैंने इसके महत्व की कभी अनदेखी नहीं की है। तीन बार मैंने माननीय सदस्यों को यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी है। यदि आप एक बार फिर इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं इसकी अनुमति भी दे दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि वे माननीय सदस्य जो शोर मचा रहे हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : स्लोगन मत दीजिए।

[अनुवाद]

आपके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वर्तमान पाठ्यक्रम में संशोधन

*401. **श्री अधीर चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करने हेतु सभी कक्षाओं के वर्तमान पाठ्यक्रमों को संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 का उद्देश्य बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और ट्रांजेक्शनल लोड को कम करके शिक्षा को उनके लिए सार्थक और प्रासंगिक बनाना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों के लिए सभी विषयों की पाठ्य विवरणिकाएं

पहले ही तैयार कर ली हैं। नई पाठ्य विवरणिकाओं में विषयों और सिद्धांतों की बच्चों के विकास के प्रासंगिक स्तरों के लिए उपयुक्तता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें बच्चों के प्रतिदिन के अनुभव के साथ ज्ञान को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नई पाठ्य विवरणिकाओं के आधार पर चरणबद्ध रूप से कक्षा I से XII तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं। देश के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 कार्यान्वित कर दी गई है और इसमें बच्चों की रहने की प्रवृत्ति के बजाए उन्हें अवधारणा संबंधी ज्ञान प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ-साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी विद्यालयों को यह सलाह दी है कि कक्षा I और II के विद्यार्थियों को कोई गृह कार्य न दिया जाए। इसने स्कूलों को कक्षा III से V के बच्चों के लिए गृह कार्य के विकल्प की धारणा विकसित करने का निदेश दिया है। इसने स्कूलों को प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की संख्या को इष्टम संख्या तक सीमित करने की भी सलाह दी है।

सभी राज्यों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है।

चावल का आयात

*402. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चावल की कीमतों में हुई वृद्धि को कम करने के उद्देश्य से इसका आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान चावल की आयात की जाने वाली प्रस्तावित मात्रा और उसके मूल्य सहित तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी , नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान

*403. **श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) और पाकिस्तानी रेंजरों ने दोनों देशों की जेलों में लम्बे समय से बंद कैदियों की शीघ्र स्वेदश वापसी की दिशा में कदम के रूप में उनकी सूचियों का आदान-प्रदान किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन कैदियों को कब तक स्वदेश वापस किए जाने की संभावना हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, द्विपक्षीय समझौते के अनुसरण में गठित भारत-पाकिस्तान न्यायिक समिति की सिफारिशों के अनुरूप दोनों सरकारों ने भारत और पाकिस्तान की जेलों में रखे गए कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान 31.3.2008 को किया है। भारत ने भारत की विभिन्न जेलों में रखे गए 133 पाकिस्तानी कैदियों और 14 पाकिस्तानी मछुआरों की सूची प्रदान की है जब कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में रखे गए 53 भारतीय कैदियों और 436 भारतीय मछुआरों की सूची प्रदान की है।

(ग) इन कैदियों को वापस अपने देश भेजने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।

कच्चे रेशम का आयात

*404. **श्री एल. राजगोपाल** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक देशवार कच्चे रेशम का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया है और इसका मूल्य कितना है;

(ख) क्या उपर्युक्त देशों में किसी देश पर कोई पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में दिसम्बर, 2007 तक आयातित कच्चे रेशम की कुल मात्रा और उसके मूल्य (देश-वार) को दर्शाने वाल.. विवरण निम्नानुसार है:-

देश	2004-05			2005-06		
	मात्रा मी. टन	सीआईएफ मूल्य लाख रु. में	सीआईएफ कीमत रु./मी. टन	मात्रा मी. टन	सीआईएफ मूल्य लाख रु. में	सीआईएफ कीमत रु/मी. टन
ब्राजील	64.08	490.49	765434	40.2	327.44	814527
ताइवान	47.29	535.86	921675	26.99	262.82	973768
चीन जन. गण.	4,917.17	37,995.75	772716	4,508.51	44,428.98	985447
हांगकांग	1.88	18.36	976596	2.98	43.21	1450000
जापान	333.39	2,301.09	690210	9.72	99.16	1020165
कोरिया गणराज्य	16.16	98.02	606559	19.07	162.9	854221
स्विट्जरलैंड	77.54	698.25	900503			
ताजिकिस्तान				3.09	24.98	808414
थाइलैंड	8	67.66	845750			
यूएई				15.2	97.34	640395
अमरीका				0.07	0.78	1114286
उज्बेकिस्तान				18.03	119.08	660455
वियतनाम समाजवादी गण.				33.11	249.74	754274
अविनिर्दिष्ट				0.2	2.87	1435000
कुल	5465.51	42,105.48	770385	4,677.17	45,819.30	979637

देश	2006-07			2007-08 (अप्रैल-दिसंबर)		
	मात्रा मी. टन	सीआईएफ मूल्य लाख रु. में	सीआईएफ कीमत रु./मी. टन	मात्रा मी. टन	सीआईएफ मूल्य लाख रु. में	सीआईएफ कीमत रु/मी. टन
1	2	3	4	5	6	7
ब्राजील	72.03	921.3	1279050	34	313.35769	921640

1	2	3	4	5	6	7
ताइवान						
चीन जन. गण.	3,337.25	41,807.54	1252754	6,062.00	56,830.26	937484
हांगकांग	2.45	37.53	1531837			
जापान						
कोरिया गणराज्य	9.01	97.2	1078801	8.96	81.44	908929
स्विट्जरलैंड	1.6	4.3	268750			
ताजिकिस्तान						
थाइलैंड	3.6	56.52	1570000			
यूएई						
अमरीका						
उज्बेकिस्तान	82.7	544.81	658779	19	114.02238	600118
वियतनाम समाजवादी गण.	8.65	67.79	783699			
अविनिर्दिष्ट						
कुल	3517.29	43,536.97	1237799	6123.96	57339.081	936307

(ख) और (ग) चीन जन. गण. से 2ए ग्रेड से कम के शहतूती कच्चे रेशम (बटा न गया) के पाटन का आरोप लगाते हुए केन्द्रीय रेशम बोर्ड से प्राप्त आवेदन के आधार पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दिनांक 17.7.2002 को पाटनरोधी जांच शुरू की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई जांच के आधार पर केंद्र सरकार ने दिनांक 2.1.2003 को अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क और दिनांक 10.7.2003 को निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था। उक्त शुल्क लागू होने की तारीख के पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद दिनांक 2.1.2008 को समाप्त हो जाना था। रेशम उत्पादक राज्यों के रेशम उपजकर्ताओं तथा रीलरों के विभिन्न परिसंघों एवं एसोसिएशनों की ओर से केन्द्रीय रेशम बोर्ड से प्राप्त एक आवेदन के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क को आगे और 5 वर्ष तक जारी रखने की आवश्यकता की जांच करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क (5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच शुरू कर दी है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. 15/12/2007-डीजीएडी के जरिए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू किए जाने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 01/2008-सीमाशुल्क के जरिए शहतूती कच्चे रेशम पर पाटनरोधी शुल्क को आगे और एक वर्ष की अवधि अर्थात 1 जनवरी, 2008 तक बढ़ा दिया गया है।

वैज्ञानिकों का निजी क्षेत्र की ओर जाना

*405. श्री हितेन बर्मन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश वैज्ञानिक निजी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं। वैज्ञानिकों का सरकारी अनुसंधान संस्थानों से निजी क्षेत्र की ओर जाने की संख्या अधिक नहीं है। तथापि, प्रमाणों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि कुछ वैज्ञानिक डीआरडीओ जैसे मिशन अभिमुख संस्थान और सीएसआईआर जैसे औद्योगिक अनुसंधान संगठन से निजी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं।

(ख) रक्षा और गैर सामरिक क्षेत्र दोनों में प्रौद्योगिकी चालित निर्माण में जुटा निजी क्षेत्र अनुभवी वैज्ञानिकों के लिए बेहतर कैरियर अवसर प्रदान करता है। साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि खास तौर पर डीआरडीओ जैसे संगठन में कुल वैज्ञानिकों के लगभग 5 से 7% वैज्ञानिक अपने कैरियर के मध्य में छोड़कर चले जाने का विकल्प चुनते हैं। तथापि, डीआरडीओ नए नियोजन के माध्यम से वैज्ञानिकों की भर्ती करने में तथा ऐसे संकेतात्मक अभिगमन के लिए प्रतिपूर्ति करने में सक्षम हुआ है।

इस प्रकार मौजूदा प्रवृत्ति को परिवर्तनात्मकता के रूप में समझे जाने की आवश्यकता है और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में उन्नत प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का अंतरक्षेत्रीय अभिगमन अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक-निजी क्षेत्र के सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाएगा।

(ग) सरकार ने समय-समय पर विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान कर अनुसंधान में लगे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियों की शुरूआत;
- विज्ञान के नए और अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के आवश्यक आधुनिक सुविधा प्राप्त पेशेवरों के कोर समूहों का सृजन;
- नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन;
- क्रमिक पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए परिव्यय में वृद्धि;
- विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों और प्रयोगशालाओं में उत्कृष्टता/उन्नत अध्ययन के केन्द्रों/इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना;
- एसोसिएटशिप/अध्येतावृत्ति के माध्यम से मानव शक्ति विकास प्रशिक्षण/पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम;
- युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रैक स्कीम;
- अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थानों का दौरा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुने हुए क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहतर अवसर (ब्रायजकास्ट) अध्येतावृत्ति;
- मेधावी युवा वैज्ञानिकों को कैरियर के रूप में अनुसंधान और विकास अपनाने के लिए आकर्षित एवं प्रेरित करने हेतु सम्पर्क कार्यक्रम;
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी और उभरते क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए अल्पकालीन तकनीकी कार्यभार हेतु विदेश में बसे भारतीय मूल के प्रतिष्ठित पुरुषों एवं महिलाओं को आमंत्रण;
- आरंभिक संकाय प्रवेश कार्यक्रम जिसका लक्ष्य मेधावी और युवा अंडर ग्रेजुएट छात्रों को अच्छे कैरिअर अवसर के रूप में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी/फार्मेसी/वास्तुकला आदि की ओर आकर्षित करना है;
- अनुसंधान कार्यकलापों के लिए युवा प्रतिभा का नियमित रूप से जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा मानित विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में नर्सरी कक्षाएं

*406. **श्री रामदास आठवले** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय विद्यालयों में नर्सरी कक्षा शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो "विद्यालय विकास कोष" शीर्ष के अंतर्गत नर्सरी कक्षाओं के छात्रों से कितनी मासिक फीस ली जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और निर्धन वर्गों के छात्रों को इस शुल्क से छूट देने अथवा शुल्क की राशि में कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी नहीं। इस समय चल रहे 975 केन्द्रीय विद्यालयों में से केवल 170 केन्द्रीय विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं हैं।

(ख) "स्कूल विकास निधि" शीर्ष के तहत पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तथापि, 400 रु. का मासिक शुल्क लिया जाता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं का प्रबंध स्व-वित्त-पोषण आधार पर किया जाता है और यह केन्द्रीय विद्यालय स्कीम की औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है।

[अनुवाद]

विदेशी विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा

*407. **श्री पी. करुप्पाकरन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शैक्षिक संस्थाओं को विदेशी विश्वविद्यालयों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

पुष्प निर्यात क्षेत्र

*408. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में पुष्प निर्यात क्षेत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बाजार में कटे, खुले और सूखे पुष्पों के निर्यात हेतु क्या रियायतें/सहायता दिए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा पुष्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) देश में नए पुष्प निर्यात जोन स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पुष्पोत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए छह कृषि निर्यात जोन (एईजेड्स)-तमिलनाडु में 2 और कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम और उत्तरांचल में एक-एक की स्थापना की जा चुकी है।

(ग) और (घ) पुष्पों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद और तिरूवनंतपुरम स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो के लिए केन्द्रों की स्थापना करना।

(ii) बंगलौर, मुम्बई, नोएडा और कोलकाता में थोक बाजार-सह-पुष्प नीलामी केन्द्रों की स्थापना करने हेतु सहायता प्रदान करना।

(iii) यूरोप के फूलों का विपणन करने में उपजकर्ताओं की सहायता करने के लिए आल्समीर, नीदरलैंड में एक बाजार सुविधा केन्द्र की स्थापना करना।

(iv) पुष्पोत्पादों हेतु एईजेडों की स्थापना करना।

(v) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी करना।

(vi) अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास,

अनुसंधान एवं विकास हेतु वित्तीय सहायता और परिवहन सहायता संबंधी अपनी स्कीमों के अंतर्गत अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पुष्पोत्पादों के निर्यातों में उच्च मालभाड़े के कारण हुए नुकसान को पूरा करने के लिए पुष्प के लिए पुष्प अब निर्यातों के एफओबी मूल्य के 2.5% के बराबर अतिरिक्त शुल्क ऋण के लिए पात्र होंगे जो विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) के अंतर्गत उपलब्ध ऋण के अलावा होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध

*409. **श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान लिंग-वार और अपराध-वार अलग-अलग कुल कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) कुल कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा साथ ही इस संबंध में अपने कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), कुछ अपराधों के संबंध में आयु-वार, लिंग-वार आंकड़े संकलित करता है और उनहें रखता है। वर्ष 2006 एनसीआरबी द्वारा संकलित उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 2004 से 2006 के लिए हत्या और हत्या के लिए न किए गए आपराधिक मानव वध के शिकार लोगों (50 वर्ष और इससे अधिक आयु) के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराधों के संबंध में ऐसे विशिष्ट आंकड़े इस समय संकलित नहीं किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और अधिक आयु) के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम है। विगत तीन वर्षों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के प्रति दर्ज विभिन्न अपराधों के मामलों से संबंधित आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा और कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अकेले रह रहे बुजुर्ग लोगों की पहचान करना; उनके कर्मचारियों विशेष रूप से घरेलू नौकरों और ड्राइवरों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन करना; बीट स्टाफ, स्टेशन हाउस आफीसर और डिविजनल आफीसरों द्वारा आवधिक रूप से बुजुर्ग लोगों की रिहाइशों का दौरा करना, अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) के अधीन अपराध शाखा में वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा कक्ष की स्थापना करना; वरिष्ठ नागरिकों की भावनात्मक सहायता करने और उनमें सुरक्षा की भावना का सृजन करने के लिए वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा कक्ष के अधिकारियों द्वारा स्वयं और टेलीफोन पर उनसे संपर्क स्थापित करना; वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा से संबंधित युक्तियों और मुद्दों के बारे में बताना; आयात स्थिति में प्रयोग के लिए हेल्पलाइन के टेलीफोन नम्बर उन्हें उपलब्ध कराना; ''क्या करें'' और ''क्या न करें'' के बारे में सलाह देना; वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए सुरक्षा जागरूकता शिविर आयोजित करना आदि शामिल हैं।

विवरण-I

वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान देश में हत्या और हत्या के न किए गए आपराधिक मानव वध (50 वर्ष और अधिक आयु) के शिकार लोगों के संबंध में ब्यौरा

(I) हत्या

वर्ष	पुरुष	महिला	जोड़
2004	2485	664	3149
2005	2571	644	3215
2006	2674	694	3368

(II) हत्या के लिए न किए गए आपराधिक मानव वध

वर्ष	पुरुष	महिला	जोड़
2004	304	52	356
2005	277	56	333
2006	244	31	275

विवरण-II

वर्ष 2005, 2006, 2007, और 15 फरवरी, 2008 के दौरान दिल्ली में दर्ज वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध के मामलों का ब्यौरा

(I) हत्या

वर्ष	मामलों की कुल संख्या	शिकार हुए पुरुष	शिकार हुई महिला	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
2005	16	8	10	20
2006	12	7	7	19
2007	17	11	6	24
2008 (15 फरवरी तक)	1	1	0	0

(II) हत्या की कोशिश

वर्ष	मामलों की कुल संख्या	शिकार हुए पुरुष	शिकार हुई महिला	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
2005	5	4	1	9
2006	2	1	2	5
2007	1	1	0	1
2008 (15 फरवरी तक)	0	0	0	0

(III) लूटपाट/डकैती

वर्ष	मामलों की कुल संख्या	शिकार हुए पुरुष	शिकार हुई महिला	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5
2005	15	11	4	25
2006	10	4	6	17
2007	9	6	3	19
2008 (15 फरवरी तक)	1	0	1	1

(IV) चोट पहुंचाना

वर्ष	मामलों की कुल संख्या	शिकार हुए पुरुष	शिकार हुई महिला	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
2005	23	19	4	42
2006	22	18	4	43
2007	13	11	2	15
2008 (15 फरवरी तक)	1	1	0	1

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्र

***410. श्रीमती पी. सतीदेवी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 हेतु कितना व्यय किया गया;

(ख) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत धर्म-वार, लिंग-वार, राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार अल्पसंख्यक समुदायों के कुल कितने छात्रों का नामांकन किया गया; और

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भर्ती किए गए अल्पसंख्यक [illegible] क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 दिसम्बर 2007 तक

के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान की गई निधियां
2004-05	5113.14
2005-06	7517.70
2006-07	10837.20
2007-08	11445.32

(ख) मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों के संबंध में राज्यों से सूचना जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के माध्यम से सितम्बर, 2006 में पिछली बार एकत्र की गई जिसका राज्य-वार तथा लिंगवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भर्ती किए गए शिक्षकों के धर्म के संबंध में आंकड़े पृथक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते।

विवरण

क्रम सं.	राज्य के नाम	प्रारंभिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों का नामांकन (2006-07)		
		बालक	बालिकाएं	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1031	962	1993
2.	आंध्र प्रदेश	535385	561955	1097340
3.	असम	745325	744191	1489516
4.	बिहार	700939	591536	1292475
5.	छत्तीसगढ़	13890	12808	26698
6.	दमन और दीव	22	29	51
7.	दिल्ली	71082	71896	142978
8.	गोवा	3480	3482	6962
9.	गुजरात	160833	151322	312155
10.	हरियाणा	6835	5745	12580
11.	हिमाचल प्रदेश	6813	5536	12349
12.	जम्मू और कश्मीर	541889	465564	1007453
13.	झारखंड	238459	214768	453227
14.	कर्नाटक	523592	518755	1042347
15.	केरल	171652	166049	337701
16.	मध्य प्रदेश	179363	169999	349362
17.	महाराष्ट्र	574700	536570	1111270
18.	मेघालय	77	103	180
19.	नागालैंड	54	60	114
20.	उड़ीसा	180803	167650	348453
21.	पुदुचेरी	4828	4357	9185
22.	पंजाब	2869	2042	4911
23.	राजस्थान	141759	114189	255948
24.	तमिलनाडु	192342	186167	378509
25.	उत्तर प्रदेश	1494834	1342609	2837443
26.	उत्तराखंड	1879	1640	3519
27.	पश्चिम बंगाल	1668518	1739894	3408412

चाय उद्योग हेतु अनुसंधान और विकास

*411. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय उद्योग के लिए मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान और विकास कार्य पर विशेष जोर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विशेष जोर दिया जा रहा है; और

(ग) इस उद्योग का कायाकल्प करने हेतु ग्यारहवीं योजना अवधि में कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) XIवीं योजना अवधि के दौरान मानव संसाधन विकास स्कीम के परिव्यय को Xवीं योजना अवधि के दौरान किए गए 6.01 करोड़ रु. के प्रावधान की तुलना में बढ़ाकर 50 करोड़ रु. कर दिया गया है। अनुसंधान एवं विकास हेतु परिव्यय को भी Xवीं योजना के दौरान 70 करोड़ रु. से बढ़ाकर XIवीं योजना अवधि के दौरान 85 करोड़ रु. कर दिया गया है।

मानव संसाधन विकास स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ (i) चाय बागान कामगारों के स्वास्थ्य (ii) कामगारों के बच्चों की शिक्षा (iii) फार्म कामगारों, लघु उपजकर्ताओं, प्रबंधकों को प्रशिक्षण और बेहतर फसल एवं प्रबंधकीय पद्धतियों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को जानकार बनाने के लिए सेमिनार, सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

अनुसंधान एवं विकास स्कीम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उत्पाद विविधीकरण, नई प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के विकास, गुणवत्ता मापदंडों के त्वरित आकलन हेतु इलैक्ट्रानिक साधनों का प्रयोग करने, कीटनाशियों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ग) चाय उद्योग के विकास हेतु चाय बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना स्कीमों के लिए XIवीं योजना अवधि के दौरान 800 करोड़ रु. का परिव्यय किया गया है।

भारत-अफ्रीका सम्मेलन

*412. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के सौदे पर चर्चा करने हेतु हाल ही में भारत में भारत-अफ्रीका सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर इस सम्मेलन में चर्चा की गई और हस्ताक्षर किए गए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) परियोजना भागीदारी संबंधी चौथे भारत-अफ्रीका सम्मेलन का संयुक्त रूप से आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और भारतीय एग्जिम बैंक द्वारा 19-21 मार्च, 2008 के दौरान नई दिल्ली में किया गया था। सीआईआई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सम्मेलन के दौरान भारतीय और अफ्रीकी प्रतिनिधियों के बीच आटो एवं आटो कल-पुर्जों, निर्माण, सड़क एवं पुल, आवास बिजली एवं ऊर्जा जल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा, प्रमुख क्षेत्र में टर्नकी परियोजनाओं निजी क्षेत्र में टर्नकी विनिर्माण परियोजनाओं, पर्यटन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास और तेल एवं गैस के क्षेत्रों में 10.551 बिलियन अमरीकी डालर के 153 परियोजना अवसरों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) परियोजना अवसरों से संबंधित विचार-विमर्श मूलत: अन्वेषणात्मक स्वरूप के थे। तथापि, सम्मेलन में निम्नलिखित प्रमुख द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे:-

1. भारतीय एग्जिम बैंक और अफ्रीकी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक (अफ्रेग्जिम बैंक) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू), जिसके अंतर्गत अफ्रीका को भारतीय निर्यातों के वित्तपोषण हेतु 30 मिलियन अम. डालर की ऋण लाइन (एलओसी) प्रदान की जाएगी।

2. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और इथियोपिया के व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू), जिसके अंतर्गत इथियोपिया में विनिर्माण एवं प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए भारतीय उद्योग को आमंत्रित किया जाएगा जिसमें भूमि तक पहुंच प्राप्त करने में वित्तीय प्रोत्साहनों के रूप में सहायता की जाएगी।

3. सीआईआई और इथियोपिया चर्म परिषद् के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू), जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं अनुसंधान पर केंद्रित होगा।

4. परामर्शी सेवाओं के क्षेत्र में आईएलएफएस और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)।

5. पारस्परिक सहयोग हेतु सीआईआई और बेनिन चैम्बर आफ कामर्स के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)।

निर्यात लक्ष्य

*413. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री नन्द कुमार साय :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2007-08 के लिए निर्यात का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2008-09 के लिए निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वर्ष 2007-08 के दौरान भारत के निर्यात 160 बिलियन अम. डा. के लक्ष्य की तुलना में 155 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के हुए हैं। यद्यपि लक्ष्य की प्राप्ति में थोड़ी कमी रही है तथापि वर्ष के दौरान रुपए की मजबूती, उच्च ब्याज दर, तेल की बढ़ती हुई कीमतों और हमारे कुछ प्रमुख व्यापार बाजारों में सामान्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के बावजूद निर्यात निष्पादन में काफी प्रगति प्रदर्शित हुई है।

(ग) और (घ) वर्ष 2008-09 के लिए 200 बिलियन अम. डा. का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ङ) निर्यात का संवर्धन करना सरकार का सतत् प्रयास रहता है और विदेश व्यापार नीति और उसके वार्षिक पूरक अंकों के अनुसार समय-समय पर पहलें की जाती हैं। इस नीति के अंतर्गत की गई पहलों में शामिल हैं-एसईजेड अधिनियम 2005 के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) की स्थापना करना, फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना; शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम, पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन स्कीम आदि कार्यान्वित करना। चल रही स्कीमों के अलावा दिनांक 11 अप्रैल, 2008 को विदेश व्यापार नीति, 2004-09 के वार्षिक पूरक अंक में अनेक नई पहलें घोषित की गई हैं। इन पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं- विनिर्माण एवं सेवा निर्यातों के संवर्धन हेतु निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) स्कीम के अंतर्गत आयात शुल्क में कमी करना; 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) को आयकर लाभ प्रदान करना; शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम (डीईपीबी) स्कीम लागू करना; एसएमई क्षेत्र और 13 अन्य क्षेत्रों के सभी निर्यातकों के संबंध में पोत लदान पूर्व और पश्चात ऋण पर ब्याज की दर में 2% की आर्थिक सहायता का प्रावधान और चमड़ा एवं अन्य विनिर्माताओं, समुद्री उत्पाद, सिले-सिलाए वस्त्र और कालीनों (मानवनिर्मित रेशों को छोड़कर) और हस्तशिल्प समेत वस्त्र की सभी श्रेणियों के संबंध में 2% की अतिरिक्त आर्थिक सहायता, खेल एवं खिलौना मदों, फलों, सब्जी एवं पुष्पोत्पादों के निर्यात के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन देना आदि।

[हिन्दी]

शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात

*414. **श्री अजीत जोगी :**
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि 15 राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में 75,884 प्राथमिक विद्यालयों तथा 7 राज्यों में 6,647 विद्यालयों में कोई शिक्षक नहीं था तथा कुछ राज्यों में शिक्षक-शिष्य का अनुपात बहुत अधिक अर्थात 1:80 था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य-वार शिक्षक-शिष्य का अनुपात क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन समस्याओं के निवारण हेतु और अधिक शिक्षकों की भर्ती करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2001-02 से 2004-05 की निष्पादन लेखापरीक्षा में बताया गया कि 15 राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों में एक शिक्षक वाले 75844 तथा 7 राज्यों में शिक्षक रहित 6647 स्कूल हैं तथा कुछ राज्यों में शिष्य-शिक्षक अनुपात 1 : 130 है। शिक्षक रहित स्कूलों में अधिकांशत: नए खोले गए वे स्कूल हैं जिनमें नए स्कूलों की अधिसूचना तथा नए शिक्षकों की भर्ती में आवधिक अंतराल था।

वर्ष 2006-07 के शैक्षिक आंकड़ों के लिए जिला सूचना पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शिष्य-शिक्षक अनुपात प्रारम्भिक स्तर पर 1 : 34 है। राज्यवार विवरण संलग्न किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिष्य-शिक्षक अनुपात में सुधार लाने के लिए वर्ष 2007-08 तक 11.30 लाख शिक्षक संस्वीकृत किए गए।

विवरण

शिष्य-शिक्षक अनुपात (2006-07)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रारंभिक स्तर
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14.89
आंध्र प्रदेश	22.10
अरुणाचल प्रदेश	21.55
असम	24.53
बिहार	63.68
चंडीगढ़	23.37
छत्तीसगढ़	26.95
दादर और नगर हवेली	44.99
दमन और दीव	32.74
दिल्ली	25.04
गोवा	24.07
गुजरात	34.82
हरियाणा	31.88
हिमाचल प्रदेश	18.29
जम्मू और कश्मीर	15.98
झारखंड	48.27
कर्नाटक	31.56
केरल	26.65
लक्षद्वीप	19.38
मध्य प्रदेश	38.08
महाराष्ट्र	27.78
मणिपुर	20.41
मेघालय	18.06
मिजोरम	14.16
नागालैंड	22.37
उड़ीसा	32.70
पुदुचेरी	23.61
पंजाब	31.75
राजस्थान	31.40
सिक्किम	12.48
तमिलनाडु	27.12
त्रिपुरा	22.49
उत्तर प्रदेश	52.84

1	2
उत्तराखंड	25.75
पश्चिम बंगाल	50.71
सभी राज्य	34.37

[अनुवाद]

निजी टेलीविजन चैनलों का विनियमन

*415. **श्री चंद्रकांत खैरे :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में निजी टेलीविजन चैनलों को विनियमित करने हेतु एक विषय-वस्तु संहिता को स्वीकृत कराने में सफल हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन नियमों का ब्यौरा क्या है जिनके तहत केबल आपरेटरों के प्रचालन पर निगरानी रखी जाती है; और

(घ) जिला और राज्य स्तरीय निगरानी समितियों ने केबल आपरेटरों पर नियंत्रण रखने और टी.वी. चैनलों के दुरूपयोग को रोकने में किस हद तक सहायता की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं (विषय-वस्तु संहिता) की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था ताकि मौजूदा संहिताओं के प्रावधानों को और अधिक विशिष्टता प्रदान की जा सके। समिति ने दिनांक 05.03.2008 को सरकार के सक्षम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जोकि संहिताएं और दिशा-निर्देश नामक शीर्षक और 'प्रसारण क्षेत्र हेतु स्व-विनियमन दिशा-निर्देश (2008)' नामक उप-शीर्षक के अंतर्गत मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियम भी 'अधिनियम और नियम' नामक शीर्षक के अंतर्गत इस मंत्रालय की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस मंत्रालय के दिनांक 6.9.2005 के आदेश के अनुवर्तन के रूप में राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर की समितियों का गठन किए जाने की आशा थी। तथापि, अधिकांश राज्यों ने अनुपालन की सूचना नहीं दी। परिणामस्वरूप, राज्य/जिला स्तरीय मानीटरिंग समितियों के गठन और कार्यकरण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए दिनांक 19.2.2008 को एक नया आदेश जारी किया गया है, जिनसे केबल आपरेटरों द्वारा टी वी चैनलों के दुरूपयोग पर रोक लगाए जाने की आशा है। उपर्युक्त दिशा-निर्देश भी 'संहिताएं और दिशा-निर्देश' शीर्षक से मंत्रालय की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

कृषि निर्यात जोन

*416. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में चार नए कृषि निर्यात जोन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्यमान कृषि निर्यात जोनों का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) एईजेडों के निष्पादन में आई कमी के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक कार्य योजना संबंधी सुझाव देने की दृष्टि से मौजूदा एईजेडों का एक परिपूर्ण मूल्यांकन किया गया था। इस समीक्षा से यह पता चला कि एईजेड मुख्यत: निम्नलिखित के अभाव के कारण प्रगति नहीं कर पा रहे हैं:-

(i) उनकी अवधारणात्मक डिजाइन में परियोजना उन्मुखीकरण;

(ii) एईजेडों की अवधारणा के बारे में फील्ड पदाधिकारियों के बीच जागरूकता;

(iii) अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वयन तथा एईजेडों के कार्यनिष्पादन की निगरानी हेतु एक प्रभावशाली अभिकरण; और

(iv) जनता की कारगर भागीदारी

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लौह-अयस्क खानों का आवंटन

*417. **श्री रत्नैन वर्मन** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरोध के बावजूद निजी क्षेत्र की कंपनियों को लौह-अयस्क की खानें प्राथमिकता के आधार पर आवंटित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु एवं मध्यम उद्यमों के कार्यकरण का आकलन

*418. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु और मध्यम उद्यमों के कार्यकरण का आकलन करने तथा उनके कार्य निष्पादन की रेटिंग करने के लिए कुछ प्राइवेट कंसल्टिंग एण्ड रेटिंग एजेंसियों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन लघु और मध्यम उद्यमों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में इन एजेंसियों द्वारा अब तक आकलन और रेटिंग कार्य किया जा चुका है; और

(घ) सरकार द्वारा इन एजेंसियों के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय वर्ष 2005-06 से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए परफारमेंस एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (रा.ल.उ.नि.), जो मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए एक नोडल संगठन है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की रेटिंग के लिए, सात रेटिंग एजेंसियों यथा केयर, क्रिसिल, इकरा, फिच, डन एण्ड ब्राडस्ट्रीट, ओनिकरा तथा एसएमई रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लिमिटेड (स्मेरा) को पैनल पर रखा गया है। तथापि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छूट है कि वे पैनल में रखी गई किसी भी रेटिंग एजेंसी का चयन करें। स्कीम के अंतर्गत, सरकार केवल पहले वर्ष के लिए रु. 40000/- की सीमा की शर्त के साथ रेटिंग शुल्क की 75% तक सब्सिडी प्रदान करती है।

(ग) वर्ष-वार रेट किए गए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:

	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
रेट किए गए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की संख्या	671	2170	3850	6691

(घ) सरकार, रेट किए गए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को रेटिंग शुल्क पर सब्सिडी के अलावा अन्य कोई सीधी सहायता प्रदान नहीं करती है। बल्कि, इस स्कीम का उद्देश्य प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को परफारमेंस एवं क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना है ताकि वे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से बेहतर ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकें। साथ ही, उनके विपणन प्रयासों में भी उनकी सहायता करना है। परफारमेंस एवं क्रेडिट रेटिंग, रेट किए गए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की क्षमताओं तथा साख के बारे में बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को विश्वसनीय तीसरी पार्टी का मूल्यांकन प्रदान करता है। कुछ बैंकों, ने बेहतर रूप से रेट किए गए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए रियायती ब्याज दरें भी घोषित की है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम द्वारा प्राप्त की गई रेटिंग, क्रेताओं के बीच एक विश्वास की भावना प्रदान करती है तथा रेट किए गए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की उनके उत्पादों/सेवाओं के विपणन में सहायता करती है।

[हिन्दी]

"सिमी" की गतिविधियां

*419. श्री कीरेन रिजीजू :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्टुडेण्ट इस्लामिक मूवमेण्ट ऑफ इंडिया (सिमी) के कुछ कार्यकर्तायों को गिरफ्तार किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक सिमी के राज्य-वार कुल कितने कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया हैं तथा उनसे कौन-कौन सी वस्तुएं जब्त की गयीं हैं;

(ग) क्या इन कार्यकर्ताओं ने लश्कर-ए-तैयबा से हाथ मिला लिए हैं और वे विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहें हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सांठगांठ तथा सिमी की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहें हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2006 से विभिन्न राज्यों में सिमी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों और जब्त की गई वस्तुओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	राज्य	गिरफ्तारियां	जब्त की गई वस्तुयें
1	2	3	4
2006	गुजरात	14	शस्त्र, गोलीबारूद, नकदी आदि
2006	मध्य प्रदेश	73	–
2006	केरल	05	कुछ आपत्तिजनक साहित्य
2006	महाराष्ट्र	24	शस्त्र गोलीबारूद, वाहन, विस्फोटक सामग्री, अमोनियम नाइट्रेट, डिटोनेटर आदि
2007	मध्य प्रदेश	01	–
2008	महाराष्ट्र	02	–
2008	मध्य प्रदेश	54	आपत्तिजनक साहित्य और दस्तावेज, शस्त्र और गोलीबारूद, जिलेटीन की छड़े, मोबाइल, नकदी, कंप्यूटर आदि
2008	कर्नाटक	07	जिलेटिन की छड़े, डिटोनेटर, हथगोले, चोरी की गई मोटर साईकिल आदि
2008	आंध्र प्रदेश	01	–

(ग) कई मामलों की जांच पड़ताल से सिमी के लश्कर-ए-तैबा (एलईटी) सहित विभिन्न आतंकवादी गुटों के साथ संबंध होने का पता चलता है।

(घ) जो संगठन देश में शांति, सांप्रदायिक सद्भावना और सुरक्षा नहीं चाहते हैं उन सभी संगठनों के क्रियाकलापों पर कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियां निरंतर नजर रखती हैं और ऐसे क्रियाकलापों को रोकने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए 2004 में यथा संशोधित विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंध लगाने सहित निरंतर आधार पर अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

औषधीय जड़ी-बूटियों का निर्यात

*420. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक मात्रा-वार, मूल्य-वार और देश-वार कुल कितनी मात्रा में औषधीय जड़ी-बूटियों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या औषधीय जड़ी-बूटियों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग के मद्देनजर सरकार द्वारा इनके उत्पादन और आपूर्ति हेतु कोई विशेष योजना तैयार की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विश्व बाजार में औषधीय जड़ी-बूटियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित औषधीय जड़ी-बूटियों की कुल मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा	मूल्य
2004-05	44189.25 मी. टन	262.78 करोड़ रु.
2005-06	49157.87 मी. टन	315.70 करोड़ रु.
2006-07	44577.98 मी. टन	364.52 करोड़ रु.
2007-08 (अनंतिम)	50056.89 मी. टन	430.08 करोड़ रु.

यूएसए, पाकिस्तान, जर्मनी, इण्डोनेशिया, जापान, स्पेन, यूके, आस्ट्रेलिया, चीन तथा ताइवान दस प्रमुख देश हैं, जिन्हें औषधीय जड़ी-बूटियों का निर्यात किया जा रहा है।

(ख) से (घ) सरकार ने औषधीय पादप क्षेत्र के संरक्षण, अनुरक्षण तथा विकास हेतु औषधीय पौधों के संरक्षण, समुचित कटाई, किफायती खेती, अनुसंधान तथा विकास, प्रसंस्करण तथा कच्ची सामग्री के विपणन हेतु नीतियां तथा कार्यनीतियां तैयार करने सहित औषधीय पौधों से संबंधित सभी मामलों के समन्वयन हेतु औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड सर्वेक्षण, सूची निर्माण, प्रलेखन, स्वस्थाने/स्थान-बाह्य संरक्षण, जागरूकता बढ़ाने हेतु विस्तार कार्यकलापों, उपजकर्ताओं तथा संग्राहकों के प्रशिक्षण, औषधीय पौधों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास आदि सहित विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलापों हेतु स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

इसके अलावा औषधीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, आपूर्ति एवं निर्यात स्कीमों हेतु सरकार ने 11वीं योजना के दौरान निम्नलिखित संवर्धनात्मक उपाय तैयार किए हैं:-

(क) औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास तथा सतत प्रबंधन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम

इस स्कीम में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित ग्रस्ट क्षेत्र हैं– गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणन हेतु औषधीय पौधों के वन्य जीन पूल का स्वस्थाने संरक्षण, सतत प्रबंधन तथा संवर्धन जागरूकता का सृजन, विस्तार, क्षमता निर्माण तथा जड़ी बूटी उद्यानों की स्थापना हेतु कार्यक्रम, डाटाबेस तैयार करने एवं जड़ी बूटी संग्रहालय/अपरिष्कृत औषधि संग्रह कोष की स्थापना। योजना के दौरान इस स्कीम हेतु 360.07 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है।

(ख) खेती, प्रसंस्करण एवं विपणन सहित औषधीय पादप प्रसंस्करण जोनों की स्थापना हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम

इस स्कीम में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित ग्रस्ट क्षेत्र हैं–औषधीय पौधों की खेती हेतु सहायता, प्रमाणित रोपण सामग्री की आपूर्ति हेतु बीज केन्द्रों एवं पौधशालाओं की स्थापना, एमपीपी जेड़ों (औषधीय पादप प्रसंस्करण जोन) की स्थापना एवं प्रबंधकीय सहायता। इस स्कीम के अंतर्गत अभिज्ञात स्थानों पर औषधीय पादप पौधशालाओं, पादप प्रसंस्करण जोनों की स्थापना तथा अभिज्ञात किए गए प्रमुख औषधीय पौधों की वाणिज्यिक खेती का प्रस्ताव है। योजना के दौरान इस स्कीम हेतु 630.00 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है।

असम में फिल्म संस्थान

4010. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की तर्ज पर फिल्म संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) कब तक उक्त संस्थान असम में स्थापित कर दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, गुवाहाटी स्थित ज्योति चित्रबन फिल्म स्टूडियो (जेसीएफएस) का 8.79 करोड़ रु. की लागत पर आधुनिकीकरण किया गया है। असम सरकार ने 9.97 करोड़ रु. की लागत पर जे सीएफएस के और अधिक विस्तार

हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। योजना आयोग ने वित्त वर्ष 2006-07 में 10 करोड़ रु. उपलब्ध कराए थे। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने ज्योति चित्रबन फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, गुवाहाटी और बोड़ोलैंड देशज जनजातीय कला तथा सांस्कृतिक काम्पलेक्स-सह-फिल्म स्टूडियो कथलगुड़ी, खंड-II, कोकराझार नामक दो परियोजनाओं को भी संस्वीकृत कर दिया है। इन परियोजनाओं की अनुमोदित लागत क्रमशः 13.47 करोड़ रु. और 4.95 करोड़ रु. है। दो परियोजनाओं के लिए क्रमशः 4.24 करोड़ रु. और 1.62 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत उपरोल्लिखत दोनों परियोजनाओं के पूरा होने की लक्षित तारीख 31.12.2009 है।

विशेष सुरक्षा जोनों की स्थापना

4011. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आतंकवादी खतरों, उग्रवाद तथा संगठित अपराधों से निपटने के लिए मामलों को देखने हेतु सोली सोराबजी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने राज्य सीमाओं में बंटे समीपवर्ती क्षेत्रों को एक साथ लाकर पूरे देश में विशेष सुरक्षा जोन स्थापित करने की भी सिफारिश की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) गृह मंत्रालय ने पुलिस अधिनियम, 1861 का प्रतिस्थापन करने के लिए एक नया पुलिस अधिनियम बनाने हेतु सोली सोराबजी समिति गठित की थी जिसने सरकार को प्रतिदर्श पुलिस अधिनियम का मसौदा प्रस्तुत कर दिया।

(ख) प्रतिदर्श पुलिस अधिनियम की मुख्य बातों में, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना करना, राज्य के पुलिस महानिदेशक तथा अन्य प्रमुख पुलिस अधिकारियों की तैनाती एवं स्थानान्तरण करने के उद्देश्य से पुलिस अवस्थापना समितियां गठित करना, जांच कार्य को कानून एवं व्यवस्था से अलग करना, राज्य एवं जिला स्तर पर पुलिस जवाबदेही तंत्र स्थापित करना, पुलिस कार्मिकों की सेवा दशाओं में सुधार करना और ग्रामीण/ग्राम पुलिस व्यवस्था करना, मैट्रो पोलिटन/शहरी पुलिस व्यवस्था करना, पुलिस व्यवस्था में समुदाय की संलिप्तता आदि।

(ग) और (घ) समिति द्वारा प्रस्तुत मसौदा पुलिस अधिनियम में विद्रोही अथवा उग्रवादी/आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित राज्यों के अंतर्गत अथवा एक से अधिक राज्यों के अंतर्गत आने वाले ऐसे क्षेत्रों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा जोन बनाने सहित लोक व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के संदर्भ में पुलिस व्यवस्था करने का प्रावधान भी है। चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस राज्य का विषय है इसलिए मसौदा प्रतिदर्श पुलिस अधिनियम की एक प्रति विचारार्थ एवं समुचित कार्रवाई हेतु सभी राज्यों को भेज दी गई है।

[हिन्दी]

नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के साथ व्यापार

4012. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा के पार कई वस्तुओं के व्यापार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) नियंत्रण रेखा के पार व्यापार हेतु नई दिल्ली में मई, 2006 में आयोजित भारत-पाकिस्तान तकनीकी स्तर की वार्ताओं के दौरान भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा के पार व्यापार करने पर चर्चा की है। इस संबंध में हुई प्रगति निम्नानुसार है:-

(i) दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा के पार व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की सूचियों का आदान-प्रदान किया है;

(ii) भारत की सूची में 14 मदें थीं जबकि पाकिस्तान की सूची में 15 मदें थीं; पाकिस्तान ने बाद में एक और मद शामिल कर कुल संख्या 16 कर दी है।

(iii) रूपरेखाओं तथा नियंत्रण रेखा के पार व्यापार की जाने वाली वस्तुओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन

4013. श्री के.एस. राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन पर विचार के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शासकीय गुप्त बात अधिनियम तथा सूचना का अधिकार अधिनियम में किस प्रकार का टकराव देखा गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) "सूचना का अधिकार-सुशासन की मास्टर चाबी" नामक रिपोर्ट में यथानिहित शासकीय गुप्त बात अधिनियम की सिफारिशों से संबंधित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थिति

4014. श्री एस.के. खारवेलचन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत राज्य-वार तथा संघ राज्यक्षेत्र-वार सामुदायिक रेडियो (सीआरएस) स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) अलाभकारी संगठनों से आज की तिथि तक सीआरएस स्थापित करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा मंजूर किए गए; और

(ग) पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में ऐसे रेडियो स्टेशनों के विस्तार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) इस समय देश में 34 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) के कार्यशील होने की सूचना मिली है। राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2
बिहार	1
दिल्ली	5
गुजरात	2
कर्नाटक	2
केरल	1
महाराष्ट्र	3
पंजाब	1
राजस्थान	3
तमिलनाडु	8
उत्तर प्रदेश	4
चंडीगढ़	1
पुदुचेरी	1

(ख) आज की तिथि तक अलाभकारी संगठनों से सी.आर.एस. स्थापित करने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या 114 और मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या 18 है।

(ग) सरकार नू पूरे देश में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक परामर्श-सत्र और कार्यशालाएं आयोजित करके स्कीम के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए हैं और इन परामर्शसत्रों और कार्यशालाओं में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के अग्रदर्शी संगठनों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रिंट और श्रव्य-दृश्य मीडिया में स्कीम का पर्याप्त प्रचार करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भी पत्र भेजे गए हैं।

विकेन्द्रीकृत शिक्षक प्रशिक्षण

4015. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकेन्द्रीकृत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के शैक्षिक समर्थन के लिए ब्लाक रिसोर्स सेंटर तथा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) पूर्व केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और वर्तमान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों और प्रारंभिक स्कूलों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के साथ विकन्द्रीकृत रूप से नियमित सेवा-कालीन शिक्षक प्रशिक्षण देने के लिए 6395 ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बीआरसी) और 68352 क्लस्टर संसाधन केन्द्र (सीआरसी) स्थापित किए गए हैं। दिसंम्बर, 2007 तक स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्र और क्लस्टर संसाधन केन्द्र का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लाक संसाधन केन्द्र	क्लस्टर संसाधन केन्द्र
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	37
2.	आंध्र प्रदेश	1131	6953
3.	अरुणाचल प्रदेश	84	201
4.	असम	145	2473
5.	बिहार	533	4479
6.	चंडीगढ़	—	20
7.	छत्तीसगढ़	146	2169
8.	दादरा और नगर हवेली	1	11
9.	दमन और दीव	2	7
10.	दिल्ली	9	—
11.	गोवा	11	155
12.	गुजरात	224	3351
13.	हरियाणा	119	1487
14.	हिमाचल प्रदेश	75	2103
15.	जम्मू और कश्मीर	118	1592
16.	झारखंड	212	2049
17.	कर्नाटक	196	2684
18.	केरल	152	1342
19.	लक्षद्वीप	3	10
20.	महाराष्ट्र	406	5755
21.	मणिपुर	35	225
22.	मेघालय	39	437
23.	मिजोरम	22	159
24.	मध्य प्रदेश	317	6330

1	2	3	4
25.	नागालैंड	41	—
26.	उड़ीसा	257	4140
27.	पुदुचेरी	6	8
28.	पंजाब	141	1499
29.	राजस्थान	194	3074
30.	सिक्किम	9	131
31.	तमिलनाडु	401	4088
32.	त्रिपुरा	40	332
33.	उत्तर प्रदेश	879	8249
34.	उत्तराखंड	95	1001
35.	पश्चिम बंगाल	343	1801

[हिन्दी]

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हूजी की गतिविधियां

4016. **श्रीमती करूणा शुक्ला :**
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन (हूजी) के उत्तर पूर्व राज्यों विशेष रूप से असम में अपनी स्थिति मजबूत कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हूजी ने असम में विशेष रूप से धुबरी तथा बोंगईगांव जिलों में अपने बेस कैंप स्थापित कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) हूजी की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि बांग्लादेश स्थित हरकत-उल-जेहद-इस्लामी (हूजी) ने पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष रूप से असम में अपनी स्थिति मजबूत की है, न ही ऐसी सूचना है जिनसे यह पता चले कि हूजी ने असम के धुबरी और बोंगइगांव में अपने शिविर स्थापित किए हैं। तथापि, इस आशय की रिपोर्टें हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कुछ विद्रोही ग्रुपों के पाकिस्तान की आई एस आई और बांग्लादेश आधारित हूजी जैसे पड़ोसी देशों के कुछ अन्य कट्टरपंथी/आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध हैं।

(घ) सरकार, भारत विरोधी क्रियाकलापों के लिए बांग्लादेश की भूमि का दुरूपयोग किए जाने सहित सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों को दोनों देशों के बीच विद्यमान राजनयिक चैनलों और संस्थागत तंत्र के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर बांग्लादेश के साथ नियमित रूप से उठाती रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों, जो अपने क्षेत्रों में लोक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए मुख्यत: जिम्मेदार हैं, विद्रोह-विरोधी गहन अभियान चलाने के उद्देश्य से राज्य प्राधिकारियों की सहायता करने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने और खतरे के आकलन के आधार पर सुभेद्य संस्थानों और प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा प्रदान करने; सीमा पर बाड़ का निर्माण करने सहित सीमा पर सतर्कता और चौकसी; आसूचना का आदान-प्रदान करने; पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत स्थानीय पुलिस बलों और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने; सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करके सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं और उग्रवाद-रोधी अभियानों के अन्य पहलुओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता का प्रावधान करके; इंडिया रिजर्व बटालियनों आदि के रूप में अतिरिक्त बलों का गठन करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा उनके प्रयासों में सहायता की जा रही है।

[अनुवाद]

पेशेवर पाठ्यक्रमों हेतु दूरस्थ शिक्षा

4017. **श्री असदुद्दीन ओवेसी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूरस्थ तथा मिश्रित शिक्षा के तरीकों से सभी शैक्षिक संस्थानों द्वारा एम.बी.ए. तथा आई.टी. जैसे लोकप्रिय पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तीन नियामक निकायों यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद् ने संयुक्त रूप से विचार किया तथा सभी शैक्षिक संस्थानों को दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने का निर्णय दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे;

(ङ) इस संबंध में शैक्षिक संस्थानों को सरकार द्वारा कौन-से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि इन पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता इसके परिणामस्वरूप कम नहीं हो जाए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के संबंधित सांविधिक निकायों तथा तकनीकी/व्यावसायोन्मुख कार्यक्रमों हेतु संबंधित नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को दूरस्थ प्रणाली के माध्यम द्वारा संचालित किया जा सकता है बशर्ते कि ये कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा भी मान्यता प्राप्त हों। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने हेतु बहु-स्तरीय अनुमोदन में होने वाले विलम्ब को कम करने के उद्देश्यार्थ, तीनों विनियामक निकायें अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद ने एक संयुक्त समिति तंत्र के माध्यम से प्रस्तावों पर विचार करने हेतु एक सिंगल-विन्डो सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

(ङ) और (च) सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, दूरस्थ शिक्षा परिषद के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा में स्तरों के निर्धारण के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है जिसने समय-समय पर दूरस्थ शिक्षा परिषद की मान्यता हेतु पुस्तिका में विनिर्दिष्ट मानकों व दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को सूचित किया है तथा दिशा-निर्देश देकर तथा कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करके दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहा है।

अनिवार्य विषय के रूप में आचार-विज्ञान

4018. श्री जसुभाई धानाभाई बारड ; क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के युवकों में आचार मूल्य तेजी से घटने की घटना को देखते हुए देश के विभिन्न स्कूलों में आचार-विज्ञान को एक अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 में बच्चों के मन में नैतिक मूल्यों को बैठाने और उनका नैतिक विकास करने, प्रकृति सहित स्वयं और अन्यों के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अपेक्षित प्रवृत्ति और कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए 'शान्ति के लिए शिक्षा' शुरू करने की सिफारिश की गई है और इसमें मानव अधिकार, न्याय, सहनशीलता, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति आदर की भावना पैदा करने, लोकतंत्र, अहिंसक संघर्ष संकल्प और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नैतिक शिक्षा को अलग विषय के रूप में शामिल न करके विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में समेकित रूप से मूल्यपरक शिक्षा के घटक के रूप में शामिल किया है। भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद भी अपने सम्बद्ध विद्यालयों से यह अपेक्षा करती है कि वे कक्षा-X तक अपने विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से 'नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा' सुलभ कराएं।

नालको की विस्तार परियोजना

4019. श्री गिरिधर गमांग : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नालको की विस्तार परियोजनाओं की अनुमनित लागत कितनी है तथा विस्तार हेतु धन जुटाने के लिए कौन-कौन सी नीति अपनाई गई है;

(ख) अब तक कुल कितनी राशि का उपयोग हुआ है तथा विस्तार के प्रत्येक संघटक की कितनी प्रगति हुई; और

(ग) लागत कम करने तथा अधिक समय लगने को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. (नालको) की जारी द्वितीय चरण विस्तार परियोजना की मूल अनुमानित लागत (मार्च, 2004 के मूल्य स्तर पर) 4091.51 करोड़ रुपए थी। मार्च, 2007 के मूल्य स्तर पर संशोधित अनुमानित लागत 5003 करोड़ रुपए है। परियोजना लागत का वित्तपोषण अधिकांशत: आंतरिक संसाधन सृजन के माध्यम से किया जाता है।

(ख) नालको ने सूचित किया है कि मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार 3729 करोड़ रुपए की कुल प्रतिबद्धता है और 1948 43 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार समग्र व्यय और विस्तार की प्रगति नीचे दी गई है:

क्रम सं.	परियोजना खंड	व्यय (करोड़ रु. में)	प्रगति (प्रतिशत में)
1.	खानें तथा एल्युमिना	618.99	72
2.	प्रगालक	683.18	69
3.	गृहीत विद्युत संयंत्र	646.26	80
	कुल	1948.43	

(ग) कंपनी ने द्वितीय चरण विस्तार परियोजना के समय और लागत की मानीटरिंग के लिए मै. एम.एन. दस्तूर एण्ड कंपनी को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है जो नियमित रूप से समीक्षा करती है और रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कंपनी भी माइलस्टोन में किसी भी स्लिपेज के लिए उपचारी उपाय करने के लिए यूनिटों के स्तर पर तथा कारपोरेट स्तर पर नियमित परियोजना समीक्षा बैठकें करती है। कंपनी को भरोसा है कि परियोजना संशोधित अनुमानित लागत के भीतर पूरी हो जाएगी। मंत्रालय भी तिमाही आधार पर प्रगति की समीक्षा करता है।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन तथा विपणन कल्याणकारी योजना

4020. श्री कैलाश मेघवाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन तथा विपणन विकास कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं तथा उन एजेन्सियों के नाम क्या हैं तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त कार्यक्रम गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक क्रियान्वित किए जा रहे हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों विशेष रूप से राजस्थान को प्रदान की गई निधियों, अनुदानों, ऋणों तथा अन्य वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वाणिज्य विभाग द्वारा बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम और निर्यातों के विकास एवं संवृद्धि हेतु अवसंरचना के सृजन के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम चलाई जा रही है। एमडीए स्कीम का उद्देश्य निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग एवं व्यापार एसोसिएशनों द्वारा प्रत्येक वर्ष नियमित आधार पर कार्यान्वित किए जा रहे अनेक निर्यात संवर्धन कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एमएआई स्कीम का उद्देश्य किसी देश/उत्पाद पर अधिक फोकस के साथ मध्यावधि निर्यात संवर्धन प्रयासों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वित्तीय सहायता निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग एवं व्यापार एसोसिएशनों, राज्य सरकारों के अभिकरणों विदेशों में भारतीय वाणिज्यक मिशनों और यथा विनिर्दिष्ट पात्र सत्ताओं के लिए उपलब्ध है। एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत आवंटन के अनुमोदित मापदंडों के आधार पर राजस्थान राज्य सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ख) (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएआई स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों की वित्तपोषित परियोजनाएं-

क्र.सं.	राज्य सरकार	प्रस्तावों का विवरण	जारी की गई राशि (लाख रु. में)	वर्ष
1	2	3	4	5
1.	पश्चिम बंगाल	अवसंरचना संबंधी अध्ययन हेतु पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव	44.45	2005-06

1	2	3	4	5
2.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल में जिला-वार निर्यात संभावना संबंधी सर्वेक्षण के अध्ययन हेतु पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव	2.62	2005-06
3.	उड़ीसा	उड़ीसा हथकरघा एवं हस्तशिल्प के संवर्धन हेतु आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय विपणन परियोजना हेतु सहायता के लिए प्रस्ताव	94.84	2006-07
4.	राजस्थान	राजस्थान के निर्यातकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राजस्थान की राज्य सरकार का प्रस्ताव	10.00	2007-08

(ii) एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को जारी की गई निधियों के ब्यौरे :-

क्र सं.	राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई राशि 2005-06	जारी की गई राशि 2006-07	जारी की गई राशि 2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,545.00	1700.00	2,120.00
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0
3.	बिहार	0.00	0.00	0
4.	चंडीगढ़	320.00	175.00	0
5.	छत्तीसगढ़	500.00	550.00	435.00
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0
7.	दमन और दीव	0.00	0.00	0
8.	दिल्ली	265.00	145.00	283.51
9.	गोवा	609.00	0	670.00
10.	गुजरात	4,338.00	4770.00	5,972.50
11.	हरियाणा	1,405.00	772.50	1,545.00
12.	हिमाचल प्रदेश	553.00	600.00	600.00
13.	जम्मू एवं कश्मीर	525.00	580.00	580.00
14.	झारखंड	0.00	275.00	275.00
15.	कर्नाटक	3,399.00	3740.00	4,262.00
16.	केरल	1,069.00	1175.00	1,175.00
17.	लक्षद्वीप	0.00	0	0
18.	मध्य प्रदेश	1,435.00	790.00	1,580.00
19.	महाराष्ट्र	6.552.00	7210.00	8,200.00
20.	उड़ीसा	693.00	765.00	892.00
21.	पुदुचेरी	0	0	0
22.	पंजाब	1,217.00	670.00	670.00
23.	राजस्थान	1,320.00	726.50	1,453.00

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	3,919.00	4312.00	4,988.00
25.	उत्तर प्रदेश	2.100.00	1155.00	2,310.00
26.	उत्तरांचल	527.00	0.00	0
27.	पश्चिम बंगाल	2,009.00	2.210.00	2,206.00
	कुल	34,300.00	32321.01	40,217.01
	पूर्वोत्तर क्षेत्र			
1.	अरुणाचल प्रदेश	251.00	138.00	276.00
2.	असम	1,257.00	691.50	1,383.00
3.	मणिपुर	206.00	227.00	227.00
4.	मिजोरम	324.00	356.00	356.00
5.	मेघालय	834.00	917.00	299.00
6.	नागालैंड	200.00	220.00	220.00
7.	सिक्किम	200.00	220.00	220.00
8.	त्रिपुरा	728.00	801.00	801.00
	कुल	4,000.00	3570.50	3782.00
	महायोग	38,300.00	35891.50	43999.01

व्यावसायिक शिक्षा

4021. श्री एम. अंजनकुमार यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने में अनावश्यक विलम्ब हुआ है तथा कई प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायोन्मुख बनाने की स्कीम के तहत विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) स्कीम के तहत देश में अब तक 9619 व्यावसायिक स्कूल और 20588 व्यावसायिक अनुभाग संस्वीकृत किए गए हैं।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण के अभाव में कुछ प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए गए। 2004-05 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार को पहली किश्त के रूप में 500.55 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। उसके बाद दूसरी किश्त जारी करने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार ने कोई दावा नहीं किया।

विवरण

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1.	हरियाणा	24.52	—	—
2.	मणिपुर	20.12	—	—
3.	मिजोरम	538.00	—	—
4.	सिक्किम	454.05	250.00	—
5.	चंडीगढ़	7.00	—	—
6.	पुदुचेरी	50.00	15.53	—
	कुल	1093.69	265.53	—

[अनुवाद]

डायरेक्ट-टू-होम सेवा

4022. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में सार्वजनिक संस्थाओं में लागत मुक्त डायरेक्ट-टू-होम सेट लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज तक कर्नाटक सहित राज्य-वार कितने डी.टी.एच. सेट केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डी.टी.एच. सेट प्रदान करने हेतु स्कीमों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराए गए/ उपलब्ध कराए जाने वाले डीटीएच सेट

1. केयू बैंड परियोजना के एक भाग के रूप में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दूरदर्शन द्वारा स्थापित किए गए डीटीएच सेट (कुल 10,000)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीटीएच सेटों की संख्या
1	2	3
1.	छत्तीसगढ़	528
2.	गुजरात	1253
3.	मध्य प्रदेश	1942
4.	कर्नाटक	1500
5	राजस्थान	2277
6	उत्तरांखड	300
7.	हिमाचल प्रदेश	397
8.	अरुणाचल प्रदेश	108
9.	असम	333
10.	मणिपुर	108
11.	मेघालय	108
12.	मिजोरम	108
13.	नागालैंड	108
14.	त्रिपुरा	108
15.	सिक्किम	108
16.	जम्मू और कश्मीर	500
17.	विभिन्न आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रो पर (मानिटरिंग के उद्देश्य से)	214

2. हिमाचल प्रदेश में डीटीएच सेट (कुल 20,000)-केयू बैंक परियोजना के एक भाग के रूप में

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों को 6,926 डीटीएच सेट पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। उक्त डीटीएच सेटों को राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाना है।

3. उत्तर-पूर्वी राज्यों में डीटीएच सेट (टीवी सेट के साथ-कुल 25,000) उत्तर-पूर्व विशेष पैकेज (Phase II) के एक भाग के रूप में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टीवी सेट सहित डीटीएच सेटों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	1730
2.	असम	16820

1	2	3
3.	मणिपुर	2600
4.	मेघालय	190
5.	मिजोरम	800
6.	नागालैंड	1990
7.	त्रिपुरा	750
8.	सिक्किम	120

सभी 25,000 टीवी सेट और 24975 डीटीएच सेट संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों को पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। उक्त डीटीएच सेटों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया जाना है।

4. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में डीटीएच सेट (टीवी सेट के साथ-कुल 1,000) द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज के एक भाग के रूप में

यह सेट संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों को सौंपे जाने हैं। उक्त सेटों को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित किया जाना है। इनकी खरीद की कारवाही चल रही है।

5. जम्मू और कश्मीर में डीटीएच सेट (टीवी सेट के साथ-कुल 10,000) जम्मू और कश्मीर विशेष पैकेज (फेज II) के एक भाग के रूप में

डीटीएच सेटों और टीवी सेटों की आपूर्ति शुरू हो गई है। यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों को सौंपे जाने हैं। उक्त डीटीएच सेटों को राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाना है।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा

4023. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा को सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी और यह उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों को हिन्दी में तैयार करने, उन्हें पारिभाषित करने तथा बनाए गए शब्दों का प्रचार करने के प्रति समर्पित है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग कृषि, मेडीसिन तथा इंजीनियरी के विषयों में हिन्दी में संदर्भ सामग्री प्रकाशित करता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्य पुस्तकों सहित विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तकों को हिन्दी में प्रकाशित करने हेतु हिन्दी ग्रंथ अकादमियों को अनुदान प्रदान करता है।

[अनुवाद]

आर.ए.एफ. के अधिचिन्ह का दुरूपयोग

4024. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से हिंसा तथा आंतकवाद को रोकने के लिए राज्य पुलिस बलों द्वारा अपनी विशेष सशस्त्र पुलिस स्क्वाड को तैनात करते समय रैपिड एक्शन फोर्स के अधिचिन्ह के दुरूपयोग की शिकायत मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सी आर पी एफ ने सूचना दी है कि कोलकाता पुलिस की विशिष्ट सशस्त्र पुलिस विंग आर ए एफ के समान की अधिचिन्ह और वर्दी का प्रयोग कर रही है।

(ग) सी आर पी एफ ने राज्य पुलिस बलों द्वारा आर ए एफ के नाम और उसकी वर्दी को प्रयोग किए जाने संबंधी दिनांक 14.2.1997 के गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए कोलकाता पुलिस आयुक्त (प.ब.) के साथ मामले को उठाया है और उनसे उपयुक्त बदलाव करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैनिक बलों को हेलीकाप्टर

4025. **श्री संतोष गंगवार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल सहित अर्द्ध-सैनिक बलों (पी.एम.एफ.) को हेलीकाप्टर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधा को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है तथा उक्त बलों के कार्यकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। अर्ध सैनिक बलों (पीएफएफ) द्वारा प्रयोग के लिए हेलीकाप्टरों के प्रापण के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस मामले पर यथाशीघ्र अन्तिम निर्णय लिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, इस स्तर पर कोई संक्षिप्त समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

जवाहर नवोदय विद्यालयों में मंदबुद्धि बच्चों का प्रदर्शन

4026. **श्री गुंडलूर निजामुद्दीन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पब्लिक स्कूलों तथा राष्ट्रीय औसत की तुलना में जवाहर नवोदय विद्यालयों का प्रदर्शन कैसा रहा है; और

(ख) देश में विशेषत: आंध्र प्रदेश में जवाहर नवोदय विद्यालयों में मंदबुद्धि बच्चों के प्रदर्शन का मार्गदर्शन करने, सुधारने और दुरूस्त करने के लिए क्या उपाए शुरू किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणामों के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा स्वतंत्र स्कूलों की औसत की तुलना में जवाहर नवोदय विद्यालयों का कार्य निष्पादन निम्नलिखित अनुसार है:-

कक्षा	स्कूल प्रणाली	2005	2006	2007
		उत्तीर्ण प्रतिशतता		
X	नवोदय विद्यालय समिति	90.82	91.13	96.41
	के.मा.शि. बोर्ड	74.60	77.16	84.44
	स्वतंत्र	85.87	85.94	91.81
XII	नवोदय विद्यालय समिति	87.08	90.24	90.11
	के.मा.शि. बोर्ड	77.80	79.55	80.64
	स्वतंत्र	81.28	82.35	82.29

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य सहित जवाहर नवोदय विद्यालयों में कमजोर शिक्षुओ के कार्य-निष्पादन में सुधार करने तथा उसे कारगर बनाने हेतु मार्ग-निर्देशन के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है:-

1. कमजोर छात्रों की पहचान तथा उन्हें अध्यापको की व्यक्तिगत निगरानी में लाना ताकि उनपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सके।

2. भाषा कौशल में सुधार करने के उद्देश्य से लिखित, मौखिक तथा श्रव्य कौशल में सुधार करने पर उन छात्रों को पर्याप्त महत्व तथा व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान किया जाता है।

3. कमजोर शिक्षुओं को असम्बेली कार्यक्रम, सहपाठ्यचर्या कार्यकलापों, कला संगीत, खेलकूद, वांद्य संगीत, कविता-पाठ आदि में भाग लेने जैसे किसी भी विषय में भाग लेकर सफल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

4. उपचारात्मक कक्षाओं में सूक्ष्म स्तरीय अध्यापन व परीक्षण किया जाता है ताकि प्रत्येक छात्र पाठ में दी गई अवधारणाओं को समझ सके।

5. अभिभावक-अध्यापक के बीच बातचीत।

6. अनुवीक्षण प्रगति हेतु विद्यालयों में पर्यवेक्षण अधिकारियों का लगातार दौरा।

[अनुवाद]

संघ राज्य क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी

4027. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली, संघ राज्य-क्षेत्र के विभिन्न विभागों में श्रेणी-वार रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन पदों को भरने के लिए इन संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के विभिन्न विभागों में खाली पडे पदों की वर्ग-वार संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ग	ए	बी	सी	डी	कुल
दमन और दीव	30	15	46	10	101
दादरा और नगर हवेली	30	18	199	51	298

इन संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक, प्रशासक के रूप में यू पी एस सी/एस एस सी के साथ परामर्श करके ग्रुप ए, बी, और सी के पदों को भरने में सक्षम है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इन संघ शासित क्षेत्रों में दानिक्स संवर्ग के 16 स्वीकृत पदों और 5 आनुपातिक आरक्षित पदों में से 14 अधिकारी वर्तमान में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, दो अधिकारी निलम्बनाधीन है और एक अधिकारी प्रशिक्षण पर है। अत: कोई पद खाली नहीं है। जहां तक दानिक्स संवर्ग के 3 स्वीकृत पदों का संबंध है उन की अपेक्षा में 5 अधिकारी तैनात किए गए है। इस प्रकार कोई पद खाली नहीं है।

[हिन्दी]

नंदीग्राम हिंसा एन.एच.आर.सी. की रिपोर्ट

4028. श्री रशीद मसूद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंदीग्राम में मानव अस्थियां पायी गयी हैं जैसाकि दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 के ''नवभारत टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) नंदीग्राम हिंसा पर एन.एच.आर.सी. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 10.12.2007 को पुलिस स्टेशन नंदीग्राम, के अंतर्गत पारूल बारी गांव के धान के खेत में एक कब्र पाई गई। 12.12.2007 को मजिस्ट्रेट, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा राज्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में इस कब्र की खुदाई की गई तथा वहां बोरे में रखी एक लाश पाई गई।

(ख) मामले में आगे की कार्रवाई राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है।

(ग) दिनांक 19.12.2007 की अपनी रिपोर्ट में एनएचआरसी ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है; ऐसे सभी ग्रामीणों के पुनर्वास हेतु तत्काल कदम उठाना जो विस्थापित हो गए हैं तथा जिनके घर क्षतिग्रस्त किए जा रहे हैं; पंचायती चुनाव पूरा होने तक सी आर पी एफ की लगातार तैनाती करना; सभी चिकित्सा विधायी मामलों के उपयुक्त रिकार्ड का अनुसरण, महिला पीड़ितों। मरीजों को उपयुक्त उपचार तथा निदान, सभी सरकारी अस्पतालों में उपयुक्त आधार भूत ढांचा तथा पर्याप्त मानवशक्ति; अशोत क्षेत्रों में कल्याण उपाय जिससे कि ग्रामीणों का विश्वास और आत्मविश्वास पुन: स्थापित किया जा सके, ग्रामीणों द्वारा वहन किए नुकसान का तत्काल और भेदभाव रहित व्यापक सर्वेक्षण; अपराधिक मामलों का नि:शुल्क पंजीकरण तथा पक्षपात रहित जांच के पश्चात अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी; गुमशुदा व्यक्तियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए विशेष टीम का गठन करना और उनको पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाना; पंचायत चुनावों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय

से व्यापक-योजना तैयार करना; विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए किसानों में उपजाऊ कृषि तथा खेती योग्य भूमि अधिग्रहित करने की नीति के पक्ष और विपक्ष पर पुन विचार करना आदि। हुई क्षति हेतु क्षतिपूर्ति के संबंध में एक अलग समिति ने कुछ सुझावों की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

वर्जीनिया तम्बाकू

4029. श्री रमेश दूबे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन क्षेत्रों में वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक राज्य-वार तथा वर्ष-वार वर्जीनिया तम्बाकू का कुल कितना उत्पादन तथा निर्यात किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में वर्ष-वार, राज्य-वार कितने वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादकों को तम्बाकू बोर्ड द्वारा सहायता दी गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) भारत में अधिकांश फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। उड़ीसा और महाराष्ट्र में अत्यंत कम यात्रा में उत्पादन किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक देश में वर्जीनिया तम्बाकू का राज्य-वार, वर्ष-वार कुल उत्पादन और निर्यात निम्नानुसार रहा है:-

(मात्रा: टन में)

वर्ष	आंध्र प्रदेश फसल		कर्नाटक फसल	
	उत्पादन	निर्यात	उत्पादन	निर्यात
1	2	3	4	5
2004-05	153000	64192	90340	41225
2005-06	145360	67764	82910	41811
2006-07	171950	72293	96980	48007
2007-08 (अनुमानित)	167000	*उपलब्ध नहीं	87660	*उपलब्ध नहीं

*तम्बाकू बोर्ड के अनुसार वर्ष 2007-08 में एफसीवी कर कुल निर्यात लगभग 124525 टन का हुआ है।

(ग) तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रचालित विभिन्न स्कीमों से लाभान्वित हुए वर्जीनिया तम्बाकू के किसानों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	उड़ीसा एवं महाराष्ट्र सहित आंध्र प्रदेश लाभभोगियों की सं.	कर्नाटक लाभभोगियों की सं.
2004-05	6907	16207
2005-06	6066	7120
2006-07	15150	2228
2007-08 (अनंतिम)	8046	7143

पैकेटबंद आटे का निर्यात

4030. श्री सुग्रीव सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय पैकेटबंद आटे की मांग बढ़ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक विभिन्न देशों को देश-वार कितनी मात्रा में पैकेटबंद आटे का निर्यात किया गया है तथा इसका मूल्य कितना है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न देशों को ऐसे पैकेटबंद आटे का निर्यात करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अनुसार गेहूं के आटे सहित गेहूं और गेहूं उत्पादों का निर्यात दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 को जारी अधिसूचना सं. 33 के अंतर्गत अगले आदेशों तक निषिद्ध है।

(ग) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (अप्रैल से जून) के दौरान गेहूं और मेस्लीन के आटे (एचएस कोड-11010000) के निर्यात की देश-वार मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वस्तु: 1101000 गेहूं अथवा मेस्लीन आटा इकाई : कि.ग्रा.

क्र.सं.	देश	2005-2006	2006-2007	क्र.सं.	देश	2007-08 (अप्रैल-जून)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ऑस्ट्रेलिया	1,152.53	2,520.28	1.	अर्जेंटिना	1.00
2.	बहरीन द्वीप	280.51	314.30	2.	ऑस्ट्रेलिया	525.95
3.	बांग्लादेश जन. गण.	362		3.	बहरीन द्वीप	74.00
4.	बेल्जियम		30	4.	बेल्जियम	
5.	भूटान	937		5.	बोत्स्वाना	11.00
6.	बोत्स्वाना	42	84.58	6.	ब्रुनेई	38.70
7.	ब्रुनेई	174.13	149.20	7.	बुल्गारिया	20.00
8.	कनाडा	449.35	587.09	8.	कैमरून	1.90
9.	ताइवान	30.20	0.07	9.	कनाडा	111.14
10.	चीन जन. गणराज्य	72.90	93.70	10.	ताइवान	
11.	कोमोरोस		110000	11.	चीन जन. गणराज्य	38.00
12.	कांगो जन. गणराज्य	2.58	0.10	12.	कोमोरोस	
13.	साइप्रस		2.13	13.	कांगो जन. गणराज्य	
14.	डेनमार्क		14000	14.	साइप्रस	
15.	इरीट्रिया	0.70		15.	डेनमार्क	

1	2	3	4	5	6	7
16.	फ्रांस	2.80	17.50	16.	फिनलैंड	4.80
17.	जाम्बिया	13.5	14.50	17.	फ्रांस	8.00
18.	जर्मनी	125.75	12.23	18.	जाम्बिया	1.00
19.	घाना	0.05	10.30	19.	जर्मनी	41.00
20.	गुयाना	3.00		20.	घाना	18.00
21.	हांगकांग	680.28	205.40	21.	हांगकांग	53.00
22.	इंडोनेशिया	7,368.80		22.	आयरलैंड	
23.	आयरलैंड		16.00	23.	इजरायल	1.50
24.	इजरायल	1.5	32.65	24.	इटली	2.30
25.	इटली		1.00	25.	आइवरी दि कोस्ट	
26.	आइवरी दि कोस्ट		2.00	26.	जापान	24.15
27.	जमायका	0.50		27.	केन्या	0.62
28.	जापान	116.82	168.18	28.	कोरिया गणराज्य	4.00
29.	केन्या	3.90	18.50	29.	कुवैत	18.00
30.	कुवैत	78.61	105.30	30.	लाइबेरिया	3.00
31.	लाइबेरिया	6.10	18.36	31.	मकाउ	
32.	मकाउ	0.85	14.00	32.	मेडागास्कर	
33.	मेडागास्कर	847.75	10.00	33.	मलावी	
34.	मलावी	1,112.00	1.25	34.	मलेशिया	134.01
35.	मलेशिया	1,046.61	666.49	35.	मालदीव	1,850.54
36.	मालदीव	5,216.68	7,254.97	36.	मार्शल द्वीप	
37.	मार्शल द्वीप		22.00	37.	मॉरीशस	
38.	मॉरीशस	120.00	43.82	38.	मोजाम्बिक	

1	2	3	4	5	6	7
39.	मैक्सिको	0.50		39.	नामीबिया	
40.	मोजाम्बिक		0.88	40.	नेपाल	55.65
41.	नामीबिया		1.50	41.	नीदरलैंड	7.76
42.	नेपाल	99.32	4,005.58	42.	नीदरलैंडअंतिल	0.51
43.	नीदरलैंड	23.25	835.68	43.	न्यू सेलेडोनिया	
44.	नीदरलैंडअंतिल		2.50	44.	न्यूजीलैंड	168.36
45.	न्यू सेलेडोनिया		4.00	45.	नाइजर	
46.	न्यूजीलैंड	313.18	709.21	46.	नॉर्वे	20.00
47.	नाइजर		0.01	47.	ओमान	170.00
48.	नाइजीरिया	149.00		48.	पनामा गणराज्य	
49.	नॉर्वे	42.00	68.30	49.	फिलीपींस	48.89
50.	ओमान	465.19	487.72	50.	पोलैंड	19.00
51.	पनामा गणराज्य	6.00	12.90	51.	कतर	190.70
52.	फिलीपींस	452.52	341.00	52.	[illegible]W	
53.	कतर	474.34	579.40	53.	रूस	10.00
54.	रियूनियन	1.00	2.00	54.	सऊदी अरब	17.80
55.	सऊदी अरब	66.46	72.60	55.	सेसेल्स	12.90
56.	सेनेगल	0.12		56.	सिएरालियोन	
57.	सेसेल्स	87.10	117.60	57.	सिंगापुर	669.34
58.	सिएरालियोन		0.72	58.	दक्षिण अफ्रीका	32.50
59.	सिंगापुर	2,164.34	2,617.61	59.	स्पेन	
60.	दक्षिण अफ्रीका	166.55	244.50	60.	श्रीलंका डीएसआर	87.80
61.	स्पेन	28.00	63.00	61.	स्वाजीलैंड	

1	2	3	4	5	6	7
62.	श्रीलंका डीएसआर	636.60	334.10	62.	स्विट्जरलैंड	4.00
63.	स्वाजीलैंड		0.70	63.	तनजानिया गण.	
64.	स्विट्जरलैंड	10.90	19.92	64.	थाइलैंड	31.49
65.	तनजानिया गण.	22.00	1.00	65.	त्रिनिदाद	
66.	थाइलैंड	89.59	199.63	66.	युगांडा	1.25
67.	त्रिनिदाद		0.10	67.	संयुक्त अरब अमीरात	612.40
68.	तुर्की	0.90		68.	यूके	1,089.88
69.	युगांडा	8.50	8.40	69.	यूक्रेन	
70.	संयुक्त अरब अमीरात	2,087.47	2,116.07	70.	यूएसए	1,638.91
71.	यूके	4,049.00	5,789.77	71.	उज्बेकिस्तान	
72.	यूक्रेन		1.60			
73.	यूएसए	5,070.46	6,490.49			
74.	उज्बेकिस्तान		7.00			
75.	जाम्बिया	1.20				
	कुल	36763.89	37675.59			7874.75

खनन पट्टे की निबंधन व शर्तों का उल्लंघन

4031. श्री अनन्त नायक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा और अन्य राज्यों में कई निजी स्वामियों द्वारा खनन पट्टे की निबंधन और शर्तों के बढ़ते उल्लंघन की जानकारी है जिससे राज्य के खजाने को भारी राजस्व घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे खान स्वामियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) खनन पट्टे के निबंधन और शर्तें पट्टाधारी तथा राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित पट्टा विलेख में दी गई हैं और संबंधित राज्य सरकार खनन पट्टे के निबंधनों तथा शर्तों की किसी प्रकार के उल्लंघन की मानीटरिंग करती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार को खनन पट्टे के निबंधनों और शर्तों के किसी उल्लंघन के बारे में जानकारी नहीं है जिसके कारण राज्य के राजकोष को राजस्व का भारी नुकसान हुआ हो।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

मीडिया द्वारा की गयी अनैतिक गतिविधियां

4032. **श्री के. सुब्बारायण :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मीडिया द्वारा की गयी सांस्कृतिक, नैतिक व मावनाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की साक्षी रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मीडिया द्वारा की जा रही ऐसी अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दृश्यों और लेखों के विरूद्ध शिकायत करते हुए समय-समय पर जनता से अनेक संदर्भ प्राप्त होते रहते हैं।

इलेक्ट्रानिक मीडिया में, निजी चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की पूर्व-सेंसरशिप किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी, सभी निजी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना होता है। इस मंत्रालय ने अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन की मानीटरिंग करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति गठित की है। जब भी कोई विशेष उल्लंघन पाया जाता है तो केबल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। सरकार ने मौजूदा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी और समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कि मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है सरकार का प्रिंट मीडिया में छपी हुई सामग्री पर नियंत्रण और हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार ने प्रिंट मीडिया से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए भारतीय प्रैस परिषद् (पीसीआई) नामक एक विशेषज्ञता-प्राप्त निकाय गठित किया है। पीसीआई, स्वनिर्मित "पत्रकारिता से संबंधित आचरण के मानक" को ध्यान में रखते हुए शिकायतों की जांच करती है और यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित प्रकाशन/पत्रकार को चेतावनी देने भर्त्सना करने अथवा सेंसर करने की कार्रवाई करती है।

[हिन्दी]

विद्यालय पाठ्यक्रम में खेलकूद

4033. **श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :**
श्री हंसराज गं. अहीर

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शैक्षणिक संस्थाओं के पाठ्यक्रम में खेलकूद को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में महाराष्ट्र सहित राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षक की आवश्यक संख्या उपलब्ध है;

(ङ) क्या सरकार पाठ्यक्रम में खेलकूद को शामिल करने तथा शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति करने हेतु राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में एक समय-सीमा निर्धारित किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अभिन्न विषय क्षेत्र के रूप में शामिल करने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 के मद्देनजर कक्षा I से X तक की कक्षाओं के लिए तैयार की गई स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पाठ्य विवरणिकाओं में विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर खेलकूद और खेलकूद प्रतियोगिताओं को सतत्

कार्यकलापों के रूप में शामिल किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाओं के कोर पाठ्यक्रम में खेलकूद सहित शारीरिक शिक्षा को अभिन्न भाग के रूप में शामिल किया गया है। कई राज्यों में भी माध्यमिक स्तर तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिनांक 30.9.2002 को संदर्भ तारीख मानते हुए सातवें अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार देश के 62 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण अथवा योग शिक्षक कार्यरत थे। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केवल उन्हीं विद्यालयों को संबंधन प्रदान करता है जिनमें कम से कम एक अर्हता प्राप्त शारीरिक शिक्षक कार्यरत हो। केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शारीरिक शिक्षा शिक्षक उपलब्ध हैं।

(ङ) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 में माध्यमिक स्तर तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाने की सिफारिश की गई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा का विकास

4034. श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डी.एम.आई.सी.) के समग्र विकास हेतु विभिन्न अवसंरचना लिंकेज के सड़क विकास संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का डी.एम.आई.सी. के साथ विनिर्माण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात सरकार के स्वामित्व वाली मैसर्स गुजरात इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट बोर्ड (जीआईडीबी) ने दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारीडोर में 4/6 लेन द्वारा गुजरात में 12 सड़कों में सुधार करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) इस परियोजना में दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारीडोर परियोजना के चरण-1 में 12 औद्योगिक नोड्स में से प्रत्येक में विनिर्माणकारी हब स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। उन हबों की परिकल्पना सामान्य विनिर्माण, इंजीनियरिंग, आटो तथा आटो पुर्जों, मार्बल, चमड़ा, वस्त्र, पेट्रो-रसायन, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण तथा कृषि प्रसंकरण के लिए की गई है।

दक्षेस विश्वविद्यालय की स्थापना

4035. श्री नवीन जिन्दल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दक्षेस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दक्षेस के सदस्य देशों से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, 13वें शार्क शिखर सम्मेलन (ढाका, 12-13 नवम्बर, 2005) के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव किया था कि एक दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय स्थापित करने के समझौते पर नई दिल्ली में 14वें शार्क शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इस बात पर सहमति हुई थी कि विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर भारत में होगा। सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई पहले

से ही शुरू कर दी है और विश्वविद्यालय का पहला सत्र जुलाई, 2009 से शुरू होने की संभावना है।

[हिन्दी]

बेरोजगारी के कारण अपराध में बढ़ोत्तरी

4036. श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री पुन्नूलाल मोहले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेरोजगारी के कारण शिक्षित युवा अपराध की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों की सूचना के अनुसार, देश में अपराध की घटनाओं में वृद्धि और जनसंख्या के बीच सह-संबंध देखा गया है। किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या के अतिरिक्त अपराध स्थितियों को प्रभावित करने वाले कारकों में पड़ोसी स्थानों से प्रवास के कारण शहरीकरण में वृद्धि होना, अवैध बंसांवट, भिन्न-भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक असंमानताएं, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता इत्यादि शामिल है।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय को ऐसे किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है।

समेकित अवसंरचना विकास केन्द्र

4037. श्रीमती वसोधरा राजे सिंधिया :
श्री शंकर सिंह दरबार :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से समेकित अवसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है तथा उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकीकृत आधारभूत संरचना विकास केंद्र की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पूर्व एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) योजना के अंतर्गत, प्राप्त प्रस्तावों में से, मध्य प्रदेश में 8 नए केंद्रों सहित 108 प्रस्तावों (नए केंद्रों के लिए 84 और आधारभूत संरचना के उन्नयन के लिए 24) को अनुमोदित कर दिया गया है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए संवर्धनात्मक पैकेज में की गई घोषणा के अनुसरण में, अक्टूबर, 2007 में एकीकृत आधारभूत संरचना विकास योजना को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एसएसई-सीडीपी) में समाहित कर लिया गया है। एमएसई-सीसीडी योजना के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया जा रहा है। हाल में प्राप्त 17 प्रस्ताव संशोधित एमएसई-सीडीपी योजना के तहत विचार के लिए जांच के अंतर्गत हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयां

4038. श्री मित्रसेन यादव : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कितनी ग्राम उद्योग इकाइयों की स्थापना की गयी है;

(ख) इसमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ग) वर्तमान में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार पंजीकृत ग्रामीण इकाइयों की संख्या कितनी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) अपनी स्वयं की ग्रामोद्योग (वीआई) इकाइयों की स्थापना नहीं करता। ग्रामोद्योग इकाइयां 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे शहरों

समेत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र उद्यमियों द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत स्थापित की जाती हैं। इस उद्देश्य के लिए, सरकार द्वारा उद्यमियों को केवीआईसी के माध्यम से मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है और बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों और सृजित अतिरिक्त रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) 1 अप्रैल 1995 से योजना के आरंभ से लेकर 31 मार्च 2007 तक आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों का राज्य/संघ क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों तथा अनुमानित सृजित रोजगार का राज्य/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या			सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	8	3	2	188	36	50
2.	दिल्ली	9	15	13	144	112	267
3.	हरियाणा	1140	1058	869	35691	26541	28339
4.	हिमाचल प्रदेश	469	650	803	12256	12276	17102
5.	जम्मू और कश्मीर	922	1402	1716	9406	18284	23274
6.	पंजाब	864	440	1022	30665	16654	35604
7.	राजस्थान	1537	2133	1340	38287	59596	44168
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	598	127	93	4495	323
9.	बिहार	254	692	849	5049	11445	12334
10.	झारखंड	240	217	221	6855	3756	7289
11.	उड़ीसा	991	650	857	15241	9670	16311
12.	पश्चिम बंगाल	2584	2078	2290	36581	36853	42834
13.	अरुणाचल प्रदेश	43	76	88	1219	1857	2106

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	असम	1658	2229	1599	25768	49595	30912
15.	मणिपुर	102	65	139	1313	416	1881
16.	मेघालय	146	206	165	3789	1962	2174
17.	मिजोरम	162	365	990	5180	18255	16455
18.	नागालैंड	151	316	156	3851	5549	3358
19.	त्रिपुरा	233	306	212	3994	5616	5851
20.	सिक्किम	139	106	89	3227	1750	2208
21.	आंध्र प्रदेश	1988	2278	2113	66463	66050	59750
22.	कर्नाटक	934	1314	1689	19478	27129	42420
23.	केरल	914	1217	912	16434	30586	30144
24.	लक्षद्वीप	0	26	0	0	292	0
25.	पुदुचेरी	7	56	164	146	187	854
26.	तमिलनाडु	925	1036	1075	19159	20055	25216
27.	गोवा	138	136	104	1670	801	1389
28.	गुजरात	376	516	412	8581	17947	13520
29.	महाराष्ट्र	1773	3120	2296	25040	30928	27182
30.	छत्तीसगढ़	656	551	691	18347	17348	17719
31.	मध्य प्रदेश	1361	736	934	40539	15365	22332
32.	उत्तराखंड	513	527	641	10471	10948	10962
33.	उत्तर प्रदेश	2210	1532	1509	64900	45322	51123
	कुल योग	23453	26650	26087	530025	567676	595451

विवरण-II

1 अप्रैल, 1995 को योजना के आरंभ से 31 मार्च, 2007 तक आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योगों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31 मार्च 2007 आरईजीपी इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	चंडीगढ़	161
2.	दिल्ली	256
3.	हरियाणा	8176
4.	हिमाचल प्रदेश	2827
5.	जम्मू और कश्मीर	10674
6.	पंजाब	11929
7.	राजस्थान	30907
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1147
9.	बिहार	2641
10.	झारखंड	1496
11.	उड़ीसा	5664
12.	पश्चिम बंगाल	24175
13.	अरुणाचल प्रदेश	586
14.	असम	7693
15.	मणिपुर	1044
16.	मेघालय	3664
17.	मिजोरम	2425
18.	नागालैंड	5413
19.	सिक्किम	1184
20.	त्रिपुरा	481
21.	आंध्र प्रदेश	19249
22.	कर्नाटक	17096
23.	केरल	11470
24.	लक्षद्वीप	36
25.	पुदुचेरी	1176
26.	तामिलनाडु	8852
27.	दादर और नगर हवेली	8
28.	गोवा	2679
29.	गुजरात	2402
30.	महाराष्ट्र	27107
31.	छत्तीसगढ़	3029
32.	मध्य प्रदेश	21554
33	उत्तरांचल	3475
34.	उत्तर प्रदेश	20766
	कुल	262442

[अनुवाद]

एम.एम. रेडियो स्टेशन

4039. श्री चनलाल जावमा :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में आकाशवाणी, आइजोल तथा गुजरात के जामनगर में एफ.एम. रेडियो स्टेशन शुरू हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) आईजोल (मिजोरम) स्थित 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर को दिनांक 02.10.2007 को चालू कर दिया गया है। आकाशवाणी, आईजोल के प्राथमिक चैनल कार्यक्रमों को सांय 5.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रिले किया जा रहा है। तथापि, जामनगर में आकशवाणी रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रासायनिक हथियारों संबंधी अनुसंधान

4040. श्री अबु अयीश मंडल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने अपनी स्वयं की परीक्षणशालाओं में रासायनिक हथियारों के परीक्षण संबंधी सुविधा विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी नहीं। तथापि, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद रासायनिक शस्त्र उपसंधि (सीडब्ल्यूसी), जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, से संबंधित रसायनों के आफसाइट विश्लेषण हेतु केन्द्र के रूप में आर्गेनाइजेशन फार प्रोहिबिशन आव केमिकल वैपन्स (ओपीसीडब्ल्यू) द्वारा नामोद्दिष्ट किए जाने की प्रक्रिया में है। इस प्रकार के कार्य को आरंभ करने के लिए आईआईसीटी में सैंटर फार एनालिसिस आव टाक्सिन्स (सीएसीटी) की स्थापना की गई है।

(ख) सैंटर फार एनालिसिस ऑव टाक्सिन्स (सीएसीटी) आईआईसीटी, हैदराबाद के विश्लेषणात्मक प्रभाग का हिस्सा है। यह सैंटर ओपीसीडब्ल्यू द्वारा किए जाने वाले सरकारी दक्षता परीक्षणों में भाग ले रहा है। इन विश्लेषणों को अंजाम देने के लिए यह सैंटर अत्याधुनिक उपस्करों से सुसज्जित है। ओपीसीडब्ल्यू द्वारा किए गए दक्षता परीक्षण में इस सैंटर का कार्य सराहनीय रहा है और यह सैंटर ओपीसीडब्ल्यू द्वारा नामोद्दिष्ट दर्जा दिए जाने का पात्र हो जाएगा।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम

4041. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री संजय धोत्रे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) अधिनियम के मुख्य उद्देश्य और उपबंध क्या हैं तथा कौन-कौन से राज्यों ने उक्त अधिनियम को स्वीकार नहीं किया है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने समय की कमी के मद्देनजर उक्त अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समान दृष्टिकोण अपनाया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद 22 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में विशेष आर्थिक जोनों (एसई जेड्स) की स्थापना हेतु 453 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। अनुमोदन बोर्ड द्वारा एस ई जेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अनुमोदित, विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड्स) की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों के वितरण को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) एस ई जेड अधिनियम के उद्देश्य हैं: (i) अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलापों का सृजन; (ii) वस्तु एवं सेवा निर्यातों का संवर्धन; (iii) घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन; (iv) रोजगार के

अवसरों का सृजन; (v) अवसंरचना सुविधाओं का विकास। किसी भी राज्य ने ऐसा संकेत नहीं दिया है कि वे विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड्स) अधिनियम 2005 के उद्देश्यों एवं प्रावधानों से सहमत नहीं है।

(घ) से (छ) एस ई जेड अधिनियम, 2005 जो सभी राज्यों पर लागू है, के प्रावधानों में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राज्य	औपचारिक अनुमोदन	सैद्धांतिक अनुमोदन	अधिसूचित एस ई जेड्स
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	72	3	54
चंडीगढ़	2		2
छत्तीसगढ़	1	2	
दिल्ली	2		
दादरा एवं नगर हवेली	4		
गोवा	7		3
गुजरात	39	9	18
हरियाणा	38	17	16
हिमाचल प्रदेश		2	
झारखंड	1		1
कर्नाटक	41	10	20
केरल	12	1	8
मध्य प्रदेश	13	5	3
महाराष्ट्र	88	37	24
नागालैंड	2		
उड़ीसा	9	4	4
पुदुचेरी	1		
पंजाब	7	8	2
राजस्थान	8	9	4
तमिलनाडु	59	12	33
उत्तर प्रदेश	23	4	8
उत्तरांचल	3		1
पश्चिम बंगाल	21	13	6
महायोग	453	136	207

केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में अग्निशमन उपकरण

4042. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को देश के सभी स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तत्काल कदम उठाने हेतु कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) देश भर के सभी केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में अग्निशमन उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी हां। मानव संसाधन विकास मंत्री ने दिनांक 27.07.2004 को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि सभी शैक्षिक संस्थाओं छात्रों की सुरक्षा, भवनों को ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखने आपातकालीन विकास की पर्याप्त व्यवस्था करने, आग बुझाने हेतु पर्याप्त जल एवं वायु उपलब्ध कराने के संबंध में जागरूक बनाएं। इसी तरह, गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा 2.09.2004 को और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 5.11.2004 को निर्देश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

ब्लू लाइन बसों और ट्रकों द्वारा लोगों की जान लेना

4043. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की तुलना में वर्ष 2007 और 2008 में आज की तारीख तक दिल्ली में ब्लू लाइन बसों और ट्रकों द्वारा अलग-अलग लिंगवार कुल कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार ऐसे कितने ड्राइवरों और बस/ट्रक आपरेटरों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार इस दंड को और कठोर बनाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ब्लू लाइन बसों द्वारा घायल अथवा मारे गए व्यक्तियों का विशिष्ट डाटा नहीं रखता है और नहीं उन्हें संग्रहित करता है। तथापि, अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चैन्नै के संबंध में वर्ष 2005 और 2006 के लिए एनसीआरबी द्वारा संग्रहित, निजी बसों, और सरकारी एवं गैर-सरकारी ट्रकों/लारियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों का लिंगवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एनसीआरबी गिरफ्तार किए गए चालकों और बस आपरेटरों की संख्या और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को डाटा नहीं रखता है और न ही संग्रहित करता है।

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संबंध है, अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है:-

वर्ष	वाहन का प्रकार	मारे गए व्यक्ति		गम्भीर रूप से घायल	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
2007	ब्लू लाइन बसे	136	27	301	22
	ट्रक	285	20	636	39
2008 (31 मार्च तक)	ब्लू लाइन बसें	21	04	66	08
	ट्रक	57	5	140	04

वर्ष	वाहन का प्रकार	गिरफ्तार व्यक्ति
2007	ब्लू लाइन बस	518
	ट्रक	618
2008 (31 मार्च तक)	ब्लू लाइन बस	67
	ट्रक	161

(ग) और (घ) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत विभिन्न यातायात अपराधों के लिए प्रावधान किए गए जुर्माना को बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें और अधिक कठोर बनाने के लिए राज्य सभा में दिनांक 15.05.2007 को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरस्थापित किया गया है।

विवरण

शहर	2005				2006			
	ट्रक/लारी		प्राइवेट बस		ट्रक/लारी		प्राइवेट बस	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
चेन्नै	160	55	40	5	319	44	35	7
दिल्ली (शहर)	110	9	99	20	99	6	97	15
कोलकाता	6	0	22	4	10	0	34	3
मुम्बई	78	12	11	7	102	15	32	7

मध्याह्न भोजन योजना में खामियां

4044. **श्री उदय सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने हाल ही में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यकरण में खामियां पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा योजना की खामियों को रोकने तथा इसके क्रियान्वयन को और अधिक सुचारू बनाने की दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के निष्पादन लेखा परीक्षा पर मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष की अपनी रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने चंडीगढ़, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कवरेज में कुछ त्रुटियों की ओर संकेत किया है। इस मामले को संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ स्पष्टीकरण हेतु उठाया गया है।

(ग) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं और वह राज्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वे ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों, ग्राम शिक्षा समितियों, अभिभावक शिक्षक संघों आदि के सदस्यों को शामिल करके स्थानीय स्तर की मानीटरिंग की व्यवस्था करें। स्थानीय मानीटरिंग से बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन में नियमितता और पूर्णता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों की गुणवत्ता, प्राप्त व उपयोग की गई सामग्री पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के प्रत्यक्ष प्रदर्शन के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिन स्कूलों और केन्द्रों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है वहां राज्य सरकारों के अधिकारी समय-समय पर उनका निरीक्षण करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित बैठकें की जाती हैं।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ग्रामीण विकास पर प्रभाव

4045. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ग्रामीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) एफ.डी.आई. उच्च स्तर के आर्थिक विकास की प्राप्ति तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु अवसर उपलब्ध कराने के लिये एवं साथ ही साथ वैश्विक प्रबंधकीय दक्षता एवं व्यवहार की प्राप्ति के लिए घरेलू निवेश बढ़ाने का एक माध्यम है। एफ.डी.आई. अग्रग्रामी एवं पूर्वगामी गठजोड़ तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पादों एवं सेवाओं सहित, पूंजी लाता है एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं सर्वश्रेष्ठ व्यवहार तक पहुंच उपलब्ध कराता है।

वर्तमान नीति के अनुसार अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति हैं। कुछ क्षेत्र एफ.डी.आई. की उच्चतम सीमा को आकर्षित करते है।

(ग) से (ङ) सरकार ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के विकास संयोजनों पर राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) को एक अध्ययन शुरू करने को कहा है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एफ.डी.आई. के प्रभाव पर केन्द्रित होगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लक्ष्य

4046. श्री रामचीलाल सुमन :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 2007-08 के दौरान प्राथमिक स्कूलों में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के कितने प्रतिशत बच्चों को दाखिल दिया गया और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने प्रतिशत बच्चों को दाखिला देने का लक्ष्य रखा गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) दसवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, अध्यापकों एवं स्कूल खोलने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) 2007-08 के लिए सकल नामांकन दर उपलब्ध नहीं है। तथापि, कक्षा I-VIII के लिए 2005-06 हेतु सकल नामांकन दर 94.92% थी।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य का नाम	अतिरिक्त शिक्षण कक्ष		शिक्षक		स्कूल खोलना	
		दसवीं योजना में संस्वीकृत	दसवीं योजना में प्रगति	दसवीं योजना में संस्वीकृत	दसवीं योजना में प्रगति	दसवीं योजना में संस्वीकृत	दसवीं योजना में प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	143	54	63	46	13	7

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	27224	26496	36300	36300	7011	8265
3.	अरुणाचल प्रदेश	1158	1154	2924	2166	1046	545
4.	असम	39995	21401	5410	3871	0	0
5.	बिहार	87627	82444	184081	154863	23687	22449
6.	चंडीगढ़	94	14	785	240	16	6
7.	छत्तीसगढ़	7816	7932	50786	36242	15518	15518
8.	दादरा और नगर हवेली	256	243	750	665	120	57
9.	दमन और दीव	11	11	66	63	12	0
10.	दिल्ली	903	903	20	0	2	2
11.	गोवा	136	41	195	186	8	5
12.	गुजरात	14270	13775	1848	1662	831	101
13.	हरियाणा	10126	11158	6104	6074	1993	1993
14.	हिमाचल प्रदेश	7438	7183	2994	2670	998	890
15.	जम्मू और कश्मीर	5572	5086	16976	15660	6156	6302
16.	झारखंड	30120	25115	83709	69385	24000	22919
17.	कर्नाटक	28390	28396	16395	13457	8483	5708
18.	केरल	5778	5778	248	0	139	0
19.	लक्षद्वीप	10	0	13	0	6	0
20.	मध्य प्रदेश	37052	35792	90477	80316	49990	38385
21.	महाराष्ट्र	35450	33265	1236	1236	1163	685
22.	मणिपुर	698	371	123	0	164	0
23.	मेघालय	1039	1018	6543	2500	3151	2560

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	मिजोरम	361	271	898	578	317	168
25.	नागालैंड	2289	2324	168	0	56	0
26.	उड़ीसा	15121	15095	64734	62483	12494	9174
27.	पुदुचेरी	264	0	30	0	40	0
28.	पंजाब	13702	13394	3070	1868	1093	1093
29.	राजस्थान	40982	41064	86516	31433	37118	15342
30.	सिक्किम	403	204	468	377	87	45
31.	तमिलनाडु	21922	21922	18866	8686	5160	4424
32.	त्रिपुरा	1251	1251	3311	3147	1348	1282
33.	उत्तर प्रदेश	175898	172916	233583	223787	28006	27634
34.	उत्तराखंड	3734	3587	4532	4241	1724	1426
35.	पश्चिम बंगाल	75445	70784	87881	30333	8122	0
	कुल	692678	650442	1012103	794535	240072	186985

खुदरा क्षेत्र में पूंजीगत निवेश

4047. **श्री सूरज सिंह :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में देश में संगठित खुदरा क्षेत्रों में पूंजीगत निवेश बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान खुदरा क्षेत्र में पूंजीगत निवेश की वार्षिक औसत दर कितनी रही;

(ग) फरवरी, 2008 तक किन-किन विदेशी और भारतीय औद्योगिक घरानों ने घरेलू खुदरा बाजार में निवेश किया है; और

(घ) इन घरानों ने महानगरों से इतर किन-किन शहरों में अपने बिक्री केन्द्र स्थापित किए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) देश के खुदरा व्यापार में कुल निवेश प्रवाह पर कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) मौजूदा नीति के अनुसार एकल ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापार को छोड़कर, जहां सरकार के पूर्वानुमोदन से 51 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है, खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है। इस नीति के अंतर्गत अनुमोदित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

खुदरा क्षेत्र में बड़े कार्पोरेट घरानों तथा अन्य घरेलू निवेशकों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रिलायंस उद्योग, आरपीजी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप उन प्रमुख भारतीय औद्योगिक घरानों में से कुछ हैं जिन्होंने घरेलू संगठित खुदरा व्यापार में निवेश किया है।

(घ) एकल ब्रांड खुदरा उत्पादों में एफ.डी.आई. हेतु अनुमोदन विशिष्ट बाजारों के लिए नहीं दिये जाते हैं। एकल ब्रांड उत्पादों के लिए खुदरा बाजार के स्थान का निर्णय निवेशक के वाणिज्यिक समझ के आधार पर लिया जाता है। घरेलू निवेशकों द्वारा स्थापित खुदरा बाजारों पर केन्द्रीय रूप से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

खुदरा व्यापार के लिए प्रस्ताव

2006 में प्राप्त प्रस्ताव

क्र.सं.	आवेदक का नाम	विदेशी निवेशक का नाम	ब्रांड
1	2	3	4
1.	मै. मोजा शूज	मै. तानों इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड 1/एवं अथवा इसकी सहायता कंपनियां, मारीशस	नाइके ब्रांड
2.	मै. एल वी ट्रेडिंग इंडिया	मै. लुइस व्यूटन मालेटियर	लुइस लायस व्यूटन
3.	मै. लाडरो कामर्सियल एस.ए.	मै. लाडरो कामर्सियल एस.ए./	लाडरो
4.	मै. फन फैशन इंडिया प्रा.लि.	मै. फैन्डी इंटरनेशनल, एस.ए.,	फैन्डी
5.	मै. सिकोरा अकटीनजेसेल साफ्ट	मै. सिकोरा अकटीनजेसेल साफट	अस्वीकृत
6.	मै. डामरो फर्नीचर प्रा. लि.	मै. डामरो एक्सपोर्ट प्रा.लि. श्रीलंका	डामरो
7.	मै. ला मोडा फैशन्स प्रा. लि.	1. दामोदर लाल सेवक रमणी 2. अशोक सेवकरमणी	अस्वीकृत
8.	मै. हसन जेम्स एंड ज्वैलरी प्रा.लि.	अलग-अलग एनआरआई	अस्वीकृत
9.	मै. रीनो ग्रेगिओ अरजेनटेरी, एस.पी.ए.	मै. रीनो ग्रेगिओ अरजेनटेरी, एस.पी.ए. इटली	रीनो
10.	मै. मितसुई आटोमोटिव इन्वेस्टमेंट बी.वी.	मै. मितसुई आटोमोटिव इन्वेस्टमेंट बी.वी.	टोयटा
11.	मै. इरमेनगील्डो जेजना होल्डीटाल्टा एसपीए	मै. इरमेनगील्डो जेजना होल्डीटाल्टा एसपीए	जेजना
12.	मै. इटामिन्ट, बेल्जियम	मै. इटामिन्ट, बेल्जियम	ईटीएएम

1	2	3	4
13.	मै. ली कूपर इंटरनेशनल लि.	मै. ली कूपर इंटरनेशनल लि.	ली कूपर
14.	मै. न्यू होरीजन रिटेल प्रा. लि.	स्टारबक्स सिंगापुर इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.	स्टारबक्स कैफेस- प्रस्ताव वापस ले लिया
15.	मै. फेबइंडिया ओवरसीज प्रा. लि.	मै. फेबइंडिया इंक यू.एस.ए. मै. डब्ल्यूसीपी मारीशस होल्डिंग	फेबइंडिया
	2007 में प्राप्त प्रस्ताव		
1.	मै. सोकोमेक एस.ए. (प्राप्ति की तारीख 01.02.2007)	मै. सोकोमेक एस.ए. फ्रांस	एसओसीओएमईसी
2.	मै. ग्रोटो एस.पी.ए. 8.2.2007	मै. ग्रोटो एस.पी.ए. इटली	गैस
3.	मै. महतानी फैशन प्रा. लि.	मै. सिन रॉंग प्रा.लि.	VI-जीए
4.	मै. एम.के. रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा.लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मारीशस	एफसीयूके
5.	मै. एम.जे. रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा.लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मारीशस	जिम्मी चू
6.	मै. एम.एल. रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा.लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मारीशस	''ला परला''
7.	मै. एम.सी. रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा.लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मारीशस	सीके/कलवीन कलीन
8.	मै. एम.बी. रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा.लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मारीशस	बिल्ड बीयर
9.	मै. एम.टी. रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा.लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मॉरीशस	तमी ब्रांड
10.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा. लि.	मै. रिटेल इंडिया लि. मॉरीशस	आवेदक द्वारा वापस लिया गया

1	2	3	4
11.	मै. वाह लूइन इलैक्ट्रोनिक टूल्स कं. लि. इलैक्ट्रोनिक टूल्स कं. लि.	मै. वाह लूइन इलैक्ट्रोनिक टूल्स कं.लि. चीन इलैक्ट्रोनिक टूल्स कं.लि. चीन	सीटी ब्रांड
12.	मै. सिंगर श्रीलंका	मै. सिंगर श्रीलंका	सिगंर
13.	मै. सिगनेचर किचन्स इंडिया प्रा. लि.	मै. सिगनेचर किचन्स, कुआलालामपुर, मलेशिया	सिगनेचर किचन
14.	मै. एटीसी मल्टीप्रोडक्ट्स ट्रेडिंग प्रा. लि.	मै. एडवांस ट्रेडिंग कंपनी लि., कम्बोडिया गणराज्य	आवेदक द्वारा वापस लिया गया
15.	मै. न्यू होरीजन्स रिटेल प्रा. लि.	मै. वी.पी. शर्मा, एनआरआई, जकार्ता, इंडोनेशिया	स्टारबक कैफेस
16.	मै. क्रिस्टेन डायर ट्रेडिंग इंडिया प्रा. लि.	मै. क्रिस्टेन डायर कॉचर, पेरिस, फ्रांस	क्रिस्टेन डायर
17.	मै. कापी मशीन्स (इंडिया) प्रा. लि.	मै. सीएमए, इटली तथा मै. महलकोनिग, जर्मनी	आवेदक द्वारा वापस लिया गया
18.	मै. फारएवर न्यू अपेरल्स प्रा.लि. 08.05.2007	मै. फारएवर न्यू क्लोथिंग प्रा. लि., आस्ट्रेलिया	फारएवर न्य
19.	मै. लग्जरी ब्रांड रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा. लि.	जीयूसीसीआई
20.	मै. मुरजानी रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा. लि.	जीयूसीसीआई
		मै. रिटेल इंडिया लि. मारीशस	
21.	मै. खन्ना स्पेसिलिटी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.	हरमेस इंटरनेशनल फ्रांस	हरमेस
22.	मै. हैलो रिटेल इंडिया प्रा. लि.	मै. शराफ ट्रेडिंग एलएलसी, यूएई	सानरियो
23.	मै. ट्रिओ स्पोर्टस वियर प्रा. लि.	मै. ट्रिओ सलेक्शन इंक, कनाडा	ट्रोजी
24.	मै. टोड्स रिटेल इंडिया प्रा. लि.	मै. टोड्स हांग-कांग लि.	टीओडी
		मै. टोड्स इंटरनेशनल बी.वी.	
25.	मै. डीजल फैशन इंडिया अरविंद प्रा.लि.	डीजल इंटरनेशनल बी.वी.	डीजल

1	2	3	4
26.	मै. डोल्से गब्बाना	मै. डोल्से गब्बाना	डी एंड जी डोल्से एंड गब्बाना
27.	मै. एलए सोवरेन बाइसिकल प्रा.लि.	मै. एलए बाइसिकल (थाइलैण्ड) मै. इंडस ट्रेडिंग कं., थाइलैण्ड	एलए सोवरेन
28.	मै. क्रिश्चल बाल फैशन्स प्रा. लि.	मै. रेम डेरही, फ्रांस	डेरही
29.	श्री सुभासिस मिश्रा	वेन्डी ओल्डी	वापस ले लिया
30.	मै. क्रोक्स इंक.	मै. क्रोक्स इंक., यूएसए	क्रोक्स
31.	मै. इवानिक्स एक्सरीज लि.	विदेशी जनता को जीडीआर का निर्गम	प्रस्ताव को फाइल पर अस्वीकृत कर दिया
32.	मै. रिचमोण्ट सर्विसेज बी.वी.	मै. रिचमोण्ट सर्विसेज बी.वी.	कार्टियर
33.	मै. टावेल आटो सेन्टर एलएलसी	मै. टावेल आटो सेन्टर एलएलसी, ओमान	अस्वीकृत
	2008 में प्राप्त प्रस्ताव		
1.	मै. जोरडानो फैशन्स (इंडिया) प्रा.लि.	जोरडानो मॉरीशस लि.	जोरडानो
2.	मै. पावर प्लेट इंडिया (प्रा.) लि.	मै. पावर प्लेट इंडिया होल्डिंग लि.	पावर प्लेट
3.	मै. जेनीका कार इंडिया प्रा. लि.	1. मि. देविन्दर सिंह पवार 2. मि. रणपाल सिंह टौंड	आडी कार
4.	मै. जॉर्जिओ अरमानी होल्डिंग बीवी	मै. जॉर्जिओ अरमानी होल्डिंग बीवी	अरमानी
5.	मै. टावेल आंटो सेन्टर एलएलसी	मै. टावेल आंटो सेन्टर एलएलसी	हुंडई कार
6.	मै. पर्ल यूरोप	मै. पर्ल यूरोप, नीदरलैण्ड	जीवन एक्सप्रेस

[अनुवाद]

केन्द्र-राज्य संबंध

4048. श्री अनिल बसु :
डा. बाबूराव मिडियम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-राज्य संबंधों की समीक्षा करने वाला आयोग संतोषजनक रूप से काम कर रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो आयोग की अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं तथा आयोग ने किन-किन मुद्दों पर चर्चा सम्पन्न कर ली हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त समिति की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां।

(ख) आयोग ने पहले ही बीस से अधिक बैठकें आयोजित कर ली हैं और अपनाई जाने वाली क्रियाविधि और दृष्टिकोण के बारे में निर्णय लिया है तथा विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। आयोग ने एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की है जिसमें शर्तों और निबंधनों के बारे में बताया गया है तथा प्रारंभिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है। इसके अतिरिक्त आयोग ने प्रश्न तैयार करने की प्रक्रिया को भागीदारी वाली और पारदर्शी बनाने के लिए प्रश्नावली के मसौदे को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, प्रमुख राजनीतिक दलों, संविधान के विशेषज्ञों और अन्य स्टेक होल्डरों में परिचालित किया है। आयोग ने विशिष्ट प्रसंगों/विषयों पर स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श करने और उनकी भागीदारी पर ढांचागत प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी पहली क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) दिनांक 27 अप्रैल, 2007 की राजपत्रित अधिसूचना के तहत स्थापित आयोग से दो वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

आतंकवाद संबंधी समिति

4049. श्रीमती मिनाती सेन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1999 के बाद आतंकवाद संबंधी कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिफारिशों को लागू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) 1999 से आतंकवाद पर ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है। तथापि विभिन्न स्तरों पर कई तंत्र हैं जो आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं से संबंधित गतिविधियों को नियमित रूप से मानीटर और उनका अध्ययन करते हैं, जिसके प्रकाश में सतत् आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है और प्रत्युपाय निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) से (घ) उक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

स्कूलों को भोजन की आपूर्ति

4050. श्रीमती मेनका गांधी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2004 में ठेकेदारों द्वारा स्कूलों में भोजन की आपूर्ति करने पर प्रतिबंध लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं।

तटीय क्षेत्रों में जल का प्रवेश

4051. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों सहित देश के तटीय गांवों में कई बार पानी घुस जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों सहित देश के तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन परियोजना लागू की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां।

(ख) पानी घुसने की घटनाएं तमिलनाडु के कुछ स्थानों, जैसे चेन्नै, कुड्डालोर और तिरुचेन्दूर में अगस्त, 2005 में बृहत ज्वार (पूर्ण/नये चन्द्र दिवस) के दौरान देखी गई। समझा जाता है कि 2004 में आई सुनामी के कारण रेत हटने की वजह से तट के निकट हुए परिवर्तनों के कारण ऐसा हुआ। उसके बाद इसे ठीक होने में लगभग एक वर्ष का समय लगा तथा 2006 के बाद से इस प्रकार पानी घुसने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, केरल में दक्षिणी हिंद महासागर से आई तूफानी लहरों के कारण मानसून पूर्व अवधि (मार्च) के दौरान बार-बार पानी घुसने की घटनाएं होने की सूचना मिली है।

यह भी देखा गया है कि गर्मी के दिनों में जब इन तटवर्ती पारिप्रणालियों में ताजे पानी का बहाव कम हो जाता है तब इन तटवर्ती क्षेत्रों में ऋतुकालिक समुद्री जल नदियों के किनारों/ज्वारनदमुखों/लैगूनों के समीपवर्ती स्वच्छ जल में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार की घटनाएं अंडमान और निकोबार में कोर्बिन कोव, सैंतनखाड़ी और गोविन्द नगर के निचले क्षेत्रों तथा भारतीय तटरेखा पर स्थित संकरी खाड़ियों में देखी गई हैं।

(ग) और (घ) विश्व बैंक की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों सहित चक्रवात की संभावना वाले 13 तटवर्ती राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चक्रवात के जोखिमों को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन परियोजना (एनसीआरएमपी) तैयार की गई है। यह परियोजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा समन्वित की जाती है।

बागानों के लिए पुनरूद्धार पैकेज

4052. **श्रीमती सी.एस. सुजाता** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागानों के लिए कोई पुनरूद्धार पैकेज स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पैकेज हेतु कितने बागानों पर विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में बंद/परित्यक्त चाय बागानों का प्रबंध अपने हाथ में लेने हेतु पृथक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां। बंद पड़े चाय बागानों के लिए जून 2007 में एक पुनरूद्धार पैकेज की घोषणा की गई थी।

(ख) इस पैकेज में बकाया बैंक ऋणों के पुनर्गठन, चाय बोर्ड के ऋणों को माफ करने तथा सरकार से ब्याज सब्सिडी के साथ बैंकों द्वारा नयी कार्यशील पूंजी प्रदान किए जाने और चाय बोर्ड की विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत अन्य अनुमत्य सहायता का प्रावधान है। दिनांक 1.04.2007 की स्थिति के अनुसार 33 चाय बागान बंद पड़े हुए थे। इनमें से अब 11 बागान खुल गए हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त पुनरूद्धार पैकेज की घोषणा करने से पहले सरकार द्वारा बंद पड़े/परित्युक्त चाय बागानों के पुनरूद्धार के बारे में केरल की राज्य सरकार सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया था।

[हिन्दी]

खाद्य उत्पादन में गिरावट

4053. **श्री देविदास पिंगले :**
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2007 और 2008 में आज की तारीख तक देश में कतिपय खाद्य उत्पादों के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इन उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उत्पादनवार कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन उत्पादों के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(च) सरकार द्वारा उन उत्पादों के मूल्य में वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) महोदय, गेहूं और गन्ने के उत्पादन में मामूली गिरावट को छोड़कर वर्ष 2007-08 के लिए उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान से यह प्रदर्शित होता है कि चावल, दाल, खाद्य तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन वर्ष 2006-07 की तुलना में अधिक होगा।

(ख) वर्ष 2007-08 हेतु उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान से यह पता चलता है कि वर्ष 2007-08 में गेहूं का उत्पादन 74.81 मिलियन टन होने की संभावना है जबकि 2006-07 में उत्पादन 75.81 मिलियन टन हुआ था। गन्ने का उत्पादन लिए वर्ष 2007-08 में 3403.22 मिलियन टन होने की संभावना है जबकि 2006-07 में यह 3555.20 मिलियन टन था।

(ग) और (घ) गैर-बासमती चावल, गेहूं, दालों और कुछेक खाद्य तेलों का निर्यात प्रतिबंधित है। इस अवधि के दौरान कतिपय आवश्यक वस्तुओं के निर्यात निम्नानुसार हैं:-

(मात्रा: 000 टन में)

क्र. सं.	आवश्यक वस्तुएं	2006-07	2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 07)
1.	चावल	4745.52	4779.36
2.	गेहूं	47.83	0.24
3.	दाल	247.42	140.83
4.	चीनी	1636.31	2986.20
5.	तेल खाद्य	6591.86	4031.51

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस

(ङ) इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का प्रतिशत निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवश्यक वस्तुएं	दिनांक 22.3.2008 को मुद्रा स्फीति की दर	दिनांक 24.3.2007 को मुद्रा स्फीति की दर
1.	चावल	8.30	5.60
2.	गेहूं	3.4	6.80
3.	दाल	-2.3	12.60
4.	चीनी	-1.9	-12.5
5.	खाद्य तेल	21.2	13.3

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग का सी ओ एस नोट दिनांक 7.4.2008

(च) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए निर्यातों को प्रतिबंधित करने, न्यूनतम निर्यात कीमत लागू करने, आयात शुल्कों को घटाने/ड्यूटी समाप्त करने, सरकारी खाते से आयात करने, भंडार सीमा लागू करने आदि जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण संबंधी अध्ययन

4054. श्री एन.एन. कृष्णदास :
श्रीमती सी.एस. सुजाता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001 से पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना का कार्यान्वयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ख) यद्यपि संविधान के तहत "पुलिस" और "कानून और व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, तथापि, केन्द्र सरकार, राज्यों के पुलिस बलों को आधुनिक बनाने और उनका उन्नयन करने के लिए उनके प्रयासों और संसाधनों में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की एक योजनेतर स्कीम कार्यान्वित करती रही है। वर्ष 2000-01 से 2007-08 के दौरान इस स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने "पुलिस आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण और उन्नयन-एक पांच वर्षीय योजना (2000)" नामक शीर्षक से एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में बीपीआरएंडडी ने विभिन्न संघटकों नामत: भवनों, आवासों, आवाजाही, उपकरण और प्रशिक्षण के तहत राज्य पुलिस बलों की पांच वर्षीय जरूरतों का अनुमान लगाया था। इसको ध्यान में रखते हुए और मध्यावधिक समीक्षा के आधार पर, वर्ष 2005-06 से स्कीम के तहत परिव्यय को निरंतर रूप से बढ़ाया जाता रहा है, जिसे संलग्न विवरण से देखा जा सकता है।

विवरण

राज्य का नाम	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
	आवंटित निधि	जारी की गई निधि	आवंटित निधि	जारी की गई निधि	आवंटित निधि	जारी की गई निधि	आवंटित निधि	जारी की गई निधि	आवंटित निधि	जारी की गई निधि	आवंटित निधि	जारी की गई निधि	आवंटित निधि	जारी की गई निधि	आवंटित निधि	जारी की गई निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	72.02	72.02	77.2	77.2	81.32	81.32	69.46	69.46	79.93	79.93	101.41	101.41	88.12	88.12	87.34	87.34
अरुणाचल प्रदेश	1.15	1.15	4.45	4.45	5.20	5.20	7.24	7.24	9.13	9.13	7.00	7.00	11.53	11 53	10.70	10.70
असम	36.58	36.58	38.59	38.59	16.50	16.50	36.52	36.52	41.37	41.37	56.68	56.68	52.18	52.18	87.82	87.82
बिहार	57.59	57.59	54	54	11.50	11.50	0.43	0.43	45.25	45.25	39.87	39.87	51.62	51.62	16.24	16.24
छत्तीसगढ़	20.57	20.57	21.97	21.97	16.70	16.70	17.47	17.47	32.72	32.72	40.74	40.74	57.06	57.06	41.72	41.72
गोवा	2.02	2.02	2	2	2.00	2.00	1.40	1.40	0.28	0.28	1.06	1.06	1.00	1.00	2	2
गुजरात	59.76	59.76	50	50	50.00	50.00	42.21	42.21	39.54	39.54	39.85	39.85	45.52	45.52	51.9	51.9
हरियाणा	28.33	28.33	24.46	24.46	22.10	22.10	20.00	20.00	22.13	22.13	14.95	14.95	19.69	19.69	35.75	35.75
हिमाचल प्रदेश	1.34	1.34	6.38	6.38	6.20	6.20	0.69	0.69	2.57	2.57	6.78	6.78	3.92	3.92	10.27	10.27
जम्मू और कश्मीर	30.83	30.83	28.5	28.5	28.50	28.50	25.00	25.00	110.89	110.89	109.22	109.22	88.13	88.13	115.34	115.34
झारखंड	40.14	40.14	28.93	28.93	12.73	12.73	8.50	8.50	22.33	22.33	40.74	40.74	47.00	47.00	50.95	50.95
कर्नाटक	82.85	82.85	76.9	76.9	75.00	75.00	69.31	69.31	58.87	58.87	65.85	65.85	64.15	64.15	78.13	78.13
केरल	29.28	29.28	31.16	31.16	25.13	25.13	22.00	22.00	26.55	26.55	18.84	18.84	24.53	24.53	40.01	40.01
मध्य प्रदेश	54.49	54.49	53	53	51.33	51.33	48.24	48.24	42.27	42.27	31.65	31.65	43.24	43.24	57.68	57.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
महाराष्ट्र	83.1	83.1	92.1	92.1	67.94	67.94	62.84	62.84	71.00	71.00	88.78	88.78	105.10	105.10	78.87	78.87
मणिपुर	4.1	4.1	4.95	4.95	0.73	0.73	11.50	11.50	15.24	15.24	16.97	16.97	14.09	14.09	32.07	32.07
मेघालय	1.54	1.54	5.19	5.19	0.55	0.55	5.29	5.29	7.58	7.58	6.57	6.57	8.59	8.59	15.44	15.44
मिजोरम	4.95	4.95	5.5	5.5	5.50	5.50	8.47	8.47	7.45	7.45	6.00	6.00	10.48	10.48	11	11
नागालैंड	2.84	2.84	13.46	13.46	9.95	9.95	21.00	21.00	13.09	13.09	17.52	17.52	22.68	22.68	30.72	30.72
उड़ीसा	30.57	30.57	30.5	30.5	16.76	16.76	21.91	21.91	27.76	27.76	35.08	35.08	38.00	38.00	45.80	45.80
पंजाब	35.76	35.76	32.1	32.1	32.10	32.10	19.34	19.34	21.79	21.79	20.31	20.31	15.00	15.00	34.94	34.94
राजस्थान	45.53	45.53	61.1	61.1	16.17	16.17	43.10	43.10	42.67	42.67	34.81	34.81	40.47	40.47	49.60	49.60
सिक्किम	1.83	1.83	2.87	2.87	0.09	0.09	0.94	0.94	5.90	5.90	2.43	2.43	3.46	3.46	4.42	4.42
तमिलनाडु	76.5	76.5	68.1	68.1	68.10	68.10	54.98	54.98	56.78	56.78	65.51	65.51	61.65	61.65	75.74	75.74
त्रिपुरा	6.39	6.39	5.6	5.6	5.60	5.60	12.83	12.83	11.17	11.17	11.83	11.83	11.34	11.34	14.47	14.47
उत्तर प्रदेश	123.97	123.97	116.05	116.05	60.39	60.39	65.02	65.02	108.55	108.55	98.12	98.12	94.28	94.28	115.44	115.44
उत्तराखंड	5.5	5.5	8.44	8.44	6.58	6.58	7.41	7.41	7.99	7.99	16.76	16.76	5.28	5.28	9.89	9.89
पश्चिम बंगाल	60.47	60.47	56.5	56.5	0.33	0.33	2.17	2.17	29.20	29.20	29.67	29.67	37.11	37.11	44.45	44.45
कुल	1000	1000	1000	1000	695.00	695.00	705.27	705.27	960.00	960.00	1025.00	1025.00	1065.22	1065.22	1248.70	1248.70

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के लिए पुनरूद्धार पैकेज

4055. श्री नरहरि महतो : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) के लिए पुनरूद्धार पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एचसीएल के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) स्वीकृत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वित्तीय पुनर्संरचना अनुमोदित कर दी है जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

(i) 50.00 करोड़ रु. के गैर-योजना ऋण को इक्विटी में बदलना (वर्ष 2005-06 और 2006-07, प्रत्येक वर्ष में 25 करोड़ रु. की राशि मुहैया करवायी गई)।

(ii) 180.73 करोड़ रु. के 7.5 प्रतिशत गैर संचयी विमोच्य अधिमानी शेयरों का अधित्याग करना और इसे संचित हानियों से समायोजित करना।

(iii) 382.21 करोड़ रु. इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को 10 रु. से 5 रु. करके, पूंजी की पुनर्संरचना करना और इसे संचित हानियों से समायोजित करना।

(iv) कौशल का अनुरक्षण करने तथा एक उपयुक्त अनुक्रमण योजना तैयार करने हेतु संगठन को कुछ समय की मोहलत प्रदान करने के लिए अधिवर्षिता की आयु को पुन: 60 वर्ष करना।

(v) खनन क्षेत्र में विकास एजेंडा संचालित करने हेतु निदेशक (खनन) का पद सृजित करना।

उपर्युक्त पैकेज एचसीएल द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है:

(i) कंपनी अपने कॉपर कैथोड की उत्पादन लागत जो 2005-06 में 225989 रु. प्रति एमटी थी, को उस स्तर तक कम करेगी जो कंपनी को 2700 अमरीकी डालर प्रति एमटी कापर कैथोड की एलएमई कीमत के बराबर लाने में समर्थ बनाएगा।

(ii) कंपनी को ब्लिस्टर कॉपर/कॉपर कैथोड और कॉपर राड के क्षमता उपयोग को क्रमश: 100 प्रतिशत और 95 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ाकर लाभप्रदता को सुधारने और उत्पादन लागत को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।

(ग) लागू नहीं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

आतंकवादियों तथा अपराधियों द्वारा इंटरनेट का उपयोग

4056. श्रीमती जयाप्रदा :
श्री निखिल कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपराधी तथा आतंकवादी अपने विभिन्न कार्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपराधियों तथा आतंकवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए पूरे देश में अधिकांश पुलिस बल अत्याधुनिक कम्प्यूटर नेटवर्क से सुसज्जित नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) ऐसी रिपोर्ट हैं कि अपराधी फिशिंग-ई-मेल स्कैम, पायरेसी, डाटा चोरी कर के आर्थिक अपराध कर रहे हैं तथा इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग करके लक्षित संगठनों, नेटवर्क अवस्थापना पर सेवाओं के आक्रमण का खंडन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) 'पुलिस' राज्य का विषय होने के कारण, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना और साइबर अपराध जांच के लिए साइबर पुलिस थानों की स्थापना करना मुख्यत: राज्य सरकारों का विषय है। साथ ही, गृह मंत्रालय राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के अंतर्गत सभी राज्यों में चरणबद्ध रूप से सामान्य एकीकृत पुलिस अनुप्रयोग (सीआईपीए) नामक एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। ऐसी परिकल्पना है कि अनुप्रयोग के रूप में सीमा परियोजनाओं के दायरे को बढ़ाया जाए और पुलिस व्यवस्था में उसे पुलिस थाना स्तर से अन्य उच्चतर स्तर के फार्मेशनों तक बढ़ाया जाए और नेटवर्क संयोजनकता प्रदान कराई जाए। सरकार ने विभिन्न कम्प्यूटर अपराधों का शमन करने के विधिक प्रावधानों को जोड़ने की व्यवस्था करने के लिए लोक सभा में 15.12.2006 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने के अतिरिक्त भारत में साइबर अपराधों को रिएक्टिव एवं प्रोएक्टिव सहायता देने के लिए इंडिया कम्प्यूटर इमरजेन्सी रिस्पान्स टीम (सीईआर टी-इन) स्थापित की है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए सुरक्षा उपाय

4057. श्री सुव्रत जोश :
श्री रवेन बर्मन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना एजेंसियों को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि आतंकवादी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में छिपे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्र आतंकवादियों के निशाने पर हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कोई सुरक्षा उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ख) आसूचना इनपुटों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आतंकवादियों के छिपे होने की कोई सूचना व्यक्त नहीं होती है। तथापि दिल्ली, पाक आधारित जेहादी गुटों खासकर जेईएम, एलईटी, हुजी का निशाना रही है और निकट विगत में कई ऐसे माड्यूल ध्वस्त किए गए है।

(ग) और (घ) सरकार आतंकवाद से उत्पन्न चुनौती का मुकाबला करने के लिए दृढ़ता से वचनबद्ध रही है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों के साथ सघन समन्वय से एक बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है जिसमें सीमापार से घुसपैठ रोकने, आतंकी हिंसा संभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय सुरक्षा बलों का विकास, संवदेनशील क्षेत्रों में और बड़े-बड़े अवस्थापनों के आस-पास सतत सतर्कता एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना, आसूचना की भागीदारी, आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के जरिए उनकी क्षमताओं का उन्नत करने तथा राज्य पुलिस बलों का सुदृढ़ीकरण करने, इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन करने आदि उपाय शामिल करके आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से पारस्परिक विधिक सहायता एवं प्रत्यर्पण संविधियों, सूचना एवं आसूचना का आदान-प्रदान करने की व्यवस्था के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस ने आतंकवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:- मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार, बड़े-बड़े एवं प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी लगाना, डीएफएमडी/एचएचएमडी का अवस्थापन, चेकिंग/फ्रिस्किंग, होटल स्टाफ, गेस्ट हाउस स्टाफ की ब्रीफ्रिंग, रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी, हवाई अड्डों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर आडियो/वीडियो द्वारा घोषणा कराना, संदिग्ध व्यक्तियों के छुपने के स्थानों की तलाशी लेना, साइबर कैफे की चेकिंग करना, एसटीडी/आईएसडी बूथों की चेकिंग/उन्हें सुविज्ञ बनाया जाना, सेकेण्ड हैण्ड कार डीलरों को सुविज्ञ करना, टैक्सी स्टैण्डों की चेकिंग, किरायेदारों का सत्यापन, अतिथिगृहों/होटलों, सरायों, सिनेमाहालों, आईएसबीटी, रेलवे स्टेशनों की संयुक्त चेकिंग आदि। दोषसिद्ध व्यक्तियों की निगरानी, तकनीकी चौकसी, रणनीतिक आसूचना और जोखिम आकलन जैसे कुछ अन्य उपाय भी किए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हीरा एवं स्वर्ण का उत्पादन

4058. श्री टेक लाल महतो : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार हीरा तथा स्वर्ण के उत्खनन/खोज पर विशेष जोर दे रही है ताकि इनका आयात कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज की तिथि तक देश में आयातित तथा उत्पादित हीरे एवं स्वर्ण का राज्य-वार, संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि तक कोलार स्वर्ण खान में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) कितने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) स्वीकृत की गई है?

रत्नाभूषण और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय खान्डिक) : (क) से (ख) खनिजों का खनन मोटे तौर पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता, बाजार की मांग आदि पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार ने नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित की है जिसमें खनन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु खनिज रियायतें प्रदान करने में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हीरे और स्वर्ण के आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

सुबर समूह पदार्थ का नाम	पदार्थ का नाम और इकाई	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)
हीरा	हीरा (औद्योगिक) (सीआरटी)	14705	12244	4503
	हीरा (मुख्यतया तराशा हुआ) (सीआरटी)	138786704	124743440	119625535
	हीरा पाउडर (टीसीए)	23372	47795	56848
स्वर्ण	कि.ग्रा.	782864	723780	725817

स्वर्ण का राज्यवार उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(टन में)

राज्य	2005-06	2006-07 (अनंतिम)	2007-08 (सितम्बर तक) (अनंतिम)
कर्नाटक	2.846	2.336	0.014
झारखंड	0.201	0.154	1.495
गुजरात (उमीचाड को छप में)	6.710	10.335	5.312
कुल	9.757	12.825	6.821

हीरे का उत्पादन केवल एक राज्य तक सीमित था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल से दिसम्बर) (अनंतिम)
मध्य प्रदेश	44170	2179	481

(घ) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोलार स्वर्ण खान को 1.3.2001 से बंद कर दिया गया था और उत्पादन संबंधी सभी कार्यकलापों को रोक दिया गया था। 3580 कर्मचारियों को सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया था। सभी कार्यमुक्त कर्मचारियों को एसटीबीपी (विशेष सेवांत लाभ पैकेज) के तहत अंतिम निपटारे की सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

4059. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

श्री हेमलाल मुर्मू :

श्री मधु गौड यास्खी :

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के स्थान पर एक नई योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो नई योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना आरंभ करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योगों के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या के बारे में ब्यौरे मांगे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार ने "प्रधान मंत्री रोजगार योजना" की मौजूदा योजना को 'ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम' (आरईजीपी) नामक इस मंत्रालय की एक अन्य योजना के साथ एकीकृत करके 'प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (पीएमईजीपी) शीर्षक से एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को इस प्रस्तावित योजना के तहत लाभ मिलने की संभावना है। इस योजना के तहत, लघुतर मूल्य वाली परियोजनाओं और समाज के वंचित वर्गों के लाभग्राहियों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए अधिक सब्सिडी सहित अधिकतम 25 लाख रुपये की लागत वाली इकाइयां स्थापित करने हेतु सब्सिडी/मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राज्य सरकारों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) इन ब्योरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) संभवतया इस योजना को 2008-09 की प्रथम तिमाही में शुरू किया जाएगा।

मसालों तथा काफी का निर्यात

4060. श्री के.वी.एस.पी. रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में आज की तिथि तक मसालों तथा काफी के निर्यातों के मूल्य सहित इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मसालों तथा काफी की उत्पादन स्थिति क्या थी; और

(ग) उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश में पौधरोपण के लिए कौन सी विशेष योजनाएं हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में मसालों तथा काफी के निर्यातों और उनके मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

निर्यात (मात्रा: मी.टन.-मूल्य: करोड़ रुपये)

फसल	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08 (अप्रैल-फरवरी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
मसाले	348524	2350.51	350363	2627.62	373750	3575.75	377000	3785.40
कॉफी	211765	1224.67	201555	1510.38	249030	2007.90	210000	1600.00

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मसालों तथा काफी के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

टन में

फसल	उत्पादन		
	2004-05	2005-06	2006-07
मसाले (प्रमुख मसाले)	18,62,128	19,28.635	22,79.064
कॉफी	2,75,500	2,74.000	2,88.000

(ग) देश में मसालों तथा काफी के उत्पादन/उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्रोपण/पुरूद्धार कार्यक्रम शुरू किया है ताकि पुराने एवं अनुत्पादक खंडों का पुनर्रोपण किया जा सके।

इन वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उपजकर्त्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन वस्तुओं का निर्यात आय को बढ़ाने के लिए किए जा रहे अन्य कार्यकलाप है:- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदार; क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन; अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु निर्यातकों को वित्तीय सहायता; ब्रांड संवर्धन; जन संपर्क अभियान आदि।

[हिन्दी]

भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को खतरा

4061. श्री बापू हरी चौरे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ नदियों के कारण यह क्षेत्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से असुरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) भारत-बांग्लादेश सीमा पर नदीय क्षेत्र, घुसपैठ, तस्करी और सीमा-पार अपराधों के लिए असुरक्षित हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस भाग में बाड़ लगाना संभव नहीं है।

(ख) सीमा सुरक्षा बल की सूचना के अनुसार नदीय सीमा के राज्यवार ब्योरे नीचे दिए गए हैं;

पश्चिम बंगाल	–	575.100 कि.मी.
असम	–	119.100 कि.मी.
त्रिपुरा	–	147.650 कि.मी.
मिजोरम	–	274.350 कि.मी.

(ग) सीमा सुरक्षा बल, भारत-बांग्लादेश सीमा के नदीय भाग में सतत् निगरानी, प्रक्षेण, गश्त और नाका लगाकर प्रभावपूर्ण ढंग से प्रबल है। उपलब्ध नावों, तैरती सीमा बाह्य चौकियों, वाटरक्राफ्टस और वाटर वेसल आदि की सहायता से भी शासन/गश्त की जाती है।

प्याज का निर्यात

4062. श्री गणेश सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के लिए प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु किसी एजेंसी को अधिसूचित किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ एजेंसी को अधिसूचित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) निर्यात हेतु प्याज की कोई न्यूनतम समर्थन कीमत नहीं है। नेफेड के जरिए भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ द्वारा निर्धारित गुणवत्ता की शर्तों के अधीन बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के प्याज के निर्यात की अनुमति है और निम्नलिखित 12 विनिर्दिष्ट सरणीकरण अधिकरण हैं:-

(i) महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड

(ii) गुजरात कृषि उद्योग निगम लि.

(iii) मसाला व्यापार निगम लि.

(iv) दि ए पी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन

(v) दि कर्नाटका स्टेट को. आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि.

(vi) दि नेशनल कोओपरेटिव कंज्यमूर फेडरेशन आफ इंडिया लि.

(vii) दि नार्थ कर्नाटका ओनियन ग्रोवर्स कोओपरेटिव सोसाइटीज

(viii) वेस्ट बंगाल एसेंसियल कमोडिटी सप्लाई कारपोरेशन लि.

(ix) एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन, भोपाल

(x) कर्नाटक स्टेट प्रोडयूस प्रोसेसिंग एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन

(xi) मध्य प्रदेश स्टेट कोओपरेटिव आयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन लि.

(xii) दि आंध्र प्रदेश मार्केटिंग फेडरेशन

नेफेड संबंधित विभागों और सरणीकरण एजेंसियों के परामर्श से उसके द्वारा प्रति माह निर्धारित न्यूनतम निर्यात कीमत के तहत प्याज के निर्यात की अनुमति देता है।

आवश्यक वस्तुओं का आयात

4063. श्री धावरचन्द गेहलोत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में आवश्यक वस्तुओं के आयात का वस्तु-वार, वर्ष-वार तथा देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं के आयात में 11 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आवश्यक वस्तुओं के आयात के कारण मूल्यवृद्धि से उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं के हित में इसमें सुधार करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 14 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करता है। इन मदों में चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, तुअर (अरहर) दाल, चीनी, मूंगफली तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, चाय, दूध, आलू, प्याज और नमक (आयोडीनयुक्त) शामिल हैं। इन मदों के आयात का वस्तु वार, वर्ष वार तथा देशवार ब्यौरा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी खण्ड II (आयात), वार्षिक अंक" नामक प्रकाशन में दिया गया है, जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) से (च) आवश्यक वस्तुओं के आयात से घरेलू कीमतों में वस्तुत: गिरावट आती है। विदेश व्यापार नीति को देश में उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संशोधित किया गया है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) गेहूं, गैर-बासमती चावल, दालों (काबुली चना को छोड़कर) और खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ii) गेहूं, चावल, दालों और अपरिष्कृत खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है। परिष्कृत तेलों तथा हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है। मक्खन तथा घी पर आयात शुल्क घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

(iii) राज्य सरकारों को गेहूं, दालों, खाद्य तेलों, तिलहनों और चावल की स्टॉक सीमा लागू करने में समर्थ बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत एक केन्द्रीय आदेश जारी किया है। यह आदेश दिनांक 31.8.2008 तक वैध है।

[अनुवाद]

भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार असंतुलन

4064. श्री दुष्यंत सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार असंतुलन बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) उन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा व्यापार असंतुलन कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ख) अपरिष्कृत पेट्रोलियम, दालों, सोने, हीरों आदि जैसी वस्तुओं और वायुयानों के आयात के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का कुछेक देशों के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन बना हुआ है। निर्यातित एवं आयातित वस्तुओं के साथ-साथ उनके मूल्य एवं मात्रा के देशवार ब्यौरे वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http://commerce.gov.in पर दिए गए हैं।

(ग) व्यापार मेलों में भागीदारियों को सुकर बना कर, क्रेता/विक्रेता बैठकें आयोजित करके, संयुक्त व्यापार समितियों की स्थापना करके और जेटीसी की नियमित बैठकें आयोजित करके तथा देश विशिष्ट निर्यातों हेतु कार्यनीतियां तैयार करके भारतीय उत्पादों के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार

4065. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुक्त व्यापार समझौता के लिए यूरोपीय संघ से वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में आज की तिथि तक भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार का देशवार तथा उत्पादवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ख) जी, हां। भारत-यूरोपीय संघ (ई यू) व्यापक आधारित व्यापार एवं निवेश करार हेतु वार्ताएं दिनांक 28.6.2007 को ब्रुसेल्स में शुरू हुई। वार्ताओं का प्रथम दौर वार्ताएं करने के लिए कार्यढांचे पर विचार-विमर्श करने तथा वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, निवेश, स्वच्छता एव पादप स्वच्छता व्यापार में तकनीकी बाधाओं, व्यापार समाधानों, सीमाशुल्क सहयोग और व्यापार सुगमीकरण के क्षेत्रों में करार की व्यापक रूपरेखा संबंधी विचारों के आदान-प्रदान पर केन्द्रित था। इन प्रारंभिक चर्चाओं के आधार पर दोनों पक्षों ने 1-5 अक्तूबर, 2007 को नई दिल्ली में और दिसम्बर, 2007 में ब्रुसेल्स में आयोजित वार्ताओं के दूसरे तथा तीसरे दौर में पाठगत प्रस्तावों पर चर्चा की थी।

(ग) यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मिलियन अम. डालर

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
2004-05	19673	25621	45,294
2005-06	23,229	25,998	49,227
2006-07	26,863	34,781	61,644
2007-08*	26,346	35,468	61,814

*अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के लिए

ई यू सदस्य देशों के साथ आयात एवं निर्यात तथा उनके उत्पाद-वार/देश वार निर्यात-आयात के ब्यौरे वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट http://commerce.gov.in पर उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालयों में सूचना एवं संचार सुविधाएं

4066. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी अधिक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पास शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए अभी भी कोई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजनार्थ विभिन्न विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय-वार कितनी सहायता प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन पात्र विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को अनुदान प्रदान करता है जो 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956' की धारा 12बी के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। 2005-06 और 2006-07 के दौरान कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित/स्तरोन्नत करने के लिए पात्र विश्वविद्यालयों को दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2005-06 और 2006-07 के दौरान कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित/स्तरोन्नत करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	2005-06 के दौरान अनुमोदित अनुदान	2005-06 के दौरान जारी अनुदान	2006-07 के दौरान अनुमोदित अनुदान	2006-07 के दौरान जारी अनुदान
1	2	3	4	5	6
1.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर, उड़ीसा			38.80	31.04
2.	गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे			11.50	9.20
3.	कन्नड़ विश्वविद्यालय, कर्नाटक			35.00	28.00
4.	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर केरल			36.00	28.80
5.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय			33.00	26.40
6.	राष्ट्रीय विधि अध्ययन और अनुसंधान विश्वविद्यालय अकादमी, हैदराबाद			26.00	20.80
7.	पेरियार विश्वविद्यालय, सालेम, तमिलनाडु			36.50	29.20

1	2	3	4	5	6
8.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र विश्वमहाविद्यालय, कांचीपुरम, तमिलनाडु			38.75	31.00
9.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, देवनर, मुम्बई			20.00	16.00
10.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग			50.00	40.00
11.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश			21.75	17.40
12.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई			25.00	20.00
13.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर			20.00	16.00
14.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर			40.00	32.00
15.	बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी, राजस्थान			29.15	23.32
16.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची			20.00	16.00
17.	दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा, उत्तर प्रदेश			15.00	12.00
18.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली			33.00	26.40
19.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश			20.00	16.00
20.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, तमिलनाडु			24.00	19.20
21.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद			19.00	15.20
22.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, कर्नाटक			19.00	15.20
23.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़			22.00	17.60

1	2	3	4	5	6
24.	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर			23.00	18.40
25.	जामिया हमदर्द, दिल्ली			24.00	19.20
26.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश			24.00	19.20
27.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक			23.00	18.40
28.	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शिमोगा, कर्नाटक			18.50	14.80
29.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक हरियाणा			28.00	22.40
30.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश			24.00	19.20
31.	मनोमनियम सुन्दरनर विश्वविद्यालय, तिरूनेलवेली, तमिलनाडु			23.00	18.40
32.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय			20.00	16.00
33.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब			23.00	18.40
34.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, (पहले अरूणाचल विश्वविद्यालय)			18.00	14.40
35.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति, आंध्र प्रदेश			20.00	16.00
36.	श्री अविनाशलिंगम महिला गृहविज्ञान और उच्चतर शिक्षा संस्थान			23.00	18.40
37.	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई			18.00	14.40

1	2	3	4	5	6
38.	तमिल विश्वविद्यालय, तंजावुर, तमिलनाडु			18.00	14.40
39.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू			12.00	9.60
40.	मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक			10.00	8.00
41.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल			16.00	12.80
42.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	30.00	24.00		
43.	जे.एन. तकनीकी, हैदराबाद	25.00	20.00		
44.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, हैदराबाद	25.00	20.00		
45.	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति, आंध्र प्रदेश	25.00	20.00		
46.	श्री कृष्णदेवार्य, अनन्तपुर आंध्र प्रदेश	20.00	16.00		
47.	श्री वेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति	25.00	20.00		
48.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	25.00	20.00		
49.	श्री सत्यसाई उच्चतर शिक्षा संस्थान, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	25.0	20.00		
50.	आंध्र विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	25.00	20.00		
51.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम	20.00	16.00		
52.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम	25.00	20.00		
53.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	25.00	20.00		
54.	ललित नारायण मिथला विश्वविद्यालय, दरंभागा, बिहार	25.00	20.00		

1	2	3	4	5	6
55.	तिलकमंजी भागलपुर विश्वविद्यालय, मझराष्ट्र	22.00	17.00		
56.	के.एस.डी. संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार	15.00	12.00		
57.	पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़	25.00	20.00		
58.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	20.00	16.00		
59.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	25.00	20.00		
60.	जी.जी.एस. इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	22.00	17.00		
61.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	25.00	20.00		
62.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	20.00	16.00		
63.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात	22.00	17.00		
64.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर गुजरात	15.00	12.00		
65.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट, गुजरात	30.00	24.00		
66.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बल्लभ विद्यानगर, गुजरात	30.00	24.00		
67.	हेमचन्द्र विश्वविद्यालय, पाटन गुजरात	20.0	16.00		
68.	गुरू जांभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा	25.00	20.00		

1	2	3	4	5	6
69.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	25.00	20.00		
70.	मंगलोर विश्वविद्यालय, मंगलोर	25.00	20.00		
71.	केरल विश्वविद्यालय, तिरूअनन्तपुरम	30.00	24.00		
72.	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्ची	15.00	12.0		
73.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश	15.0	12.00		
74.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश	15.0	12.00		
75.	एम.जी. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्य प्रदेश	25.00	20.00		
76.	डा. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	20.00	16.00		
77.	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश	30.00	24.00		
78.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	25.00	25.00		
79.	उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव, महाराष्ट्र	25.00	20.00		
80.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	20.00	16.00		
81.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र	35.00	28.00		
82.	स्वामी रामानन्द तीर्थ विश्वविद्यालय, नांदेड, महाराष्ट्र	20.00	16.00		
83.	एम.जी. अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र	15.00	12.00		

1	2	3	4	5	6
84.	अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र	20.00	16.00		
85.	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	25.00	20.00		
86.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर	30.00	24.00		
87.	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम	25.0	20.00		
88.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	35.00	28.00		
89.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा	30.00	24.00		
90.	बरहामपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा	19.00	15.00		
91.	सम्भलपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा	20.00	16.00		
92.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	30.00	24.00		
93.	गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर पंजाब	30.00	24.00		
94.	पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब	20.00	16.00		
95	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25.00	20.00		
96.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुड़ी, तमिलनाडु	25.00	20.00		
97.	भरतीयार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	15.00	12.00		
98.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	25.00	20.00		
99.	डा. आर.एम. अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	35.00	28.00		

1	2	3	4	5	6
100.	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	15.00	12.00		
101.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	25.00	20.00		
102.	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश	25.00	20.00		
103.	गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तरांचल	25.00	20.00		
104.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	15.00	12.00		
105.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता	20.00	16.00		
106.	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान, पश्चिम बंगाल	20.00	16.00		
107.	विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल	20.00	16.00		
	कुल योग	1550.00 रु.	1230.00 रु.	998.95 रु.	799.16 रु.

[हिन्दी]

डायरेक्ट-टु-होम सेवा

4067. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री गिरिधारी यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने टी.वी. चैनल आपरेटरों को डायरेक्ट-टु-होम (डीटीएच) सेवा के माध्यम से अपने चैनलों के नि:शुल्क प्रसारण की सुविधा प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी चैनल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये आपरेटर इन चैनलों को दिखाने के लिए लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो आपरेटरों को नि:शुल्क डीटीएच सुविधा प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) दूरदर्शन ने सूचित किया है कि इसके सभी चैनल केवल फ्री-टु-एयर हैं। डी.डी.डी.टी.एच प्लेटफार्म के माध्यम से टी.वी. चैनलों को प्राप्त करने के लिए कोई मासिक शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, डी.टी.एच. आपरेटर अपनी डी.टी.एच. सेवा में ऐसे टी.वी. चैनलों को प्रसारित या शामिल करेंगे जिन्हें यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य प्रसारण के लिए अधिसूचित किया गया हो।

(ग) निजी डी.टी.एच. आपरेटर प्रचालन, रखरखाव आदि की

लागतों को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं से शुल्क प्रभारित कर सकते हैं क्योंकि वे दूरदर्शन के फ्री-टु-एयर चैनलों वाली कोई एकमात्र सेवा ही उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, निजी आपरेटर लाइसेंस करार के खंड 3 की शर्तों के अनुसार सरकार को सकल राजस्व का 10% लाइसेंस शुल्क के रूप में दे रहे हैं।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक सेवा प्रसारक, दूरदर्शन डी.डी. डायरेक्ट प्लस नामक अपनी डी.टी.एच. सेवा के माध्यम से देश के सभी दर्शकों को और साथ ही उन क्षेत्रों में भी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है जहां पर स्थलीय सिगनल प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार, दूरदर्शन देश के क्षेत्र और जनसंख्या की शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करता है।

[अनुवाद]

कौशल मूल्यांकन सर्वेक्षण

4068. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले 20 वर्षों में प्रशिक्षित जनशक्ति की प्रत्याशित कमी के निर्धारण के लिए कौशल आकलन सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) श्रम व रोजगार मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

गुजरात से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना

4069. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री जसुभाई धनाभाई बारड :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सीमावर्ती गुजरात राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने इस संबंध में कोई विशेष अनुदान दिए जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने धनराशि स्वीकृत कर दी है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक कितनी धनराशि आवंटित तथा जारी की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" और "कानून एवं व्यवस्था" राज्य का विषय है अत: कानून एवं व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना और उन्हें उपयुक्त रूप से लैस करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है परन्तु केन्द्रीय सरकार राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक गैर-योजना स्कीम कार्यान्वित कर रही है। निधियां राज्यों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजनाओं और मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के आधार पर जारी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत गुजरात को अहमदाबाद की मेगा सिटी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में अपेक्षित विशिष्ट पुलिस व्यवस्था को पूरा करने के लिए भी सहायता दी जाती है।

चालू वित्त वर्ष 2008-09 के लिए गुजरात को कोई निधि जारी नहीं की गई है। तथापि, विगत वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान गुजरात को पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ स्कीम) के अंतर्गत कुल 40 करोड़ रुपये के केन्द्रीय आवंटन में से विगत वर्ष अर्थात 2005-06 से संबंधित 0.34 करोड़ रुपये के अव्ययित, जो राज्य सरकार के पास अनुप्रयुक्त पड़ा था, राशि को घटाकर 39.66 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। 39.66 करोड़ रुपये के अतिरिक्त गुजरात को वर्ष 2007-08 के दौरान पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए 12.35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी जारी की गई है।

उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को राज सहायता

4070. **श्री चाडिगा रामकृष्ण** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिस्थगन अवधि के दौरान उच्च

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को दिए गए ऋण के ब्याज घटक पर राजसहायता उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार 4,000 करोड़ रुपए की एक योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उन परिवारों को भी छूट देने की योजना बना रही है जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) सरकार भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार की गई संशोधित माडल शिक्षा ऋण स्कीम के तहत निर्धारित आय से कम आय अर्जित करने वाले माता-पिता के विद्यार्थियों को भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिए गए शिक्षा ऋणों के संबंध में अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी देने की स्कीम शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रस्तावित स्कीम के लिए 11वीं योजना में 4,000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

एनडीएमसी द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय

4071. चौ. मुनव्वर हसन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक विद्यालय में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के लिए कितने पद सृजित किए गए हैं तथा उन पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं; और

(घ) प्रत्येक विद्यालय में अलग-अलग कितने लड़के तथा लड़कियां अध्ययन कर रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (घ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, उनमें जिस स्तर तक शिक्षा दी जा रही है वह स्तर और उनमें पढ़ रहे बालक एवं बालिकाओं की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के लिए विभिन्न श्रेणियों के अनुमोदित पदों की संख्या और इन पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों, वह स्तर जिस तक उनमें शिक्षा दी जा रही है, और उनमें अध्यनरत बालक एवं बालिकाओं की संख्या का ब्यौरा

क्रम सं.	विद्यालय का नाम	वह स्तर जिस तक उनमें शिक्षा दी जा रही है	विद्यार्थियों की संख्या	
			बालक	बालिकाएं
1	2	3	4	5
1.	नगर पालिका सह-शिक्षा सीनियर सेंकडरी स्कूल, अंसारी नगर	कक्षा-XII	579	223
2.	नगर पालिका बाल सीनियर सेंकडरी स्कूल, मंदिर मार्ग	कक्षा-XII	963	0

1	2	3	4	5
3.	नगर पालिका बंगाली बालिका सीनियर सैंकडरी स्कूल, गोल मार्किट	कक्षा-XII	0	1572
4.	नगर पालिका बालिका सीनियर सैंकडरी स्कूल, गोल मार्किट	कक्षा-XII	0	815
5.	नगर पालिका सह-शिक्षा सीनियर सैंकडरी स्कूल, मोती बाग	कक्षा-XII	729	370
6.	नगर पालिका सह-शिक्षा सैंकडरी स्कूल, तिलक मार्ग	कक्षा-X	389	239
7.	नगर पालिका सह-शिक्षा सैंकडरी स्कूल, लोधी इस्टेट	कक्षा-X	503	350
8.	नगर पालिका सह-शिक्षा सैंकडरी स्कूल, लक्ष्मीबाई नगर	कक्षा-X	417	268
9.	नगर पालिका बालिका सैंकडरी स्कूल, बापू धाम	कक्षा-X	28	380
10.	नगर पालिका बाल सैंकडरी स्कूल, बापू धाम	कक्षा-X	296	0
11.	नगर पालिका सह-शिक्षा सैंकडरी स्कूल, औरंगजेब लेन	कक्षा-X	420	318
12.	नगर पालिका बालिका सैंकडरी स्कूल, हैवलोक स्वायर	कक्षा-X	181	427
13.	नगर पालिका सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, बाबर रोड़	कक्षा-VIII	356	279
14.	नगर पालिका सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, सांगली मैस	कक्षा-VIII	276	231
15.	नगर पालिका बाल मिडिल स्कूल, लोधी रोड	कक्षा-VIII	589	0
16.	नगर पालिका बालिका मिडिल स्कूल, लोधी रोड	कक्षा-VIII	0	402

1	2	3	4	5
17.	नगर पालिका सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, किदवई नगर	कक्षा-VIII	355	179
18.	नगर पालिका सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, नारौजी नगर	कक्षा-VIII	293	124
19.	नगर पालिका सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, नेताजी नगर	कक्षा-VIII	186	148
20.	नगर पालिका बालिका मिडिल स्कूल, नेताजी नगर	कक्षा-VIII	0	193
21.	नगर पालिका सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, किचनेर रोड	कक्षा-VIII	245	180
22.	नगर पालिका बालिका मिडिल स्कूल, गोल मार्किट	कक्षा-VIII	0	446
23.	नगर पालिका सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, बाल्मिकी बस्ती	कक्षा-VIII	40	183
24.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, तिलक मार्ग	कक्षा-V	152	159
25.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, पडांरा रोड़	कक्षा-V	150	126
26.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, काका नगर	कक्षा-V	198	135
27.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, माडल नं. 1, किदवई नगर	कक्षा-V	257	231
28.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, माडल नं. 2, किदवई नगर	कक्षा-V	249	184
29.	नगर पालिका प्राइमरी बाल विद्यालय, लोधी रोड	कक्षा-V	342	0
30.	नगर पालिका प्राइमरी बालिका स्कूल, लोधी रोड़	कक्षा-V	0	326

1	2	3	4	5
31.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, नं. 3 किदवई नगर	कक्षा-V	201	170
32.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, तुगलक क्रिसेंट	कक्षा-V	58	44
33.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, नं.1, अलीगंज	कक्षा-V	160	139
34.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, नं.1, ''बी'' एवेन्यू, सरोजनी नगर	कक्षा-V	248	241
35.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, नं.2, ''बी'' एवेन्यू, सरोजनी नगर	कक्षा-V	135	86
36.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, नं.3, बाबर रोड	कक्षा-V	174	175
37.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, नं.4, बाबू मार्किट, सरोजनी नगर	कक्षा-V	170	125
38.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, डी जी ब्लाक, सरोजनी नगर	कक्षा-V	73	82
39.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, नं.3, बाबू मार्किट, सरोजनी नगर	कक्षा-V	153	139
40.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, नं.2, नारौजी नगर	कक्षा-V	141	115
41.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, नेताजी नगर	कक्षा-V	194	152
42.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, नं.4, मोती बाग	कक्षा-V	169	117
43.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, मोती बाग	कक्षा-V	174	201
44.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, संजय गांधी कैम्प	कक्षा-V	83	86

1	2	3	4	5
45.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, अशोका होटल	कक्षा-V	57	59
46.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, डुपलेक्स लेन	कक्षा-V	102	89
47.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, नं.1, आर.के. आश्रम मार्ग	कक्षा-V	266	158
48.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, नं.1, हनुमान लेन	कक्षा-V	134	55
49.	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, पटौदी हाउस	कक्षा-V	120	100
50.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, बाबर रोड	नर्सरी	58	57
51.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, पंडरा रोड	नर्सरी	49	54
52.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, किदवई नगर	नर्सरी	61	59
53.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, लोधी रोड	नर्सरी	106	89
54.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, माडल नं. 1, किदवई नगर	नर्सरी	90	69
55.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, माडल नं. 2, किदवई नगर	नर्सरी	90	60
56.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, लोधी स्टेट	नर्सरी	68	53
57.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल "बी" एवेन्यू, सरोजनी नगर	नर्सरी	105	90
58.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, बाबू मार्किट, सरोजनी नगर	नर्सरी	54	43

1	2	3	4	5
59.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, नौरोजी नगर	नर्सरी	67	48
60.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, अंसारी नगर	नर्सरी	36	25
61.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, नेताजी नगर	नर्सरी	66	57
62.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, बापू धाम	नर्सरी	57	61
63.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, डुपलेक्स लेन	नर्सरी	60	46
64.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, अलीगंज	नर्सरी	50	35
65.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, पंचकुईयां रोड	नर्सरी	63	51
66.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, हैवलाक स्वॉयर	नर्सरी	57	51
67.	नगर पालिका नर्सरी स्कूल, आर.के. आश्रम मार्ग	नर्सरी	72	43
68.	निर्मल प्राइमरी	कक्षा-V	196	146
69.	आर.एम. आर्य गर्ल्स (एम) स्कूल	कक्षा-V	0	253
70.	आर.एम. आर्य गर्ल्स (ई) स्कूल	कक्षा-V	0	152

विवरण-II

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में विभिन्न श्रेणी के अनुमोदित पदों की संख्या और इन पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा

वर्ग	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
प्रधानाचार्य	5	5
उप-प्रधानाचार्य	12	12
हैड मास्टर मीडिल	11	11
लैक्चरार	79	66
टीजीटी जन. (हिन्दी)	84	71
टीजीटी जन. (उर्दू)	3	3

1	2	3
टीजीटी साईंस-ए (हिन्दी)	49	55
टीजीटी साईंस-ए (उर्दू)	1	1
टीजीटी साईंस-बी (हिन्दी)	35	35
टीजीटी साईंस (उर्दू)	2	2
टीजीटी हिन्दी	40	32
टीजीटी संस्कृत	33	29
टीजीटी उर्दू	4	4
टीजीटी पंजाबी	2	1
टीजीटी बंगाली	1	1
ड्राइंग टीचर	20	10
म्यूजिक टीचर	34	34
डोमस्टिक साईंस टीचर	20	16
पीईटी टीचर	44	39
योगा टीचर	40	45
वर्क्स इक्सपीरियंस टीचर	23	18
डांस टीचर	1	1
सीनियर लाइब्रेरियन	12	12
जूनियर लाइब्रेरियन	11	7
लैब अस्टिेंट	27	26
हैड अस्टिेंट	12	6
सीनियर अस्टिेंट	12	8
जूनियर अस्टिेंट	11	7
हैड मास्टर प्राइमरी	26	23
अस्टिेंट टीचर	530	473
हैड मास्टर नर्सरी	12	18
नर्सरी टीचर	107	117
सहायक टीचर (उर्दू)	46	40
चपरासी	64	64
सफाई कर्मचारी	50	50
चौकीदार	74	74
बालसाहयिका	80	64
सफाई कर्मचारी (पार्ट-टाइम)	18	18

[हिन्दी]

राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण

4072. **श्री हेमलाल मुर्मू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संबंधित राज्यों को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा आबंटित/उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने अपने पुलिस कर्मियों को सेना तथा अर्ध सैनिक बलों (पीएमएफ) की तर्ज पर प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय स्तर के आसूचना नेटवर्क से जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार पुलिस के कर्मियों को जंगल युद्ध तथा राज्य में आतंकवाद विरोधी आपरेशन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पुलिस बलों के प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा आतंकवादी निरोधी तथा नक्सल निरोधी आपरेशनों में सभी राज्यों द्वारा कौन सी आसूचना मशीनरी का उपयोग किया जाता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एमपीएफ स्कीम) की योजनेतर स्कीम के तहत 2005-06 से 2007-08 की विगत तीन वर्ष की अवधि के दौरान राज्यों को आवंटित/जारी की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस प्रशिक्षण के लिए आधारभूत सुविधा का सृजन करने, प्रशिक्षण से संबंधित उपकरणों और पुलिस स्टेशनों, पुलिस आवास, संचार उपकरणों, आधा-जाही आदि जैसी मदों के लिए निधियां प्रदान की जा रही हैं। पुलिस, राज्य का विषय होने के नाते, राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। बिहार सहित विभिन्न राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण सुविधायें, केन्द्रीय पुलिस बलों के प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, नक्सलियों का मुकाबला करने के अभियानों सहित विभिन्न अभियानों के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से बिहार के ऐसे कार्मिकों सहित राज्य पुलिस के कार्मिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

राज्य का नाम	2005-06				2006-07				2007-08	
	आवंटित निधि	जारी की गई निधि	व्यय की गई राशि	अव्ययित निधि	आवंटित निधि	जारी की गई निधि	व्यय की गई राशि	अव्ययित निधि	आवंटित निधि	जारी की गई निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	101.41	101.41	101.41	0.00	88.12	88.12	68.22	19.90	87.34	87.34
अरुणाचल प्रदेश	7.00	7.00	0.62	6.38	11.53	11.53	11.53	0.00	10.70	10.70
असम	56.68	56.68	48.86	7.82	52.18	52.18	एनए	एनए	87.82	87.82
बिहार	39.87	39.87	35.63	4.24	51.62	51.62	एनए	एनए	16.24	16.24
छत्तीसगढ़	40.74	40.74	35.45	5.29	57.06	57.06	8.51	48.55	41.72	41.72
गोवा	1.06	1.06	0.00	1.06	1.00	1.00	0.86	0.14	2	2
गुजरात	39.85	39.85	39.85	0.00	45.52	45.52	एनए	एनए	51.9	51.9
हरियाणा	14.95	14.95	14.95	0.00	19.69	19.69	17.12	2.57	35.75	35.75
हिमाचल प्रदेश	6.78	6.78	6.78	0.00	3.92	3.92	3.51	0.41	10.27	10.27
जम्मू और कश्मीर	109.22	109.22	104.38	4.84	88.13	88.13	84.27	3.86	115.34	115.34
झारखंड	40.74	40.74	40.73	0.01	47.00	47.00	31.18	15.82	50.95	50.95
कर्नाटक	65.85	65.85	65.85	0.00	64.15	64.15	46.16	17.99	78.13	78.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
केरल	18.84	18.84	18.84	0.00	24.53	24.53	17.85	6.68	40.01	40.01
मध्य प्रदेश	31.65	31.65	31.65	0.00	43.24	43.24	35.31	7.93	57.68	57.68
महाराष्ट्र	88.78	88.78	85.15	3.63	105.10	105.10	एनए	एनए	78.87	78.87
मणिपुर	16.97	16.97	16.97	0.00	14.09	14.09	14.09	0.00	32.07	32.07
मेघालय	6.57	6.57	6.57	0.00	8.59	8.59	8.59	0.00	15.44	15.44
मिजोरम	6.00	6.00	6.00	0.00	10.48	10.48	10.48	0.00	11	11
नागालैंड	17.52	17.52	17.52	0.00	22.68	22.68	22.68	0.00	30.72	30.72
उड़ीसा	35.08	35.08	34.85	0.23	38.00	38.00	22.80	15.20	45.80	45.80
पंजाब	20.31	20.31	20.31	0.00	15.00	15.00	14.36	0.64	34.94	34.94
राजस्थान	34.81	34.81	34.80	0.01	40.47	40.47	38.95	1.52	49.60	49.60
सिक्किम	2.43	2.43	2.15	0.28	3.46	3.46	3.14	0.32	4.42	4.42
तमिलनाडु	65.51	65.51	65.51	0.00	61.65	61.65	56.90	4.75	75.74	75.74
त्रिपुरा	11.83	11.83	4.60	7.23	11.34	11.34	3.20	8.14	14.47	14.47
उत्तर प्रदेश	98.12	98.12	98.12	0.00	94.28	94.28	79.29	14.99	115.44	115.44
उत्तराखंड	16.76	16.76	16.76	0.00	5.28	5.28	5.00	0.28	9.89	9.89
पश्चिम बंगाल	29.67	29.67	29.67	0.00	37.11	37.11	एनए	एनए	44.45	44.45
कुल	1025.00	1025.00	983.98	41.02	1065.22	1065.22	604.00	461.22	1248.70	1248.70

वर्ष 2007-08 के आंकड़ों की लेखा परीक्षा नहीं हुई है।

टिप्पणी: चूंकि वित्तीय वर्ष हाल में समाप्त हुआ है इसलिए राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि और उनके पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के आंकड़े, वर्ष 2007-08 के लिए उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

रोड रेज

4073. श्री रेवती रमन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मेट्रो शहरों में रोड रेज की घटनाओं में काफी अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली, मुंबई चैन्नई तथा कोलकाता में शहर-वार अलग-अलग रोड रेज के कारण कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए; और

(ग) मेट्रो शहरों में रोड रेज को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) सड़क पर उन्मादजन्य दुर्घटनाओं (रोड रेज) के आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में रोड रेज की दुर्घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्रदान किए हैं:-

वर्ष	दर्ज मामले
2005	18
2006	27
2007	27
2008 (31.3.2008 तक)	12

(ख) दिल्ली पुलिस के अनुसार, वर्ष 2007 के दौरान दिल्ली में रोड रेज की दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मुम्बई, चैन्नई और कोलकाता के संबंध में ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) रोड रेज मूलत: एक मनोवृत्तिक समस्या है। दिल्ली पुलिस ने रोड रेज के नियंत्रण हेतु निम्न उपाय किए हैं:-

(i) उचित व्यवस्था और यातायात नियंत्रण, मुख्यतया व्यस्तम समय के दौरान, ताकि बिना गतिरोध के आवागमन और यात्रा समय में कमी को सुनिश्चित किया जा सके;

(ii) यातायात उल्लंघनों को रोकने के लिए और चालकों के बीच सड़क अनुशासन बढ़ाने हेतु यातायात कानूनों तथा नियम और विनियमों को लागू करना;

(iii) सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन हेतु और अन्य सड़क प्रयोक्ताओं के उचित सम्मान तथा इज्जत देने हेतु मोटर चालकों और अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षित करना;

(iv) यातायात पुलिस, पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) और मोबाइल टीमों द्वारा सड़कों की सतर्कता; और

(v) रोड रेज में संलिप्त उल्लंघित लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करना।

अफ्रीकी देशों से शुल्क मुक्त आयात

4074. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अफ्रीकी देशों के बीच शुल्क मुक्त आयातों के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार और मदवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोकोआ, कपास इत्यादि सहित घरेलू उत्पादों की कीमतों तथा प्रमुख वस्तुओं के आयात पर इसके प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चवराम रमेश) : (क) से (घ) जी, नहीं। शुल्क मुक्त आयातों के संबंध में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में भारत-अफ्रीकी मंच शिखर सम्मेलन के अवसर पर 8 अप्रैल, 2008 को अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमान (डीएफटीपी) स्कीम की घोषणा की है। उक्त स्कीम के अंतर्गत भारत 34 अफ्रीकी अल्प विकसित देशों सहित सभी 50 अल्प विकसित देशों से निर्यातों के लिए अपनी 94 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर अधिमानी बाजार पहुंच प्रदान करेगा। यह स्कीम अफ्रीकी देशों के लिए समेकित विकास सहायता का भाग होगी।

[हिन्दी]

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा

4075. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक प्रतिवर्ष उनकी शिक्षा

तथा विशेषज्ञता का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) सरकार ने वर्ष 2004-05 से उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में अनेक पहल की हैं जो व्यापक रूप से और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं।

(1) जहां तक शिक्षा संस्थाओं में दाखिले का संबंध है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों की उन्नति के लिए अनुच्छेद 15(5) शामिल करने के लिए संविधान को संशोधित किया गया है।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, संचालित अथवा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए दाखिले में सीटें आरक्षित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून लागू किया गया है।

(3) वर्ष 2004-05 से बाद के वर्षों के दौरान उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के बजटीय आबंटनों में पर्याप्त वृद्धि की गई है ताकि मौजूदा क्षमता के विस्तार के साथ-साथ नई संस्थाओं की स्थापना भी की जा सके।

(4) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित 11वीं योजना के प्रस्ताव में नये भारतीय प्रबंधन संस्थान, नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नये पालीटेक्निकों, नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्व स्तर के मानकों वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना को शामिल किया गया है। इस अवधि के दौरान शिलांग में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान और कोलकता तथा पुणे में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है।

(5) पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में अब एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है– इस अवधि के दौरान मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है और इस अवधि में सिक्किम में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

(6) इस अवधि में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय अमरकंटक में होगा पर विचार किया गया है और इस संबंध में विधायी प्रस्ताव तैयार किया गया है।

(7) अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमजोर वर्गों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिये ऐसे 370 जिलों को अभिनिर्धारित किया गया है जिनमें से प्रत्येक जिले में उत्कृष्ट कालेज की स्थापना करने के लिये राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाना है।

(8) इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपचारी कोचिंग स्कीम को जारी रखा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम भी संचालित की है।

(9) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित 11वीं योजना में कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा लिये गये शिक्षा ऋण पर ब्याज के लिये सब्सिडी सहायता स्कीम को शामिल किया गया है।

(10) इसके अतिरिक्त समाज के कमजोर वर्गों की पात्र छात्राएं अपने माता-पिता की इकलौती बालिका संतान के लिये संचालित इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम का भी लाभ उठा सकती हैं।

[अनुवाद]

सिंगापुर से सस्ते आयात

4076. श्री एस. अजय कुमार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में सिंगापुर से कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का आयात किया गया;

(ख) क्या सिंगापुर से सस्ते आयात के कारण घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सिंगापुर से हुए आयातों की कुल मात्रा और उसका मूल्य निम्नानुसार है:-

(मिलियन अम.डा. में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल	व्यापार संतुलन
2004-05	3795.51	2582.16	6377.67	1213.35
2005-06	3366.19	1789.76	5155.95	1576.43
2006-07	6,021.06	5,470.16	11491.22	550.90
2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर)	4,780.40	4,187.06	8967.46	593.34
2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर)	5,133.64	5,620.01	10753.65	-486.37

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) 539 टैरिफ लाइनों पर सिंगापुर को अतिरिक्त टैरिफ रियायतों के लिए भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) के संशोधन हेतु एक प्रोटोकाल पर दिनांक 20.12.2007 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने 539 मदों पर अतिरिक्त टैरिफ रियायतों को लागू करने के लिए दिनांक 15.01.2008 को उक्त संशोधन अधिसूचित कर दिया है।

अध्यापकों के लिए बी.एड. की डिग्री अनिवार्य किया जाना

4077. **श्रीमती मनोरमा माधवराज** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनिष्ठ महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए शिक्षा स्नातक (बी.एड.) होना अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों के कनिष्ठ महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापक इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने जूनियर कालेजों में शिक्षकों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की है। तथापि यह माना जाता है कि बहुत से राज्य +2/वरिष्ठ माध्यमिक को जूनियर कालेज/इंटरमीडिएट स्तर का मानते हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण हेतु) विनियम 2001 के अनुसार वरिष्ठ माध्यमिक/पीयूसी/इंटरमीडिएट स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए बी.एड. को न्यूनतम योग्यता के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। विनिर्दिष्ट योग्यता निम्नवत है:-

वरिष्ठ माध्यमिक/पीयूसी/इंटरमीडिएट

संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बी.एड. अथवा इसके समकक्ष।

अथवा

दो वर्षीय समेकित एम.एससी.एड. पाठ्यक्रम अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम।

वर्ष 2001 का उपर्युक्त विनियम लगभग सात वर्ष पूर्व अधिसूचित किया गया और विनियमों की धारा 4 सभी राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अपने भर्ती नियमों को तीन वर्षों की अवधि में संशोधित करने का आदेश देती है ताकि वे विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट योग्यता के अनुरूप हों। तथापि कई राज्यों ने विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने भर्ती नियमों को अभी तक संशोधित नहीं किया है।

(ग) और (घ) हाल के वर्षों में उक्त विनियमों के विरूद्ध शिक्षकों के विरोध की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

एसएसबी की बाहरी चौकियों (आउट पोस्टों) में विद्युत की आपूर्ति

4078. योगी आदित्यनाथ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश विद्युत निगम ने उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल द्वारा बकाया विद्युत बिल का भुगतान नहीं किए जाने के कारण सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की आउट पोस्टों के लिए विद्युत आपूर्ति में बार-बार कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एसएसबी द्वारा बकाया विद्युत बिल का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) एसएसबी की किसी भी सीमा आउट पोस्ट को विद्युत आपूर्ति विच्छेदित नहीं की गई है।

एसएसबी, भारतीय उर्वरक निगम, गोरखपुर के परिसर एक भाग में अस्थाई रूप से अवस्थित यूनिट के लिए विद्युत खपत के लिए नियमित भुगतान कर रही है जो आज की तारीख तक कुल 6.70 करोड़ रुपये है। तथापि, उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड ने एफसीआई पर 3.31 करोड़ रुपये (सरचार्ज और ब्याज सहित) के बकाया के कारण कैम्पस को कुछ एक बार विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की है। उनके देयों का भुगतान करने के लिए इस मामले को कई बार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा एफसीआई के साथ उठाया गया है।

[अनुवाद]

प्रवक्ताओं की नियुक्तियों के लिए आरक्षण

4079. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति में आरक्षण नीति का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आरक्षण नीति का अक्षरशः पालन नहीं करने वाले ऐसे विश्वविद्यालयों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं। लैक्चरर के पदों की नियुक्ति के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया है, के अलावा अन्य सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय आरक्षण नीति का पालन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक सीरा विनियमन विधेयक, 2004

4080. श्री एम. शिवन्ना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कर्नाटक सीरा" विनियमन विधेयक, 2004" अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस विधेयक के कब तक अनुमोदित हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य विधानों की तीन दृष्टिकोणों से जांच की जाती है अर्थात (i) केन्द्रीय कानूनों के साथ प्रतिकूलता (ii) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से विचलन तथा (iii) कानूनी और

संविधानिक मान्यता। कर्नाटक सीरा विनियमन विधेयक, 2004 में नीतिगत विषय हैं, जिनको हल किए जाने की आवश्यकता है अत: ऐसा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र

4081. **श्री शिशुपाल एन. पटले :**
श्री मधु गौड़ यास्की :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री देविदास पिंगले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की प्रायोगिक परियोजना पूरी कर ली गई है जैसाकि दिनांक 4 अप्रैल, 2008 के ''दैनिक जागरण'' तथा दिनांक 5 अप्रैल, 2008 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूरे देश में पहचान पत्र जारी करने के लिए तथा वर्ष 2011 में जनगणना करवाने की कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों में पहचान पत्र जारी करने संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) जी हां। बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पंत्र (एम एन आई सी) संबंधी पायलट परियोजना के कार्यान्वयन का प्रथम चरण 31.3.2008 को पूरा किया जा चुका है। देश में 12 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में पायलट क्षेत्रों में 18 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों को 12 लाख से अधिक पहचान (स्मार्ट) पत्र जारी किए जा चुके हैं। पायलट क्षेत्रों के प्रत्येक तहसील/ब्लाक में स्थापित 20 एम एन आई सी केन्द्र आंकड़ा आधार (डाटाबेस) के अनुरक्षण और उसके अद्यतन बनाने के लिए 31.3.2009 तक कार्य करेंगे। इसके अलावा, वे पहचान पत्र धारकों सहित ऐसे व्यक्तियों जिनको प्रथम चरण में सत्यापित नहीं किया जा सका, को भी सेवाएं उपलब्ध करवायेंगे। पायलट परियोजना में महाराष्ट्र राज्य के किसी क्षेत्र को कवर नहीं किया गया था।

2. योजना आयोग ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन पी आर) को तैयार किए जाने की स्कीम को 'सैद्धान्तिक अनुमोदन' प्रदान किया है। स्कीम में जनगणना वर्ष 2011 के दौरान जनसंख्या गणना के समय प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट मदों पर सूचना के एकत्रीकरण की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

महिला अध्ययन केन्द्र

4082. **श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर :**
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की विश्वविद्यालय-वार स्थिति क्या है;

(ख) आज की तिथि तक यूजीसी द्वारा कितने महिला अध्ययन केन्द्र चलाए जा रहे हैं तथा ऐसे केन्द्र खोले जाने हेतु विश्वविद्यालय-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा विश्वविद्यालय-वार ऐसे केन्द्रों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या राज्य विश्वविद्यालयों तथा मानित विश्वविद्यालयों में भी महिला अध्ययन केन्द्रों का प्रावधान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गत एक वर्ष से कतिपय विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों ने कार्य करना बंद कर दिया है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना की समीक्षा की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी

गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समय 67 महिला अध्ययन केन्द्र चला रहा है। ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास 123 प्रस्ताव लंबित हैं जिनमें से 32 विश्वविद्यालयों से तथा 91 कालेजों से हैं। केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों का प्रावधान मौजूद है। तथापि, इलाहाबाद कृषि संस्थान, एक समविश्वविद्यालय को एक विशेष मामले के रूप में दसवीं योजना में वित्तीय सहायता हेतु अनुमोदित किया गया था। 11वीं योजना के अंत तक 150 नए महिला अध्ययन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के तहत आवंटित निधियां इस प्रकार हैं:

वर्ष	आवंटित राशि
2005-2006	5,56,54,409/- रुपये
2006-2007	2,95,57,500/- रुपये
2007-2008	5,40,66,125/- रुपये

केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

4083. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा तीन से आगे की बजाय पहली कक्षा से ही कम्प्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बच्चों को कम्प्यूटर का प्रयोग करने देने से पहले यह आवश्यक है कि उनके स्वाभाविक गुणों को विकसित होने दिया जाना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा में एनजीओ को शामिल करना

4084. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के विस्तार हेतु गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पंजीकृत सोसाइटियों को शामिल करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किन प्रोत्साहनों की पेशकश की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ख) ब्लाक स्तर पर 6000 उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल स्कूल स्थापित करने संबंधी स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से कुछ स्कूल अन्य के साथ-साथ गैर सरकारी संगठन, न्यासों तथा सोसाइटियों को शामिल करके सरकारी-प्राइवेट भागीदारी प्रणाली के तहत स्थापित करने की अभिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा स्कीम जैसी कुछ वर्तमान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, में भी उनके कार्यान्वयन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का प्रावधान है। विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा स्कीम का उद्देश्य विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना है। स्कीम के अंतर्गत विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, वास्तु संबंधी अवरोधों को दूर करने, संसाधन कक्ष स्थापित करने, सहायक उपस्कारों की व्यवस्था करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा प्रधानाचार्यों और शैक्षिक प्रशासकों के प्रबोधन आदि के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

टीवी कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं की समीक्षा

4085. श्री इंसराज गं. अहीर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 के अंतर्गत निर्धारित टीवी कार्यक्रमों और विज्ञापन संहिताओं की समीक्षा हेतु गठित समिति की सिफारिशों के संबंध में कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) विषय-वस्तु समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए स्व-विनियमन तंत्र के मुद्दे पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों अर्थात भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आई बी एफ), समाचार प्रसारक संघ (एन बी ए) आदि के साथ आगे परामर्श किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पाठ्यक्रम में यातायात नियमों और पर्यावरणीय अध्ययन को शामिल करना

4086. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में यातायात नियमों और पर्यावरण अध्ययन के संबंध में आधारभूत जानकारी को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ख) पर्यावरणीय अध्ययन को कक्षा III से V में प्राथमिक स्तर पर एक अध्ययन विषय के रूप में शामिल किया गया है। कक्षा I और II में पर्यावरणीय सरोकारों को गणित और भाषा अध्ययन के साथ समेकित किया गया है। यातायात नियमों के बारे में मूल जानकारी स्कूलों में आयोजित किए जाने वाले सुझाए गए कार्यकलापों के माध्यम से भी प्रदान की जाती है।

आई.आई.टी. आई.आई.एम. और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु धनराशि का आवंटन

4087. श्री विजय कृष्ण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान सरकार द्वारा देश में नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए पृथक-पृथक कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) सरकार द्वारा देश में 2008-09 के दौरान नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबन्धन संस्थानों तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थापित करने हेतु किया गया वित्तीय आवंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

संस्थान	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	टिप्पणी
1	2	3	4	5
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1632.00	1326.81	2958.81	प्रावधान वर्तमान तथा नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में है।
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	150.00	—	150.00	प्रावधान वर्तमान तथा नए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के संबंध में है
आई.आई.टी.	50.00	—	50.00	—

1	2	3	4	5
आई.आई.एम.	10.00	-	10.00	-
आई.आई.आई.टी.	30.00	-	30.00	-

(ख) और (ग) जबकि कोलकाता, पुणे तथा मोहाली स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पहले से ही कार्य कर रहे हैं, भोपाल तथा तिरूवनंतपुरम स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, प्रत्येक 75 छात्रों के साथ शैक्षिक सत्र 2008-09 से कार्य करना आरम्भ करेंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2008 के आधार पर प्रत्येक में 120 छात्रों की प्रारंभिक दाखिला क्षमता के साथ शैक्षिक सत्र 2008-09 से आई.आई.टी. कक्षाएं शुरू करने हेतु उपयुक्त भवन/स्थान उपलब्ध कराएं। शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान पहले ही स्थापित कर दिया गया है तथा उनका शैक्षिक सत्र 2008-09 से संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2007 के आधार पर 60 छात्रों की प्रारंभिक दाखिला क्षमता के साथ शुरू होगा।

कृषि पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

4088. डा. के.एस. मनोज : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि उत्पादन पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने देश में वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में अध्ययन किया है। देश के कुछ क्षेत्रों में फसलों की वृद्धि, विकास और उपज पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुमानित परिदृश्यों का उपयोग फसल अनुकरण मॉडल के लिए इनपुट के रूप में किया गया है। इन प्रारंभिक अध्ययनों के परिणामों से पता चलता है कि कृषि पर जलवायु परिवर्तन के भावी प्रभावों के परिणामस्वरूप सांद्रता में वृद्धि होगी, जो संभवत: कई फसलों के लिए लाभकारी है। लेकिन अनुमानत: ताप में वृद्धि और वर्षा में बढ़ती परिवर्तनशीलता के कारण फसल उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

चावल की फसल पर किए गए अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि वायुमंडल में कार्बन-डाइआक्साइड सांद्रता बढ़ने के कारण भारत में चावल की फसल पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। फसल में लगने वाले समय में कमी के कारण तापमान वृद्धि का फसल उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तापमान में 2° से. बढ़ोतरी के कारण कार्बन-डाइआक्साइड का अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तापमान में 2° से. से ज्यादा वृद्धि होने पर फसल उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

गेहूं की उपज के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुमानित परिदृश्यों के तहत किए गए अनुरूपण प्रयोगों से पता चलता है कि तापमान में 3° से. से अधिक की वृद्धि के कारण उन्नत कार्बन-डाइआक्साइड का सकारात्मक प्रभाव खत्म हो गया। गेहूं की फसलों पर जल की कमी की संभावना के कारण पड़ने वाले प्रभाव उन्नत कार्बन-डाइऑक्साइड स्तरों के तहत एक निश्चित सीमा तक कम हो जाएंगे।

मध्य भारत में सोयाबीन फसल के लिए किए गए अनुरूपण प्रयोगों से यह पता चला है कि सतही वायु के तापमान में 3° से. की वृद्धि से कार्बन-डाइआक्साइड सांद्रता के द्विगुणीकरण के सकारात्मक प्रभाव लगभग समाप्त हो जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप फूल पहले आ जाते है और दाना भरने में कम समय लगता है और इस प्रकार फसल (और इसके कारण उत्पादकता) की कुल अवधि कम हो जाती है। मध्य भारत में सोयाबीन की फसल में यह देखा गया है कि

यह न्यूनतम तापमान की अपेक्षा अधिकतम तापमान में वृद्धि के प्रति अधिक संवेदनशील होती है।

(ङ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पुणे में जलवायु परिवर्तन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जो बदलते जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले प्रभाव संबंधी अध्ययनों का गहन विश्लेषण करेगा।

ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पेटेंट

4089. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में प्रदान किए गए पेटेंटों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश के ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों के बहुमुखी विकास के लिए उक्त आविष्कारों का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) भारत में ऊर्जा एवं ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में पिछले दो वर्षों के दौरान प्रदान किए गए पेटेंटों का ब्यौरा निम्नवत हैं:-

आविष्कार के क्षेत्र	2006-07	2007-08
ऊर्जा	438	1457
(सौर, पवन, औद्योगिक अपशिष्ट, न्यूक्लियर, हाइड्रोलिक इंजन, तापीय विद्युत, गैर-परंपरागत स्रोत गैस टर्बाइन)		
ऑटोमोबाइल	235	551
(ऑटोमोबाइल, वाहन, इंजन)		

(ख) प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में आविष्कारों के लिए पेटेंट प्रदान किये जाते हैं। पेटेंट अधिकार, निजी अधिकार है एवं सामान्यत: प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए कदम उठाने का कार्य पेटेंटधारक का है। दायर आवेदनों एवं प्रदान किये गये पेटेंटों के बारे में सूचना पेटेंट कार्यालय पत्रिका में प्रकाशित होती है जो महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेड मार्क्स की वेबसाइट नामत: http://www.ipindia.nic.in पर उपलब्ध है। संबंधित पक्ष पेटेंट नियम, 2003 में उल्लिखित राशि का भुगतान करके विभिन्न पेटेंट संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही के वर्षों में ऊर्जा एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्वीकृत पेटेंटों की संख्या एक बढ़ी हुई प्रवृत्ति दर्शाती है एवं संबंधित पक्ष इस ज्ञान का उपयोग इन क्षेत्रों में वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करने एवं लाइसेंस आदि प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना

4090. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री श्रीपाद येसो नाईक :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अपने राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के संबंध में पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना तैयार कर रही है जिससे इन क्षेत्रों की स्थापना का राज्य पर कोई दबाव न पड़े; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ख) गोवा सरकार से तीनों अधिसूचित जोनों सहित गोवा में विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड्स) की स्थापना हेतु उनके द्वारा दी गई सिफारिशों को वापस लेने के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड्स) की स्थापना हेतु राज्य सरकारों, राज्य सरकार के उद्यमों, निजी उद्यमों और संयुक्त उद्यमों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और केवल उन्हीं प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड (बी ओ ए) द्वारा विचार किया जाता है जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत होते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के नामितियों का

एस ई जेडों हेतु अनुमोदन बोर्ड में यथोचित प्रतिनिधित्व होता है जहां एस ई जेडों की स्थापना हेतु सभी निर्णयों पर विचार-विमर्श तथा अनुमोदन विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार होता है।

[अनुवाद]

निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मानदंड

4091. श्री के.एस. राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितने सरकारी और निजी विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) निजी क्षेत्र द्वारा उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मानदंड और प्रक्रिया के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र को विशेष निजी विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों को स्थापना हेतु प्रोत्साहन देने के लिए कोई नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में इस समय कार्य कर रहे सरकारी तथा प्राइवेट विश्वविद्यालयों ('सम विश्वविद्यालय' संस्थाओं सहित) की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) उच्चतर शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी राज्य विधान मण्डलों द्वारा स्थापित प्राइवेट विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा यथा घोषित 'सम विश्वविद्यालय' संस्थाओं के माध्यम से की जाती है। प्राइवेट विश्वविद्यालयों तथा 'सम विश्वविद्यालय' संस्थाओं का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है।

विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या	सम विश्वविद्यालयों की संख्या		प्राइवेट विश्वविद्यालयों की संख्या
				सरकारी	प्राइवेट	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	20	3	1	3	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	1	1	–	–
3.	असम	4	2	–	–	–
4.	बिहार	13	–	1	1	–
5.	छत्तीसगढ़	8	–	–	–	2
6.	गोवा	1	–	–	–	–
7.	गुजरात	17	–	–	2	3

1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	7	—	2	1	—
9.	हिमाचल प्रदेश	3	—	—	;	1
10.	जम्मू और कश्मीर	6	—	—	—	—
11.	झारखंड	4	—	1	1	—
12.	कर्नाटक	16	—	3	7	—
13.	केरल	7	—	1	—	—
14.	मध्य प्रदेश	14	1	2	—	—
15.	महाराष्ट्र	19	1	5	15	—
16.	मणिपुर	—	2	—	—	—
17.	मेघालय	—	1	—	—	1
18.	मिजोरम	—	1	—	—	1
19.	नागालैंड	—	1	—	—	1
20.	उड़ीसा	10	—	—	2	—
21.	पंजाब	7	—	1	1	1
22.	राजस्थान	14	—	—	7	1
23.	सिक्किम	1	1	—	—	1
24.	तमिलनाडु	19	—	1	19	—
25.	त्रिपुरा	—	1	—	—	1
26.	उत्तर प्रदेश	19	4	3	6	5
27.	उत्तराखंड	5	—	1	2	5
28.	पश्चिम बंगाल	15	1	—	1	—
29.	रा.रा.क्षे. दिल्ली	1	4	9	2	—

1	2	3	4	5	6	7
30.	चंडीगढ़	1	—	1	—	—
31.	पुडुचेरी	—	1	—	—	—
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—
33.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
34.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—
35.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	—
	कुल	231	25	33+70=103		23

शहरों के नामों में परिवर्तन

4092. **श्री एस.के. सारवेलवन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरों और शहरों के नामों में परिवर्तन करने संबंधी विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदन मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) एक विवरण संलग्न है। ऐसे प्रस्तावों की जांच मौजूदा नीतिगत दिशा निर्देशों के संदर्भ में और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके की जाती है। इन प्रस्तावों का अन्तिम निर्णय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों पर निर्भर करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस उद्देश्यार्थ कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण

क्रम सं.	प्रस्ताव के ब्यौरे
	कर्नाटक
1.	निम्नलिखित शहरों के नामों का परिवर्तन
	"बैंगलौर" के स्थान पर "बैंगलुरू"
	"मैंगलौर" के स्थान पर "मैंगलुरू"
	"बैलारी" के स्थान पर "बलारी"
	"बीजापुर" के स्थार पर "विजयपुरा" अथवा "विजापुरा"
	"बेलगाम" के स्थान पर "बोलाजावी"
	"चिकमगलुर" के स्थान पर "चिक्कमगलुरू"
	"गुलबर्ग" के स्थान पर "कालाबुरगी"
	"मैसूर" के स्थान पर "मैसूरू"
	"होसपेट" के स्थान पर "होसापेटे"
	"शिमोगा" के स्थान पर "शिवामैगा"
	"हुबली" के स्थान पर "हुब्बल्ली"
	"तुमकुर" के स्थान पर "तुमाकुरू"

खनन क्षेत्र में रोजगार

4093. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनन क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) नए रोजगारों का सृजन कब तक होने की संभावना है;

(घ) क्या इस्पात और खनन क्षेत्रों के बीच लौह अयस्क के उपयोग को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इनके बीच के मतभेदों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) से (ग) सरकार ने नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित कर दी है। नई नीति में खनन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा इस क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खनिज रियायतें प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा सरल बनाना परिकल्पित है। इससे खनन क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इस समय कोई समय-सीमा आंकलित नहीं की जा सकती है।

(घ) से (च) लौह अयस्क के निर्यात तथा इस्पात बनाने वालों को कैप्टिव खानों के आवंटन के मुद्दे पर कुछ मतभेद थे जिन पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की घोषणा करने से पहले विचार किया गया और उनका उपयुक्तः समावेदन किया गया है।

नक्सल प्रभावित जिले

4094. श्री एल. राजगोपाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नक्सल प्रभावित जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराकर उक्त जिलों के विकास पर विशेष जोर देने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों को नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए विशिष्ट मदों के बारे में सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। इस योजना के अंतर्गत 9 राज्यों के 76 जिलों को शामिल किया गया है।

आंध्र प्रदेश: 16; बिहार:14; छत्तीसगढ़:8; झारखंड: 16; मध्य प्रदेश: 3; महाराष्ट्र: 4; उड़ीसा: 9; उत्तर प्रदेश: 3; और पश्चिम बंगाल: 3

(ग) और (घ) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने और उनकी मानीटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछड़ा जिला पहल, जो 147 जिलों को कवर करती है, के अंतर्गत गैर-व्यपगत योग्य आधार पर प्रति जिला 45 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। इसे अब 250 जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे मूलतः 200 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा था और जिसे अप्रैल, 2007 में 330 जिलों तक बढ़ा दिया गया था, अब मजदूरी रोजगार के लिए मांग आधारित इस कार्यक्रम को सार्वभौमिक बनाने की जरूरत को देखते हुए देश के सभी जिलों में विस्तारित किया जा रहा है। यह योजनाएं ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, युवा मामले एवं खेलकूद, पंचायती राज और जनजातीय कार्य मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों की आय सृजित करने वाली सार्वजनिक उपयोग एवं सामाजिक सुरक्षा विकास की विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त है।

गृह मंत्रालय में अपर सचिव (नक्सल प्रबंधन) के अधीन एक अंतर-मंत्रालय समूह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संवर्धित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

निर्माताओं को पैनलबद्ध करना

4095. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन में निर्माताओं को पैनलबद्ध करने हेतु कोई नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोटिया, तुरा और इटानगर जैसे स्थानों के स्थानीय लोग अनुभव में कुछ छूट के साथ आवेदन कर सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुभव के क्षेत्र में छूट प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस प्रक्रिया में पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कितना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि नए दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं और ये दूरदर्शन की वेबसाइट http//www.ddindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि संबंधित क्षेत्रों में स्थानीय निजी निर्माताओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर और कश्मीर के लिए विशेष रूप से दिशा-निर्देश तैयार किए गए थे। इसलिए, पूर्वोत्तर स्टेशनों/चैनल हेतु पैनल में शामिल करने के लिए पांच वर्ष का अनुभव मांगा गया था। प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया है कि किसी पिछले अनुभव के संबंध में छूट उन अभ्यार्थियों को प्रदान की गई है जिनके पास भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्रदत्त किसी अन्य संस्थान द्वारा मान्यता प्रदत्त पाठ्यक्रम पूरा किया हो। इन दिशा-निर्देशों के परिणाम स्वरूप दूरदर्शन केन्द्र, ईटानगर और दूरदर्शन केन्द्र, कोहिमा प्रत्येक के लिए 18 स्थानीय निर्माताओं को तथा दूरदर्शन केन्द्र, तुरा के लिए 6 स्थानीय निर्माताओं को पैनल में शामिल किया गया है।

मध्याह्न भोजन योजना में माताओं की भागीदारी

4096. श्री जसुभाई धनाभाई बारड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने राज्य सरकारों से मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में माताओं को बड़े पैमाने पर शामिल करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक राज्य की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, हां। यद्यपि प्रत्येक पात्र स्कूल, शिक्षा गारंटी केंद्र/वैकल्पिक एवं नवाचारी केन्द्रों में पूर्ण, पके हुए मध्याह्न भोजन को नियमित रूप से परोसने के लिए सभी संभार-तंत्रीय और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पर है तथापि केन्द्र सरकार ने दिसम्बर, 2005 में राज्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि छात्रों को खाना परोसने की जांच व पर्यवेक्षण के लिए स्कूल के बच्चों की माताओं को शामिल किया जाए। वर्ष 2006 में जारी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में राज्यों को यह सलाह भी दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करने कि बच्चे खाना खाने से पहले अपने हाथ धोएं, साफ प्लेटों व गिलासों का उपयोग करें, खाने को फैलाने और उसे बरबाद करने से बचें, खाना खाने के बाद अपने हाथ-मुंह धोएं आदि, के लिए समुदाय के सदस्यों सहित माताओं के समूहों से भी सहायता प्राप्त करें। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपर्युक्त सलाह के कार्यान्वयन में मुश्किल आने से संबंधित रिपोर्ट नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान में पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

4097. श्री कैलाश मेघवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को पुलिस बल के पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण के लिए कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने उक्त योजना के दौरान धनराशि का पूरा इस्तेमाल कर लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) राज्यों को केन्द्रीय सहायता राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ योजना) की गैर-योजना स्कीम के अंतर्गत अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिए दी जाती है। एमपीएफ स्कीम के अंतर्गत राज्यों से प्राप्त एवं मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य को वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान (वर्ष 2005-06 से प्रभावी) रेगिस्तान पुलिस व्यवस्था सहित, व्यापक रूप से उपर्युक्त सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए निधियां प्रदान की गई हैं। उक्त अवधि के दौरान एमपीएफ योजना के अंतर्गत राजस्थान को जारी केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	जारी कुल केन्द्रीय निधियां	राज्य द्वारा रिपोर्ट किया गया उपयोग
2002-03	16.17	16.17
2003-04	43.10	43.08
2004-05	42.67	42.58
2005-06	34.81	34.80
2006-07	40.47	34.95

पिछले वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के अंतर्गत राज्य को पिछले वर्ष अर्थात 2005-06 से संबंधित अव्ययित राशि जो राज्य सरकार के पास अनप्रयुक्त पड़ी थी, को कम करके 39.57 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

राजस्थान को वर्ष 2007-08 के दौरान एमपीएफ योजना के अंतर्गत निधियों के सामान्य आबंटन के अतिरिक्त उसी अवधि के दौरान राज्य को पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए 10.02 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी जारी की गई है।

[अनुवाद]

केवीआईसी द्वारा सहायता हेतु मानदंड

4098. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी** : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा पात्र उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी शर्तों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार को इन शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या केवीआईसी के पास इस प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु निर्धारित शर्तें लागू करने का कोई तंत्र उपलब्ध है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि हां, तो इस तंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निर्धारित शर्तों का उचित पालन करते हुए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) और (ग) केवीआईसी को मार्जिन मनी सहायता के दुरूपयोग तथा अनियमितताओं के संबंध में वर्ष 2006-07 के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई है जिनकी जांच के बीआईसी में की जा रही है।

(घ) से (च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरईजीपी के तहत देय सहायता केवल पात्र आवेदकों के लिए ही उपलब्ध हो, केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय अथवा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड आवेदकों के प्रस्तावों की जांच उन्हें ऋण की संस्वीकृति हेतु बैंकों को भेजने से पूर्व करते हैं। इसके अलावा, केवीआईसी द्वारा प्रदत्त वित्तीय (मार्जिन मनी) सहायता राशि को दो वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक लाभ प्राप्तकर्त्ता के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक की संबद्ध वित्तीय शाखा के पास रखा जाता है। इस राशि को इकाई की स्थापना के सत्यापन के बाद ही लाभ प्राप्त कर्त्ता के ऋण लेखे में जमा किया जाता है।

[हिन्दी]

भारत-चीन सीमा पर अशांति

4099. श्री कीरेन रिजीजू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) ने सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमापार चीनी सेना की लगातार गतिविधियों के बारे में सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) भारत-चीन सीमा पर सीमा-पार गतिविधियों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। ऐसी गतिविधियों को सावधानीपूर्वक मानीटर किया जाता है तथा भारत के सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए इनका उपयुक्त प्रतिउत्तर दिया जाता है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद

4100. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम तथा अन्य राज्यों में वर्ष 2001-2008 के दौरान अब तक उग्रवादियों द्वारा कितने व्यक्तियों की हत्या की गई तथा घायल किया गया;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में जारी उग्रवाद तथा आतंकवादी हमलों के पीछे छिपे किसी विदेशी हाथ की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं; और

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2001-2008 (21.3.2008 तक) के दौरान उग्रवादी गुटों द्वारा हिंसक घटनाओं और हताहतों तथा मारे गए/गिरफ्तार किए गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत उग्रवाद और आतंकी हमलों के पीछे छिपे किसी विदेशी हाथ होने की संयुक्त रिपोर्ट नहीं है। तथापि ऐसी रिपोर्टें हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ विद्रोही गुटों का पाकिस्तान की आईएसआई और बंगलादेश आधारित हुजी जैसे पड़ोसी देशों के कुछ अन्य कट्टरपंथी/आतंकवादी संगठनों के साथ सम्पर्क हैं। उपलब्ध इनपुटों से यह भी संकेत मिलता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय कुछ भारतीय विद्रोही गुट बंगलादेश और म्यांमार के भूभाग का प्रयोग कर रहे हैं।

(ङ) सरकार ने बंगलादेश और म्यांमार के भूभाग को भारत विरोधी कार्यों के लिए दुरूपयोग किए जाने सहित सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों को दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनयिक सरणियों तथा संस्थागत तंत्र के जरिए बंगलादेश और म्यांमार के साथ नियमित रूप से उठाया है। इसके अतिरिक्त, अपने-अपने क्षेत्रों में लोक व्यवस्था एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार राज्य सरकारों के प्रयासों को केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न उपायों से बढ़ावा दिया जाता है जिनमें शामिल है सेना सहित अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा की तैनाती करना, आसूचना भागीदारी, पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्थानीय पुलिस बलों और आसूचना एजेन्सियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता देना, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करके सुरक्षा अपरेटस के विभिन्न पहलुओं और उग्रवाद विरोधी विभिन्न अभियानों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता का प्रावधान, इंडिया रिजर्व बटालियनों के रूप में अतिरिक्त बलों का गठन करना आदि।

विवरण

असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2001 से 2008 के दौरान (31.3.2008 तक) उग्रवादी गुटों द्वारा हिंसक घटनाओं और हताहतों तथा मारे गए/गिरफ्तार किए गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का विवरण

वर्ष	अरुणाचल प्रदेश			असम			मणिपुर		
	घटनाओं की संख्या	सुरक्षा बल कार्मिकों सहित मारे गए व्यक्तियों की संख्या	विभिन्न उग्रवादी गुटों के गिरफ्तार/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले काडरों की संख्या	घटनाओं की संख्या	सुरक्षा बल कार्मिकों सहित मारे गए व्यक्तियों की संख्या	विभिन्न उग्रवादी गुटों के गिरफ्तार/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले काडरों की संख्या	घटनाओं की संख्या	सुरक्षा बल कार्मिकों सहित मारे गए व्यक्तियों की संख्या	विभिन्न उग्रवादी गुटों के गिरफ्तार/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले काडरों की संख्या
2001	46	23	57	458	328	0759	265	091	0754
2002	54	11	72	405	219	0532	268	114	0537
2003	50	08	81	358	194	3380	243	077	0365
2004	41	08	74	267	211	1007	478	124	0772
2005	32	04	57	398	180	0544	554	208	1186
2006	16		23	413	196	0752	498	124	1097
2007	35	17	53	474	314	0759	584	169	1443
2008 (31.3.2008 तक)	08	02	07	152	062	0293	153	062	0368
ज्वजंस	282	73	424	2925	1704	8026	3043	969	6522

वर्ष	मेघालय			मिजोरम			नागालैंड		
	घटनाओं की संख्या	सुरक्षा बल कार्मिकों सहित मारे गए व्यक्तियों की संख्या	विभिन्न उग्रवादी गुटों के गिरफ्तार/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले काडरों की संख्या	घटनाओं की संख्या	सुरक्षा बल कार्मिकों सहित मारे गए व्यक्तियों की संख्या	विभिन्न उग्रवादी गुटों के गिरफ्तार/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले काडरों की संख्या	घटनाओं की संख्या	सुरक्षा बल कार्मिकों सहित मारे गए व्यक्तियों की संख्या	विभिन्न उग्रवादी गुटों के गिरफ्तार/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले काडरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001	70	44	102	01		001	128	17	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2002	84	42	142	01		002	208	19	281
2003	85	42	160	03	01	001	199	16	189
2004	47	25	150	03	01	041	186	42	145
2005	37	01	108	04	02	210	192	29	138
2006	38	06	112	05		848	309	31	203
2007	28	10	085	02	02	021	272	45	211
2008 (31.3.2008 तक)	03		024				067	15	162
व्यजंस	392	170	883	19	06	1124	1561	214	1533

वर्ष	त्रिपुरा		
	घटनाओं की संख्या	सुरक्षा बल कार्मिकों सहित मारे गए व्यक्तियों की संख्या	विभिन्न उग्रवादी गुटों के गिरफ्तार मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले काडरों की संख्या
2001	370	273	950
2002	292	196	425
2003	394	246	654
2004	212	113	608
2005	115	039	212
2006	087	028	196
2007	094	020	303
2008 (31.3.2008 तक)	031	002	056
कुल	1595	917	3404

घायल व्यक्तियों का विवरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

नए स्कूलों का खोला जाना

4101. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नए स्कूल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 2007-08 के दौरान खोले गए स्कूलों का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष जिला वार वार्षिक कार्य योजनाओं तथा बजटों की प्रणाली के माध्यम से बस्ती-वार आयोजना के आधार पर नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का प्रस्ताव किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2007-08 में संस्वीकृत नए स्कूलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वर्ष 2007-08 के दौरान संस्वीकृत नए स्कूल	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	—
2.	आंध्र प्रदेश	173	429
3.	अरुणाचल प्रदेश	298	17
4.	बिहार	2753	3722
5.	चंडीगढ़	8	4
6.	छत्तीसगढ़	399	446
7.	दादर और नगर हवेली	16	—
8.	दिल्ली	4	—
9.	हरियाणा	—	308
10.	हिमाचल प्रदेश	—	140
11.	जम्मू और कश्मीर	4225	711
12.	झारखंड	1	1482
13.	कर्नाटक	655	370
14.	केरल	124	2
15.	लक्षद्वीप	3	2
16.	मध्य प्रदेश	0	1119
17.	महाराष्ट्र	3384	59
18.	मणिपुर	265	100
19.	मेघालय	267	—
20.	मिजोरम	55	67
21.	उड़ीसा	933	708
22.	पांडिचेरी	10	0
23.	पंजाब	9	1
24.	राजस्थान	2108	6800
25.	तमिलनाडु	210	338
26.	त्रिपुरा	—	38
27.	उत्तर प्रदेश	813	5512
28.	उत्तराखंड	343	211
29.	पश्चिम बंगाल	—	1600

[अनुवाद]

तम्बाकू उत्पादकों का पुनर्वास

4102. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने तम्बाकू की खेती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तम्बाकू उत्पादकों को वैकल्पिक फसले उगाने में सहायता देकर उनके पुनर्वास हेतु कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां। भारत तम्बाकू नियंत्रण संबंधी डब्ल्यू टी ओ कार्यढांचा अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने तम्बाकू बोर्ड से सभी हितबद्ध पक्षकारों, कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके उन तम्बाकू किसानों के लिए एक पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिए कहा है जिन्होंने अपनी जमीनों पर तम्बाकू की खेती करना स्थायी रूप से बंद कर दिया है।

राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन संस्थान

4103. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संस्थान की स्थापना हेतु किस स्थान की पहचान की गई है; और

(ग) उक्त संस्थान की कब तक स्थापना कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) जनवरी, 2008 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी "बाढ़ प्रबंधन" पर दिशानिर्देशों में बाढ़ प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के इंजीनियरों और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य हेतु जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन संस्थान (एनएफएमआई) स्थापित किए जाने का सुझाव दिया गया था। दिशा निर्देशों में यह भी उल्लेख है कि तब तक जल संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) पूना, अपने वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त इन गतिविधियों का संचालन करेगी। जल संसाधन मंत्रालय का विचार है कि राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) के मौजूदा आधारभूत ढांचे का उपयोग करके बाढ़ प्रबंधन पर प्रस्तावित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की शुरूआत की जा सकती है, जिसको और सुदृढ़ किया जा सकता है।

नक्सली समस्या से निपटने हेतु वित्तीय सहायता

4104. श्री राजपति सांबासिवा राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नक्सली समस्या से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल ही में नक्सली गतिविधियां कम हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्र सरकार, विभिन्न माध्यमों से संबंधित राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है जिसमें राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के माध्यम से राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता, सुरक्षा से संबंधित व्यय की योजना के तहत

सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति और ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, युवा कार्य और खेलकूद, पंचायती राज तथा आदिवासी कार्य जैसे विभिन्न मंत्रालयों की आय अर्जित करने वाली, लोक उपयोगिता और समाज-सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों में सहायता प्रदान करना शामिल है।

गृह मंत्रालय की राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना और सुरक्षा से संबंधित व्यय की योजना के तहत प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) से (च) विगत पांच वर्षों के दौरान नक्सली हिंसा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	2003	2004	2005	2006	2007
घटनायें	1597	1533	1608	1509	1565
मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिक	105	100	153	157	236
मारे गए सिविलियन	410	466	524	521	460

कानून और व्यवस्था बनाए रखना, मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। केन्द्र सरकार भी स्थिति पर नजदीकी नजर रखती है और प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित उत्तर के अनुरूप संबंधित राज्य सरकारों को विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान करती है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

राज्य	राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना			सुरक्षा से संबंधित व्यय		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
आंध्र प्रदेश	101.41	88.12	87.34	13.16	6.10	10.79
बिहार	39.87	51.62	16.24	4.35	0.04	2.30
छत्तीसगढ़	40.74	57.06	41.72	10.85	9.68	10.45
झारखंड	40.74	47.00	50.95	6.06	14.72	17.25
मध्य प्रदेश	31.65	43.24	57.68	1.08	2.51	1.70
महाराष्ट्र	88.78	105.10	78.87	2.72	5.26	4.62
उड़ीसा	35.08	38.00	45.80	2.55	7.17	12.16
उत्तर प्रदेश	98.12	94.28	115.44	1.96	0.00	0.80
पश्चिम बंगाल	29.67	37.11	44.45	2.27	1.50	2.88
कुल	506.06	561.53	538.49	45.00	46.98	62.95

[हिन्दी]

नक्सलियों तथा नेपाली माओवादियों के बीच सांठ गांठ

4105. श्री संतोष गंगवार :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सक्रिय नक्सलियों के संबंध नेपाल के माओवादियों से हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नक्सलियों को नेपाल के माध्यम से भारी मात्रा में हथियार प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) क्या नेपाली माओवादियों ने उत्तराखंड के जंगलों में अपना अड्डा/छिपने के ठिकाने स्थापित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) ऐसा कोई उपलब्ध साक्ष्य नहीं है जिससे इस तरह के प्रचालनात्मक संबंधों का संकेत मिलता हो।

(ग) ऐसा कोई विशिष्ट इनपुट नहीं है जिससे ऐसा संकेत मिलता हो।

(घ) सरकार सीमा पार से संबंधित मुद्दों के बारे में यथाआवश्यक उपाय करके अपने सम्प्रभ कार्यों का निष्पादन करती है। सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करने और आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता के क्षेत्र में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग के लिए समुचित कदम सतत् रूप से उठाए जाते हैं।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान

4106. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री राजापति सांबासिवा राव :
श्री पंकज चौधरी :
श्री गिरिधर गमांग :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के कारण हुए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभान्वित बच्चों की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक कुल कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई तथा खर्च न की गई धनराशि के राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कारण हैं; और

(घ) आगामी वर्षों में और अधिक बच्चों को इसमें शामिल करना सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश के सभी जिलों में मिशन मोड़ में सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप राज्य की रिपोर्टों के अनुसार स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या जो 2001-02 में 320 लाख थी 2007-08 में घटकर 75.97 लाख रह गई है।

बच्चों की 'कठिनाई से पहुंच' वाली श्रेणी के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सेतु पाठ्यक्रम, परिवर्तनशील समय के साथ अधिगम केन्द्र, मौसमी छात्रावास, गृह आधारित शिक्षा तथा चलते-फिरते स्कूल जैसे संदर्भ विशिष्ट कार्य किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे संदर्भ विशिष्ट कार्यों का कार्यान्वयन करने के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अच्छी प्रक्रियाओं के निदर्शी अध्ययन उन्खी एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन की प्रवृति दर्शाने वाला संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार की राज्य-वार रिलीज तथा व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास बकाया अव्ययित शेष अगले वित्तीय वर्ष में देय अनुदानों में समायोजित किया जाता है।

विवरण-I

नामांकन: स्रोत एस.ई.एस. 2003-04, 2004-05 और 2005-06

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7975659	7692411	7391922	3502469	3643030	3731018
2.	अरुणाचल प्रदेश	180253	184673	195590	57374	59670	64071
3.	असम	3232547	3510665	3550745	1338210	1389755	1463177
4.	बिहार	9471186	10042119	10525321	1815562	2208989	2384485
5.	छत्तीसगढ़	3397795	3405502	3167668	1158587	1209994	1184885
6.	गोवा	107875	106828	104512	73465	73446	71570
7.	गुजरात	6551770	6553022	6556986	2453001	2473535	2491631
8.	हरियाणा	2010659	2073939	1997491	1089747	1184814	1159836
9.	हिमाचल प्रदेश	666938	670807	660960	419878	418802	410860
10.	जम्मू और कश्मीर	950296	969479	1134528	429229	456897	479336
11.	झारखंड	3140252	3446984	3827742	847119	924259	986383
12.	कर्नाटक	6267825	5883907	5757779	2896719	2946302	2886290
13.	केरल	2492430	2543422	2545323	1662436	1628030	1601297
14.	मध्य प्रदेश	8830733	10351093	11274071	3122698	3826948	4253269
15.	महाराष्ट्र	11175756	11385483	11557676	6087790	6188552	6311169
16.	मणिपुर	339110	348897	360055	132910	137300	141691
17.	मेघालय	360907	467955	508205	122027	136840	153689
18.	मिजोरम	127057	123705	162302	51096	51514	74332
19.	नागालैंड	210410	224246	224715	76539	85620	92271
20.	उड़ीसा	4918067	5218568	4701176	1428256	1840933	1601607
21.	पंजाब	1979294	1901408	1872162	1038388	1042094	1063612

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	9479755	9329792	9411874	2837004	3156811	3360529
23.	सिक्किम	76799	86149	90687	24802	28683	31983
24.	तमिलनाडु	6591113	6403416	6378319	3600870	3697858	3633616
25.	त्रिपुरा	451731	461209	500284	186651	187590	197186
26.	उत्तर प्रदेश	24080867	24579638	25186552	6948243	7098022	7271947
27.	उत्तराखंड	1164485	1191505	1196510	542742	552252	560882
28.	पश्चिम बंगाल	10327725	9881352	9150073	3818261	3622026	3624219
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	40388	40274	37601	22448	23429	22769
30.	चण्डीगढ़	66034	62908	67416	39036	37716	37229
31.	दादरा और नगर हवेली	32912	33624	35915	11719	11857	12509
32.	दमन और दीव	16222	16321	16204	8120	8160	8778
33.	दिल्ली	1442259	1460714	1786811	831791	822492	886260
34.	लक्षद्वीप	7161	7053	7474	4553	4110	4354
35.	पुदुचेरी	102021	103999	106069	67258	67096	66421
	भारत	128266291	130763067	132048718	48746998	51245426	52325161

विवरण-II

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज/व्यय

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-2005		2005-2006		2006-2007	
		भारत सरकार द्वारा रिलीज	व्यय*	भारत सरकार द्वारा रिलीज	व्यय*	भारत सरकार द्वारा रिलीज	व्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	28000	33757.22	37999	55816.48	46245.56	72236.73

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	3009	1812.5	4442.51	5750.8	7143.74	9978.27
3.	असम	20654	22399.8	13850	24803.64	51464.72	42389.70
4.	बिहार	31970.56	34131.87	32399.56	46675.91	107744.39	155708.97
5.	छत्तीसगढ़	20786.76	29565.56	30184.39	42766.88	50182.2	64341.50
6.	गोवा	0		728.12	497.39	724.12	1405.29
7.	गुजरात	14072	18632.5	15084.84	23983.13	14806.97	28102.88
8.	हरियाणा	12881.55	11359.08	10196.55	19858.58	25647.12	30388.70
9.	हिमाचल प्रदेश	6144	8418.94	7614.66	9929.608	6250.75	10057.88
10.	जम्मू और कश्मीर	7747.18	8160.52	18530.65	20830.69	22083.37	31624.72
11.	झारखंड	16568.5	29250.33	28568.5	37759.9	51515	64639.24
12.	कर्नाटक	26280.7	34456.15	28303.78	40422.99	54206.98	70192.82
13.	केरल	8939	9383.78	5939	10329.19	6382	10159.20
14.	मध्य प्रदेश	44608.919	60513.25	77173.12	104047.48	110879.68	148894.45
15.	महाराष्ट्र	35489.79	38955.71	50235.31	60458.5	52158.56	78115.07
16.	मणिपुर	1225	1354.93	3208.44	2051.96	9.24	1799.78
17.	मेघालय	2930.81	2150.33	1921	2356.34	4294	7181.86
18.	मिजोरम	3300.24	4478.66	2559.15	3573.86	3441.69	4760.32
19.	नागालैंड	2088.49	2751.24	2323.01	2879.4	2315.2	230.86
20.	उड़ीसा	21807.27	28060.7	32792.5	38438.92	44010.95	65778.72
21.	पंजाब	3040	9636.55	14683.89	21890.86	12879.92	15805.66
22.	राजस्थान	23549.397	39590.65	60313.43	75884	75809.82	111679.04
23.	सिक्किम	1000.25	723.72	1062.5	964.64	402.14	863.00
24.	तमिलनाडु	26517	36638.68	35329.53	47961.241	37329.65	55760.67

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	4703.96	5113.2	7070.19	8163	5330.01	8705.50
26.	उत्तर प्रदेश	87761	125166.08	182799	223373.86	206654	265381.00
27.	उत्तरांचल	9144.705	9695.48	10004	14687.32	16934	20527.05
28.	पश्चिम बंगाल	46024.36	50950.4	34199.79	48221.52	61736.8	94214.72
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	272.58	272.08	163	448.59	419.62	586.28
30.	चण्डीगढ़	447.95	604	350	125.81	300	708.00
31.	दादरा और नगर हवेली	111.91	10.45	0	379.22	100	310.75
32.	दमन और दीव	0	0	111.91	58		26.19
33.	दिल्ली	0	854.67	1100	2557.13	4230.24	4958.20
34.	लक्षद्वीप	12.03	0	0	0.91	87.47	8.85
35.	पांडिचेरी	225.53	265.85	529.4	568.79		407.82
	कुल	511314.441	659114.88	751770.73	998516.539	1083719.9	1477929.69

*व्यय में राज्य हिस्सा और अवशेष शामिल।

आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करना

4107. **श्री हितेन बर्मन :**
श्री सुव्रत बोस :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान की आठवीं अनुसूची में भोटिया और लेपचा सहित 37 भाषाओं को शामिल करने के लिए सीताकांत महापात्रा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में कब तक शामिल करने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) सीताकांत महापात्रा समिति, जिसका गठन अन्य बातों के साथ-साथ आठवीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को सम्मिलित करने हेतु वस्तुनिष्ठ मानदण्ड बनाने के लिए किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसकी केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है। आठवीं अनुसूची में भोटिया और लेपचा सहित अधिक भाषाओं को शामिल करने संबंधी मांगों के विचार हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ काफी परामर्श निहित है।

[हिन्दी]

ऊंचे भवनों पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश

4108. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में उन सभी भवनों की बिजली और जल के कनेक्शन काटने के निदेश जारी किए हैं जो 15 मीटर से ऊंचे हैं परन्तु अपने भवनों में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं कर पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी निदेशों का पालन न करने वाले भवन स्वामियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सभी भवनों में अग्नि सुरक्षोपायों का समुचित रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के बी एल वढ़ेरा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मामले में दिनांक 29.5.2003 को जारी निदेशों में अन्य निदेशों के साथ यह निदेश शामिल है कि उन सभी ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों के विद्युत एवं जल कनेक्शन काटे जा सकते हैं जो दिल्ली अग्नि शमन एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम के अनुरूप आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रावधान करने में असफल रहते हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने कुल 2377 भवनों का निरीक्षण किया। इनमें से अग्निशमन मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए 715 मामलों में बिजली एवं जल के कनेक्शन काटने के आदेश दिए गए, 697 मामलों को ऊंचाई सत्यापन के लिए भेजा गया, 18 मामलों में जरूरी आपूर्ति कनेक्शन पुन: काटने के आदेश जारी किए गए, न्यायालय के आदेश जारी होने के पश्चात 2 भवनों के कनेक्शन पुन: काटने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किए गए, दिल्ली अग्नि शमन सेवा/दिल्ली नगर निगम ने 2 भवनों को सील किया, दिल्ली नगर निगम ने एक भवन को ढहा दिया, 455 भवनों को कम ऊंचाई वाला भवन घोषित किया गया और 4 मामले न्याय निर्णयान्तर्गत है। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया है कि हर भवन के मालिक का नाम नहीं होता है और दिल्ली अग्निशमन सेवा के रिकार्ड के अनुसार ये भवन अपने प्लाट संख्या/पते से जाने जाते हैं।

[अनुवाद]

धर्मान्तरण

4109. श्री अनन्त नायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों से धर्मान्तरण की रिपोर्टें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों में बलपूर्वक धर्मान्तरण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) इस संबंध में राज्यों से कोई विशिष्ट रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। मीडिया में धर्मान्तरण के संबंध में समय-समय पर रिपोर्टें प्रसारित होती रहती हैं।

(ख) उक्त देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं, अत: अपराधों की रोकथाम, पता लगाना, पंजीकरण करना, जांच करना मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों का विषय है। जब कभी भी हिंसा के दृष्टांत नोटिस किए जाते हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मौजूदा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था

4110. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रमुख बस स्टैंडों पर पुलिसकर्मी तैनात नहीं किए जाते, जिनके परिणामस्वरूप

यातायात जाम, छेड़छाड़ और चेन झपटने आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक दिल्ली में छेड़छाड़, चेन झपटने सहित रिपोर्ट किए गए विभिन्न अपराधों का अपराध-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) वाहनों की भीड़ कम करने तथा उन्हें नियंत्रित करने के उद्देश्य से बस स्टैंडों में यातायात और यात्रियों में उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के महत्वपूर्ण और प्रमुख बस स्टैंडों पर पुलिस कार्मिक तैनात किए जाते हैं। छेड़छाड़, चेन झपटने आदि की घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों और कालेजों सहित स स्टैंडों और ऐसी घटनाओं के प्रमुख बिन्दुओं पर तथा इनके आस-पास वर्दी में और सादे कपड़ों में महिला पुलिस पदाधिकारियों सहित पुलिस कार्मिकों को तैनात किया जाता है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या	268755
चालान किए गए	195797
दोष सिद्ध	51817
दोष मुक्त	3561
विचारण के लिए लंबित	140419
जांच-पड़ताल चल रही है	60311

(ङ) दिल्ली में अपराध नियंत्रित करने और कानून और व्यवस्था में सुधार करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में गश्त की बीट प्रणाली में सुधार करना; उच्च अपराध दर वाले पुलिस स्टेशनों की पहचान करना और ऐसे पुलिस स्टेशनों में अतिरिक्त मानव शक्ति और मोटर साइकल गश्तों का प्रावधान करना; अधिकतम प्रभावकारिता के लिए गश्त लगाने के समय को ठीक करना; खतरनाक अपराधियों की आवाजाही के बारे में आसूचना का विकास करना; पुलिस नियंत्रण कक्ष के वाहनों को अन्य कई कार्य सौंपना; महिलाओं के विरूद्ध प्रति अपराध कक्ष स्थापित करना; सभी 9 पुलिस जिलों में रेप क्राइसेस इंटरवेंशन सेंटर स्थापित करना; सुभेद्य संवेदनशील स्थानों पर सादे कपड़ों में कर्मचारी तैनात करना; पुलिस नियंत्रण कक्ष में ''हेल्पलाइन'' समर्पित सेवा शुरू करना; चौबीस घंटे महिलाओं की गुहार सुनने के लिए ''वीमेन मोबाइल टीम'' का गठन करना; पुलिस मुख्यालय में ''वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा कक्ष'' स्थापित करना; रिहाइश कल्याण संघों के साथ निकट संपर्क स्थापित करना; और अत्याधुनिक हथियारों से सज्जित मोबाइल क्राइम टीम का गठन करना तथा प्रत्येक जिले में चौबीसों घंटे इन्हें तैनात करना शामिल है।

विवरण

अपराध शीर्ष	सूचित किए गए मामलों की संख्या			
	2005	2006	2007	2008 (31 मार्च तक)
1	2	3	4	5
डकैती	27	14	34	2
हत्या	455	485	495	134
लूटपाट	510	541	557	135
बलात्कार	658	635	598	107
हत्या की कोशिश	467	513	530	119
झपटमारी	1136	1282	1243	271
चोट पहुंचाना	1814	1810	1736	479
एम.वी. चोरी	8862	9369	8874	2244

1	2	3	4	5
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	762	718	868	202
कुल आईपीसी	56065	57978	56065	12241
स्थानीय और विशेष कानून	26573	30357	20994	1516

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए एकल खिड़की स्वीकृति

4111. **श्री प्रबोध पाण्डा** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अनेक राज्यों का यह पता लगाने के लिए आह्वान किया है कि उन्होंने उन विशेष आर्थिक क्षेत्रों का शीघ्र कार्यान्वयन करने के लिए एक एकल खिड़की सेवा शुरू की है, जिन्हें स्वीकृति मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये राज्य उन सेज विकासकर्ताओं को भूमि उपलब्ध करा पाए है, जिन्हें सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिल गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ख) राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर एकल खिडकी स्वीकृति सहित विशेष आर्थिक जोनों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और विकास आयुक्तों की एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ग) से (ङ) भूमि/भूमि उपयोग राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार केवल उन्हीं मामलों में औपचारिक अनुमोदन प्रदान करती है, जिनमें न्यूनतम अपेक्षित भूमि विकासकर्ता के कब्जे में होती है और जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत संस्तुत होता है। राज्य सरकारों को यह भी सूचित किया गया है कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा ऐसे किसी एसईजेड को अनुमोदित नहीं किया जाएगा, जहां राज्य सरकारों ने 5 अप्रैल, 2007 के बाद ऐसे एसईजेडों के लिए भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण किया हो अथवा अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया हो।

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक

4112. **श्री किसनभाई वी. पटेल**
श्री नन्द कुमार साय
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) परिसर में स्थानान्तरित करने का है, जैसाकि दिनांक 16 मार्च, 2008 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर कितना व्यय किए जाने का अनुमान है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) पूर्व ढांचे के एक भाग को हटाने के पश्चात परिवहन व्यय करके उसे एसएसबी के घिटोरनी काम्पलेक्स में अंतरित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

कुटीर और लघु उद्योगों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग

4113. **श्री अजीत जोगी** : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की स्थिति के अनुसार देश में कुटीर और लघु उद्योगों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की राज्यवार और श्रेणीवार कुल कितनी संख्या है;

(ख) देश में कुटीर और लघु उद्योगों की अलग-अलग राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों के संवर्धन के लिए कोई योजना तैयार की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित सरकार के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत सृजित रोजगार अवसरों से लाभान्वित अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I, II तथा III में दिया गया है। इसी प्रकार तृतीय अखिल भारतीय जनगणना 2001-02 के आधार पर वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान यथा अनुमानित सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों में अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ख) 1 अप्रैल, 1995 से योजना प्रारंभ करने के समय से तथा 31 मार्च, 2007 तक आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योग इकाईयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वितरण संलग्न विवरण-VI में दिया गया है।

(ग) और (घ) कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास मुख्यतया संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) क्रेडिट, अवस्थापना संबंधी विकास, प्रोद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास, आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों में सहयोग देती है। इस दिशा में उठाए गए कदमों में देश में निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है:-

(i) 50 लाख रु. तक के ऋणों पर नए तथा मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त समपार्श्विक मुक्त ऋण (सावधि ऋण तथा कार्यक्षम पूंजीगत ऋण) के 75% तक के गारंटी कवर को प्रदान करने हेतु क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम शुरू की गई है। इस योजना का संचालन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

(ii) औद्योगिक क्लस्टरों, अर्थात विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उसी प्रकार के उत्पादों को निर्मित करने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का समूह, के समग्र विकास के उद्देश्य से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऐसे क्लस्टर की विकास संबंधी आवश्यकताओं का निदानात्मक अध्ययन द्वारा पता लगाया जाता है। प्रोद्योगिकी उन्नयन, विपणन तथा निर्यात संवर्धन, कौशल विकास, समान सुविधा केन्द्र की स्थापना आदि जैसे क्षेत्रों में महसूस की जा रही आवश्यकताओं के लिए क्लस्टर के विकास हेतु कार्य योजना तैयार की जाती है।

(iii) लघु उद्योग इकाईयों के रूप में पूर्व विदित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उनके द्वारा प्राप्त संस्थागत वित्त के आधार पर प्रोद्योगिकी उन्नयन के लिए एक करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 15% अग्रणी पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके प्रोद्योगिकी उन्नयन को सुकर बनाने के उद्देश्य से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम शुरू की गई है। पूंजीगत सब्सिडी खादी, ग्राम तथा कयॅर उद्योग क्षेत्र में पात्र इकाईयों को भी प्रदान की जाती है।

(iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम उत्पादों की उनकी गुणवत्ता बढ़ा कर के विपणन क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से आईएसओ 9000/आईएसओ 14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा 75% अथवा 75,000 रु., जो भी कम हो, की सीमा तक आईएसओ 9000 प्रमाणन प्राप्त करने की लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(v) आवश्यक कौशलों को हासिल करने के लिए बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार युक्त होने के लिए योग्य बनाने की दृष्टि से उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रम - ईडीपी/एमडीपी आयोजित किए जाते हैं। पाठ्यक्रमों में 22.5% सीटों का आरक्षण समाज के कमजोर वर्गों के लिए है।

(vi) खादी एवं ग्रामोद्योगों के तहत उत्पादों में विविधता लाने तथा उनका विकास करने और विभिन्न केवीआई उत्पादों में सुधार लाने तथा पैकेजिंग करने के उद्देश्य से उत्पाद

विकास, डिजाईन इंटरवेंशन तथा पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) की योजना शुरू की गई है।

(vii) खादी, ग्रामोद्योगों तथा कयॅर क्षेत्रों में 118 चिन्हित क्लस्टरों में परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए अक्टूबर, 2005 में परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन की निधि योजना (स्फूर्ति) शुरू की गई है।

(viii) ऐसे उद्योगों को अवस्थापना संबंधी सहयोग तथा सेवायें प्रदान की दृष्टि से समान सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए केवीआईसी के माध्यम से ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र योजना (आरआईएससी)।

(ix) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता।

(x) कम से कम 2 सप्ताह की अवधि के उद्यमिता/कौशल विकास प्रशिक्षण पर जाने वाले अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जाने वाले प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना में सहयोग देने तथा संवर्धन के लिए चुनिंदा प्रमुख एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु हाल ही में "राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना" शुरू की गई है।

ग्राम तथा लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए विचारार्थ नई योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध VII में दिया है।

विवरण-I

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत रोजगार अवसरों से अनुमानित तौर पर लाभान्वित होने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(व्यक्तियों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	0	15	55
2.	हरियाणा	8565	6369	1372
3.	हिमाचल प्रदेश	3049	731	1289
4.	जम्मू व कश्मीर	212	4388	326
5.	पंजाब	1080	3996	3013
6.	राजस्थान	10111	17757	13395
7.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	28	1078	55
8.	बिहार	1262	2746	5238
9.	झारखंड	1713	901	3225
10.	उड़ीसा	3810	2320	4403
11.	पश्चिम बंगाल	9145	7739	1810
12.	असम	5033	11902	8346
13.	मणिपुर	37	99	12
14.	मेघालय	0	18	13
15.	त्रिपुरा	770	1013	1549
16.	सिक्किम	901	0	0
17.	आंध्र प्रदेश	16261	10934	13712
18.	कर्नाटक	4869	6510	11453
19.	केरल	3944	7340	17113
20.	लक्षद्वीप	0	224	0
21.	पांडिचेरी	0	105	472
22.	तमिलनाडु	5245	5934	6965

1	2	3	4	5
23.	गोवा	504	188	98
24.	गुजरात	1975	4307	1903
25.	महाराष्ट्र	6583	7384	9106
26.	छत्तीसगढ़	4577	4352	3874
27.	मध्य प्रदेश	17490	3687	8726
28.	उत्तराखंड	508	432	338
29.	उत्तर प्रदेश	15022	10973	15484
	कुल	122694	123442	133345

विवरण-II

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आईजीपी के तहत रोजगार अवसरों से अनुमानित तौर पर लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(व्यक्तियों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	0	0	15
2.	दिल्ली	0	0	15
3.	हरियाणा	4996	3184	176
4.	हिमाचल प्रदेश	1829	1651	2689
5.	जम्मू व कश्मीर	458	2194	710
6.	पंजाब	782	1998	1370
7.	राजस्थान	4558	3500	4953
8.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	539	17
9.	बिहार	60	1373	117
10.	झारखंड	209	450	180
11.	उड़ीसा	1981	1160	2446
12.	पश्चिम बंगाल	5121	5527	5304
13.	असम	2042	5951	4636
14.	मणिपुर	24	49	0
15.	मेघालय	420	0	0
16.	मिजोरम	448	0	0
17.	त्रिपुरा	294	430	414
18.	सिक्किम	236	0	0
19.	आंध्र प्रदेश	9310	1693	4205
20.	कर्नाटक	2921	3255	6363
21.	केरल	2465	3670	498
22.	पांडिचेरी	0	24	64
23.	तमिलनाडु	2543	2562	3110
24.	गोवा	32	0	0
25.	गुजरात	304	2153	652
26.	महाराष्ट्र	3513	3672	5997
27.	छत्तीसगढ़	139	702	417

1	2	3	4	5
28.	मध्य प्रदेश	1495	1843	494
29.	उत्तराखंड	565	451	387
30.	उत्तर प्रदेश	8401	5406	1459
	कुल	55146	53437	46688

विवरण-III

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत रोजगार अवसरों से अनुमानित तौर पर लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जनजाति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(व्यक्तियों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	2498	1857	0
2.	हिमाचल प्रदेश	853	203	824
3.	जम्मू और कश्मीर	202	1279	899
4.	पंजाब	20	1165	70
5.	राजस्थान	2151	1663	2408
6.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	0	314	13
7.	बिहार	0	801	17
8.	झारखंड	180	262	29
9.	उड़ीसा	1066	676	1223
10.	पश्चिम बंगाल	2524	2579	610
11.	अरुणाचल प्रदेश	1219	1857	2106
12.	असम	1495	3471	2318
13.	मणिपुर	374	28	286
14.	मेघालय	3148	1569	2042
15.	मिजोरम	2673	18255	16455
16.	नागालैंड	3851	5549	3358
17.	त्रिपुरा	630	553	583
18.	सिक्किम	389	1750	2208
19.	आंध्र प्रदेश	4320	550	423
20.	कर्नाटक	1363	1899	3181
21.	केरल	1068	2141	0
22.	लक्षद्वीप	0	0	0
23.	तमिलनाडु	1159	1157	1532
24.	गुजरात	264	1256	45
25.	महाराष्ट्र	1622	2120	3700
26.	छत्तीसगढ़	64	231	324
27.	मध्य प्रदेश	449	1075	213
28.	उत्तराखंड	225	254	29
29.	उत्तर प्रदेश	3768	3144	0
	कुल	37575	57658	44896

विवरण-IV

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान (तीसरी गणना के आधार पर अनुमानित) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(इकाइयों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05			2005-06			2006-07		
		अ.जा.	अ.जनजा.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.जनजा.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.जनजा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	जम्मू और कश्मीर	19231	5495	7731	20054	5730	8062	20901	5972	8402
2.	हिमाचल प्रदेश	46626	4367	18023	48620	4554	18794	50675	4746	19588
3.	पंजाब	237026	17499	277893	247165	18248	289780	257609	19019	302025
4.	चंडीगढ़	1503	134	1158	1567	139	1207	1633	145	1258
5.	उत्तराखंड	36653	11016	51994	38221	11487	54218	39836	11973	56509
6.	हरियाणा	90119	6191	191088	93974	6456	199262	97945	6728	207681
7.	दिल्ली	44393	16412	77073	46292	17114	80370	48248	17838	83766
8.	राजस्थान	138785	43827	455780	144722	45702	475276	150837	47633	495358
9.	उत्तर प्रदेश	612536	97396	1944236	638737	101563	2027401	665727	105854	2113068
10.	बिहार	114752	14734	834356	119661	15364	870046	124717	16014	906809
11.	सिक्किम	183	209	453	191	218	473	199	227	493
12.	अरुणाचल प्रदेश	278	843	245	290	879	255	302	916	266
13.	नागालैंड	4998	56856	1192	5212	59288	1243	5432	61793	1296
14.	मणिपुर	237	93929	2982	247	97947	3110	257	102086	3241
15.	मिजोरम	284	23661	327	296	24673	341	308	25716	355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	त्रिपुरा	9815	6464	23157	10235	6741	24148	10667	7026	25168
17.	मेघालय	930	53538	166	970	55828	174	1011	58187	181
18.	असम	37751	28746	81489	39366	29976	84974	41029	31242	88565
19.	पश्चिम बंगाल	405515	117327	166859	422861	122345	173996	440728	127515	181348
20.	झारखंड	40977	64379	154802	42730	67133	161424	44535	69969	168245
21.	उड़ीसा	113284	309615	340917	118130	322859	355500	123121	336501	370521
22.	छत्तीसगढ़	78685	124497	291924	82050	129823	304412	85517	135308	317274
23.	मध्य प्रदेश	218495	117544	815519	227841	122572	850403	237469	127751	886336
24.	गुजरात	209341	202767	330885	218296	211441	345038	227520	220375	359618
25. और 26.	दमन और दीव दादरा एवं नगर हवेली	2142	8586	2505	2233	8953	2612	2328	9331	2723
27.	महाराष्ट्र	230211	113331	660348	240058	118179	688595	250202	123172	717691
28.	आंध्र प्रदेश	187799	83905	1237104	195832	87494	1290022	204107	91191	1344531
29.	कर्नाटक	185023	82400	1026982	192937	85925	1070911	201090	89556	1116162
30.	गोवा	470	730	2120	490	761	2210	511	794	2304
31.	लक्षद्वीप	15	1424	61	16	1485	64	16	1548	67
32.	केरल	105286	23525	700362	109789	24532	730321	114428	25568	761180
33.	तमिलनाडु	290940	44223	1542215	303385	46115	1608184	316205	48063	1676137
34.	पांडिचेरी	4382	130	28541	4570	136	29762	4763	141	31019
35.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	681	3405	28	711	3550	29	741	3700	30
	कुल	3469346	1779105	11270515	3617749	1855210	11752617	3770614	1933598	12249215

विवरण-V

1 अप्रैल, 1995 को योजना के आरंभ से 31 मार्च, 2007 तक आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योगों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31 मार्च 2007 तक आरईजीपी इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	चंडीगढ़	161
2.	दिल्ली	256
3.	हरियाणा	8176
4.	हिमाचल प्रदेश	3827
5.	जम्मू और कश्मीर	10674
6.	पंजाब	11929
7.	राजस्थान	30907
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1147
9.	बिहार	2641
10.	झारखंड	1496
11.	उड़ीसा	5664
12.	पश्चिम बंगाल	24175
13.	अरुणाचल प्रदेश	586
14.	असम	7693
15.	मणिपुर	1044
16.	मेघालय	3664
17.	मिजोरम	2425
18.	नागालैंड	5413
19.	त्रिपुरा	1184
20.	सिक्किम	481
21.	आंध्र प्रदेश	19249
22.	कर्नाटक	17094
23.	केरल	11470
24.	लक्षद्वीप	36
25.	पुदुचेरी	1176
26.	तमिलनाडु	8852
27.	दादर और नगर हवेली	8
28.	गोवा	2679
29.	गुजरात	2402
30.	महाराष्ट्र	27107
31.	छत्तीसगढ़	3029
32.	मध्य प्रदेश	21554
33.	उत्तराखंड	3475
34.	उत्तर प्रदेश	20766
	कुल	262442

विवरण-VI

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों के वितरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(इकाइयों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	82547	86064	89726

1	2	3	4	5
2.	हिमाचल प्रदेश	87194	91596	95572
3.	पंजाब	413762	427401	441797
4.	चंडीगढ़	24739	25653	26612
5.	उत्तराखंड	123524	130140	137618
6	हरियाणा	245370	254028	263308
7.	दिल्ली	196215	203336	210905
8.	राजस्थान	498035	518371	538728
9.	उत्तर प्रदेश	1938524	2027020	2116791
10.	बिहार	582167	605049	629509
11.	सिक्किम	437	455	474
12.	अरुणाचल प्रदेश	1458	1516	1578
13.	नागालैंड	16824	17772	19024
14.	मणिपुर	53173	55115	57171
15.	मिजोरम	12895	13554	14335
16.	त्रिपुरा	27054	28063	29141
17.	मेघालय	25846	27153	28591
18.	असम	218487	226890	235576
19.	पश्चिम बंगाल	856178	887697	921221
20.	झारखंड	149697	156091	163220
21.	उड़ीसा	434498	450946	468468
22.	छत्तीसगढ़	293468	304003	315118
23.	मध्य प्रदेश	898650	937183	976981
24.	गुजरात	600569	624346	646379
25.	दमन एवं दीव	2800	4389	4579
26.	दादरा और नगर हवेली	1397	0	0
27.	महाराष्ट्र	909385	948028	989254
28.	आंध्र प्रदेश	970755	1005889	1043512
29.	कर्नाटक	740967	772234	804811
30.	गोवा	8101	8401	8654
31	लक्षद्वीप	616	644	675
32	केरल	507313	524969	542610
33	तमिलनाडु	922118	962854	1006684
34	पांडिचेरी	10301	10724	11120
35	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3756	3902	4032
	योग	11858820	12341475	12843774

विवरण-VII

1. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :** यह योजना एक व्यापक प्रस्ताव होगी जिसमें प्रमुख रोजगार सृजन योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को एकीकृत करने की अपेक्षा की गई है।

2. **7 नए टूल तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना :** देश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से 10 आधुनिक टूल तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा, जो डिजाईन तथा मोल्डों, डाईयों, जिगों तथा फिक्सचरों, आदि जिनका उपयोग किसी उत्पादन के घटकों तथा उच्च कोटि के हिस्सों को अथवा उत्पाद को ही निर्मित करने के लिए किया जाता है, के लिए उपयुक्त मशीन टूलों तथा संबंद्ध उपस्करों से सुसज्जित है, की दृष्टि से ग्यारहवीं योजना के दौरान 7 नए टूल तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

खनिजों के लिए रायल्टी दरें

4114. श्री चंद्रकांत खैरे :
डा. एम. जगन्नाथ :
श्री सुव्रत बोस :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विभिन्न खनिजों के लिए रायल्टी दरों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए खनिज-वार क्या मापदंड अपनाया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से लौह अयस्क के यथामूल्य आधार पर रायल्टी दरें निर्धारित करने और क्रोमओर का बेंचमार्क मूल्य उड़ीसा खनन निगम (ओएमसी) और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा नियत दर के आधार पर निर्धारित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या केंद्र सरकार का विचार खनन पट्टे देने और खनिजों की रायल्टी दरें निर्धारित करने का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों को सौंपने का है, जैसाकि उनके द्वारा मांग की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) नई खनिज नीति से खनन क्षेत्र में खामियों को किस सीमा तक दूर करने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिकर) : (क) और (ख) खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट, 1957) की धारा 9 के अनुसार खनन पट्टे के धारक को उसके द्वारा निकाले गए किसी भी खनिज के संबंध में उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर रायल्टी का भुगतान करना होता है। इस प्रावधान के अनुसार रायल्टी दरों को संशोधित करने के उद्देश्य से खान मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन दल का गठन किया गया था जिसने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के सुझावों को अध्ययन दल द्वारा, जिसमें खनिज समृद्ध राज्य सदस्य हैं उपयुक्ततः ध्यान में रखा गया है और उनका समावेदन किया गया है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारें खनिजों की मालिक हैं और खनन पट्टा प्रदान करती हैं। केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन केवल एमएमडीआर एक्ट, 1957 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों के मामलों में ही अपेक्षित होता है। देश में रायल्टी की दरों में एकरूपता बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार गैर-ईंधन, गैर-कोयला प्रमुख खनिजों के लिए रायल्टी की दरें अधिसूचित करती है। राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में रायल्टी की दरें अधिसूचित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। उक्त स्कीम को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 खनन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से खनिज रियायत प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित तथा सरलीकृत करना चाहती है।

जम्मू और कश्मीर में बाढ़ को शिफ्ट करना

4115. श्री रमेश चन्दर्न :
श्री भरहरि महताब :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में बाढ़ को शिफ्ट करने का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है और उन स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जहां बाढ़ को शिफ्ट किया जा रहा है तथा उन स्थानों की दूरी कितनी है; और

(घ) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) जी हां, श्रीमान

(ख) शुरू में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोली-बारी किए जाने के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य में कुल 38.015 कि.मी. के कुछ हिस्सों में बाड़, भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कहीं पीछे रखी गई थी और इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 400 मीटर से 1500 मीटर की अलग-अलग दूरियों पर किया गया था। दिनांक 26 नवम्बर, 2003 से युद्ध-विराम लागू होने के तुरंत बाद यह निर्णय लिया गया था कि क्षेत्रों की बेहतर ढंग से निगरानी करने के साथ-साथ खेती योग्य अधिकतम जमीन को सीमा पर बाड़ को घरों की तरफ रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट बाड़ का निर्माण किया जाए।

(ग) जम्मू और कश्मीर में कुल 38.015 कि.मी. की बाड़ को स्थानांतरित करने की कुल लागत 2,834 लाख रुपए है। उन स्थानों का ब्यौरा जहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाड़ को स्थानां तरित किया जा रहा है, नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	स्थान	पुन: सरेखण के लिए प्रस्तावित लम्बाई (कि.मी. में)	पुन: सरेक्षण के लिए प्रस्तावित बाड़ की दूरी (कि.मी. में)
1	2	3	4
1.	बी ओ पी बेलियाजमात से बी टी एफ डब्ल्यू डी (बी पी सं. 736/1 से 772)	5.400	30 मीटर से 150 मीटर की अलग-अलग दूरियां
2.	बी ओ पी नवापिंड से जुग्नेचक (बी पी सं. 943 से 950)	2.700	-तदैव-
3.	बी ओ पी सुचेतगढ़ से बी ओ पी कररोटाना खुर्द (बी पी सं. 899 से 903)	1.400	-तदैव-
4.	बी ओ पी खटमरियां से अब्दुलियां (बी पी सं. 843 से 867)	2.800	-तदैव-
5.	बी ओ पी कोटकुब्बा से चिनाज (बी पी सं. 1035 से 1054)	6.000	-तदैव-
6.	बी ओ पी टैंटगार्ड से पिंडी (बी पी सं. 60 से 62)	1.550	-तदैव-
7.	बी ओ पी माजरा से कंडूल (बी पी सं. 15 से 26)	5.400	-तदैव-
8.	बी पी सं. 13 के निकट बी ओ पी मालूचक क्षेत्र का भाग धुल गया है	0.660	-तदैव-
9.	बी ओ पी कटाव (बी पी सं. 115 से 122)	0.800	-तदैव-
10.	बी ओ पी मंगूचक (बी पी सं. 134 से 152)	2.400	-तदैव-
11.	बी ओ पी खोड़ा (बी पी सं. 152 से 169)	2.730	-तदैव-

1	2	3	4
12.	बी ओ पी गलर (बी पी सं. 67 से 61)	2.081	-तदैव-
13.	बी ओ पी टैंट गार्ड (बी पी सं. 13 से 19)	1.700	-तदैव-
14.	बी ओ पी पंसर (बी पी सं. 19 से 42)	3.425	-तदैव-
15.	बी ओ पी कोरगालिल (बी पी सं. 42 से 48)	0.500	-तदैव-

इसके अतिरिक्त पंजाब में 22.585 कि.मी. कर सीमा की बाड़ को भी भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट स्थानांतरित किया जा रहा है।

(घ) जम्मू और कश्मीर में जो कार्य पहले ही शुरू हो चुका है उसके वर्ष 2009-10 के अंत तक पूरा होने की आशा है। पंजाब में यह कार्य वर्ष 2010-11 के अंत तक पूरा होने की आशा है।

मोबाइल फोन रैकेट

4116. **श्री उदय सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक मोबाइल क्लोनिंग के रैकेट का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्य-प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दर्ज किए गए ऐसे मामलों और गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की कुल संख्या कितनी है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस ने एक संचार कंपनी के कुछ नम्बरों की क्लोनिंग के अवैध प्रयोग संबंधी एक शिकायत पर 5 मार्च, 2008 को एक मामला दर्ज किया और इस संबंध में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2005, 2006, 2007 के दौरान और 10 अप्रैल, 2008 तक के दौरान ऐसे दर्ज मामलों और गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या	गिरफ्तार आरोपित व्यक्तियों की संख्या
2005	4	11
2006	2	8
2007	शून्य	शून्य
2008	1	4

वर्ष 2005 में दर्ज सभी चार मामले विचारण के लिए लम्बित है। 2006 और 2008 में दर्ज अन्य मामलों में जांच प्रक्रिया जारी है।

शिकायत के मिलने पर कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में विभिन्न कदम उठाए है जिनमें स्थानीय आसूचना को विकसित करना, मोबाइल फोन बेचने, खरीदने और मरम्मत से संबंधित दुकानों की निगरानी रखना इत्यादि शामिल है।

[हिन्दी]

आंतरिक सुरक्षा के लिए धनराशि

4117. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आंतरिक सुरक्षा पर अलग-अलग कुल कितनी धनराशि जारी/उपयोग की गई;

(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान आंतरिक सुरक्षा पर धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में धनराशि के समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने हेतु पुलिस बल आधुनिकीकरण स्कीम (एमपीएफ स्कीम) योजनेजर स्कीम के तहत 2005-06 से 2007-08 के विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को आवंटित/जारी की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) एमपीएफ स्कीम के तहत राज्यों को जारी की गई निधियों का दुरूपयोग किए जाने के संबंध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) स्कीम पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों से आवधिक रूप से कहा जाता है कि वे निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करें, विगत वर्ष (वर्षों) के दौरान जारी की गई केन्द्रीय निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें जो अगले वित्त वर्ष (वर्षों) के दौरान निधियां जारी करने की पूर्व-शर्त है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर राज्यों के साथ उच्च शक्ति प्राप्त समिति (एच पी सी) की बैठकों में एम पी एफ स्कीम के तहत निधियों के इष्टतम उपयोग से संबंधित मामले पर चर्चा की जाती है।

विवरण

राज्य का नाम	2005-06				2006-07				2007-08	
	आवंटित निधि	जारी की गई निधि	व्यय की गई निधि	अपव्ययित राशि	आवंटित निधि	जारी की गई निधि	व्यय की गई निधि	अपव्ययित राशि	आवंटित निधि	जारी की गई निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	101.41	101.41	101.41	0.00	88.12	88.12	68.22	19.90	87.34	87.34
अरुणाचल प्रदेश	7.00	7.00	0.62	6.38	11.53	11.53	11.53	0.00	10.70	10.70
असम	56.68	56.68	48.86	7.82	52.18	52.18	एनए	एनए	87.82	87.82
बिहार	39.87	39.87	35.63	4.24	51.62	51.62	एनए	एनए	16.24	16.24
छत्तीसगढ़	40.74	40.74	35.45	5.29	57.06	57.06	8.51	48.55	41.72	41.72
गोवा	1.06	1.06	0.00	1.06	1.00	1.00	0.86	0.14	2	2
गुजरात	39.85	39.85	39.85	0.00	45.52	45.52	एनए	एनए	51.9	51.9
हरियाणा	14.95	14.95	14.95	0.00	19.69	19.69	17.12	2.57	35.75	35.75
हिमाचल प्रदेश	6.78	6.78	6.78	0.00	3.92	3.92	3.51	0.41	10.27	10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जम्मू और कश्मीर	109.22	109.22	104.38	4.84	88.13	88.13	84.27	3.86	115.34	115.34
झारखंड	40.74	40.74	40.73	0.01	47.00	47.00	31.18	15.82	50.95	50.95
कर्नाटक	65.85	65.85	65.85	0.00	64.15	64.15	46.16	17.99	78.13	78.13
केरल	18.84	18.84	18.84	0.00	24.53	24.53	17.85	6.68	40.01	40.01
मध्य प्रदेश	31.65	31.65	31.65	0.00	43.24	43.24	35.31	7.93	57.68	57.68
महाराष्ट्र	88.78	88.78	85.15	3.63	105.10	105.10	एनए	एनए	78.87	78.87
मणिपुर	16.97	16.97	16.97	0.00	14.09	14.09	14.09	0.00	32.07	32.07
मेघालय	6.57	6.57	6.57	0.00	8.59	8.59	8.59	0.00	15.44	15.44
मिजोरम	6.00	6.00	6.00	0.00	10.48	10.48	10.48	0.00	11	11
नागालैंड	17.52	17.52	17.52	0.00	22.68	22.68	22.68	0.00	30.72	30.72
उड़ीसा	35.08	35.08	34.85	0.23	38.00	38.00	22.80	15.20	45.80	45.80
पंजाब	20.31	20.31	20.31	0.00	15.00	15.00	14.36	0.64	34.94	34.94
राजस्थान	34.81	34.81	34.80	0.01	40.47	40.47	38.95	1.52	49.60	49.60
सिक्किम	2.43	2.43	2.15	0.28	3.46	3.46	3.14	0.32	4.42	4.42
तमिलनाडु	65.51	65.51	65.51	0.00	61.65	61.65	56.90	4.75	75.74	75.74
त्रिपुरा	11.83	11.83	4.60	7.23	11.34	11.34	3.20	8.14	14.47	14.47
उत्तर प्रदेश	98.12	98.12	98.12	0.00	94.28	94.28	79.29	14.99	115.44	115.44
उत्तराखंड	16.76	16.76	16.76	0.00	5.28	5.28	5.00	0.28	9.89	9.89
पश्चिम बंगाल	29.67	29.67	29.67	0.00	37.11	37.11	एनए	एनए	44.45	44.45
कुल	1025.00	1025.00	983.98	41.02	1065.22	1065.22	604.00	461.22	1248.70	1248.70

वर्ष 2007-08 के आंकड़ों की लेखा परीक्षा नहीं हुई है।

टिप्पणी : चूंकि वित्तीय वर्ष अभी समाप्त हुआ है। इसलिए वर्ष 2007-08 के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि और उनके पास उपलब्ध अपव्ययित शेष राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालयों संबंधी जे.सी.पंत समिति की सिफारिशें

4118. डा. वीरेंद्र अग्रवाल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे.सी. पंत समिति ने केन्द्रीय विद्यालयों के कार्यकरण पर कोई सिफारिशें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिफारिशों को लागू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता हासिल हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की कार्य प्रणाली और प्रबंध संरचना की समीक्षा के लिए दिसम्बर, 2001 में गठित जे.सी. पंत समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इनमें से अनेक सिफारिशों को विभिन्न रूपों में पहले ही लागू कर दिया है।

(घ) पंत समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर स्थानांतरण दिशा-निर्देशों, दाखिला नीति, भर्ती नीति आदि में संशोधन जैसे कई नीति-निर्णयों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की प्रबंधन संरचना तथा संचालन तंत्र की समीक्षा के लिए गठित समीक्षा समिति की सिफारिशों (पंत समिति की रिपोर्ट) का सारांश

I. दाखिला नीति की समीक्षा तथा विस्तार की आवश्यकता

(क) प्रत्येक वर्ष कक्षा-11 से लेकर आगे की सभी कक्षाओं के लिए नए दाखिलों में से 10% दाखिले योग्यता-आधार पर किए जाएं।

ग्यारहवीं कक्षा में दाखिले के लिए, अन्य विद्यालयों से आने वाले बच्चों के लिए न्यूनतम 80% अंकों के प्रावधान में छूट देकर 75% अंकों का प्रावधान किया जाए, बशर्ते ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम हो।

(ख) (i) रजिस्ट्रेशन फार्मों की बिक्री तथा रजिस्ट्रेशन 1 दिसम्बर से 31 जनवरी तक किया जाना चाहिए।

(ii) फार्म की प्राप्ति की अंतिम तारीख 31 जनवरी होनी चाहिए।

(iii) दाखिला सूची को 15 फरवरी तक प्रदर्शित कर दिया जाना चाहिए।

(iv) दाखिले 1 मार्च तक हो जाने चाहिएं।

(v) नए दाखिले की अंतिम तारीख 31 जुलाई हो।

(vi) अपवादी मामलों में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले दाखिले की अनुमति दे सकते हैं।

(ग) (i) 15 वर्ष से कम सेवा वाले भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को श्रेणी-2 में रखा जाएगा।

(ii) केन्द्र सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के बच्चों को भुगतान सीटों पर दाखिला प्रदान करने हेतु उन्हें अलग खंड में रखा जाएगा।

II. संगठन में संरचनात्मक परिवर्तन: क्या संगठन की मौजूदा संरचना जारी रहनी चाहिए अथवा क्षेत्रीय संरचनाओं के गठन जैसे कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं।

(क) अतिरिक्त क्षेत्रों का सृजन ताकि एक क्षेत्र के अंतर्गत 28 से 30 केन्द्रीय विद्यालय सुनिश्चित किए जा सकें।

(ख) 05 राष्ट्रीय जोनों का सृजन, जिसमें प्रत्येक राष्ट्रीय जोन में 6 क्षेत्र होंगे जो कर्मचारी की भर्ती, उनकी तैनाती तथा स्थानांतरण आदि का कार्य करेंगे।

(ग) शिक्षा अधिकारी और केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद अंतरपरिवर्तनीय बनाए जाएंगे।

(घ) विभिन्न कार्यकलापों की दृष्टि से प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय की ग्रेडिंग की जाएगी। केन्द्रीय विद्यालय को कार्यनिष्पादन के लिए अधिक उत्तरदायी बनाने के योजनार्थ शिक्षा अधिकारियों और केन्द्रीय विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य के कर्तव्यों का सुस्पष्ट उल्लेख करने की आवश्यकता है।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 4 मुख्य लक्ष्यों के अलावा स्थानीय, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सरोकारों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय को एक स्थानीय लक्ष्य निर्धारित करना होगा।

(च) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों को कम्प्यूटरों के माध्यम से जोड़ना।

III. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के संबंध में मौजूदा भर्ती एवं स्थानांतरण नीति की समीक्षा

(क) प्रस्तावित नेशनल जोनल पुर्नसंगठन के उपरांत केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों से विकल्प एवं अग्रता मांगने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार प्रत्येक मंडल में भर्ती करेगा। प्राथमिक शिक्षक के रूप में निष्पादन के आधार पर ही टी.जी.टी. स्तर पर भर्ती के लिए उनका चयन किया जाएगा और पी. जी.टी. के रूप में पदोन्नति के लिए प्रवीणता परीक्षा को अनिवार्य किया जाएगा।

(ग) नेशनल जोनल प्रणाली को स्थानांतरण और प्रथम तैनाती के लिए टी.जी.टी. स्तर के लिए प्रभावी किया जाएगा जबकि पी.जी.टी. और उससे ऊपर के स्तर के लिए कर्मचारी के वर्तमान अखिल भारतीय स्वरूप को ही रखा जाएगा। जोन परिवर्तन का अनुरोध करने वाले किसी कर्मचारी के अनुरोध को स्वीकार कर लिए जाने पर उनकी प्रवरता कम हो जाएगी।

(घ) मौजूदा स्थानांतरण नीति को बनाए रखा जाएगा। तथापि, इसे केवल पी.आर.टी. और टी.जी.टी के लिए ही नेशनल जोनल आधार पर लागू किया जाएगा।

(ङ) दूरस्थ इलाकों में केंद्रीय विद्यालय की कार्यकारिणी समिति संविदा के आधार पर बिना बी.एड. योग्यता वाले शिक्षकों की भर्ती कर सकती है।

(च) जहां तक हो सके केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत पति-पत्नी को एक साथ रखा जाएगा।

(छ) पी.जी.टी. स्तर पर सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति पर तैनाती उस जोन के बाहर होगी जहां वे कार्यरत हैं। सभी अन्य शिक्षक जो टी.जी.टी. अथवा प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नत हों उन्हें अपने वर्तमान कार्यस्थान से वर्तमान तैनाती वाले जोन में ही बाहर तैनात किया जाएगा।

IV. परीक्षोन्मुखी शिक्षा के साथ बच्चों के चहुंमुखी विकास का समुचित सम्मिश्रण और इनमें परिवर्तन हेतु सुझाव

प्रत्येक माह एक बार कक्षा-वार प्रश्नोत्तरी अथवा वक्तृता अथवा अन्य प्रकार की आत्माभिव्यक्ति हेतु कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।

अकादमिक निरीक्षणों को अधिक व्यापक, शिक्षाप्रद और परिणामोन्मुख बनाकर उन्हें दुरूस्त बनाया जाना चाहिए। कक्षा I से V, VI से VIII, IX से X और XI से XII के लिए प्रत्येक छात्र का एक ही रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। अकादमिक और पाठ्येतर क्रियाकलापों में अच्छे शिक्षकों की उपलब्धि को उचित मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। प्रधानाचार्य और शिक्षकों के निष्पादन के निर्धारण के लिए केवल बोर्ड कक्षाओं के वार्षिक परिणामों को ही कसौटी नहीं माना जाना चाहिए। अन्य कक्षाओं विशेष तौर पर VI, IX और XI के परिणामों का भी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा विश्लेषण किया जाना चाहिए। भाषा अध्ययन एवं अभिव्यक्ति में सुधार किया जाना चाहिए। स्कूल की छुट्टी के समय सभी छात्रों तथा शिक्षकों के लिए प्रतिदिन आधे घंटे का श्रमदान आरंभ करना। छात्रों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की शिक्षण संबंधी जरूरतों के संदर्भ में शिक्षकों को प्रत्येक स्कूल दिवस में छुट्टी के बाद एक घंटा तक स्कूल में रूकना चाहिए ताकि वे अगले दिन के शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बना सकें।

V. खेलकूद, योग एवं शारीरिक शिक्षा तथा भाषा अधिगम का प्रोन्नयन

स्कूल में योग कक्षाएं चलाने के लिए निर्मित उचित परिवेश

हेतु उचित अवसंरचनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए। खेलकूद तथा योग के लिए अवरंचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किया जाना चाहिए। सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से खेलकूद संबंधी सभी कार्यकलापों में भाग लेना चाहिए तथा उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार ग्रेड दिए जाने चाहिएं।

सभी केंद्रीय विद्यालयों में सामूहिक शारीरिक प्रशिक्षण पुन: आरंभ किया जाना चाहिए। शारीरिक शिक्षा शिक्षकों तथा योग अनुदेशकों द्वारा छात्रों के शारीरिक कल्याण तथा मुद्रा आदि की उचित रूप से देखभाल की जानी चाहिए।

VI. शैक्षिक अथवा प्रबंध सुधार से संबंधित अन्य कोई मामला

प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य अथवा सहायक अधीक्षक कोषाध्यक्ष सह केयर-टेकर के रूप में कार्य कर सकते हैं ताकि वे दैनिक प्रशासनिक मामलों में प्रधानाचार्य की सहायता कर सकें ताकि प्रधानाचार्य शैक्षिक मामलों में अपनी पर्याप्त भागीदारी कर सकें।

अनुरक्षण तथा मरम्मत संबंधी कार्य को सुविधाजनक बनाने हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा एक मानक कार्य निष्पादन संविदा प्रपत्र तैयार किया जाएगा।

व्यावसायिक कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्राधिकार अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति को प्रत्यायित किया जाएगा।

क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षकों हेतु विषयवार कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ताकि उनके शिक्षण कौशल को सुधारा जा सके।

बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षकों को उत्तरदायी बनाने के प्रयोजनार्थ एक व्यावसायिक दृष्टिकोण तैयार करने की आवश्यकता है।

पढ़ाई में पीछे रह जाने वालों के कार्यानिष्पादन में सुधार करने हेतु स्कूल समय के उपरांत निरीक्षणाधीन अध्ययन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

स्कूल शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाना। कक्षा XI में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के नामों को पेशेवर अथवा फाउन्डेशन पाठ्यक्रम में परिवर्तित करना चाहिए।

कक्षा VI से विद्यार्थियों के माता-पिता से उनके बच्चों की सीखने की क्षमता के बारे में काउंसलिंग प्रारंभ की जानी चाहिए।

राज्यों में केन्द्रीय विद्यालयों का सी.बी.एस.ई. के अलावा अन्य परीक्षा बोर्डों के साथ सम्बद्धन।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेक्स रैकेट

4119. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री सूरज सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सैक्स रैकेटों का भंडाफोड़ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक सरकार द्वारा कोई छापा मारा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गिरफ्तार किए गए आरोपी व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है तथा उनके खिलाफ अलग-अलग पुलिस स्टेशन-वार क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या कुछ पुलिस कर्मियों को बिना किसी सत्यापन के ऐसे आरोपियों को छोड़ने का दोषी पाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो गिरफ्तार किए गए ऐसे पुलिस कर्मियों की कुल संख्या कितनी है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में चल रहे कई सैक्स रैकेटों का भंडाफोड़ किया है और इन सभी मामलों में पुलिस ने छापे मारे हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
2005	89	370
2006	78	291
2007	31	145
2008 (31 मार्च तक)	5	28

वर्ष 2005, 2006, 2007 और दिनांक 31 मार्च, 2008 तक के दौरान पुलिस स्टेशन-वार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ऐसे किसी अभियुक्त को छोड़ने के लिए किसी पुलिस कार्मिक को दोषी नहीं पाया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष-2005

क्र. सं.	प्राथमिकी संख्या	पुलिस स्टेशन	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	मामले की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	9	प्रीत विहार	2	लम्बित विचारण
2.	27	प्रीत विहार	1	लम्बित विचारण
3.	31	प्रीत विहार	3	लम्बित विचारण
4.	24	गीता कालोनी	3	लम्बित विचारण
5.	71	न्यू अशोक नगर	7	लम्बित विचारण
6.	255	मंडावली	7	लम्बित विचारण
7.	301	गांधी नगर	6	लम्बित विचारण
8.	45	कनाट प्लेस	2	लम्बित विचारण
9.	530	कनाट प्लेस	5	लम्बित विचारण
10.	28	चाणक्यपुरी	1	लम्बित विचारण
11.	46	चाणक्यपुरी	4	लम्बित विचारण
12.	96	चाणक्यपुरी	3	लम्बित विचारण
13.	52	सीमापुरी	4	लम्बित विचारण
14.	283	सीमापुरी	32	लम्बित विचारण
15.	50	न्यू उसमानपुर	8	लम्बित विचारण
16.	50	भजनपुरा	13	लम्बित विचारण
17.	512	सराय रोहिल्ला	4	लम्बित विचारण
18.	197	कमला मार्केट	2	लम्बित विचारण
19.	359	कमला मार्केट	3	लम्बित विचारण
20.	489	कमला मार्केट	3	लम्बित विचारण
21.	558	कमला मार्केट	2	लम्बित विचारण
22.	714	कमला मार्केट	5	लम्बित विचारण
23.	105	प्रसाद नगर	4	लम्बित विचारण
24.	249	हौज खास	7	लम्बित विचारण
25.	160	पहाड़गंज	5	लम्बित विचारण
26.	262	पहाड़गंज	3	लम्बित विचारण
27.	433	सरस्वती विहार	8	लम्बित विचारण
28.	634	सरस्वती विहार	4	लम्बित विचारण
29.	656	सरस्वती विहार	7	लम्बित विचारण
30.	277	प्रशांत विहार	3	लम्बित विचारण
31.	284	प्रशांत विहार	3	लम्बित विचारण
32.	535	प्रशांत विहार	3	लम्बित विचारण
33.	728	प्रशांत विहार	2	लम्बित विचारण
34.	762	प्रशांत विहार	3	लम्बित विचारण
35.	794	प्रशांत विहार	3	लम्बित विचारण
36.	795	प्रशांत विहार	4	लम्बित विचारण
37.	795	प्रशांत विहार	3	लम्बित विचारण

1	2	3	4	5
38.	809	प्रशांत विहार	3	दोषसिद्ध
39.	150	जहांगीर पुरी	3	लम्बित विचारण
40.	248	जहांगीर पुरी	2	लम्बित विचारण
41.	68	शालीमार बाग	2	लम्बित विचारण
42.	439	शालीमार बाग	6	लम्बित विचारण
43.	716	शालीमार बाग	3	लम्बित विचारण
44.	746	शालीमार बाग	4	लम्बित विचारण
45.	1077	शालीमार बाग	2	लम्बित विचारण
46.	107	रोहिणी	3	लम्बित विचारण
47.	123	रोहिणी	3	लम्बित विचारण
48.	193	रोहिणी	3	लम्बित विचारण
49.	297	रोहिणी	2	लम्बित विचारण
50.	299	रोहिणी	3	लम्बित विचारण
51.	33	रोहिणी	3	लम्बित विचारण
52.	306	रोहिणी	3	लम्बित विचारण
53.	447	रोहिणी	3	लम्बित विचारण
54.	472	रोहिणी	2	लम्बित विचारण
55.	525	रोहिणी	4	लम्बित विचारण
56.	650	रोहिणी	4	लम्बित विचारण
57.	681	रोहिणी	3	लम्बित विचारण
58.	681	रोहिणी	3	लम्बित विचारण
59.	838	कालकाजी	3	लम्बित विचारण
60.	848	कालकाजी	4	लम्बित विचारण
61.	232	लोधी कालोनी	3	लम्बित विचारण
62.	47	लाजपत नगर	5	लम्बित विचारण
63.	124	लाजपत नगर	9	लम्बित विचारण
64.	784	लाजपत नगर	3	लम्बित विचारण
65.	788	लाजपत नगर	4	लम्बित विचारण
66.	865	लाजपत नगर	2	लम्बित विचारण
67.	901	लाजपत नगर	4	जांच प्रगति पर है।
68.	526	श्रीनिवासपुरी	6	दोषसिद्ध
69.	719	श्रीनिवासपुरी	4	लम्बित विचारण
70.	96	हौज खास	4	लम्बित विचारण
71.	546	हौज खास	3	लम्बित विचारण
72.	156	मालवीय नगर	4	लम्बित विचारण
73.	629	मालवीय नगर	4	लम्बित विचारण
74.	480	महरौली	2	लम्बित विचारण
75.	17	सी आर पार्क	5	लम्बित विचारण
76.	378	सी आर पार्क	5	लम्बित विचारण
77.	43	अम्बेडकर नगर	4	लम्बित विचारण
78.	36	उत्तम नगर	4	लम्बित विचारण
79.	200	पटेल नगर	2	लम्बित विचारण
80.	447	पटेल नगर	2	लम्बित विचारण
81.	708	पंजाबी बाग	4	लम्बित विचारण
82.	79	विकास पुरी	4	लम्बित विचारण
83.	244	वसंत कुंज	1	लम्बित विचारण

1	2	3	4	5
84.	250	वसंत विहार	4	लम्बित विचारण
85.	39	कापसहेड़ा	3	लम्बित विचारण
86.	329	वसंत विहार	8	लम्बित विचारण
87.	307	वसंत विहार	2	लम्बित विचारण
88.	391	दिल्ली कैंट	3	लम्बित विचारण
89.	621	नजफगढ़	9	लम्बित विचारण

वर्ष-2006

क्र. सं.	प्राथमिकी संख्या	पुलिस स्टेशन	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	मामले की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	307	न्यू अशोक नगर	4	लम्बित विचारण
2.	697	प्रीत विहार	3	लम्बित विचारण
3.	543	प्रीत विहार	2	लम्बित विचारण
4.	845	प्रीत विहार	1	लम्बित विचारण
5.	4	पार्लियामेंट स्ट्रीट	2	लम्बित विचारण
6.	505	मंदिर मार्ग	2	लम्बित विचारण
7.	138	चाणक्यपुरी	2	लम्बित विचारण
8.	230	भजनपुरा	4	लम्बित विचारण
9.	329	भजनपुरा	3	लम्बित विचारण
10.	404	भजनपुरा	7	लम्बित विचारण
11.	464	वेलकम	2	लम्बित विचारण
12.	158	एम.एस. पार्क	7	लम्बित विचारण
13.	292	एम.एस. पार्क	8	लम्बित विचारण
14.	917	गोकुलपुरी	6	लम्बित विचारण
15.	244	दिलशाद गार्डन	3	लम्बित विचारण
16.	355	दिलशाद गार्डन	4	लम्बित विचारण
17.	445	न्यू उसमानपुर	3	लम्बित विचारण
18.	47	कमला मार्केट	3	लम्बित विचारण
19.	609	कमला मार्केट	3	लम्बित विचारण
20.	616	कमला मार्केट	2	जांच पड़ताल जारी है।
21	781	कमला मार्केट	3	लम्बित विचारण
22.	818	कमला मार्केट	6	लम्बित विचारण
23.	494	देशबंधु गुप्ता मार्ग	4	लम्बित विचारण
24.	155	सरस्वती विहार	5	लम्बित विचारण
25.	1452	सरस्वती विहार	2	लम्बित विचारण
26.	34	मुकर्जी नगर	3	लम्बित विचारण
27.	198	मुकर्जी नगर	7	लम्बित विचारण
28.	650	मुकर्जी नगर	4	लम्बित विचारण
29.	247	मुकर्जी नगर	4	लम्बित विचारण
30.	295	प्रशांत विहार	4	लम्बित विचारण
31.	278	प्रशांत विहार	3	लम्बित विचारण
32.	493	प्रशांत विहार	5	लम्बित विचारण
33.	265	जहांगीर पुरी	4	जांच पड़ताल जारी है।
34.	282	जहांगीर पुरी	3	लम्बित विचारण

1	2	3	4	5
35.	261	शालीमार बाग	4	लम्बित विचारण
36.	748	सुल्तानपुरी	2	लम्बित विचारण
37.	978	सुल्तानपुरी	2	लम्बित विचारण
38.	1300	सुल्तानपुरी	2	लम्बित विचारण
39.	639	बादली	5	लम्बित विचारण
40.	802	बादली	5	लम्बित विचारण
41.	457	मंगोलपुरी	6	लम्बित विचारण
42.	620	रोहिणी	2	लम्बित विचारण
43.	707	रोहिणी	5	लम्बित विचारण
44.	691	न्यू फ्रेंडस कालोनी	4	लम्बित विचारण
45.	368	कालकाजी	8	लम्बित विचारण
46.	763	कालकाजी	1	लम्बित विचारण
47.	1304	कालकाजी	3	लम्बित विचारण
48.	1316	कालकाजी	3	लम्बित विचारण
49.	1185	सरिता विहार	2	लम्बित विचारण
50.	624	लाजपत नगर	7	लम्बित विचारण
51.	633	लाजपत नगर	4	लम्बित विचारण
52.	775	लाजपत नगर	4	लम्बित विचारण
53.	905	लाजपत नगर	5	लम्बित विचारण
54.	391	हजरत निजामुद्दीन	14	लम्बित विचारण
55.	397	हजरत निजामुद्दीन	4	लम्बित विचारण
56.	401	हजरत निजामुद्दीन	3	लम्बित विचारण

1	2	3	4	5
57.	810	हजरत निजामुद्दीन	4	लम्बित विचारण
58.	861	मालवीय नगर	3	लम्बित विचारण
59.	231	ग्रेटर कैलाश	2	लम्बित विचारण
60.	254	सी.आर. पार्क	2	लम्बित विचारण
61.	260	सी.आर. पार्क	5	लम्बित विचारण
62.	1166	राजौरी गार्डन	2	लम्बित विचारण
63.	225	पटेल नगर	6	लम्बित विचारण
64.	318	पटेल नगर	3	लम्बित विचारण
65.	767	पटेल नगर	3	जांच पड़ताल जारी है।
66.	792	पटेल नगर	0	मामला रद्द किया गया है।
67.	308	मोती नगर	3	लम्बित विचारण
68.	689	पश्चिम विहार	3	जांच पड़ताल जारी है।
69.	189	विकास पुरी	4	लम्बित विचारण
70.	676	सरोजिनी नगर	2	लम्बित विचारण
71.	382	वसंत विहार	6	लम्बित विचारण
72.	435	वसंत कुंज	3	लम्बित विचारण
73.	474	वसंत कुंज	3	लम्बित विचारण
74.	351	वसंत विहार	5	लम्बित विचारण
75.	310	सरोजिनी नगर	6	लम्बित विचारण
76.	25	आर.के. पुरम	3	जांच पड़ताल जारी है।

वर्ष 2007

क्र. सं.	प्राथमिकी संख्या	पुलिस स्टेशन	गिरफ्तार किए गए लोग	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	69	प्रीत विहार	2	लम्बित विचारण
2.	82	प्रीत विहार	2	लम्बित विचारण
3.	84	मंडावली	5	लम्बित विचारण
4.	169	शकुरपुर	3	लम्बित विचारण
5.	137	आनंद विहार	4	लम्बित विचारण
6	168	मंडावली	6	लम्बित विचारण
7.	581	शकरपुर	4	लम्बित विचारण
8.	558	प्रीत विहार	10	लम्बित विचारण
9.	472	मंडावली	4	लम्बित विचारण
10.	69	चाणक्यपुरी	2	जांच पड़ताल जारी है।
11.	310	सीमापुरी	8	लम्बित विचारण
12.	216	सीमापुरी	7	जांच पड़ताल जारी है।
13.	451	सीलमपुर	5	लम्बित विचारण
14.	160	कमला मार्केट	2	दोष सिद्ध
15	58	हौज काजी	2	लम्बित विचारण
16.	172	प्रसाद नगर	4	लम्बित विचारण
17.	72	राजेन्द्र नगर	4	लम्बित विचारण
18.	66	पहाड़गंज	9	लम्बित विचारण
19.	468	सरस्वती नगर	5	जांच पड़ताल जारी है।
20.	127	माडल टाउन	2	जांच पड़ताल जारी है।
21.	103	रोहिणी	8	लम्बित विचारण
22.	226	सरिता विहार	6	लम्बित विचारण
23.	615	बदरपुर	5	लम्बित विचारण
24.	806	बदरपुर	1	लम्बित विचारण
25.	215	डिफेंस कालोनी	6	लम्बित विचारण
26.	330	लाजपत नगर	4	लम्बित विचारण
27.	757	लाजपत नगर	6	लम्बित विचारण
28.	251	मालवीय नगर	4	लम्बित विचारण
29.	269	राजौरी गार्डन	5	लम्बित विचारण
30.	150	सरोजिनी नगर	6	लम्बित विचारण
31.	30	आर.के. पुरम	4	लम्बित विचारण

वर्ष-2008

क्र. सं.	प्राथमिकी संख्या	पुलिस स्टेशन	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	मामले की स्थिति
1.	70	सीलमपुर	9	जांच पड़ताल जारी है।
2.	35	करावल नगर	4	जांच पड़ताल जारी है।
3.	33	न्यू उसमान पुर	6	लम्बित विचारण
4.	29	प्रशांत विहार	3	जांच पड़ताल जारी है।
5.	86	डिफेंस कालोनी	6	लम्बित विचारण

माध्यमिक शिक्षा

4120. **श्री सूरज सिंह :**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी वर्षों के दौरान माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार करने और उसका विस्तार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं योजना के अंत तक देश के माध्यमिक विद्यालयों में 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के कितने छात्रों के प्रवेश लेने की संभावना हैं; और

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "माध्यमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण" पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति ने अपनी रिपोर्ट (जून, 2005) में यह अनुमान लगाया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना (2011-12) के अंत तक माध्यमिक स्तर (ग्रेड ix-x) हेतु नामांकन सर्व शिक्षा अभियान की 100 प्रतिशत सफलता के आधार पर 4.66 करोड़ तथा सर्व शिक्षा अभियान की 75 प्रतिशत सफलता के आधार पर 3.42 करोड़ होगा। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

तकनीकी-उद्यमिता पार्क

4121. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में तकनीकी उद्यमिता पार्कों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में ऐसे और पार्कों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनकी कब तक स्थापना हो जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों की स्थापना की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अनुसंधान और विकास आधार वाले शैक्षिक संस्थानों में स्थापित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों (एसटीईपी) को बढ़ावा दिया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव प्रौद्योगिकी पार्कों को बढ़ावा दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों तथा जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की राज्य-वार सूची क्रमश: संलग्न विवरण-I व II में दी गई है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी यूनिटों को सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रदान करने के उद्देश्य से संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत के साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपीआई) को बढ़ावा दिया है। एसटीईपी की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-III पर दी गई है।

(ग) से (ङ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों (एसटीईपी) तथा इसी प्रकार के अन्य पार्कों की स्थापना करने का प्रस्ताव विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा समय-समय पर प्राप्त होते हैं और विनिर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार उन पर विचार किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संवर्धित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों (एसटीईपी एस) का राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य	एसटीईपीएस की सं.	स्थान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	— इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद

1	2	3	4
2.	गुजरात	1	– एनएसआईजी तकनीकी सेवा केन्द्र, अजी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, भाव नगर रोड, राजकोट
3.	झारखंड	1	– बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची
4.	हिमाचल प्रदेश	1	– हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
5.	कर्नाटक	3	– एस जे इंजीनियरिंग कालेज, मैसूर
			– राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सुरथकल
			– बासवेश्वर इंजीनियरिंग कालेज, बागलकोट
6.	मध्य प्रदेश	1	– मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
7.	महाराष्ट्र	1	– पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
8.	पंजाब	2	– गुरू नानक देव इंजीनियरिंग कालेज, लुधियाना
			– थापर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला
9.	तमिलनाडु	2	– राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली
			– पीएसजी प्रौद्योगिकी कालेज, कोयम्बटूर
10.	उत्तर प्रदेश	1	– हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
11.	उत्तराखंड	1	– भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की
12.	पश्चिम बंगाल	1	– भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर
	कुल 16 एसटीईपी एस		

विवरण-II

जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संवर्धित जैवप्रौद्योगिकी पार्कों का राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	शापूरजी पालोन्जी बायोटैक पार्क (एसपीबीपी), जीनोम वैली, तुरकापल्ली, आंध्र प्रदेश
2.	केरल	केरल जैवप्रौद्योगिकी पार्क, कालामासेरी, कोच्चि
3.	उत्तर प्रदेश	बायोटैक पार्क, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

विवरण-III

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संवर्धित भारत के साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

क्र.सं.	राज्य	एसटीपीआई केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		तिरुपति

1	2	3
3.		विजयवाड़ा
4.		विजाग
5.		वारंगल
6.		काकीनाडा
7.	असम	गुवाहाटी
8.	छत्तीसगढ़	भिलाई
9.	गुजरात	गांधीनगर
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
11.	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर
12.		जम्मू
13.	झारखंड	रांची
14.	कर्नाटक	बंगलौर
15		हुबली
16.		मंगलौर
17.		मणिपाल
18.		मैसूर
19.	केरल	तिरूवनंतपुरम
20.	मध्य प्रदेश	इंदौर
21.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
22.		नागपुर
23.		नासिक
24.		नवी मुम्बई
25.		कोल्हापुर
26.		पुणे
27.	मणिपुर	इम्फाल
28.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
29.		राउरकेला
30.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
31.	पंजाब	मोहाली
32.	राजस्थान	जयपुर
33.		जोधपुर
34.	सिक्किम	गंगटोक
35.	तमिलनाडु	चेन्नई
36.		कोयम्बटूर
37.		मदुरई
38.		तिरूनेलवेली
39.		त्रिची
40.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
41.		लखनऊ
42.		नोएडा
43.		इलाहाबाद
44.	उत्तराखंड	देहरादून
45.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
46.		दुर्गापुर
47.		खड़गपुर
48.		सिलिगुड़ी

बाढ़ राहत

4122. श्रीमती सी.एस. सुजाता :
डा. के. धनराजू :
श्री एम. अप्पादुरई :
श्री इन्नान मोल्लाह :
श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री विजय कृष्ण :
श्री मधु गौड यास्की :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर :
श्री पी.सी. थामस :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत छः महीनों के दौरान आज तक प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुई क्षति के संबंध में विभिन्न राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और आम तथा गेहूं सहित फसल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फसलों की हानि के संबंध में अपनी ओर से कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को दी गई अथवा दी जाने वाली राहत का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महासागर ताप ऊर्जा परिवर्तन

4123. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री मधु गौड़ यास्की :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.) ने जून, 1998 में महासागर ताप ऊर्जा परिवर्तन नामक 35.25 करोड़ रु० की एक प्रयोगिक परियोजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने इस परियोजना के संबंध में कोई टिप्पणी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आने वाले स्वायत्तशासी संस्थान राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.), ने "जय विज्ञान" मिशन के तहत एक मेगावॉट (1 मेगावॉट) के समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण (ओटेक) संयंत्र नामक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इस संयंत्र के तूतीकोरिन के पास 1000 मी. से अधीक गहराई वाले खुले समुद्र में लगाने के लिए "सागर शक्ति" नामक बार्ज पर स्थापित किया गया। एक मेगावॉट वाली ओटेक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना को प्रारंभ में वर्ष 1998-99 से दो वर्ष की अवधि के लिए कुल 35.25 करोड़ रु. की लागत पर सितम्बर, 1998 में एन.आई.ओ.टी. की एक मिशन परियोजना के रूप में स्वीकृत किया गया। इस परियोजना ने एक मीटर व्यास और 1000 मीटर लंबे अंतर्ग्राही पाइप का प्रयोग किया गया। परन्तु खराब मौसम और पर्याप्त तकनीकी सहयोग के न होने के कारण, पाइप को संभाला नहीं जा सका और परिणामस्वरूप यह खो गया। मंत्रालय ने पुनः 22.02.02 को 61.13 करोड़ रु. के संशोधित लागत अनुमान (आर.सी.ई.) तथा परियोजना अवधि को 31 दिसम्बर, 2002 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी। एक बार फिर अंतर्ग्राही पाइप खो गया। इन विफलताओं का विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। इनके विश्लेषण के आधार पर इस परियोजना को पूरा करने के लिए एक संशोधित परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया। वित्त मंत्रालय ने परियोजना समाप्त करने की सिफारिश की तथा तदनुसार परियोजना को स्थगित कर दिया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने टिप्पणी की कि एन. आई.ओ.टी. ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि जिन ठेकेदारों को ठंडे

पानी का पाइप लगाने का कार्य करना है वे इस कार्य के विशेषज्ञ है या नहीं, तथा वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली, विंच आदि युक्त जलयान जैसी लगाई जाने वाली अपेक्षित अवसंरचना मौजूद है या नहीं। सही तरीके से योजना न बनाने तथा परियोजना का उचित प्रबंधन न होने के फलस्वरूप समुद्र तापीय ऊर्जा से विद्युत निर्माण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका और व्यर्थ की व्यय भी हुआ।

(ङ) और (च) जी, हां। डा. एस.सी. गुप्ता, सेवा-निवृत्त निदेशक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), त्रिवेन्द्रम की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने इन विफलताओं का विश्लेषण किया। समिति ने विफलताओं से बचाव के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया।

(छ) देश में पहली बार ओटेक विधि का उपयोग करके समुद्र से विद्युत निर्माण करने का प्रयास किया गया। 1000 मी. की जल गहराई से सागर शक्ति बार्ज पर ठंडे पानी को लाने के लिए अपेक्षित पाइप लगाने के कार्य में सफलता नहीं मिली। तदनन्तर, निम्न तापमान वाली तापीय विलवणीकरण (एल.टी.टी.डी.) प्रायोगिक परियोजना के भाग के रूप में पिछली असफलताओं का विश्लेषण करने के बाद पाइप को 700 मी. तक की गहराई (जिसे नियंत्रक तथा महालेखा निरीक्षक के पैरा में भी रिकॉर्ड किया गया है) में सफलतापूर्वक लगाया गया। एन.आई.ओ.टी. ने 3 अवसरों पर इन पाइपों को सफलतापूर्णक लगाया और पाइपों का कोई नुकसान नहीं हुआ।

विद्यालय में दाखिल नहीं हुए बच्चे

4124. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6-14 आयु वर्ग में विद्यालय में दाखिल नहीं हुए बच्चों के प्रतिशत में वर्ष 2006 में 6.6% से 2007 में 4.2% तक व्यापक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आबंटित और उपयोग में लाई गई धनराशि के संबंध में आंध्र प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में धनराशि के दुरूपयोग की कोई सूचना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्टों के अनुसार 6-14 वर्ष आयु वर्ग में स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या वर्ष 2006 के 5.3% से घटकर वर्ष 2007 में 3.8% हो गई है।

(ग) भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान 281 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

(घ) और (ङ) स्कूल शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान की 14,98,03,378/- रुपये की राशि एस.एस.ए. सोसायटी, आंध्र प्रदेश के सहायक लेखा अधिकारी द्वारा अनधिकृत बैंक खातों में डाल दी गई थी। एस.एस.ए. कार्यालय द्वारा 2.4.2007 को सिटी सेन्ट्रल क्राइम स्टेशन में प्रथम आसूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। तदनुसार राज्य सरकार ने आगे की जांच के लिए केस सी.आई.डी. को सौंप दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने गबन के सभी पहलुओं जिनमें गबन के कारण अथवा गलतियां शामिल हैं और इसमें शामिल तथाकथित व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को 25.5.2007 को जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 लेखा अधिकारियों को निलंबित किया है और अन्य तीन को एस.एस.ए./डी.पी.ई.पी. के राज्य परियोजना कार्यालय से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से लेखाओं की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य महालेखापरीक्षक के माध्यम से 2000-01 से लेकर अब तक की अवधि के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित लेखाओं की विशेष लेखा परीक्षा का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र तथा कर्नाटक सीमा पर उग्रवाद रोकने के उपाय

4125. श्री बापू हरी चौरे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों की सीमाओं पर उग्रवाद और नक्सलवाद की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ विशेष दलों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उग्रवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे परिवारों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) राज्य सरकारें जरूरत के आधार पर अंतर-राज्य संयुक्त पुलिस अभियान चलाती हैं। केन्द्रीय स्तर पर, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) के अधीन आसूचना एजेंसियों, राज्य पुलिस बलों और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलाकर एक कार्य बल बनाया गया है। यह नक्सली क्रियाकलापों से निपटने के लिए आवश्यक अभियानात्मक प्रयासों पर विचार करता है और विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों के बीच समन्वय करता है। यह संयुक्त पुलिस अभियान से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित विशिष्ट अंतर-राज्य समन्वय के संदर्भ में राज्य के छोटे समूहों के साथ अन्योन्यक्रिया भी करता है।

(ग) कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। केन्द्रीय सरकार भी हालात का बारीकी के अनुवीक्षण करती है तथा उनके कार्यों एवं संसाधनों को विभिन्न उपायों द्वारा बढ़ावा देती है जिसमें शामिल हैं राज्य पुलिस बलों की सहायतार्थ केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती करना, इंडिया रिजर्व बटालियनों को मंजूरी देना, राज्य पुलिस एवं आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देना, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करना, राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने में सहायता देना, आसूचना की भागीदारी करना, अंतर राज्य समन्वय सुलभ बनाना तथा विभिन्न मंत्रालयों की अनेकों योजनाओं के जरिए विकास कार्यों में सहायता देना।

[अनुवाद]

सीमा पार से आतंकवाद को रोकने के उपाय

4126. श्री दुष्यंत सिंह :
श्री एस. अचय कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा पार से आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल हुई;

(ग) क्या सीमा पार से आतंकवाद को पूरी तरह रोकने पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) सरकार सीमापार से आतंकवाद एवं देश में आतंकवादी तत्वों की सम्भावित घुसपैठ से निपटने के लिए एक व्यापक एवं बहुआयामी नीति एवं रणनीति का अनुसरण कर रही है। इसमें शामिल हैं, विभिन्न सीमाओं पर विशिष्ट बलों की तैनाती करना, ताकि प्रत्येक सीमा के संबंध में संकेन्द्रित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके, सतत सतर्कता/निगरानी और सघन गश्त हो सके, आसूचना की नियमित भागीदारी और सुरक्षा एजेन्सियों एवं राज्य प्राधिकारियों के बीच समन्वय और भारत-पाक, भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाना एवं तेज रोशनी करना। इसके अतिरिक्त आतंकवादी गुटों की गतिविधियों को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए गृह सचिव स्तर की वार्ता, संयुक्त कार्य समूह, परस्पर विधिक सहायता संधियां और विभिन्न अन्य करारों जैसे द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों एवं तंत्र के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

नेशनल मेरिट स्कॉलशिप योजना

4127. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यनिष्पादन का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में आज की तारीख तक कितनी छात्रवृत्तियां दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) वित्त मंत्री ने दिनांक 28.02.2007 को दिए गए अपने बजट भाषण में कक्षा ix से xii में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्रीय साधन व योग्यता आधारित छात्रवृत्ति स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम में चयन

परीक्षा के आधार पर 6000 रु. वार्षिक की दर से प्रत्येक वर्ष एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) जी, नहीं। स्कीम का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया गया है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग

4128. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (एन.सी.ई.यू.एस.) असंगठित क्षेत्र पर एक और रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट को सभी स्टेकहोल्डीरों (हिस्से-धारकों) के साथ चर्चा करने के बाद अंतिम रूप देकर सरकार के पास भेजा जाएगा;

(ग) क्या एन.सी.ई.यू.एस. ने असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के वित्तपोषण पर पहले दो रिपोर्टें पेश कर दी है;

(घ) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (एन.सी.ई.यू.एस.) द्वारा असंगठित क्षेत्र में श्रम सुधारों, कौशल निर्माण तथा रोजगार कार्यनीति संबंधी रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (एन.सी.ई.यू.एस.) ने 5 नवम्बर, 2007 को 'असंगठित क्षेत्र में उद्यमों का वित्तपोषण' और 'असंगठित क्षेत्र हेतु एक राष्ट्रीय निधि का सृजन (एन.ए.एफ.यू.एस.)' नामक दो रिपोर्टें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को प्रस्तुत की हैं। पहली रिपोर्ट में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन, बैंकों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने, संप्रेषण बिन्दुओं तथा सूक्ष्म वित्तपोषण को सुदृढ़ करने, ऋण प्रदान करने की लागत को विवेक सम्मत बनाने आदि से सम्बन्धित सिफारिशें की गई हैं।

दूसरी रिपोर्ट में क्रेडिट, विपणन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, समान अवस्थापना विकास, आदि क्षेत्रों में सहायता के माध्यम से असंगठित क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताएं पूरी करने हेतु गैर कृषि असंगठित क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय निधि के सृजन का प्रस्ताव किया गया है।

इन रिपोर्टों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।

भारत-चीन सीमा के पास सड़क का निर्माण

4129. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में भारत-चीन सीमा के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय ने भारत-चीन सीमा पर 27 सड़कों का निर्माण करने की व्यापक परियोजना हाथ में ली है। सड़कों को विस्तृत प्रगति एवं स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	सड़क	क्षेत्र	प्रगति/स्थिति
1	2	3	4
1.	मार्सिमिक ला पर सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़क	जम्मू एवं कश्मीर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है। वन/वन्य जीव क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।

1	2	3	4
2.	कारझोक-चुमार	जम्मू एवं कश्मीर	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन/वन्य जीव क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
3.	चार्टसी से प्वाइंट 4433	जम्मू एवं कश्मीर	कार्यानिष्पादन एजेंसी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लागत अनुमान पर तकनीकी समिति शीघ्र ही विचार करेगी। वन/वन्य जीव क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
4.	कोयुल-फोटी ला-चिजुम्ली-जरसार	जम्मू एवं कश्मीर	कार्यानिष्पादन एजेंसी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लागत अनुमान पर तकनीकी समिति शीघ्र ही विचार करेगी। वन क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
5.	चिटकुल से डुम्टी	हिमाचल प्रदेश	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन/वन्य जीव क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
6.	थंगी से चरांग	हिमाचल प्रदेश	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
7.	नामगिया-शिपकी (छप्पन-शिपकी ला)	हिमाचल प्रदेश	कार्यानिष्पादन एजेंसी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लागत अनुमान पर तकनीकी समिति शीघ्र ही विचार करेगी। वन क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
8.	सुगर प्वाइंट-लापचा	हिमाचल प्रदेश	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
9.	सुगर प्वाइंट-पांग-प्वाइंट 4840	हिमाचल प्रदेश	कार्यानिष्पादन एजेंसी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लागत अनुमान पर तकनीकी समिति शीघ्र ही विचार करेगी। वन/वन्य जीव क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
10.	घस्टोली-रट्टाकोना	उत्तराखंड	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन जीव क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
11.	घमसाली-गैलडंग (नीत-गैलडंग)	उत्तराखंड	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
12.	सोनम-पी.डी.ए.	उत्तराखंड	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन/वन्य जीव क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
13.	सुमना-रिमखिम	उत्तराखंड	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वन क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
14.	नागा-जधांग	उत्तराखंड	कार्यानिष्पादन एजेंसी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लागत अनुमान पर तकनीकी समिति शीघ्र ही विचार करेगी। वन/वन्य जीव क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।

1	2	3	4
15.	पी.डी.ए. से सुमला	उत्तराखंड	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन/वन्य जीव क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
16.	पी.डी.ए. से मेंडी	उत्तराखंड	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन/वन्य जीव क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
17.	मुन्सियारी से मिलाम	उत्तराखंड	कार्यानिष्पादन एजेंसी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लागत अनुमान पर तकनीकी समिति शीघ्र ही विचार करेगी। वन क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
18.	सेला-तेदांग (न्यू सोबला-सेला-तेदांग)	उत्तराखंड	कार्यानिष्पादन एजेंसी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लागत अनुमान पर तकनीकी समिति शीघ्र ही विचार करेगी। वन/वन्य जीव क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
19.	गुंजी-कुठी-जोलिंगकांग	उत्तराखंड	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है। वन/वन्य जीव क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
20.	रामा सैपर-मैगो-चुना	अरुणाचल प्रदेश	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वन क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
21.	जिमिथांग-सुरवासम्बा-खिन्जिमाने	अरुणाचल प्रदेश	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
22.	सुंगतरसर-खरसांग ला	अरुणाचल प्रदेश	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
23.	यारलंग-लमांग	अरुणाचल प्रदेश	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित। वन क्लीयरेंस सिद्धांत रूप में प्राप्त हो गई। निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
24.	बोना से गेलिंग	अरुणाचल प्रदेश	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित। वन क्लीयरेंस सिद्धांत रूप में प्राप्त हो गई। निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
25.	डोमवंग-गोरा ला	सिक्किम	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
26.	थांगु-मुगुथांग	सिक्किम	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
27.	जियागंग-केरांग (मौजूदा सड़क की ब्लैक टापिंग)	सिक्किम	लागत प्राक्कलन तकनीकी समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूर। वन क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।

विदेशी छात्रों का नामांकन

4130. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उच्चतर शिक्षा के लिए देश में देश-वार कितने विदेशी छात्रों का नामांकन किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शैक्षिक वर्ष 2004-05 के दौरान देश में उच्चतर शिक्षा में 13267 विदेशी छात्र नामांकित थे। देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने वर्ष 2005-06 और 2006-07 हेतु उच्चतर शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों के संबंध में जानकारी संकलित नहीं की है।

विवरण

शैक्षिक वर्ष 2004-05 के दौरान भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्र — देश-वार

क्र० सं०	देश का नाम	छात्रों की संख्या
1	2	3
1.	चीन	34
2.	हांग-कांग	9
3.	जापान	63
4.	कोरिया	242
5.	मंगोलिया	38
6.	ताईवान	5
7.	तिब्बत	178
8.	बहरीन	382
9.	इराक	16
10.	इजरायल	3
11.	जॉर्डन	76
12.	कुवैत	302
13.	लेबनान	5
14.	ओमान	646
15.	कतर	256
16.	सऊदी अरब	419
17.	सीरिया	68
18.	तुर्की	7
19.	संयुक्त अरब गणराज्य	1500
20.	यमन	345
21.	अफगानिस्तान	35
22.	बंग्लादेश	940
23.	भूटान	286
24.	ईरान	1120
25.	कजाकिस्तान	5
26.	किर्गिस्तान	12
27.	मालदीव	60
28.	नेपाल	1352
29.	पाकिस्तान	1
30.	श्रीलंका	582
31.	तजाकिस्तान	8
32.	तुर्कमेनिस्तान	4
33.	उजबे	38
34.	ब्रुनेई	2

1	2	3
35.	कम्बोडिया	22
36.	पूर्वी तिमोर	6
37.	इण्डोनेशिया	51
38.	लाओस	7
39.	मलेशिया	108
40.	म्यांमार	31
41.	फिलीपिन्स	5
42.	सिंगापुर	76
43.	तिमोरलस्ते	1
44.	थाईलैण्ड	293
45.	वियतनाम	210
46.	आस्ट्रिया	9
47.	फिजी	37
48.	न्यूजीलैण्ड	5
49.	पपुआ न्यू गिनी	2
50.	टॉंगा	2
51.	अलजीरिया	2
52.	मिस्र	6
53.	लिबिया	5
54.	मोरोक्को	3
55.	सुडान	150
56.	कोट डेलविवर (आइवरी कोस्ट)	4
57.	घाना	17
58.	लिबेरिया	3
59.	माली	1
60.	नाईजीरिया	114
61.	जिबोटी	48
62.	इरीट्रिया	36
63.	इथोपिया	226
64.	केन्या	418
65.	मलावी	2
66.	मॉरीशस	527
67.	मोजांबिक	16
68.	रियुनियन	1
69.	खाण्डा	75
70.	सेशल्स	14
71.	सोमालिया	62
72.	तंजानिया	123
73.	युगांडा	70
74.	जाम्बिया	11
75.	जिम्बावे	6
76.	अंगोला	1
77.	कैमरून	1
78.	कांगो	3
79.	सेनेगल	1
80.	जायरे	3
81.	बोत्स्वाना	9
82.	बुरूण्डी	2

1	2	3
83.	लिसोथो	4
84.	मेडागास्कर	1
85.	नामीबिया	5
86.	साऊथ अफ्रीका	35
87.	डेनमार्क	2
88.	फिनलैण्ड	1
89.	आयरलैण्ड	1
90.	लिथुवानिया	1
91.	नार्वे	1
92.	यू.के.	47
93.	न्यू आईलैण्ड	2
94.	आस्ट्रिया	1
95.	बेलजियम	1
96.	फ्रांस	11
97.	जर्मनी	20
98.	नीदरलैण्ड	1
99.	स्विट्जरलैंड	2
100.	चेक	2
101.	हंगरी	1
102.	लात्विया	1
103.	पोलैण्ड	11
104.	रोमानिया	2
105.	रूस	6
106.	युक्रेन	4
107.	बेलारूस	1
108.	ग्रीस	1
109.	इटली	6
110.	पुर्तगाल	1
111.	स्लोवेनिया	1
112.	स्पेन	8
113.	सर्बिया	42
114.	कनाडा	163
115.	यू.एस.ए.	398
116.	ऐंटिगा	1
117.	ग्वाटेमाला	1
118.	मैक्सिको	2
119.	त्रिनिडाड व टोबैगो	8
120.	वेस्टइंडिज	1
121.	बोलिविया	1
122.	ब्राजील	6
123.	चिली	1
124.	गयाना	8
125.	सुरीनाम	2
126.	वेनेजुएला	1
127.	विविध*	587
	कुल	13,267

*फिलीस्तीन

गाजा पट्टी, पी.आई.ओ. तिब्बत

आंध्र प्रदेश में तटीय पुलिस स्टेशन

4131. श्री वाडिगा रामकृष्णा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटों के माध्यम से विस्फोटकों की तस्करी, घुसपैठ आदि को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में कितने तटीय पुलिस स्टेशनों को मंजूरी दी गई है तथा वर्तमान में कितने पुलिस स्टेशन कार्य कर रहे हैं;

(ख) तटरक्षक किस प्रकार तटीय पुलिस के कार्मिकों से समन्वय कर रहे हैं और उन्हें किस प्रकार प्रशिक्षण दे रहे हैं;

(ग) क्या तटीय पुलिस के लिए 330 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसमें आंध्र प्रदेश का हिस्सा कितना है तथा इस धनराशि के उपयोग से संबंधित ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य हेतु तटीय सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत छः तटीय पुलिस स्टेशन (सी.पी.एस.) अनुमोदित किए गए हैं।

(ख) तटीय रक्षक समन्वय करते हैं कि उनके द्वारा सारी तकनीकी सलाह प्रदान की जाती है तटरक्षक तटीय पुलिस कार्मिकों के लिए 4-सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। प्रशिक्षण का एक हिस्सा तटरक्षक के जलयानों में ही आयोजित किया जाता है।

(ग) और (घ) 9 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों सहित समग्र देश के लिए स्कीम हेतु 400 करोड़ रुपए, कुल पूंजीगत परिव्यय के रूप में अनुमोदित किए गए हैं। यह सी.पी.एस., बाह्य चौकियों, जांच चौकियों, बैरकों आदि के निर्माण तथा जलयानों, जीपों और बाइकों की खरीद के लिए है। ईंधन, अनुरक्षण और जलयानों की मरम्मत तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु आवर्ती व्यय के लिए भी 151 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अनुमोदित पूंजीगत परिव्यय 32.67 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से वर्ष 2005-06 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को 74.10 लाख रुपए तथा 2006-07 के दौरान 130.80 लाख रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। हालांकि वर्ष 2005-06 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने समग्र राशि हेतु उपयोग प्रमाणपत्र जारी कर दिया है, वर्ष 2006-07 के लिए उपयोग प्रमाणपत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

तस्करी के समान को जब्त किया जाना

4132. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से बिहार में हाल ही में कई लोगों को नकली नोटों, विदेशों में बने हथियारों, अफीम तथा अन्य नशीली पदार्थों के साथ हिरासत में लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक देश में राज्य-वार कितनी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं; और

(ग) तस्करी की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, बिहार से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2008 के दौरान (आज की तारीख तक) भारतीय मुद्रा के जाली नोटों को जब्त किए जाने की दो घटनाओं में 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने की सूचना है। एन.सी.आर.बी. विदेशों में निर्मित शस्त्रों और अफीम एवं अन्य मादक पदार्थों पर जब्ती से संबंधित सूचना अनुरक्षित नहीं करता है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2005 से 2008 के दौरान केवल बिहार में ही नारकोटिक ड्रग्स जब्ती से संबंधित मामलों की संख्या निम्नवत थी:-

वर्ष	मामलों की संख्या
2005	1
2006	2
2007	शून्य
2008 (मार्च 2008 तक)	शून्य

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर एन.सी.आर.बी. द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार 2005 से 2007 के दौरान और मार्च 2008 तक भारतीय मुद्रा के जाली नोटों की जब्ती के संबंध में घटनाओं और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) इस प्रकार के अपराधों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-II में उल्लिखित हैं।

विवरण-I

भारतीय मुद्रा के जाली नोटों की जब्ती के संबंध में घटनाओं और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की राज्य/संघ क्षेत्रवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005		2006		2007	
		घटनाओं की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	घटनाओं की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	घटनाओं की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	231	268	304	237	195	235
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	8	7	8	10	10
3.	असम	94	82	101	155	82	132
4.	बिहार	28	25	62	76	38	52
5.	छत्तीसगढ़	56	27	30	14	50	6
6.	गोवा	6	5	10	3	10	0
7.	गुजरात	419	33	174	64	257	66
8.	हरियाणा	37	50	32	37	24	30
9.	हिमाचल प्रदेश	5	3	2	2	9	9
10.	जम्मू और कश्मीर	29	44	29	25	33	41
11.	झारखंड	14	12	23	12	18	25
12.	कर्नाटक	118	309	131	574	47	151
13.	केरल	69	96	70	122	50	87
14.	मध्य प्रदेश	42	67	31	39	36	66
15.	महाराष्ट्र	225	119	185	159	149	89
16.	मणिपुर	11	5	9	10	4	6
17.	मेघालय	3	5	3	5	5	6
18.	मिजोरम	5	7	7	7	15	25
19.	नागालैंड	6	9	8	12	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उड़ीसा	17	13	10	4	0	0
21.	पंजाब	73	152	55	151	47	117
22.	राजस्थान	85	64	47	60	38	49
23.	सिक्किम	2	0	1	2	2	4
24.	तमिलनाडु	49	51	63	63	66	24
25.	त्रिपुरा	16	16	10	9	9	14
26.	उत्तर प्रदेश	204	180	209	290	186	164
27.	उत्तराखंड	23	35	17	32	20	10
28.	पश्चिम बंगाल	92	90	130	21	38	0
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0	0	4	1	1	0
30.	चंडीगढ़	0	0	3	3	2	1
31.	दादर एवं नगर हवेली	4	0	1	2	1	1
32.	दमण एवं दीव	5	0	4	4	6	0
33.	दिल्ली	18	34	27	36	16	25
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	2	4	1	1
	कुल (अखिल भारत)	1990	1809	1801	2243	1470	1451

विवरण-I (जारी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008 (मार्च, 2008 तक)	
		घटनाओं की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	0	0
4.	बिहार	2	9
5.	छत्तीसगढ़	0	0
6.	गोवा	8	2

1	2	3	4
7.	गुजरात	15	7
8.	हरियाणा	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0
11.	झारखंड	0	0
12.	कर्नाटक	1	0
13.	केरल	5	7
14.	मध्य प्रदेश	0	0
15.	महाराष्ट्र	13	14
16.	मणिपुर	0	0
17.	मेघालय	0	0
18.	मिजोरम	1	7
19.	नागालैंड	0	0
20.	उड़ीसा	0	0
21.	पंजाब	4	7
22.	राजस्थान	0	0
23.	सिक्किम	0	0
24.	तमिलनाडु	60	9
25.	त्रिपुरा	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0
27.	उत्तराखंड	3	6
28.	पश्चिम बंगाल	4	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0
32.	दमन एवं दीव	0	0
33.	दिल्ली	4	6
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0
	कुल (अखिल भारत)	120	74

विवरण-II

नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफ.आई.सी.एन.) के खतरे को रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम

(i) एफ.आई.सी.एन. के अपराध की जांच-पड़ताल और उससे निपटने संबंधी कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सी.बी.आई. को नोडल एजेंसी के रूप में नमित किया गया है। मंत्रालयों/ विभागों, पुलिस प्राधिकारियों, कानून प्रवर्तन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ सी.बी.आई. आवधिक बैठकें आयोजित करती है।, सी.बी.आई., सूचना एकत्र करने के साथ-साथ एफ.आई.सी.एन. के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के साथ भी समन्वय करती है।

(ii) गस्त लगाकर सीमाओं की चौबीसों घंटे चौकसी करना (पैदल, नावों से और चलते फिरते वाहन से), नाकाबंदी करके (सीमा पर घात लगा करके) और पूरी अंतर्राज्यीय सीमा (आई.बी.) पर निगरानी चौकियां स्थापित करना।

(iii) सहयोगी आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना नेटवर्क और समन्वय बढ़ाना।

(iv) सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाना।

(v) रात को देखने वाले यंत्रों सहित आधुनिक चौकसी उपकरण लगाना।

(vi) आई.बी. के साथ बाड़ का निर्माण करना।

(vii) आई.बी. पर सीमा निगरानी चौकियों की संख्या बढ़ाना और तैनाती करना।

(viii) आई.बी. के नदी तटीय क्षेत्रों में बी.एस.एफ.जी. जल विंग के पोतों/वाटर क्राफ्टों की तैनाती करना।

(ix) सभी राज्य सरकारों और विशेष तौर पर सीमावर्ती राज्यों को इस आशय के निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वे इस बारे में और अधिक सतर्क रहें।

एफ.आई.सी.एन. परिचालन करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम

भारतीय बैंक नोटों में सुरक्षा संबंधी अतिरिक्त विशेषतायें शामिल की हैं ताकि उनकी नकल करना अत्यंत कठिन हो जाए। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने जाली नोटों के संबंध में आंकड़े एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए अपने केन्द्रीय कार्यालय एक पृथक प्रभाग स्थापित किया है ताकि इस समस्या का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें। सभी वाणिज्यिक बैंकों ने भी आर.बी.आई. के निर्देशों के अनुसार जाली नोट सतर्कता कक्ष स्थापित किए हैं। आर.बी.आई. ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने काउंटरों पर पता चले नकली नोटों के संबंध में पुलिस प्राधिकारियों के पास प्राथमिकी दर्ज करें, बैंकों से कहा गया है कि वे न केवल नकली नोटों का पता लगाने के लिए अपने तंत्र में सुधार करें बल्कि आसूचना एकत्र करने और ऐसी सूचना आर.बी.आई., केन्द्रीय कार्यालय/ राज्य पुलिस को भेजने अपने तंत्र में भी सुधार करें। नकली नोटों का पता लगाने और परिचालन से उन्हें अलग करने के लिए बैंकों को करेंसी चेस्ट शाखाओं में नाट सर्टिंग मशीनें लगाई गई हैं। जाली नोटों का पता लगाने में लोगों की सहायता करने के लिए आर.बी.आई. ने प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में बैंक नोटों की सुरक्षा से संबंधित विशेषताओं का व्यापक प्रचार करने हेतु जनता में जागरूकता अभियान भी शुरू किया है।

स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा उठाए गए कदम

(i) आयात निर्यात केन्द्रों में सख्त चौकसी और प्रवर्तन।

(ii) नशीले पदार्थों के ज्ञात मार्गों के साथ-साथ गहन निवारक और निषेधादेश प्रयास।

(iii) निषेधादेशों को बेहतर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से नशीले पदार्थ कानून प्रवर्तन करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।

(iv) परिचालनात्मक आसूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने और वितरित करने के कार्य में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना।

(v) प्रिकर्सर रसायनों को आवाजाही पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए सूचना और जांच-पड़ताल संबंधी सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।

(vi) कानून प्रवर्तन पदाधिकारियों के कौशल में उन्नयन करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि वे नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोक सकें।

(vii) जिन मुखबिरों और अधिकारियों की सूचना से स्वापक पदार्थों को जब्त किया जाता है उनके लिए मौद्रिक पुरस्कार की एक योजना कार्यान्वित करना।

(viii) राज्यों की स्वापक यूनिटों को सुदृढ़ बनाने के लिए पात्र राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत धनराशि का अन्यत्र प्रयोग

4133. श्री असादुद्दीन ओवैसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा धनराशि के अन्यत्र प्रयोग के कुछ मामले केन्द्र सरकार के सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकारों ने एस.एस.ए. की धनराशि को वापस कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्व शिक्षा अभियान की धनराशि का अन्यत्र प्रयोग न हो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने सर्व शिक्षा अभियान की वर्ष 2001-02 से 2004-05 की अवधि की लेखा परीक्षा निष्पादन संबंधी रिपोर्ट वर्ष 2005-06 में प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने असम में 6.8 करोड़ रु., बिहार में 15.8 करोड़ रु., गुजरात में 22.9 करोड़ रु., कर्नाटक में 4.7 करोड़ रु., मध्य प्रदेश में 0.2 करोड़ रु. तथा तमिलनाडु में 0.5 करोड़ रु. की राशि का वर्गीकरण किया है क्योंकि व्यय की सर्व शिक्षा अभियान के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत शामिल नहीं किया गया था। आन्ध्र प्रदेश राज्य के सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के सहायक लेखा अधिकारी ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान की 14.98 करोड़ रु. की राशि को अनधिकृत बैंक लेखाओं में जमा किया।

भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए हैं कि उक्त राशि राज्य सर्व शिक्षा अभियान लेखा में जमा कर दी जाए। असम राज्य से 5.57 करोड़ रु., बिहार राज्य से 1.44 करोड़ रु., गुजरात से 22.92 करोड़ रु. तथा कर्नाटक राज्य से 2.43 करोड़ रु. की राशि वसूल की गई।

आन्ध्र प्रदेश राज्य में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा आंध्र प्रदेश सरकार ने आगामी जांच के लिए मामले को सी.आई.डी. को भेज दिया है। भारत सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकार ने तीन लेखा अधिकारियों को निलंबित कर दिया है तथा अन्य तीन अधिकारियों को सर्व शिक्षा अभियान/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के राज्य परियोजना कार्यालय से स्थानान्तरित कर दिया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कड़े अनुदेश दिए गए हैं कि भविष्य में इस तरह के मामले न हों। भारत सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक लेखा परीक्षा के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान निधियों के उपयोग की मानीटरिंग तथा 41 स्वतंत्र मानीटरिंग संस्थाओं के माध्यम से स्वायत्त समवर्ती वित्तीय समीक्षाएं तथा क्षेत्रीय मानीटरिंग कर रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापकों के रिक्त पद

4134. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापकों के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे विद्यालयी शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं; और

(घ) सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के संस्वीकृत पदों में कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(ग) और (घ) राज्य ने यह भी बताया कि 6 से 14 आयु वर्ग के लगभग दो लाख स्कूल बाह्य बच्चों को शामिल करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए।

नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्थान

4135. श्री गुंडलूर निज़ामुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में नवोदय विद्यालय समिति के राष्ट्रीय मुख्यालय के लिए स्थाई भवन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या पूरे देश में नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय किराए की जगह पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक क्षेत्र में कितने किराए का भुगतान किया जा रहा है; और

(घ) इन क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्थायी भवनों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) नवोदय विद्यालय समिति ने अपने मुख्यालय कार्यालय भवन हेतु नोएडा (उत्तर प्रदेश) में भूखण्ड प्राप्त किया है। निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक कार्य विभाग को सौंपा गया है जिसने निर्माण पूर्व कार्याकलाप शुरू कर दिए हैं।

(ख) भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलांग में नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय किराए के स्थान पर कार्य कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में अपने स्थाई भवन से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिमाह दिए जाने वाले किराए का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्षेत्र का नाम	किराया प्रति माह
भोपाल	26,062/-रुपये
हैदराबाद	40,250/-रुपये
जयपुर	44,150/-रुपये
लखनऊ	34,275/-रुपये
पटना	18,000/-रुपये
पुणे	83,115/-रुपये
शिलांग	42,672/-रुपये

(घ) इन क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्थाई भवनों के निर्माण हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामांकन

4136. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजनाओं का बच्चों के कुल नामांकन पर राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) देश में आज की तारीख तक स्कूल में दाखिल न हुई बालिकाओं की राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) इन प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में नामांकन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन से नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि और स्कूल-बाह्य बच्चों की संख्या में कमी आई है। 2003-04 के दौरान नामांकन वृद्धि तथा 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार स्कूल-बाह्य बालिकाओं की संख्या दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर स्कूल-बाह्य दर जो 2003-04 में 31.47 थी 2005-06 में घटकर 25.47 रह गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्तर पर नामांकन			1.4.2007 की स्थिति के अनुसार स्कूल बाह्य बालिकाएं (6-14 वर्ष)
		2003-04	2004-05	2005-06	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7975659	7692411	7391922	137281
2.	अरुणाचल प्रदेश	180253	184673	195590	16158

1	2	3	4	5	6
3.	असम	3232547	3510665	3550745	154820
4.	बिहार	9471186	10042119	10525321	1063626
5.	छत्तीसगढ़	3397795	3405502	3167668	64053
6.	गोवा	107875	106828	104512	3915
7.	गुजरात	6551770	6553022	6556986	72305
8.	हरियाणा	2010659	2073939	1997491	125483
9.	हिमाचल प्रदेश	666938	670807	660960	3176
10.	जम्मू और कश्मीर	950296	969479	1134528	61862
11.	झारखंड	3140252	3446984	3827742	111331
12.	कर्नाटक	6267825	5883907	5757779	85679
13.	केरल	2492430	2543422	2545323	10251
14.	मध्य प्रदेश	8830733	10351093	11274071	148085
15.	महाराष्ट्र	11175756	11385483	11557676	68290
16.	मणिपुर	339110	348897	360055	27118
17.	मेघालय	360907	467955	508205	16791
18.	मिजोरम	127057	123705	162302	2521
19.	नागालैंड	210410	224246	224715	17929
20.	उड़ीसा	4918067	5218568	4701176	261641
21.	पंजाब	1979294	1901408	1872162	108304
22.	राजस्थान	9479755	9329792	9411874	89167
23.	सिक्किम	76799	86149	90687	1440
24.	तमिलनाडु	6591113	6403416	6378319	52001
25.	त्रिपुरा	451731	461209	500284	7758

1	2	3	4	5	6
26.	उत्तर प्रदेश	24080867	24579638	25186552	393049
27.	उत्तराखण्ड	1164485	1191505	1196510	11549
28.	पश्चिम बंगाल	10327725	9881352	9150073	656880
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40388	40274	37601	64
30.	चंडीगढ़	66034	62908	67416	2792
31.	दादरा और नगर हवेली	32912	33624	35915	1161
32.	दमन और दीव	16222	16321	16204	95
33.	दिल्ली	1442259	1460714	1786811	13500
34.	लक्षद्वीप	7161	7053	7474	76
35.	पांडिचेरी	102021	103999	106069	146
	भारत	128266291	130763067	132048718	3790297

नेशनल साइंस एण्ड सोशल साइंस फाउंडेशन

4137. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार एक 'नेशनल साइंस एण्ड सोशल साइंस फाउंडेशन' स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने एक राष्ट्रीय विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन स्थापित करने की सिफारिश की है। योजना आयोग द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम को लागू किया जाना

4138. डा. के.एस. मनोज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सी.ए.एस.) की प्रभावशीलता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या सरकार का विचार पूरे देश में कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सी.ए.एस.) लागू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने महानगरों/देश के शेष भागों में सी.ए.एस. के विस्तार/को लागू करने के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) की सफलता का आकलन करने के लिए कैस क्षेत्रों में सेवा गुणवत्ता

और गैर-सेट टॉप बॉक्स (एस.टी.बी.) घरों के संबंध में दो सर्वेक्षण कराए हैं।

(ख) से (च) जी, हां। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के अधिसूचित क्षेत्रों में सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) को कार्यान्वित कर दिया गया है। सरकार 3 महानगरों और चेन्नई महानगर क्षेत्र में कैस के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। ट्राई ने अनिवार्यता आधार पर 3 महानगरों के शेष क्षेत्र में कैस के विस्तार की सिफारिश की है। ट्राई ने स्वेच्छा-सह-अनिवार्यता आधार पर देश में कैस की स्वैच्छिक शुरूआत और देश में केबल टेलीविजन के डिजिटलीकरण हेतु विकल्प तथा खाके का सुझाव देने के लिए प्रसारण एवं केवल क्षेत्र के विभिन्न खंडों से सदस्यों के गठित समूह की रिपोर्ट भी अग्रेषित कर दी है। समूह ने पचपन शहरों में कैस की शुरूआत के लिए स्वैच्छिक-सह-अनिवार्य दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है जिनमें दस लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर हैं, मौजूदा कैस शहरों के निकट स्थित कुछ शहर शामिल हैं और इसमें उन सभी राज्य की राजधानियों को भी शामिल किया गया है जो उपर्युक्त किसी भी मापदंड के अंतर्गत नहीं आ सके थे। समूह की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। प्रथम चरण में कैस के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों और कार्यान्वयन के अगले चरणों में इसके सुगम एवं सफल कार्यान्वयन हेतु तैयार की जाने वाली कार्यनीतियों पर दिनांक 08.4.2008 को हुई बैठक में सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ताओं सहित संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों, ट्राई, नोडल अधिकारियों तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। सरकार कैस अधिसूचित क्षेत्रों का विस्तार करके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया और संबोधनीयता की शुरूआत में तीव्रता लाने के पक्ष में है। सरकार इसे ऐसे तरीके से भी करना चाहती है तो उपभोक्ता के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करता हो और उनको सशक्त बनाता हो और इसके अधिक विस्तृत ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे नीतिगत मुद्दों पर कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

पुस्तकों का कंप्यूटरीकृत संस्करण

4139. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ भाषाओं की पुस्तकों के कंप्यूटरीकृत संस्करण को आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय से समाज के कमजोर वर्गों के वे छात्र वंचित होंगे, जिनके घर पर कंप्यूटर नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने विभिन्न कक्षाओं के लिए नई पाठ्य पुस्तकें अपनी वेबसाइट पर फ्री डाउनलोड करने की सुविधा के साथ उपलब्ध करा दी हैं।

(ग) जी, नहीं। इससे किसी विद्यार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित सभी पाठ्य पुस्तकें मुद्रित की जा रही हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा अधिक फीस वसूलना

4140. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में अनेक स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेज निर्धारित फीस से अधिक धनराशि वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए.आई.सी.टी.ई. ने इन महाविद्यालयों से अपने फीस ढांचे के संबंध में ब्यौरा मांगा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अनुपालन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित कुछ तकनीकी संस्थाएं निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल रही हैं।

(ग) से (ङ) इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें सम्बन्धित तकनीकी संस्थाओं को भेजकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। प्राप्त सूचना के आधार पर और विशेषज्ञ समितियों द्वारा आवश्यक जांच कराए जाने के बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इस प्रकार की संस्थाओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करती है।

सभी विश्वविद्यालयों में परामर्श केन्द्र

4141. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में परामर्श केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश में शिक्षित युवाओं/विद्यार्थियों के बीच रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परामर्श केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) जबकि कुछ विश्वविद्यालयों में परामर्श केन्द्र पहले से ही चल रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 11वीं योजना हेतु 'विश्वविद्यालयों में कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ आरंभ करना' नामक एक स्कीम को अंतिम रूप दे रहा है।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय

4142. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अफसरशाही के झंझटों के बिना फिल्म निर्माताओं को सेंसर प्रमाणपत्र दिलाने में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) ने क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई, बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी, असम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा आते हैं। सी.बी.एफ.सी.के. और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) पिछले दो वर्षों में सी.बी.एफ.सी. द्वारा फिल्मों का प्रमाणन करने संबंधी कार्य में हुई बेतहाशा वृद्धि के दृष्टिगत, बोर्ड के निर्बाध कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए इसे मंत्रालय के अधीन अन्य माध्यम एककों से अधिकारी और स्टाफ अस्थायी रूप से उपलब्ध कराए गए हैं।

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निधियां

4143. श्री कैलाश मेघवाल : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को मुहैया कराए गए ऋणों, अनुदानों और राजसहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में इन उद्यमों में कितने व्यक्तियों को नियोजित किया गया है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन उद्यमों को कितनी निधियां मुहैया कराई गयी हैं और इसमें से कितनी राशि खर्च कर दी गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के संवर्धन तथा विकास के लिए एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

ऋण, अनुदान अथवा सब्सिडी प्रदान करने की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ग) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 312.52 लाख है।

(घ) एम.एस.एम.ई. मंत्रालय का गठन तत्कालीन लघु उद्योग मंत्रालय (एस.एस.आई.) और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (ए.आर.आई.) मंत्रालय को एकीकृत करके 9 मई, 2007 के बाद (अर्थात 11वीं योजना के दौरान) किया गया था। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एस.एम.आई. मंत्रालय तथा ए.आर.आई. मंत्रालय हेतु आवंटन तथा व्यय को संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

1. क्रेडिट गारण्टी फंड योजना

यह योजना नए एवं विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 50 लाख रु. तक के ऋणों पर बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा विस्तारित समपार्श्विकता मुक्त क्रेडिट (सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण) के 75 प्रतिशत तक का (महिलाओं के लिए 80%) गारण्टी कवर प्रदान करती है। योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारण्टी फंड ट्रस्ट (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के प्रशासकीय नियंत्रण में है।

2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.ई.सी.डी.पी.)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक क्लस्टर अर्थात किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में समान अथवा एक ही प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर रहे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के समुच्चय का होलिस्टिक विकास करना है। ऐसे क्लस्टरों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पहचान निदानात्मक अध्ययन द्वारा की जाती है। प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं निर्यात संवर्धन, कौशल विकास, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, आदि जैसे क्षेत्रों में अनुभव की जा रही आवश्यकताओं के संबंध में क्लस्टर के विकास के लिए कार्रवाई योजना तैयार की जाती है।

3. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना

इस योजना का उद्देश्य लघु उद्योग इकाइयों के रूप में पूर्व विदित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उनके द्वारा प्राप्त किए गए संस्थागत वित्त के आधार पर प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 15% अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी प्रदान करते हुए प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाना है। यह कैपिटल सब्सिडी खादी, ग्राम तथा कॉयर औद्योगिक क्षेत्र में पात्र इकाईयों को भी प्रदान की जाती है।

4. आई.एस.ओ. 9000/आई.एस.ओ. 14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणन प्राप्त करने की लागत की 75 प्रतिशत अथवा 75,000 जो भी कम हो, की मात्रा तक प्रतिपूर्ति की जाती है। योजना का उद्देश्य लघु उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाकर उनकी विपणन योग्यता में सुधार लाना है।

5. उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम

स्वरोजगार-रत बनने के लिए अपेक्षित कौशल प्राप्त करने के लिए बेरोजगार युवाओं को समर्थ बनाने की दृष्टि से ई.डी.पी./एम.डी.पी. संचालित किए जाते हैं। पाठ्यक्रमों में 22.5 प्रतिशत सीटें समाज के कमजोर वर्गों के समर्थन में आरक्षित की जाती हैं।

6. महिला कॉयर योजना

कॉयर बोर्ड की महिला कॉयर योजना के तहत राज्य में ग्रामीण महिलाओं को छात्रवृत्ति सहित स्पिनिंग कॉयर यार्न पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति पर स्पिनिंग रैट्स की प्राप्ति के लिए सफल प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण स्व-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकार की एजेन्सियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

7. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.)

पी.एम.आर.वाई. के तहत, देशभर में अपने उद्यम स्थापित करने में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान की जाती है। पी.एम.आर.वाई. के तहत कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों परन्तु प्रत्यक्ष कृषि प्रचालनों जैसे कि फसल उगाना, खाद की खरीद, आदि को छोड़कर आर्थिक रूप से जीवनक्षम सभी कार्यकलाप स्वीकार्य हैं।

8. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.)

आर.ई.जी.पी. के तहत, उद्यमी अधिकतम 25 लाख रु. की लागत वाली परियोजनाओं के लिए के.वी.आई.सी. से मार्जिन मनी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों आदि से ऋण लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में ग्रामोद्योग स्थापित कर सकते हैं।

विवरण-II

दसवीं योजना की बजट उपयोगिता

(करोड़ रुपयों में)

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5	6	7
क. सीडो						
बजट अनुमान	313.00	298.31	315.55	360.69	381.71	1669.26
परिशोधित अनुमान	256.85	301.45	312.40	356.34	396.31	1623.34
व्यय	249.30	294.27	307.05	349.32	396.31	1596.25 (98%)
ख. लघु उद्योग मंत्रालय (उचित) एन.सी.ई.यू.एस. सहित						
बजट अनुमान	32.00	40.00	40.00	42.00	44.95	198.95
परिशोधित अनुमान	28.00	40.00	40.00	41.00	44.95	193.95
व्यय	25.65	38.13	33.87	41.80	44.95	184.40 (95%)
ग. एन.एस.आई.सी.						
बजट अनुमान	11.15	11.69	10.45	9.57	43.27	86.13
परिशोधित अनुमान	11.74	8.94	9.85	11.57	24.97	67.07
व्यय	8.61	7.21	9.98	9.83	24.97	60.60 (90%)
कुल लघु उद्योग मंत्रालय (क+ख+ग)						
बजट अनुमान	356.15	350.00	366.00	412.26	469.93	1954.34

1	2	3	4	5	6	7
परिशोधित अनुमान	296.59	350.39	362.25	408.91	466.23	1884.36
व्यय	283.56	339.61	350.90	400.95	466.23	1841.25 (98%)

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का दसवीं योजना के बजट का उपयोग

(करोड़ रु. में)

योजना	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5	6	7
बजट अनुमान						
बजट अनुमान	394.67	392.00	437.00	587.00	592.93	2403.60
परिशोधित अनुमान	394.67	444.75	462.00	560.82	592.93	2455.17
व्यय	340.55	423.60	460.99	558.56	592.93	2376.63
ख. कॉपर बोर्ड						
बजट अनुमान	15.60	18.00	18.00	23.00	23.00	97.60
परिशोधित अनुमान	15.60	15.85	18.00	35.51	23.00	107.96
व्यय	13.77	14.52	16.80	35.43	23.00	103.52
ग. पी.एम.आर.वाई.						
बजट अनुमान	169.73	170.00	219.00	219.00	325.10	1102.83
परिशोधित अनुमान	169.73	169.40	219.00	273.69	250.00	1081.82
व्यय	168.10	168.01	218.19	272.54	250.00	1076.84
घ. स्फूर्ति						
बजट अनुमान	—	—	100.00	30.00	25.97	155.97
परिशोधित अनुमान	—	—	1.00	1.50	25.97	28.47
व्यय	—	—	—	1.50	25.97	27.47

1	2	3	4	5	6	7
कुल: कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय						
बजट अनुमान	580.00	580.00	774.00	859.00	967.00	3760.00
परिशोधित अनुमान	580.00	630.00	700.00	871.52	891.90	3673.42
व्यय	522.42	606.13	695.98	868.03	891.90	3584.46

*इसमें एन.पी.आर.आई. समहित है।

*स्फूर्ति 3 अक्टूबर 2005 को शुरू नहीं हुई थी।

[अनुवाद]

असम के उग्रवाद प्रभावित जिलों का विकास

4144. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असम सरकार को राज्य के पांच उग्रवाद प्रभावित जिलों का तेजी से विकास करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो असम सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी, हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) हालांकि राज्य सरकार अपेक्षित योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया में हैं, तथापि राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि सीमावर्ती जिलों में अवस्थापना विकास के लिए वर्ष 2008-09 के लिए राज्य योजना में निधियां पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

विद्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करना

4145. श्री एल. राजगोपाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्थानों के लिए सफल विद्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाना अनिवार्य है और यदि कोई विद्यार्थी सत्र प्रारंभ होने से पहले संस्थान छोड़कर जाता है तो उसकी सीट प्रतीक्षा सूची में रखे गए विद्यार्थी से भरी जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या कई महाविद्यालय/संस्थान उपरोक्त अनुदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार उन्होंने इस विषय पर कोई विनियमन जारी नहीं किए हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय के छात्रों के दाखिले के संबंध में अपने नियम होते हैं।

इग्नू द्वारा एच.आई.वी./एड्स अध्ययन कार्यक्रम

4146. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री नन्द कुमार साय :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की योजना समाज कार्य और एच.आई.वी./एड्स पर कई पाठ्यक्रम और औपचारिक अध्ययन कार्यक्रम प्रारंभ करने की है जैसाकि 11 मार्च, 2008 के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इग्नू द्वारा देश में इस प्रकार के औपचारिक अध्ययन कार्यक्रम किस शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : (क) से (ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि इसने एच.आई.वी./एड्स से संबंधित निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है:

(i) शैक्षिक वर्ष 2002 से एच.आई.वी./एड्स और परिवार शिक्षा (सी.ए.एफ.ई.) से संबंधित 6 महीने का सर्टिफिकेट कार्यक्रम;

(ii) शैक्षिक वर्ष 2003 से एक वर्षीय एच.आई.वी./एड्स एवं परिवार शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम;

(iii) शैक्षिक वर्ष 2004 से एच.आई.वी./एड्स, परिवार शिक्षा एवं मादक द्रव्य दुष्प्रभाव से संबंधित तीन अनिवार्य कार्यक्रमों सहित सामाजिक कार्य में स्नातक डिग्री; और

विश्वविद्यालय ने एच.आई.वी./एड्स, कलंक, भेदभाव एवं रोकथाम को एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और एच.आई.वी./एड्स, परिवार शिक्षा एवं मादक द्रव्य दुष्प्रभाव को वैकल्पिक विषय के रूप में सभी अवर स्नातक पाठ्यक्रमों यथा बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम के साथ जुलाई, 2008 से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और युनिसेफ द्वारा प्रायोजित अपने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एच.आई.वी./एड्स और प्रौढ़ एवं परिवार शिक्षा में प्रत्येक में एक पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है।

[हिन्दी]

उल्फा की गतिविधियां रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनाती

4147. **श्री अचीत चोगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी असम में उल्फा गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितने रक्षा कार्मिकों की तैनाती की गयी है;

(ख) क्या देश की सभी सीमाओं पर रक्षा कर्मियों की तैनाती की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तरी असम में तैनात उन कर्मियों के लिए कोई समय अवधि निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) सहित विभिन्न उग्रवादी गुटों के विरुद्ध असम में समेकित और सतत विद्रोह विरोधी (सी.आई.) अभियान जारी हैं। सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अंतर्गत समग्र राज्य को राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। समन्वित सी.आई. अभियानों के लिए 1997 के एक एकीकृत मुख्यालय कार्य कर रहा है। राज्य सरकारों की सहायता के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बल/सैनिक टुकड़ियां उपलब्ध करवाए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह विरोधी अभियान चलाने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में ग्रिड स्थापित करने की परिचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर सुरक्षा बल/सैनिक टुकड़ियों की तैनाती की जाती है। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल कार्मिकों/सैनिक टुकड़ियों की तैनाती के ब्यौरे उपलब्ध नहीं करवाए जा सकते।

(ख) पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

(ग) और (घ) उत्तरी असम सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती हेतु कार्यकाल की कोई निश्चित समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, असम में विद्रोह विरोधी अभियानों में तैनाती टुकड़ियों की समयावधि दो से तीन वर्षों की होती है, जिसके पश्चात सेना मुख्यालय द्वारा जारी नीति के अनुसार उनको हटा लिया जाता है।

महाराष्ट्र में एफ.एम. स्टेशनों की कवरेज

4148. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में एफ.एम. रेडियो स्टेशन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के प्रतिशत सहित राज्य में एफ.एम. स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और आज की तारीख तक महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों और अन्य राज्यों तक एफ.एम. की कवरेज बढ़ाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) महाराष्ट्र में आकाशवाणी (ए.आई.आर.) के 16 एफ.एम. ट्रांसमीटरों सहित देश में आकाशवाणी के 170 एफ.एम. ट्रांसमीटर कार्यशील हैं। महाराष्ट्र राज्य में आकाशवाणी की क्षेत्र-वार 24.3% और जनसंख्या-वार 44.15% एफ.एम. कवरेज है। जहां तक निजी एफ.एम. का संबंध है, महाराष्ट्र में 23 चैनलों सहित 211 रेडियो चैनलों को परिचालित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) एफ.एम. कवरेज का विस्तार करने हेतु प्रस्ताव विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर प्राप्त होते हैं और आकाशवाणी की एफ.एम. सेवा का विस्तार करने के लिए योजना बनाते समय इन प्रस्तावों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे प्रस्तावों के आधार पर, सरकार ने देश भर में आकाशवाणी के 65 एफ.एम. ट्रांसमीटर और पूर्वोत्तर में आकाशवाणी के 100 वाट के 100 एफ.एम. ट्रांसमीटर अनुमोदित किए हैं।

मच्छर रोधी कूलर

4149. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने मच्छर रोधी कूलर विकसित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे वैक्टर जनित रोगों से लड़ने में किस प्रकार सहायता मिलेगी; और

(घ) इस प्रकार के कूलर बाजार में कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योगीकरण संस्थान

4150. डा. एम. जगन्नाथ : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योगीकरण संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संस्थान द्वारा ग्राम उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु अब तक कौन-कौन से पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने पूर्व जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के एम.जी.आई.आर.आई. के रूप में पुनः नामकरण किए जाने के बाद 2003 में अस्तित्व में आए विद्यमान एम.जी.आई.आर.आई. का पूरी तरह नवीनीकरण और पुनरुद्धार करते हुए वर्धा में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एम.जी.आई.आर.वाई.) की स्थापना की है। एम.जी.आई.आर.आई., वर्धा, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के तहत पंजीकृत है और ग्रामीण औद्योगीकरण को सशक्त करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों में अर्थपूर्ण तथा उत्पादक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा प्रबंधन ज्ञान प्रदान करने का इरादा रखता है। वर्तमान में एम.जी.आई.आर.आई. को एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), दिल्ली के तकनीकी सहयोग से परियोजना मोड में चलाया जा रहा है। के.वी.आई. में क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा ग्रामीण औद्योगीकरण के संवर्धन में काफी मदद मिलेगी जिससे शिल्पकारों के लिए उच्च उत्पादकता तथा आय के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार अवसर सृजित होंगे। एम.जी.आई.आर.आई. की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य हैं:–

(i) ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन ज्ञान की तुरंत उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए व्यावसायिक संस्थानों में ग्रामीण उद्योगपतियों तथा तकनीकी विशेषज्ञों और खुद के बीच एक सशक्त दो मुखी संपर्क स्थापित करना,

(ii) ग्रामीण औद्योगीकरण के क्षेत्र में अन्य संस्थानों के साथ सशक्त संपर्क और आदान-प्रदान विकसित करते हुए के.वी.आई. क्षेत्र के लिए एक विज्ञान व प्रौद्योगिकी केंद्र बनाना,

(iii) के.वी.आई. क्षेत्र में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का एक डाटाबेस बनाना,

(iv) बिजली, विशेषीकृत टूल रूम, परीक्षण तथा विपणन सुविधाओं जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के साथ ग्रामीण औद्योगिक इस्टेटों तथा क्लस्टरों की स्थापना को सरल बनाना;

(v) ग्रामोद्योग के चुनिंदा उत्पादों क बाजार में अधिक तथा वृहत पैमाने पर प्रवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने में सक्षम परियोजनाओं को चलाना और प्रायोजित करना,

(vi) संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, रचनात्मकता और नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्यमिता विकास जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत मानव संसाधन विकास कार्यक्रम चलाना।

(vii) के.वी.आई.सी. और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों के प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, और

(viii) अनुसंधान, विस्तार, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से पायलट अध्ययनों और फील्ड ट्रायलों के द्वारा नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।

(ग) ग्रामोद्योगों के तहत प्रौद्योगिकी विकास के प्रसार के लिए एम.जी.आई.आर.आई. द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम/पाठ्यक्रम चलाए जाते रहे हैं:

(i) खादी प्रौद्योगिकियों के लिए गुणवत्ता आश्वासन

(ii) हस्तनिर्मित कागज से विभिन्न शिल्प मदें डिजाइन करना

(iii) परिष्कृत किल्न और विद्युत संचालित पॉटर्स व्हील

(iv) सजावटी पॉटरी निर्माण और मूल्य संवर्धन

(v) जैव खादी/माइक्रोबियल डायग्नोसिस

(vi) बायो मास ब्रिकेटिंग और उसका उपयोग

(vii) मूल्य वर्धित खाद्य पदार्थों और हर्बल उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण

(viii) बायो गैस इंजिन के लिए कंवर्जन किट

(ix) साबुन और डिटर्जेंट परीक्षण

[हिन्दी]

लौह अयस्क की कीमतें

4151. श्री कीरेन रिजीजू :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लौह अयस्क उत्पादक लौह अयस्क की कीमतें कम करने को तैयार नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष आज की तारीख तक लौह अयस्क की कीमत में वृद्धि का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) देश में लौह अयस्क की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, घरेलू बाजार में लौह अयस्क के मूल्यों में वृद्धि, किसी आपूर्ति में बाधा के कारण नहीं, बल्कि रेल माल भाड़े और परिवहन प्रभारों में वृद्धि के कारण हो रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

कृषि कामगार

4152. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करके कृषि कामगारों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मुहैया कराने की कोई योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि कामगारों को इससे कितना लाभ मिलने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में) देश भर में बहुत सी योजनाएं कार्यान्वित करती रही है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाएं, अर्थात, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) जिनका उद्देश्य संबंधित व्यवसाय/सेवा उद्यमों सहित ग्रामोद्योगों की स्थापना में कृषि कामगारों सहित वैयक्तिक उद्यमियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं, स्व-सहायता समूहों आदि की सहायता करने के द्वारा गैर कृषि रोजगार अवसरों का सृजन करना है। आर.ई.जी.पी. को ग्रामीण क्षेत्रों और 20,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों में जबकि पी.एम.आर.वाई. को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है।

सरकार ने (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) ग्यारहवीं योजना के शेष वर्षों में लगभग 1 लाख स्वरोजगार उद्यमों/इकाइयों की स्थापना के द्वारा अनुमानित रूप से 6 लाख रोजगार अवसरों के सृजन को संभव बनाने के लिए 2008-09 के लिए 823.00 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) के प्रस्तावित आबंटन के साथ आर.ई.जी.पी. और पी.एम.आर.वाई. के विलय से बनाई जाने के लिए प्रस्तावित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नामक एक नई योजना के माध्यम से कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन का प्रस्ताव रखा है।

पंजीकृत लघु और मध्यम इकाइयां

4153. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री राजीव रंजन सिंह ललन :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पंजीकृत लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों की संख्या अपंजीकृत इकाइयों से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष दोनों श्रेणियों की इकाइयों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अपंजीकृत इकाइयों की संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है; और

(घ) देश में पंजीकृत तथा अपंजीकृत इकाईयों में किए गए निवेश का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना (2001-02) के परिणामों के आधार पर, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान देश में पंजीकृत और अपंजीकृत सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की अनुमानित संख्या नीचे सारणी में दी गई है। मध्यम उद्यमों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

वर्ष	सूक्ष्म व लघु उद्यमों की अनुमानित संख्या (लाख में)		
	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल
2004-05	18.24	100.35	118.59
2005-06	19.30	104.12	123.42
2006-07	20.32	108.12	128.44

(ग) पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के साथ, अपंजीकृत इकाइयों का एक नमूना सर्वेक्षण भी कराया गया था। नमूना सवेक्षण के परिणामों के अनुसार, 31.03.2002 की स्थिति के अनुसार देश में अपंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की संख्या अनुमानित रूप से 91,46,216 थी।

(घ) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) द्वारा किए गए अनुमानित नियत निवेश का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:-

वर्ष	अनुमानित लागत निवेश (करोड़ रुपये में)		
	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल
2004-05	120133	68660	188793
2005-06	126814	71237	198050
2006-07	133329	73978	207307

[अनुवाद]

औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए संघ राज्य क्षेत्र

4154. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए संघ राज्य क्षेत्रों के क्या नाम हैं और इनके पिछड़ेपन के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इनके विकास के लिए कोई राष्ट्रीय कार्य योजना प्राख्यापित की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) विगत में अनेक अध्ययनों में देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने की मांग की गई है। हाल ही में, औद्योगिक पिछड़ेपन के जिला-विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से अंतर्मन्त्रालीय बैठकें आयोजित की गई हैं और विभिन्न जिलों में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों का सप्रयोजन व सटीक हल निकालने के लिए ठोस नीतिगत निर्णयों को लागू करने हेतु उपलब्ध संगत आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। कार्यवाही योजना को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

विदेश जाने वाले छात्र

4155. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों पर प्रत्येक वर्ष भारी धनराशि खर्च कर रही है जैसा कि 18 मार्च, 2008 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशों में विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में एसोचैम द्वारा की गयी सिफारिशों/सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एसोचैम द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एसोचैम द्वारा दिए गए सुझाव मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुए हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित उच्चतर और तकनीकी शिक्षा हेतु ग्यारहवीं योजना में 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 नए भारतीय प्रबंधन संस्थान, 3 नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, 2 नए आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय और 14 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करना शामिल है जिनका समग्र उद्देश्य भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करना है।

नए डिजाइन संस्थानों की स्थापना

4156. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान, अहमदाबाद की तर्ज पर चार नए डिजाइन संस्थानों की स्थापना करने के लिए स्थान के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से भुवनेश्वर में इस प्रकार का एक संस्थान स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) इन संस्थानों को शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उड़ीसा सरकार ने मार्च, 2007 में राष्ट्रीय डिजाइन सम्स्थान (एन.आई.डी.) की एक शाखा भुवनेश्वर में खोले जाने का अनुरोध

किया था। राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए भूमि जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया था।

(घ) राष्ट्रीय डिजाइन नीति भारतीय डिजाइन शिक्षा की उत्कृष्टता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उठाने पर विचार करती है। नीति को लागू करने की कार्रवाई योजना में नए डिजाइन संस्थानों की स्थापना शामिल है। ऐसे संस्थानों की संख्या और उनके कार्य-स्थलों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

दूरदर्शन और आकाशवाणी में रिक्त पद

4157. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी के नए केन्द्रों के लिए स्टाफ की मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनशक्ति की समीक्षा और आर्थिक सुधार आयोग की सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन लंबित रहने के कारण नए दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी स्टेशनों के लिए स्टाफ हेतु कोई संस्वीकृति नहीं दी गई है।

(घ) उपरोक्त कारणों से ऐसे पदों को इस समय भरा नहीं जा सकता है।

शिक्षा का व्यावसायीकरण

4158. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों/निदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किए गए प्रयास किस सीमा तक सफल सिद्ध हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 के अनुसार आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का अधिकार है कि कोई अभ्यर्थी आर्थिक बल के आधार पर किसी पाठ्यक्रम में दाखिला न ले सके और इस प्रकार कोई प्रतिभावान छात्र दाखिले से वंचित न रह जाए। यू.जी.सी. अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी कालेज फीस के अतिरिक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, किसी भी रूप में कोई राशि; अथवा दान रूप में कोई उपहार (नगदी अथवा सामान के रूप में) किसी छात्र अथवा उसके रिश्तेदार से, किसी भी दाखिले के लिए नहीं लेगा। यू.जी.सी. द्वारा दी गई सूचना के आधार पर राज्य सरकारों ने अपने कार्यक्षेत्र में स्थित निजी अथवा स्व-वित्तपोषित कालेजों में दाखिले और फीस संरचना को नियमित करने के लिए समिति गठित की है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने तकनीकी संस्थाओं द्वारा फीस लेने के प्रयोजनार्थ भी विनियम बनाए हैं। इन विनियमों के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तरीय फीस समिति गठित की गई है, जो तकनीकी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली फीस का निर्धारण करेगी और कार्यान्वयन की मानीटरिंग भी करेगी।

विदेशों में भारतीय विश्वविद्यालय

4159. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में परिचालित भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार भारत से बाहर और अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार निम्नलिखित 'समविश्वविद्यालयों' के विदेशों में अनुमोदित कैम्पस हैं:—

क्र० सं०	समविश्वविद्यालय का नाम	देश का नाम
1.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी, राजस्थान	दुबई
2.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, मेसरा	ओमान
3.	मनिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, मनिपाल	मलेशिया, दुबई और ओमान
4.	विनायक मिशन अनुसंधान फांउडेशन, सालेम तमिलनाडु	थाईलैण्ड

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डयूटी एनटाइटलमेंट पास बुक स्कीम

4160. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यातकों की प्रमुख कर प्रतिदाय योजना "डयूटी एनटाइटलमेंट पास बुक स्कीम (डी.ई.पी.बी.)" को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डी.ई.पी.बी. योजना जो कि डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत अस्वीकार कर दी गई है, के व्यवहार्य विकल्प की खोज करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 11.04.2008 को विदेश व्यापार नीति 2008-09 के वार्षिक पूरक अंक की घोषणा के समय शुल्क हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.) स्कीम की अवधि दिनांक 31.05.2009 तक बढ़ा दी है।

(ग) से (ङ) सरकार ने डी.ई.पी.बी. स्कीम का व्यवहार्य विकल्प तैयार करने के लिए श्री अनवारूल होडा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। समिति ने फरवरी, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विभिन्न विभागों का कार्य-निष्पादन

4161. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी अद्यतन रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विभिन्न विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन को उजागर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दे क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) यह रिपोर्ट दिल्ली विधान सभा में 31.3.2008 को सदन के पटल पर रख दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग सी. एण्ड ए.जी. की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।

विवरण

विभिन्न विभागों के निष्पादन अंकेक्षण की मुख्य-मुख्य बातें

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और संविदाश्रम (विनियमन एवं निषेधन) अधिनियम, 1970 का कार्यान्वयन।

   क. औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिकल्पित विवाद निराकरण एवं समाधान तंत्र को पूर्णतया गठित एवं क्रियाशील नहीं किया गया।

   ख. समाधान अधिकारियों द्वारा समाधान प्रक्रिया की शुरूआत में विलम्ब हुआ।

ग. समाधान अधिकारी स्तर पर विवादों का समाधान निकालने अथवा निराकरण करने की सफलता दर 9 से 11 प्रतिशत थी।

घ. दिसम्बर, 2005 के अंत तक न्याय निर्णय स्तर पर लंबित मामलों की संख्या 24008 थी।

ङ पंचाट के प्रकाशन एवं कार्यान्वयन मे विलंब हुआ।

च. पंचाटों के प्रवर्तन और श्रमिकों के रोजगार से देयों की वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं थी।

छ. संविदा श्रम अधिनियम का प्रवर्त्तन कमजोर था।

2. शिक्षा निदेशालय का सूचना प्रौद्योगिकी आडिट

क. एप्लीकेशन विकास प्रक्रिया, नियोजन, सुरक्षा और परीक्षण की लचर व्यवस्था।

ख. व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया था।

ग. ऐप्लीकेशन में आडिट ट्रायल नहीं डाला गया था।

घ. इनपुट नियंत्रण अपर्याप्त थे और प्राधिकृतीकरण से संबंधित मुद्दों का समुचित निराकरण नहीं किया गया था।

ङ बिजनेस नियमों के कार्यान्वयन की अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप अनियमित भुगतान हुए।

3. दिल्ली में जल प्रबंधन प्रणाली

क. दिल्ली में पेयजल की प्रत्याशित 1050 मिलिन गैलन प्रतिदिन (एम.जी.डी.) मांग की तुलना में पेयजल का वास्तविक उत्पादन 780 एम.जी.डी. था जिसके परिणामस्वरूप 25 प्रतिशत की कमी आई

ख. दिल्ली के विभिन्न भागों में जल का अनुचित बंटवारा है।

ग. दिल्ली में कुल जलापूर्ति की 40 प्रतिशत वितरण क्षति है जो असामान्य है और 15 प्रतिशत के स्वीकार्य मानदण्डों से बहुत अधिक है।

घ. मीटरों को समय से सुधारने में असफल रहने के कारण दिल्ली जल बोर्ड को वर्ष 2003-07 के दौरान 173.77 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

ङ दिल्ली को पिछले पांच वर्षों के दौरान आपूर्ति कुल पानी के लगभग 56 प्रतिशत से कोई राजस्व नहीं मिला जिसके कारण 1990.54 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

च. बकाया बिलों के संग्रह के लिए एरियर के रूप में 368 करोड़ रुपये की राशि थी।

छ. दिल्ली जल बोर्ड की वित्तीय सहायता से वर्षा जल हार्वेस्टिंग के लिए परियोजना की मानीटरिंग प्रभावकारी नहीं थी।

4. इन्द्रप्रस्थ विद्युत गृह का प्रचालनात्मक निष्पादन

क. इन्द्रप्रस्थ विद्युत गृह को निरन्तर घाटा हो रहा था और यह घाटा वर्ष 2003-04 में 5.02 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 61.51 करोड़ रुपये हो गया।

ख. लो प्लाण्ट लोड फैक्टर के कारण कम उत्पादन हुआ जो वर्ष 2002-07 के लिए अनुमानत: 367.68 करोड़ रुपये आंका गया।

ग. फोर्सड आउटेज के कारण 177.39 घण्टों तक प्लाण्ट की अनुपलब्धता हुई जिसके परिणामस्वरूप 201.01 करोड़ रुपये मूल्य की 1091.67 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की क्षति हुई।

घ. आक्सिलियरी खपत में वृद्धि के कारण 18.05 करोड़ रुपये मूल्य की 89.134 एम.यू. की अधिक खपत हुई।

ङ रोटर की मरम्मत में विलम्ब, नये रोटर का प्रापण न करना और स्पेयर पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण मरम्मत कार्य पूरा होने में विलम्ब से 86.65 करोड़ रुपये मूल्य के 429.986 एम.यू. का घाटा हुआ।

च. राख को हटाने की प्रणाली के प्रचालन में अकुशलता से यूनिट नं० 3 के इलेक्ट्रो स्टैटिक पर्सिपिटेयर हापर्स का संकुचन हुआ जिसके कारण 6.24 करोड़ रुपये मूल्य की 30.60 एम.यू. उत्पादन का घाटा हुआ।

छ. सृजित विद्युत की प्रति यूनिट ताप खपत 3443.36 बढ़कर 3791 के काल/के.डब्ल्यू.एच. हो गई जिसके परिणामस्वरूप

वर्ष 2002-03 से 2006-2007 के दौरान 4.58 करोड़ रुपये मूल्य के लाइट डीजल आयल और 89.47 करोड़ रुपये मूल्य के कोयले की अधिक खपत हुई।

विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चे

4162. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के चयन के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित राज्य-वार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-वार इस कार्यक्रम के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(घ) वे राज्य कौन से हैं जहां इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या राज्य सरकारों से प्राप्त इस प्रकार के प्रस्तावों पर काफी विलम्ब के बाद कार्यवाही की जाती है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (छ) सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रकार, वर्ग अथवा विकलांगता की मात्रा का ध्यान किए बिना 6-14 वर्ष के आयु वर्ग में विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक छात्र को समुचित वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने भाग के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक कार्य योजना और बजट के अनुमोदित हो जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा अपने हिस्से की निधियां जारी की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वयन की गति को बनाए रखने के लिए नए वित्त वर्ष के पहले महीने में केन्द्रीय हिस्से की तदर्थ निधियां भी जारी की जाती हैं।

विवरण

रुपये लाख में

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जारी निधियां (केन्द्र का हिस्सा)		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	37999	46245.6	28100
2.	अरुणाचल प्रदेश	4442.51	7143.74	11043.55
3.	असम	13850	51464.7	28903.62
4.	बिहार	32399.6	107744	135417.64
5.	छत्तीसगढ़	30184.4	50182.2	46787.76
6.	गोवा	728.12	724.12	899.57
7.	गुजरात	15084.8	14807	22658.26
8.	हरियाणा	10196.6	25647.1	16115.58
9.	हिमाचल प्रदेश	7614.66	6250.75	7638.3
10.	जम्मू और कश्मीर	18530.7	22083.4	20063.27
11.	झारखंड	28568.5	51515	80748.99
12.	कर्नाटक	28303.8	54207	40604.78
13.	केरल	5939	6382	8323.42
14.	मध्य प्रदेश	77173.1	110880	86769.94
15.	महाराष्ट्र	50235.3	52158.6	45729.96

1	2	3	4	5
16.	मणिपुर	3208.44	924	1850.95
17.	मेघालय	1921	4294	9359.63
18.	मिजोरम	2559.15	3441.69	4212.02
19.	नागालैंड	2323.01	2315.2	4596
20.	उड़ीसा	32792.5	44011	62853.68
21.	पंजाब	14683.9	12879.9	10493.88
22.	राजस्थान	60313.4	75809.8	101307.2
23.	सिक्किम	1062.5	402.14	1036.25
24.	तमिलनाडु	35329.5	37329.7	53125.09
25.	त्रिपुरा	7070.19	5330.01	4178.49
26.	उत्तर प्रदेश	182799	206654	204758
27.	उत्तराखण्ड	10004	16934	13162.8
28.	पश्चिम बंगाल	34199.8	61736.8	90571.68
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	163	419.62	187.1
30.	चंडीगढ़	350	300	934.95
31.	दादरा और नगर हवेली	—	100	418.54
32.	दमन और दीव	111.91	—	—
33.	दिल्ली	1100	4230.24	2339.38
34.	लक्षद्वीप	—	87.47	—
35.	पांडिचेरी	529.4	—	577.07

जैविक कॉफी

4163. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में आज तक, देश-वार प्रत्येक राज्य द्वारा उत्पादित तथा निर्यातित कॉफी की कुल मात्रा तथा इसका मूल्य क्या है;

(ख) क्या देश में जैविक कॉफी केन्द्र विकसित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जैविक कॉफी केन्द्रों को कब तक विकसित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वर्ष 2004-05 और उससे आगे की अवधि के लिए, प्रमाणित जैविक कॉफी का अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार है:–

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
कॉफी का उत्पादन (मी. टन में)	600	1,129	1,125	अभी आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं।

कॉफी के निर्यात से संबंधित आंकड़ा आधार ग्रेड-वार रखा जा रहा है और कॉफी के निर्यात का ब्यौरा राज्य-वार अलग-अलग नहीं रखा जाता है। जैविक कॉफी का निर्यात बहुत कम मात्रा में रहा है अत: विगत में इसके आंकड़े अलग से नहीं रखे जा रहे थे और इन्हें विशिष्टता युक्त कॉफी खण्ड में शामिल किया जाता है। वर्ष 2004-05 और उससे आगे की अवधि के लिए विशिष्टतायुक्त कॉफी के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
मात्रा (मी. टन में)	8,997.00	9,095.00	9,476.00	उपलब्ध नहीं
मूल्य (लाख रु. में)	5,921.00	8,090.70	9,168.50	उपलब्ध नहीं

(ख) से (घ) यद्यपि किसी क्षेत्र विशेष को जैविक कॉफी केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि कॉफी बोर्ड जैविक कॉफी की खेती का संवर्धन करता है। जैविक कॉफी की सतत आधार पर खेती करने के लिए बोर्ड द्वारा कॉफी के विस्तार, मिश्रित शेड की स्थापना, ड्राइंग यार्डों के निर्माण, पल्परों की खरीद

के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता तथा कॉफी उत्पादकों के इस वर्ग को बाजार सहायता प्रदान की जाती है।

एस.ई.जेड. स्थापित करने हेतु सेल का प्रस्ताव

4164. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) का सेलम इस्पात संयंत्र में कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) अनुमोदन बोर्ड ने सेल सलेम एस.ई.जेड. प्रा.लि. द्वारा सलेम में 112.34 हेक्टेयर क्षेत्र में इस्पात क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एस.ई.जेड. की स्थापना हेतु औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया है। किसी विकासकर्ता को प्रदत्त अनुमोदन पत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जिसके भीतर उक्त विकासकर्ता को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कारगर कदम उठाने होंगे।

राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान

4165. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिलांग में राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान के कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.आई.एम., शिलांग को कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(ग) शिक्षक कर्मचारी वर्ग तथा गैर-शिक्षक कर्मचारी वर्ग में कुल कितने पदों को संस्वीकृत किया गया है; और

(घ) पढ़ाए जाने वाले अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) संस्थान द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र 2008-2009 से कार्य शुरू करने की संभावना है।

(ख) राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग को पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियां नीचे दी गई हैं:

(रु. लाख में)

2005-06	2006-07	2007-08
शून्य	501.00	1000.00

(ग) ग्यारह (11) संकाय और सोलह (16) गैर-संकाय पदों का सृजन किया गया है।

(घ) शुरूआत में राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित करेगा:–

- व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.बी.एम.)
- प्रबंधन में अध्येतावृत्ति कार्यक्रम (एफ.पी.एम.)
- प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम.डी.पी.)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, संस्थान स्थानीय प्रासंगिकता के विषयों जैसे पर्यटन, बागवानी, हाइडल पावर इत्यादि में अल्प अवधि पाठ्यक्रमों का आयोजन करेगी।

एस्बेस्टस का आयात

4166. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एस्बेस्टस का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों सहित वर्तमान वर्ष में मूल्य-वार तथा देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री

तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2007-08 में अप्रैल से अगस्त, 2007 के दौरान आयातित एस्बेस्टस का मूल्यवार, देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

252400 एस्बेस्टस

क्रम सं.	देश	मूल्य: लाख रुपये में			
		2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-08 (अप्रैल-अगस्त, 07)
1	2	3	4	5	6
1.	अफगानिस्तान टी.आई.एस.		11.86		
2.	आस्ट्रेलिया			50.89	
3.	बेल्जियम			117.47	
4.	ब्राजील	4681.58	6236.62	9486.18	6653.57
5.	कनाडा	7881.93	6406.91	10689.75	5045.11
6.	चीन जन.गण.	12.76	0.10	57.55	7.83
7.	डोमीनिका	8.56			
8.	यूनान	218.36			
9.	इटली	50.83			
10.	जापान		0.04		
11.	जार्डन			22.26	
12.	कजाकिस्तान	2663.51	2538.78	4597.78	1127.71
13.	केन्या	15.92			
14.	मलेशिया	3.23			
15.	मोजाम्बिक		17.74	70.57	48.72
16.	पोलैण्ड	73.51	41.68	422.92	80.06

1	2	3	4	5	6
17.	रूस	9567.34	18175.29	18107.03	10113.77
18.	सऊदी अरब	2.39			
19.	दक्षिण अफ्रीका	424.44	519.67	971.62	300.55
20.	स्विट्जरलैण्ड	5.51			
21.	श्रीलंका लो.स.गण.			52.49	
22.	संयुक्त अरब अमीरात			2.71	
23.	यू.के.		30.41	10.22	
24.	यूक्रेन	65.96			83.12
25.	यू.एस.ए.		9.34	79.97	
26.	जाम्बिया		149.14	49.16	
27.	जिम्बाब्वे	1313.60	7361.70	7122.72	2621.88
28.	अविनिर्दिष्ट	184.12			65.84
	कुल	27173.54	41499.27	51911.29	26148.16

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.

एस.ई.जेड. द्वारा विस्थापित किसानों का सर्वेक्षण

4167. डा. एम. जगन्नाथ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एस.ई.जेड. द्वारा विस्थापित सभी किसानों के संबंध में सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

चावल के निर्यात पर प्रतिबंध

4168. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने देश से चावल के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिबंध के बावजूद बड़े पैमाने पर चावल का निर्यात हो रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू बाजार में चावल के मूल्य को कम करने तथा देश से चावल के निर्यात पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। डी.जी.एफ.टी. की दिनांक 15 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना सं. 38 (आर.ई.-2007)/2004-09 के तहत गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तथापि, बाद में दिनांक 31 अक्तूबर, 2007 की एक अन्य अधिसूचना सं. 45 (आर.ई.-2007)/2004-09 के तहत एफ.ओ.बी. आधार पर 425 अमरीकी डॉलर/प्रति मी. टन की न्यूनतम निर्यात कीमत (एम.ई.पी.) के अध्यधीन निर्यात की अनुमति प्रदान की गई थी। बाद में एम.ई.पी. को समय-समय पर संशोधित किया गया था और दिनांक 27 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. 89 (आर.ई.-2007)/2004-09 के जरिए इसे बढ़ाकर 1000 अमरीकी डॉलर/मी.टन एफ.ओ.बी. किया गया था। अंततः दिनांक 1 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. 93 (आर.ई.-2007)/2004-09 द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जहां तक बासमती चावल के निर्यात का संबंध है, दिनांक 1 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. 93 (आर.ई.-2007)/2004-09 के अंतर्गत यथा निर्धारित 1200 अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन एफ.ओ.बी. की एम.ई.पी. के अध्यधीन निर्यात की अनुमति दी जाती है।

(ग) महोदय, प्रारंभिक प्रतिबंध 9 से 31 अक्तूबर, 2007 के बीच केवल 23 दिनों तक रहा था और बाद में न्यूनतम निर्यात कीमतों के विभिन्न स्तरों के अध्यधीन निर्यात की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2007-08 के दौरान चावल के निर्यातों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

मात्रा: लाख मी. टन, मूल्य: करोड़ रुपए

	2007-08** (अप्रैल से दिसम्बर 2007 तक)	
	मात्रा	मूल्य
बासमती चावल	7.4321	2408.17
गैर-बासमती चावल	40.3615	4964.48
		दर: 40 रु. = 1 अम. डॉलर

**परिवर्तन के अध्यधीन अनंतिम

(घ) घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में कमी लाने और चावल के निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और बासमती चावल के निर्यात की अनुमति तभी दी जाती है जब न्यूनतम निर्यात कीमत 1200 अमरीकी डॉलर/टन अथवा 48,000 रुपए प्रति टन हो। इसके अलावा, निर्यातों का निगरानी रखने के लिए सरकार ने चावल की संविदाओं के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास पंजीकरण की प्रणाली शुरू की है। सरकार ने चावल के निर्यातों पर डी.ई.पी.बी.-लाभ भी वापस ले लिए हैं।

इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए नीति

4169. श्री कैलाश मेघवाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए कोई नई नीति बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कब तक बनाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) भारत सरकार ने इंस्पेक्टर राज सहित प्रक्रिया संबंधी बाधाओं से निपटने तथा उन्हें खत्म करने के लिए सतत् आधार पर अनेक सुधारात्मक उपाय किए हैं। इन कुछ उपायों में ई-गवर्नेन्स, एम.सी.ए.-21, निवेश नीति में उदारीकरण, राज्य सरकारों द्वारा एकल खिड़की प्रणालियां, ऑन-लाइन कर जमा कराने सहित कराधान सुधार, बड़ी कर प्रदाता यूनिट, आयकर तथा निगम कर के भुगतान के लिए एकल खिड़की, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क दस्तावेज ऑनलाइन जमा कराने के लिए आई.सी.ई.-गेट, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 शामिल हैं।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार

4170. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर. वाई.) के तहत गैर-कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार विशेष रूप से गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्नाटक के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो रोजगार सृजन कार्यक्रमों, अर्थात् प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर. वाई.) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का विलय करके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नामक एक नई योजना बनाई जा रही है। वैसे अपने वर्तमान रूप में पी.एम.आर. वाई. 2008-09 से कार्यान्वित नहीं की जा रही है। आशा है कि अनुमोदन के अधीन योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों मे अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करेगी। पी.एम.आर.वाई. के तहत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित सृजित रोजगार अवसरों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पी.एम.आर.वाई. के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमानित सृजित रोजगार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05 अनुमानित सृजित रोजगार	2005-06 अनुमानित सृजित रोजगार	2006-07 अनुमानित सृजित रोजगार
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	11633	14415	17028
2.	हिमाचल प्रदेश	4280	4523	5220
3.	जम्मू-कश्मीर	959	816	1092
4.	पंजाब	12558	12213	12530
5.	राजस्थान	19379	21764	22829
6.	चंडीगढ़	309	161	72
7.	दिल्ली	1229	1050	882
8.	असम	12384	9621	7007
9.	मणिपुर	581	683	387
10.	मेघालय	852	852	696
11.	नागालैंड	164	3569	1467
12.	त्रिपुरा	2621	3209	4010
13.	अरुणाचल प्रदेश	660	693	491
14.	मिजोरम	213	750	1160
15.	सिक्किम	48	47	57
16.	बिहार	15594	18204	12008
17.	झारखंड	7206	6990	7325
18.	उड़ीसा	17009	21396	20898
19.	पश्चिम बंगाल	5694	7031	5229
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	213	230	177
21.	मध्य प्रदेश	30963	31898	32807
22.	छत्तीसगढ़	4914	5550	6192
23.	उत्तर प्रदेश	63801	60069	64683
24.	उत्तरांचल	9956	11376	10757
25.	गुजरात	9609	9554	9021
26.	महाराष्ट्र	32729	36017	31878
27.	दमन और दीव	6	21	6

1	2	3	4	5
28.	गोवा	68	65	32
29.	दादरा और नगर हवेली	33	36	9
30.	आंध्र प्रदेश	33813	33246	25425
31.	कर्नाटक	20897	29066	29195
32.	केरल	24830	32261	32361
33.	तमिलनाडु	25353	29576	33216
34.	लक्षद्वीप	6	8	0
35.	पांडिचेरी	494	552	504
	विनिर्दिष्ट नहीं	1346	2096	1329
	अखिल भारतीय	372396	409599	397974

स्रोत : आर.बी.आई. डाटा

डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना

4171. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देश भारत में शिक्षा के गिरते स्तर के कारण भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त की गई डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने से इंकार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत निधियां जारी करना

4172. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत राज्यों को जारी की जाने वाली किश्त में कोई विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किश्त के विलम्ब से जारी किए जाने के परिणामस्वरूप एस.एस.ए. का कार्यान्वयन बाधित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा एस.एस.ए. की किश्त को समय पर जारी किए जाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में भारत सरकार के हिस्से की एक तदर्थ किस्त जारी की जाती है। तदुपरांत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सर्व शिक्षा अभियान हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के स्वरूप का निर्णय होते ही भारत सरकार उस वर्ष के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को देय अपने कुल हिस्से की 50% निधियों की शेष राशि जारी करती है। वर्ष के दौरान जब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कम-से-कम 50% निधियां खर्च कर लेते हैं और देय निधियों का राज्य हिस्सा उपलब्ध करा देते हैं उसके बाद भारत सरकार संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अगली और अंतिम किस्त जारी करती है। भारत सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने का भी ध्यान रखती है। सितम्बर, 2007 में सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र-राज्य निधियन पैटर्न में संशोधन के कारण वर्ष 2007-08 में भारत सरकार की रिलीजों को नए पैटर्न के अनुसार समायोजित किया जाना था।

चीनी वस्तुओं का पाटन

4173. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाजारों में चीनी वस्तुओं का पाटन किए जाने के कारण भारतीय लघु उद्योगों को हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय बाजारों में चीनी वस्तुओं के पाटन के कारण भारतीय लघु उद्योग को क्षति पहुंचने संबंधी कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ग) पाटन-रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी.जी.ए.डी.) घरेलू उद्योग, लघु अथवा अन्यथा, द्वारा दायर उन आवेदन पत्रों के आधार पर पाटन-रोधी जांच कार्य शुरू करता है जिन्हें पाटन, नुकसान तथा पाटित आयात एवं घरेलू उद्योग को आरोपित नुकसान के बीच कारणात्मक संबंध के साक्ष्य द्वारा समर्थन प्राप्त हो। ऐसे जांच कार्यों के आधार पर, पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है ताकि लघु उद्योगों सहित घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा की जा सके। उपलब्ध सूचना के अनुसार डी.जी.ए.डी. ने वर्ष 1992 से विभिन्न देशों को शामिल करते हुए 215 मामलों में पाटन-रोधी जांच कार्य शुरू किए हैं जिसमें से 109 मामलों में चीन शामिल है।

विभिन्न उत्पादों का कर मुक्त आयात

4174. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में आज तक सरकार ने विभिन्न उत्पादों, विशेष रूप से वनस्पति तेलों के कर मुक्त आयात को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उत्पाद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे घरेलू उद्योगों को वित्तीय हानि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन उद्योगों के लिए एक समान कर नीति नहीं अपनाए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जिन खाद्य तेलों और कतिपय अन्य वस्तुओं के संबंध में सीमाशुल्क जून, 2006 से "शून्य कर दिया गया है, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

- दालें : दिनांक 08.6.2006 को मूल सीमाशुल्क 10% से घटाकर "शून्य" कर दिया गया था, जो 31.3.2009 तक वैध है;
- चीनी : दिनांक 23.6.2006 को मूल सीमाशुल्क 60% से घटाकर "शून्य" कर दिया गया था, जो 30.9.2006 तक वैध था;
- गेहूं : मूल सीमाशुल्क 60% से घटाकर 5% कर दिया गया था जिसे और घटाकर शून्य कर दिया गया था, जो 28.2.2007 तक वैध था। गेहूं पर शून्य दर 30.3.2007 के बाद पुन: लागू की गई थी और अब यह समय सीमा के बिना वैध है;
- मक्का : दिनांक 25.1.2007 को मूल सीमाशुल्क 60% से घटाकर शून्य कर दिया गया, जो 31.12.2007 तक वैध था। 5 लाख मी. टन के टी.आर.क्यू. के अंतर्गत मक्का पर सीमाशुल्क दिनांक 1.4.2008 से पुन: घटाकर शून्य कर दिया गया है।

वर्ष 2007 के बजट के बाद आगे और किए गए परिवर्तन निम्नानुसार हैं :–

(क) दिनांक 31.3.2009 को अथवा उसके पूर्व अर्ध-मिल्ड पूर्णत: मिल्ड चावल के आयातों पर 70% से शून्य;

(ख) सोयाबीन तेल (अपरिष्कृत) पर 40% से शून्य;

(ग) अपरिष्कृत पाम आयल (अपरिष्कृत पामोलीन सहित) पर 20% से शून्य;

(घ) अन्य सभी विविध खाद्य तेलों (अपरिष्कृत) जैसे नारियल तेल, मंगूफली तेल आदि पर शून्य;

(ग) और (घ) जहां तक घरेलू उद्योग को हुए वित्तीय घाटे का संबंध है, ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) समस्त वस्तुओं की कराधान नीति अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कीमतों, उपभोक्ताओं के हितों, घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव, संग्रहण की प्रशासनिक व्यवहार्यता तथा राजस्व सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है, अत: यह सबके लिए एक समान नहीं हो सकती।

विश्व व्यापार संगठन के तहत व्यापार वार्ता

4175. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के साथ डब्ल्यू.टी.ओ. वार्ता में आए अवरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. के तत्वावधान में वर्तमान व्यापार वार्ता दौर को अंतिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में

बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं, जो नवम्बर, 2001 में शुरू हुई थीं, अभी चल रही है। ये वार्ताएं विशेष रूप से बाजार पहुंच तथा कृषि में घरेलू सहायता संबंधी मुद्दों और गैर-कृषि उत्पादों में बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों में डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्यों की वैचारिक स्थिति में मतभेदों के कारण अभी सम्पन्न नहीं हुई हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. की कृषि समिति (विशेष सत्र) के अध्यक्ष तथा बाजार पहुंच से संबंधित वार्ताकारी समूह के अध्यक्ष ने दिनांक 08 फरवरी, 2008 को क्रमशः कृषि और गैर कृषि बाजार पहुंच (एन.ए.एम.ए.) संबंधी रूपरेखाओं के मसौदे के संशोधित पाठ प्रकाशित किए हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य इस समय कृषि और एन.ए.एम.ए. से संबंधित इन संशोधित मसौदा रूपरेखाओं के पाठों तथा दोहा कार्यक्रम में शामिल अन्य मुद्दों जैसे सेवाओं तथा मात्स्यिकी सब्सिडी सहित नियमों आदि पर भी वार्ताएं कर रहे हैं।

(ख) समूची वार्ताओं के दौरान भारत ऐसा परिणाम, जिसमें दोहा अधिदेश का विकासात्मक आयाम समुचित रूप से प्रदर्शित होता हो, को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत डब्ल्यू.टी.ओ. में जी-20, जी-33 तथा एन.ए.एम.ए.-II जैसे विकासशील देशों के समूहों में गठबंधन भागीदारों और विकसित सदस्य देशों के साथ रचनात्मक तरीके से कार्य कर रहा है।

ऋण गारंटी निधि योजना

4176. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ऋण गारंटी निधि योजना के तहत राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-वार प्राप्त एवं संस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन तथा ऋण सुविधाएं देने के लिए कोई रणनीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत गारंटी कवर के लिए अनुमोदित ऋण राशि के साथ प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) मंत्रालय क्रेडिट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन और आधारभूत संरचना उन्नयन के क्षेत्रों में बहुत से सहयोगी उपायों/योजनाओं को आरंभ करते हुए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों (जो मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं विकास से जुड़े हुए हैं) के प्रयासों को अनुपूरित करता है। इसके अलावा, फरवरी 2007 में संसद में घोषित 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज' में, अन्य बातों के साथ-साथ, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को क्रेडिट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, एम.एस.एम.ई. की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पद्धति में ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान औद्योगिक क्लस्टरों में कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एन.एम.सी.पी.) के तहत एक दस सूत्री पहल की घोषणा की गई है।

विवरण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारन्टी फन्ड स्कीम के तहत गारन्टी कवर के लिए अनुमोदित प्रस्तावों और ऋण राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(राशि लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07		2007-08	
		अनुमोदित प्रस्ताव	ऋण राशि	अनुमोदित प्रस्ताव	ऋण राशि	अनुमोदित प्रस्ताव	ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	6.30	13	25.35	9	16.78

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आन्ध्र प्रदेश	1475	1685.07	3323	2610.01	1156	3465.23
3.	अरूणाचल प्रदेश	22	17.10	105	110.71	31	79.03
4.	असम	356	660.86	1252	2147.52	943	2543.90
5.	बिहार	344	368.98	1416	2229.28	891	2182.48
6.	चंडीगढ़	47	316.16	60	387.41	93	631.84
7.	छत्तीसगढ़	379	1737.33	180	1328.16	333	1856.59
8.	दादरा और नगर हवेली	1	12.00	4	32.28	10	145.85
9.	दमन और दीव	5	17.00	8	97.50	9	79.61
10.	दिल्ली	108	949.44	79	738.74	175	1456.18
11.	गोवा	52	167.50	69	314.88	51	334.33
12.	गुजरात	334	2775.76	816	5482.09	1295	8070.97
13.	हरियाणा	451	1300.44	1085	1567.83	859	1696.32
14.	हिमाचल प्रदेश	254	451.42	503	744.88	299	1021.18
15.	जम्मू एवं कश्मीर	201	179.61	182	246.47	427	366.64
16.	झारखंड	459	1250.85	232	839.58	470	2312.96
17.	कर्नाटक	1649	6909.09	1748	9221.50	2340	15668.90
18.	केरल	3459	4908.74	3867	5936.36	4298	8422.98
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	मध्य प्रदेश	769	1892.87	1038	2491.20	1446	4101.17
21.	महाराष्ट्र	518	3177.82	447	3631.50	732	6042.61
22.	मणिपुर	48	59.23	24	53.76	1	1.97
23.	मेघालय	12	74.55	226	541.95	66	143.23
24.	मिजोरम	41	45.85	189	287.74	67	193.31

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	नागालैंड	8	10.58	44	75.58	65	139.55
26.	उड़ीसा	707	1311.56	2319	3565.37	2557	3757.75
27.	पांडिचेरी	26	41.04	137	179.33	81	266.98
28.	पंजाब	324	1064.51	322	1457.46	620	2544.05
29.	राजस्थान	230	809.72	1457	1408.12	1984	2179.79
30.	सिक्किम	14	39.54	21	51.13	42	91.55
31.	तमिलनाडु	1713	6193.59	3607	10782.97	5793	21319.53
32.	त्रिपुरा	43	32.37	73	123.99	117	155.27
33.	उत्तर प्रदेश	1055	2672.30	1109	3636.91	1539	5166.15
34.	उत्तरांचल	39	129.38	106	622.24	121	830.39
35.	पश्चिम बंगाल	1139	4921.14	1396	7484.23	1365	8299.44
	योग	16284	46189.70	27457	70454.03	30285	105584.51

[हिन्दी]

आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता

4177. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्रीमती करुणा शुक्ला :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर मतभेदों को दूर करने के लिए कोई प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आसियान देशों ने कई भारतीय उत्पादों की बाजार तक पहुंच रोकने के लिए उन्हें संवेदनशील श्रेणी में डाल दिया है;

(घ) इन उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग करार हेतु वार्ताएं जारी हैं और दोनों पक्ष प्रस्तावित करार के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। वस्तु व्यापार करार हेतु वार्ताएं अंतिम चरण में हैं और केवल कुछ ही मुद्दों को सुलझाया जाना शेष है।

(ग) और (ङ) भारत तथा आसियान सदस्य देशों, दोनों ने अपनी संवेदनशील सूचियां प्रस्तुत की हैं जिन पर वार्ताएं चल रही हैं।

सी-फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन को सहायता

4178. श्री वृज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से भुवनेश्वर स्थित सी-फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अवसंरचना विकास हेतु सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सकरार ने इस प्रस्ताव की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार ने मै. ईस्टर्न कोल्ड चेन्स लिमिटेड के जरिए भुवनेश्वर में एक सामान्य शीतागार की स्थापना हेतु सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उड़ीसा क्षेत्र, भुवनेश्वर के लिए वाणिज्य विभाग की ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अंतर्गत अनुदान के रूप में 4.25 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन मांगा है। अनुरोध पर कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

ग्रेनाइट का निर्यात

4179. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री काशीराम राणा :

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में ग्रेनाइट भण्डारों की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रेनाइट के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तथा इसे किस कीमत पर निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार की ग्रेनाइट निर्यात नीति के कारण ग्रेनाइट आधारित उद्योगों को भारी घाटा हुआ है तथा इन्हें बन्द भी करना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) ग्रेनाइट के प्राप्तव्य भण्डारों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक भारत से ग्रेनाइट एवं ग्रेनाइट उत्पादों के निर्यात के ब्यौरे मात्रा और मूल्य के अनुसार निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	मात्रा (किग्रा. में)	मूल्य (मिलियन अम.डा. में)
2004-05	2608539246	571.90
2005-06	2841047722	788.30
2006-07	3291803627	1043.47

इस विभाग के पास ग्रेनाइट की विभिन्न किस्मों की निर्यात कीमत से संबंधित आंकड़े नहीं होते हैं। तथापि निर्यात कीमत उत्पाद की गुणवत्ता और डिलीवर की गई मात्रा पर निर्भर करती हैं, अर्थात् बल्क आर्डरों को पूरा करने के लिए उद्धृत कीमत विदेशी आयातकों द्वारा बुक की गई कम मात्राओं हेतु उद्धृत कीमत से कम होती है।

(ग) चूंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रेनाइट के निर्यात में भारी वृद्धि होती रही है इसलिए ग्रेनाइट की निर्यात नीति से ग्रेनाइट उद्योग प्रतिकूलत: प्रभावित हुआ नहीं लगता है यद्यपि भारतीय रुपये की मजबूती द्वारा निर्यातकों का लाभ मार्जिन प्रभावित हुआ है।

(घ) भारत सरकार इस क्षेत्र के निर्यातकों द्वारा विभिन्न देशों के दौरे प्रायोजित करने, रसायन एवं संबद्ध उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल) के जरिए आयोजित क्रेता-विक्रेता प्रति-बैठकों में विदेशों से आयातकों को आमंत्रित करके, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम के जरिए उद्योग के आधुनिकीकरण की अनुमति देकर, शुल्क हकदारी पासबुक ऋण आदि जैसी आवश्यक सहायता प्रदान कर ग्रेनाइट और ग्रेनाइट आधारित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करती है।

विवरण

ग्रेनाइट के राज्यवार प्राप्तव्य भण्डार

राज्य	मात्रा (हजार घन मीटर में)
1	2
संपूर्ण भारत	1027421

1	2
आंध्र प्रदेश	2300
असम	205520
बिहार	19105
गुजरात	23560
हरियाणा	13600
कर्नाटक	202986
केरल	544
महाराष्ट्र	326561
उड़ीसा	7588
राजस्थान	201692
तमिलनाडु	20340
पश्चिम बंगाल	3621

अध्यक्ष महोदय : अब सभा की कार्यवाही मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8554/08]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 8555/08]

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाईटी इंडिया, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाईटी इंडिया, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 8556/08]

(3) (एक) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाईटी इंडिया, मुंबई के वर्ष

2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाईटी इंडिया, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8557/08]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8558/08]

(7) संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत भारतीय प्रसारण (अभियन्ता) सेवा (संशोधन) नियम, 2008 जो 18 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 187(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8559/08]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8560/08]

(3) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत एन.सी.टी.ई., स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' भर्ती नियम, 2008 जो 21 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 5-5/2007/एन.सी.टी.ई./इस्टैबलिशमेंट में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8561/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं.का.आ. 780(अ) जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें डा. अबुसलेह शरीफ के स्थान पर डा. संजीव मिश्रा को वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए 14 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1937(अ) में कतिपय संशोधन करने वाला राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8562/08]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18ख के अंतर्गत जारी अखबारी कागज नियंत्रण

(संशोधन) आदेश, 2008, जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 40(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8563/08]

(2) ऑफिस ऑफ द कन्ट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स, मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 8564/08]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जयराम रमेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:–

1. मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण:-

(एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 8565/08]

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 8566/08]

(तीन) पी.ई.सी. लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 8567/08]

(2) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 8568/08]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : महोदय में निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल, के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल, के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8569/08]

(3) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (सदर्न रीजन), चेन्नई, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (सदर्न रीजन), चेन्नई, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8570/08]

(5) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (इस्टर्न रीजन), कोलकाता, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (इस्टर्न रीजन), कोलकाता, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8571/08]

(7) (एक) नार्थ-इस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर, के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ-इस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर, के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8572/08]

(9) (एक) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8573/08]

(10) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर, के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर, के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8574/08]

(12) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8575/08]

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8576/08]

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरुचिरापल्ली, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरुचिरापल्ली, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8577/08]

(18) (एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8578/08]

(20) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8579/08]

(22) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8580/08]

(24) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन के एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8581/08]

(26) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8582/08]

(28) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, सिलचर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8583/08]

(30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एजुकेशनल कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8584/08]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेलवी) : मैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) नियम, 2008 जो 14 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 87(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8585/08]

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री इम्मान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

25वां और 26वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गुरुदास कामत (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

28वां और 29वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा) : मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन; और

(2) वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 29वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही और अध्याय पांच की सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) 'चल रही और लम्बित परियोजनाओं' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(2) 'रेलवे की दसवीं पंचवर्षीय योजना' के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(3) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों का मांगों-2006-07' के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

(4) 'रेल उत्पादन इकाइयों, कर्मशालाओं और चल स्टॉक का रखरखाव' के बारे में 29वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

9वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं आपकी सूचना हेतु गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किये गये कार्य संबंधी मुख्य मदों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं।

प्रश्नकाल के दौरान सूचीबद्ध किये गये 60 तारांकित प्रश्नों में से केवल 16 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये जा सके। उसी अवधि हेतु 612 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों सहित शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभापटल पर रखे गये।

सभा में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में नियम 193 के अंतर्गत लगभग 6 घंटे तथा 52 मिनट की अल्पकालीन चर्चा हुई।

वित्तीय तथा विधायी कार्य के संबंध में, सभा में वर्ष 2008-2009 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई। 4 घंटे तथा 27 मिनट तक चली चर्चा माननीय रेल मंत्री के उत्तर से समाप्त हुई। वर्ष 2008-2009 हेतु सभी अनुदानों की मांगे (रेल)

पूरी की पूरी स्वीकृत की गई तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में, सप्ताह के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के 2 संकल्पों पर चर्चा हुई। श्री राम कृपाल यादव द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के संबंध में संकल्प पर अस्वीकृत होने से पहले दिनांक 17 अप्रैल, 2008 को लगभग 2 घंटे तथा 21 मिनट तक चर्चा हुई। श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा अधिसूचना से निकाल दी गई जनजातियों तथा खानाबदोश जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के सम्पूर्ण विकास हेतु विधान के संबंध में एक और संकल्प पर भी दिनांक 17 अप्रैल, 2008 को लगभग 3 मिनट तक चर्चा हुई और इस पर आंशिक रूप से ही चर्चा हुई।

सभा में माननीय मंत्रियों द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर तीन वक्तव्य दिये गये।

सप्ताह के दौरान, माननीय सदस्यों ने अवलंबनीय लोक महत्व के 19 मामलों को उठाया। नियम 377 के अन्तर्गत भी 20 मामले उठाये गये।

विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने सप्ताह के दौरान 38 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

हालांकि हमें गत सप्ताह के दौरान, व्यवधान तथा स्थगन के कारण 5 घंटे और 52 मिनट का नुकसान हुआ किन्तु सभा उस समय की प्रतिपूर्ति हेतु 4 घंटे तथा 52 मिनट तक देर से बैठी।

यद्यपि सभा के कुछ मूल्यवान समय का नुकसान हुआ। फिर भी मैं कार्यवाही के सुचारू संचालन में समान्यत: अध्यक्षपीठ को दिये गये सहयोग और समर्थन हेतु माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

मैं, आपकी अनुमति से विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पी.एस.सी.) की एक सौ अठहत्तरवीं (178वीं) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य लोकसभा बुलेटिन-भाग-II, दिनांक 01 सितम्बर, 2004 द्वारा जारी लोकसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के प्रावधानों के अनुसरण में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश पर दे रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी स्थायी समिति ने लोक सभा में 27 नवम्बर, 2007 को अपनी एक सौ अठहत्तरवीं (178वीं) रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की 178वीं रिपोर्ट में कुल 10 (दस) सिफारिशें की गई थीं। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न अनुलग्नक में दिया गया है, जिसे सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8586/08]

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8586/08

अपराह्न 12.06 बजे

(दो) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07 और 2007-08) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 157वें, 172वें और 179वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : मैं यह विवरण लोक सभा की कार्यविधि, आचरण एवं कार्य-संचालन नियमावली (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 के प्रावधानों के अनुपालन में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश 73-ए के अधीन सम्मानित सदन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा अपनी 157वीं, 172वीं तथा 179वीं रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. 157वीं रिपोर्ट बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग की वित्तीय वर्ष 2006-07 की विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार से संबंधित है। मैंने 157वीं रिपोर्ट में उसके द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण 25.08.2006 और 24.08.2007 को प्रस्तुत किए थे और सदन को सूचित किया था। वर्तमान विवरण में रिपोर्ट के पैरा

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8587/08

[श्री कपिल सिब्बल]

56 में की गई सिफारिशों से संबंधित अद्यतन स्थिति दी गई है। विस्तृत ब्यौरा अनुबंध-I पर है जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

3. 172वीं रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग की अनुदान मांगों पर विचार करने से संबंधित है। मैंने 172वीं रिपोर्ट में उसके द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण 24.08.2007 को प्रस्तुत किए थे और सदन को सूचित किया था। 172वीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया है और समिति ने अपनी 179वीं रिपोर्ट के तहत 172वीं रिपोर्ट की 10 अनुशंसाओं के संबंध में वर्तमान स्थिति जानने की इच्छा व्यक्त की है। वर्तमान विवरण में पैरा 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10, 8.4, 14.6, 17.4, 18.5 और 20.5 में की गई उक्त 10 सिफारिशों से संबंधित अद्यतन स्थिति दी गई है। विस्तृत ब्यौरा अनुबन्ध-II पर है जिसे सभापटल पर रखा गया है।

अपराह्न 12.07 बजे

(तीन) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 68वें, 72वें, 75वें, 79वें 80वें और 82वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

वाणिज्य और उद्योग विभाग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : महोदय, विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने चाय निर्यात के बारे में अपनी 68वीं रिपोर्ट में 24 सिफारिशें/अभ्युक्तियां की हैं। पैरा 3.4 में की गई सिफारिश के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की जानी है। पैरा सं. 4.1, 8.2, 16.8 तथा 17 V में की गई चार सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण है। पैरा सं. 6.4, 19.11 तथा 20.5 में की गई सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई लम्बित है। शेष 16 सिफारिशों पर कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। कार्यान्वयन रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखी गई है।

महोदय, विभाग संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कॉफी उपजकर्ताओं की समस्याओं के बारे में अपनी 72वीं रिपोर्ट में 22 संस्तुतियां/समुक्तियां की थीं। 72वीं रिपोर्ट पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट दिनांक 13.2.2006 को राज्य सभा सचिवालय के पास भेज दी गई थी। इनमें से 5 संस्तुतियों/समुक्तियों पर समिति ने आगे और समुक्तियां की थीं जिन्हें 79वीं रिपोर्ट में शामिल किया गया था। सभी अन्य संस्तुतियों/समुक्तियों को स्वीकार कर लिया गया था। पांचों संस्तुतियों पर कार्रवाई भी पूरी हो गई है। कॉफी उपजकर्ताओं की समस्याओं के बारे में वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 72वीं और 79वीं रिपोर्ट में निहित समुक्तियों/संस्तुतियों पर उपांतरित/संशोधित कृत कार्रवाई रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8589/08]

वाणिज्य पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 76वीं रिपोर्ट में 11 सिफारिशें की थी। 7 सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है। कृषि एवं सहकारिता विभाग और पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण द्वारा एक-एक सिफारिश का कार्यान्वयन विचाराधीन है। वाणिज्य विभाग शेष दो सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग से समन्वय कर रहा है।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8590/08

विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मसाला बोर्ड की कार्यप्रणाली के संबंध में अपनी 80वीं रिपोर्ट में 45 सिफारिशें/अभ्युक्तियां की हैं। 43 सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई पूरी कर ली गई है। 2 सिफारिशें विचाराधीन हैं। कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर भी रखी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8591/08]

विभाग संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने अपनी 82वीं रिपोर्ट में 72 संस्तुतियां/समुक्तियां की थीं। 82वीं रिपोर्ट पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट दिनांक 16.8.2007 को राज्य सभा को भेज दी गई थी। इनमें से 63 संस्तुतियों पर कार्रवाही पूरी हो गई है। अनुदान मांग 2007-08 पर विभाग संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थाई समिति की 82वीं रिपोर्ट में निहित संस्तुतियों/समुक्तियों पर उपांतरित/संशोधित कृत कार्रवाई रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8592/08]

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8588/08

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण मामलों पर चर्चा करेंगे। श्री बासुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदय, हम बहुत गंभीर विषय पर बोलना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* आपने हमें बोलने का मौका नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मुद्दा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है, हमने बोला है कि हम आपको बोलने का मौका देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने नेता का भाषण सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री राजेश वर्मा : हमारी बात को सुना नहीं जा रहा, इसलिए हम सदन में वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 12.08 बजे

इस समय श्री राजेश वर्मा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.08½ बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसनसोल, झरिया और रानीगंज में संपूर्ण कोयला पट्टी में भूमि धंसान से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर केवल दो माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। हम अन्य मामलों पर बाद में चर्चा करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं कोयला मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें:

"आसनसोल, झारिया और रानीगंज की सम्पूर्ण कोयला पट्टी में भूमि के धंस जाने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अपना वक्तव्य सभापटल पर रख सकते हैं।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : महोदय, मेरे पास एक वक्तव्य है। मैं इस वक्तव्य को सभा-पटल पर रख रहा हूं।

*महोदय, झारखंड के झरिया कोलफील्ड और पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोलफील्ड के पुराने खनित क्षेत्रों में आग और भूमि धंसाव की घटनाएं राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि के दौरान 200 वर्षों से तत्कालीन खान मालिकों द्वारा किए गए अवैज्ञानिक खनन के कारण होती है। सरकार और कोयला कंपनियों द्वारा इनका निरंतर समाधान किया जा रहा है।

गत वर्षों में पुराने खनन क्षेत्रों में आबादी कई गुना बढ़ गई है, हालांकि ये क्षेत्र, वास के लिए असुरक्षित हो गए हैं और प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर इसकी घोषणा की गयी है। इस मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पूर्व में गठित

*..."सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8593/08

[श्री संतोष बागड़ोदिया]

अनेक समितियों के अतिरिक्त इस समस्या से व्यापक रूप से निपटने के लिए कोयला मंत्रालय के तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन दिसम्बर, 1996 में किया था जिसमें अन्य विभागों, कोयला कंपनियों और पश्चिम बंगाल तथा बिहार की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि थे। समिति की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 1999 में भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों को शामिल करते हुए आग और धंसाव नियंत्रण तथा संबंधित पुनर्वास की समस्याओं का निदान करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार की गई, जिसे चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना था।

कोयला मंत्रालय ने बजटीय सहायता के माध्यम से मास्टर प्लान के तहत पहचान की गई कुछ योजनाओं का कार्यान्वयन आरंभ किया है। बी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल., दोनों में खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए दो निदर्शन योजनाएं भी पुनर्वास हेतु 1998 में अनुमोदित की गयी थीं। बी.सी.सी.एल. के लिए 61.09 करोड़ रु. की निदर्शन योजना में 4600 मकानों का निर्माण शामिल था, जिनमें 1500 मकान बी.सी.सी.एल. के कर्मचारियों के लिए तथा निजी व्यक्तियों के लिए 3100 मकान थे। इसमें से बी.सी.सी.एल. के कर्मचारियों के लिए 344 मकानों के निर्माण किया गया है और 204 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। 1156 मकानों के निर्माण की निविदा की जा रही है। निजी व्यक्तियों के लिए 900 मकानों का निर्माण पूरा होने वाला है और 1452 मकानों का निर्माण प्रगति पर है। शेष मकानों के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। बी.सी.सी.एल. ने इस योजना के लिए 21.30 करोड़ रु. व्यय किए हैं।

ई.सी.एल. क्षेत्रों के लिए पुनर्वास (1123 मकान, 32.52 करोड़ रु.) के लिए ई.सी.एल. के चार क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक निदर्शन योजना आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (ए.डी.डी.ए.) द्वारा आरंभ की गयी है। इसके अलावा, तात्कालिकता के कारण पुनर्वास कार्य संकतोड़िया गांव नामक एक नये स्थल पर भी शुरू किया गया है।

उपर्युक्त दो पुनर्वास योजनाओं के अलावा, बी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल. क्षेत्रों में 33 योजनाएं (धंसाव) नियंत्रण के लिए 29 और आग नियंत्रण के लिए 4) आरंभ की गई। उपर्युक्त में से 17 योजनाएं पूरी हो गयी हैं और 16 योजनाएं प्रगति पर है। आज की तारीख तक इन योजनाओं के लिए 59.62 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं।

मास्टर प्लान में आरंभ में कतिपय खतरा वाले क्षेत्रों के स्थिरीकरण का प्रावधान किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार एक सदस्य के रूप में खान सुरक्षा महानिदेशक सहित समिति द्वारा 2005 में एक अध्ययन किया गया जिसने यह राय व्यक्त की कि खतरा वाले क्षेत्रों के लिए स्थिरीकरण कोई स्थायी समाधान नहीं है और लोगों तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों को खाली कराना ही एकमात्र समाधान है। पूर्व में प्रस्तावित 20 वर्षों के बजाय 10 वर्षों की अवधि के भीतर अस्थिर स्थानों से लोगों को पुनर्वासित करने, आग से निपटने और रेलवे लाइनों तथा सड़क के अपवर्तन का प्रावधान करते हुए मास्टर प्लान की तदनुसार अगस्त, 2006 में संशोधित किया गया है। रानीगंज और झरिया मास्टर प्लानों के लिए अनुमानित व्यय क्रमशः 2300.42 करोड़ रु. तथा 6358.45 करोड़ रु. है।

मास्टर प्लान के घटक झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकारों को क्रमशः नवम्बर और दिसम्बर, 2006 में शीघ्रता से विचार किए जाने हेतु प्रस्तुत किए गए थे। सचिवों की समिति ने दिनांक 9.8.07 को सम्पन्न अपनी बैठक में बी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल. के लिए मास्टर प्लान पर विचार-विमर्श किया और निदेश दिया कि कोयला मंत्रालय को मास्टर प्लान में पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर. एंड आर.) पैकेज पर झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ प्रस्तावित आर. एंड आर. पैकेज पर अपनी स्वीकृति दे दी है, जबकि प्रस्तावित आर. एंड आर. पैकेज के लिए झारखंड राज्य सरकार की मंजूरी प्रतीक्षित है। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मंत्रालय में रानीगंज कोलफील्ड के लिए मास्टर प्लान पर कार्रवाई चल रही है।

प्रस्तावित मास्टर प्लान में वृहत पुनर्वास योजना शामिल है। बी.सी.सी.एल. क्षेत्र में कुछ 98134 मकानों और ई.सी.एल. क्षेत्र में 33196 मकानों का पुनर्वास किया जाना है। झरिया और रानीगंज कोलफील्डों की परिधि के साथ-साथ गैर-कोयलाधारी क्षेत्रों में रानीगंज और झरिया, प्रत्येक के लिए 4 से 5 सैटेलाइट टाउनशिपों में प्रभावित आबादी को पुनर्स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। संबंधित राज्य सरकारों के स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से उपयुक्त पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए झारखंड में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकारी (जे.आर.डी.ए.) और पश्चिम बंगाल में आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (ए.डी.डी.ए.) को चिन्हित किया गया है तथा कोयला कंपनियां इन संगठनों को इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित पूरी तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी।

इस योजना के परिव्यय को केन्द्र सरकार तथा कोल इंडिया लि. द्वारा वित्त-पोषित किए जाने का प्रस्ताव है।

सरकार इन क्षेत्रों की स्थिति से भलीभांति अवगत है और दोनों राज्य सरकारों की सहायता से समस्या को कम करने के लिए कदम उठा रही है। मास्टर प्लान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी।

मैं सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए माननीय अध्यक्ष का तथा धंसाव और सम्बद्ध मुद्दों के बारे में माननीय सदस्यों की चिंता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, आपने हमें बोलने का मौका नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अकार्डिंग टू रूल्स ऐसे नहीं होता हैं। इसमें 15-20 मिनट लगेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि हम आपको बोलने का मौका देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें तब याद नहीं था कि आज कालिंग अटेंशन है।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसे जीरो आँवर के बाद करवा लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, झरिया और रानीगंज कोयला खान क्षेत्रों में भूमि-धंसाव और आग की घटना एक राष्ट्रीय आपदा है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। यह किसी खास क्षेत्र से जुड़ी समस्या नहीं है। यह समस्या बहुत से लोगों से जुड़ी हुई है। लोग जागकर रातें गुजार रहे हैं क्योंकि कि उस क्षेत्र में हर सप्ताह कोई दुर्घटना हो जाती है। पिछले वर्ष, मैंने धनबाद के नजदीक एक क्षेत्र गिधोर कोयला खान का दौरा किया। रात को 12 बजे, वहां भूमि धंस गई और बी.सी.सी.एल. द्वारा अपनी खानों में लगाये गये ठेका मजदूरों के 25 घर भूमि में धंस गये। इसके कारण पांच लोग मारे गये और सैकड़ों लोग बेघर हो गये। यह कोई अकेली घटना नहीं है। कुछ माह पहले पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोयला क्षेत्रों में निमचा कोयला खान के पास भूमि-धंसाव हुआ और लोग भी मरे दो एक वर्ष पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 में भूमि-धंसाव हुआ था। कुछ दिनों के लिये यातायात रोक दिया गया। यह पूरा क्षेत्र निजी प्रबंधन के अंतर्गत अवैज्ञानिक ढंग से की गई कोयला खुदाई के कारण प्रभावित हुआ। खासकर बी.सी.सी.एल. द्वारा संबंधित क्षेत्र में रेत को, उचित प्रकार से हटाया भी नहीं गया, ठेकेदारों ने रेत को हटाये बगैर अपने बिलों का भुगतान प्राप्त कर लिया। यहां तक कि इन क्षेत्रों में कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं। सरकार का रवैया पूरी तरह उपेक्षापूर्ण है। इस संबंध में 05 सितंबर, 2007 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाना था तब, यह नहीं लिया जा सका क्योंकि सभा स्थगित हो गयी थी। उस दिन भी, एक वक्तव्य परिचालित किया गया था और आज भी, यद्यपि अब मंत्रालय में नये मंत्री ने कार्यभार संभाल लिया है – वही वक्तव्य ज्यों का त्यों परिचालित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वे बार-बार वक्तव्यों को नहीं बदल सकते।

श्री वसुदेव आचार्य : इससे पता चलता है कि सरकार का रवैया कितना उदासीन है। अत:, नौ माह तक कोई कदम नहीं उठाया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही विस्तृत वक्तव्य है। अब अपना प्रश्न पूछिये। अब कृपया अपना स्पष्टीकरण मांगें।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। गुरुपादस्वामी समिति और बागची समिति से लेकर कई समितियां गठित की गई। तत्पश्चात, 1999 में, पहली बार एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्वैश्चन पूछिये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। यह एक बहुत गंभीर स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में बहुत विशिष्ट नियम भी हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जनता हूं कि केवल दो ही सदस्य हैं और यह लाखों लोगों का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : दलों के मा. नेतागण बहुत महत्वपूर्ण मामलों को उठाने का इन्तजार कर रहे हैं। मैं उन्हें ज्यादा इन्तजार नहीं करा सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : 1999 में पहली बार, एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया गया था और बी.सी.सी.एल. में 77 स्थलों की पहचान की गई थी।

ई.सी.एल. में भी कुछ स्थलों की पहचान की गई थी, किन्तु सरकार ने मास्टर प्लान के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। तत्पश्चात्, 2004 में उस मास्टर प्लान को अद्यतन किया गया और क्योंकि कोयला मंत्रालय ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जो दिखाई पड़े, इसलिये इस मास्टर प्लान को 2006 में पुन: अद्यतन किया गया। इसमें आग से संबंधित दो पहलू हैं जिसमें आग की पहचान, कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता देना तथा अनंतिम भूमि आवश्यकता और पुर्नस्थापन स्थलों की पहचान तथा आग एवं भूमि-धंसाव से प्रभावित क्षेत्रों के प्रभावित लोगों का पुनर्वास और पुर्नस्थापन शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना प्रश्न पूछिये।

श्री बसुदेव आचार्य : किन्तु 2006 में मास्टर प्लान को अद्यतन करने के बाद भी सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, जो दिखाई पड़े।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, अगर आप अपने विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछते हैं तो मैं भविष्य में किसी ध्यानाकर्षण की अनुमति नहीं दूंगा। मंत्री जी ने बहुत विस्तृत वक्तव्य दिया है। कृपया प्रश्न पर आइये।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। उन क्षेत्रों में स्थिति बहुत गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति इसलिये दी है क्योंकि यह गंभीर मामला है, किन्तु आप अपने प्रश्न पूछें बिना बोलते नहीं रह सकते।

श्री बसुदेव आचार्य : ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने पहले ही कुछ दिन पूर्व अपना मास्टर प्लान प्रस्तुत कर दिया है, किन्तु मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इसका ज़िक्र नहीं किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मास्टर प्लान की स्वीकृति दी है, किन्तु झारखंड सरकार ने अभी मास्टर प्लान स्वीकृति नहीं दी है।

महोदय, चूंकि स्थिति अति गंभीर है और मंत्रालय को ई.सी.एल. से अद्यतन मास्टर प्लान पहले ही प्राप्त हो गया है, अत: मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ई.सी.एल. के कोयला खान क्षेत्र में भूमि-धसाव और आग से निपटने के लिये मास्टर प्लान में अंतर्विष्ट सिफारिशों एवं सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये त्वरित कार्यवाही करेगी।

दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार बी.सी.सी.एल. के मास्टर प्लान को शीघ्र मंजूर करने हेतु इस मामले को झारखंड सरकार के साथ उठायेगी ताकि झरिया और रानीगंज कोयला खान क्षेत्र में आग और भूमि-धसाव से ईमानदारीपूर्वक निपटा जा सके।

महोदय, उस क्षेत्र में दो बड़े शहर हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, खेद है कि मुझे आपको पुन: स्मरण कराना है कि इस बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आप केवल अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह मेरा अंतिम प्रश्न है।

महोदय, झरिया की जनसंख्या चार से पांच लाख है और रानीगंज की जनसंख्या भी चार से पांच लाख है। ये दोनों शहर बहुत पुराने और महत्वपूर्ण हैं। 'झरिया बचाओ समिति' झरिया शहर को बचाने हेतु विगत कुछ वर्षों से संघर्ष कर रही है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रेत को हटाकर इन दोनों शहरों में कोयले के खनन की अनुमति न देकर इन दोनों शहरों को बचाने हेतु प्रभावी कदम उठायेगी ताकि इन दोनों शहरों की बड़ी आबादी का पुनर्वास करने की आवश्यकता न पड़े।

मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि जर्मनी की एक कंपनी... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। केवल ये तीन प्रश्न, और नहीं।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, जर्मनी की एक कंपनी ने लोगों को वहां से बिना हटाए आग से निपटने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उसने अपना प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है। अब अवसर का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उसके प्रस्ताव पर विचार करेगी ताकि किसी क्षेत्र की पहचान की जा सके...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा कि भविष्य में किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दूं या नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया सहयोग करें।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आग से निपटने हेतु उसके प्रस्ताव पर विचार करेगी... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे कार्यवाही सारांश वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इसे कार्यवाही सारांश में सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मुझे यहां सभी मा. सदस्यों को स्मरण कराना होगा। उनमें से बहुत से वरिष्ठ सदस्य हैं। नियम में स्पष्ट रूप से केवल स्पष्टीकरण मांगने का प्रावधान है। यह कोई चर्चा नहीं है। ऐसा वक्तव्य दिये जाते समय उस पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा। किन्तु प्रत्येक वह सदस्य, जिसके नाम पर कार्य-सूची में मद है, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न पूछ सकता है और ऐसे प्रश्नों के समाधान के लिए मंत्री महोदय अंत में उत्तर देंगे। हर कोई यह बात जानता है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने मात्र स्पष्टीकरण पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, स्पष्टीकरण का अर्थ यह नहीं है कि आप दस मिनट तक भाषण दें। देखिये, इसे चलते 20 मिनट का समय हो गया है। कृपया सहयोग करें। श्री अधीर चौधरी, आप कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, आप को नियमों का पालन करना चाहिये।

श्री अधीर चौधरी (बरहमपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, मेरे साथ सौतेला व्यवहार न किया जाये...*(व्यवधान)*

महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तृत वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय ने विस्तृत वक्तव्य दिया है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह सुविदित तथ्य है कि झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में वर्षों से आग लगती रही है। आग की लपटें भूमि से भी उठती रही हैं। इससे कोलकाता-दिल्ली रेल लाइन, राष्ट्रीय-राजमार्ग-दो और इंडिया ऑयल कार्पोरेशन की पाइपलाइन को खतरा होता रहा है।

महोदय, मा. सदस्य श्री वसुदेव आचार्य ने पूरी तरह जानते हुये भी गैर-कानूनी खनन के मुद्दे को छोड़ दिया है। ईस्टर्न कोल फील्ड क्षेत्र और झारखंड क्षेत्र में गैर-कानूनी खनन बेरोकटोक होता रहा है। ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उस नाम को हटा दिया जायेगा। उस नाम को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया प्रश्न पर आइये अन्यथा मैं इस मामले पर चर्चा को बंद कर दूंगा। मैं इसे बंद कर दूंगा। आपको प्रश्न पूछना है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मुझे पहले दिन भी अनुपूरक प्रश्न पूछने से मना किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, आरोप लगाना बहुत आसान है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, कारण यह है कि इन दिनों राज्यों में किसी कृत्यक बल का गठन नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी आरोप लगा सकता है।

श्री अधीर चौधरी : किन्तु, यह भी सच है कि गैर-कानूनी खनन जारी है और भूमि-धसाव और आग की रोकथाम करने में यह एक बड़ी समस्या बन गई है।

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिये।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, माननीय मंत्री ने भूमि धसाव तथा आग के लिए संवेदनशील क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, भविष्य में कोई ध्यानाकर्षण नहीं होगा।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यहां उन लोगों की संख्या का भी उल्लेख नहीं है जो भूमि धसाव तथा आग से प्रभावित हुए हैं।

महोदय, पहले भी स्थायी समिति ने परित्यक्त खानों हेतु बंद करने संबंधी योजना का सुझाव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो मैं इस मामले पर चर्चा बन्द करना हूंगा।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बंद करने संबंधी योजना को कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं।

महोदय, मैंने वक्तव्य में कुछ विसंगतियां देखी हैं। क्या मैं उनका उल्लेख कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न के रूप में उनका उल्लेख कीजिये। आपको एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है परन्तु आप दो प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, आप भी वक्तव्य को देखें। इसमें कहा गया है:–

> "बी.सी.सी.एल. हेतु, 4600 मकानों के निर्माण के लिए 61.09 करोड़ रुपये की प्रदर्शन संबंधी योजना बनाई गई है जिसमें बी.सी.सी.एल. कर्मचारियों हेतु 1500 मकान तथा निजी व्यक्तियों हेतु 3100 मकानों का प्रावधान है। इसमें से बी.सी.सी.एल. कर्मचारियों हेतु 344 मकानों का निर्माण किया गया है और इनमें 204 परिवारों को स्थानान्तरित कर दिया है..."

मकानों के निर्माण तथा परिवारों के स्थानान्तरण के बीच गंभीर विसंगति हुई है।

दूसरे, ई.सी.एल. क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित मकानों की वास्तविक संख्या के बारे में जानने हेतु कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

महोदय, मास्टर प्लान, जिसका यहां पर उल्लेख किया गया है, बहुत पहले गुगनानी समिति की रिपोर्ट के समय से ही तैयार कर लिया गया था। इस समय रेलवे लाइन का रास्ता बदलने तथा सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रों के स्थानान्तरण का भी सुझाव दिया गया था। परन्तु आज तक प्रगति बहुत ही धीमी गति से हो रही है। इसलिये, प्रदर्शन संबंधी कार्यक्रम और अन्य उपायों से वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। मेरा माननीय मंत्री से सीधा यही प्रश्न है। पश्चिम बंगाल में कितनी जनसंख्या तथा कितने क्षेत्र भूमि धसाव तथा आग के कारण संवेदनशील बना हुआ है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (संतोष बागड़ोदिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि मेरे माननीय सहयोगियों श्री बसुदेव आचार्य और श्री अधीर चौधरी ने न केवल प्रश्न पूछे हैं अपितु, स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर भी दिये हैं। उन्हें सारी समस्या की अच्छी जानकारी है और मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मैं सारी बात को विस्तार में बता सकता हूं परन्तु मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा।

'भूमि धंसाव' क्या है? 200 वर्षों से भी अधिक समय से खनन कार्य हो रहा है। श्री बसुदेव आचार्य ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया था कि इन कंपनियों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व लोगों द्वारा अवैज्ञानिक

खनन किया गया था। अब, इस तरह के खनन कार्यों से स्वभाविक रूप से भूम धंसाव होगा।

महोदय, मेरे पास पूरी योजना है और मैं इसे श्री बसुदेव आचार्य को दिखा सकता हूं और मैं उन्हें अपने कार्यालय ले जा सकता हूं और उन्हें आगे इसके संबंध में स्पष्टीकरण दे सकता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप श्री बसुदेव आचार्य तथा श्री अधीर चौधरी दोनों को ले जाइये।

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। खनन कार्य को समय जब कॉरिडोर बनाये गये थे तब स्थान खाली थे। आप इसमें रेत डालकर प्रत्येक कॉरीडोर को स्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं परन्तु कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम इस स्थिरीकरण को संभव बना सकें। इन सभी प्रयासों के पश्चात्, यह निर्णय लिया गया है, कि स्थिरीकरण को निश्चित नहीं माना जा सकता है। इसी कारण सरकार ने अब यह मास्टर प्लान बनाया है। मास्टर प्लान के अंतर्गत उन स्थानों को खाली कराना ही एकमात्र विकल्प है।

श्री बसुदेव आचार्य ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि झारखंड सरकार ने छह माह में इसका अनुमोदन नहीं किया है। हम क्या करें? हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं मुख्यमंत्री से बात की है और अभी तक अनुमोदन नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही इसका अनुमोदन किया है और हमने पहले ही कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। धनराशि की कोई कमी नहीं है। हम इस क्षेत्र को खाली कराने के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के इच्छुक हैं। यहां पर 90,000 से ज्यादा मकान हैं। यह मास्टर प्लान के अंतर्गत है। मैं माननीय मंत्रियों से हमारी मदद करने हेतु अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण।

श्री संतोष बागड़ोदिया : धन्यवाद, महोदय। मैं माननीय सदस्यों से हमारी मदद करने हेतु अनुरोध करता हूं। हम गैर-सरकारी संगठनों की मदद ले रहे हैं और हम प्रभावित लोगों को प्रेरित करने के लिये इस क्षेत्र में सभी नेताओं की मदद ले रहे हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि वे बहुत ही खतरनाक स्थिति में रह रहे हैं। जब यह खनन कार्य किया गया था उस समय कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं रहता था। उसके पश्चात्, जब जनसंख्या बढ़ी तो लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिये। भूमि पर दबाव बढ़ने के साथ ही वहां पर लोग रहने लगे हैं। हमारी तरफ से हम उन्हें केवल नये मकान दे सकते हैं। नये स्थल पर हमारी इच्छा संपूर्ण अवसंरचना – स्कूल, कालेज तथा सड़कों के निर्माण करने की है।

परन्तु पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों को अपनी जगह छोड़ने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिये जिसे वे नहीं कर रहे हैं और जिसे पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार इस मुद्दे के संबंध में अत्यधिक संवेदनशील है। मानवीय आधार पर हम चाहते हैं कि वे वहां पर नहीं रहें।

अन्य बात जिसका उल्लेख माननीय सदस्य, श्री आचार्य ने किया वह अद्यतन योजना के बारे में थी जिसमें ई.सी.एल. ने प्राप्त किया है। वह योजना प्राप्त हुई है; इसमें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने सुरक्षित झरिया शहर का भी उल्लेख किया था। मैं माननीय सदस्य को सूचित करता हूं कि जहां तक झरिया शहर का संबंध है, उसमें कोई जोखिम नहीं है। ये सभी समस्यायें झरिया शहर के आस-पास की हैं। इसलिये झरिया शहर में कोई जोखिम नहीं है।

अतः, माननीय सदस्य आप निश्चित हो सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : रानीगंज के बारे में क्या है?

श्री संतोष बागड़ोदिया : मैं झरिया शहर की बात कर रहा हूं।

निस्सन्देह, आपने रानीगंज के बारे में प्रश्न नहीं पूछा। परन्तु अब आप पूछ रहे हैं तो मैं उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने रानीगंज और झरिया दोनों के बारे में पूछा था।

श्री संतोष बागड़ोदिया : रानीगंज के संबंध में समस्या वही है जिसका मैंने उल्लेख किया था। रानीगंज का निश्चय ही ध्यान रखा जायेगा। रानीगंज शहर से नीचे खनन कार्य किया गया है। यही समस्या है परन्तु हमारी उन सभी को स्थानान्तरित करने की इच्छा है। यदि आप हमारी मदद कर सकते हैं, यदि आप वहां पर रह रहे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे। आप जानते हैं कि उनकी मनःस्थिति क्या है। वे स्थानान्तरित होना नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपने अपने लिखित वक्तव्य में भी इसका उल्लेख किया है।

श्री संतोष बागड़ोदिया : मैंने निश्चित रूप से बहुत ही विस्तृत वक्तव्य दिया है, ताकि संभवता कम प्रश्न संदर्भ में आयें... *(व्यवधान)*

महोदय, यह कहना आसान है कि 'उन्हें स्थानान्तरित कर दों। हमारी इच्छा उन्हें स्थानान्तरित करने की है। जैसा कि मैंने कहा धनराशि की कोई कमी नहीं है। परन्तु क्या आप एक भी व्यक्ति को स्थानान्तरित कर सकते हैं? मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि वास्तव में 344 मकानों का निर्माण किया गया है। क्या आप यह विश्वास करेंगे कि हम केवल 204 परिवारों को स्थानान्तरित कर सकते हैं? अभी भी 140 मकानों का उपयोग नहीं हुआ है। यदि लोग वहां नहीं रहते हैं तो हमें उन मकानों की सुरक्षा की चिन्ता है।

आप निर्धारित कीजिये कि कौन लोग स्थानान्तरित होने जा रहे हैं। हम उनके लिसे व्यवस्था करेंगे।

महोदय, जहां तक आग के प्रश्न का संबंध है जिसका श्री आचार्य ने उल्लेख किया था कि आग क्यों लगती है। जिसे क्षण भूमि धंसाव होता है, भूमि पर दरार पड़ जाती है; और जब वहां पर दरार होती है तो उसमें हवा फसती है। हवा और दरार के मेल से स्वाभाविक रूप से आग पैदा हो सकती है। एक बार आग लग जाने पर आग के स्तर, आग की गहराई तक तथा दूरी की पहचान करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इस कारण उन स्थानों को खाली कराना ही एकमात्र विकल्प है। एकमात्र विकल्प पुनर्वास है। और हमारे पास बहुत बड़ी योजना है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री संतोष बागड़ोदिया : हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसे प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। वे लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। हम अपने देश के एक भी नागरिक को खोना नहीं चाहते। वे दिन चले गये जब नागरिकों के जीवन को बहुत ही सस्ता माना जाता था। आज, हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन को बहुमूल्य मानती है। हम उन्हें मरने नहीं देंगे।

परन्तु जहां तक हमारा संबंध है, हम मदद करना चाहते हैं। कृपया आगे आयें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उनका पहला वक्तव्य है। हम पहली बार बोलने वाले माननीय मंत्री को परेशान नहीं करते हैं। कृपया परम्परा का पालन कीजिये। सामान्यत: यहां यही परम्परा है।

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, आपको जो भी मदद चाहते हैं हम देने को तैयार हैं।

महोदय, श्री चौधीर आग के बारे में जानना चाहते थे। मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि जब खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो आग लगने की कुल 67 घटनायें हुई थी। उसके पश्चात्, आग लगने की 10 और घटनायें हुई। 7 स्थानों पर आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है; 67 स्थानों पर आग अभी भी लगी हुई है परन्तु हमने उस पर काबू पा लिया है। जोखिम बहुत ही कम है। मेरा यह कहना नहीं है कि जोखिम नहीं है; अभी भी जोखिम है। इसलिये लोगों को वहां से अन्यत्र बसाने का प्रश्न पुन: पैदा हो गया है।

महोदय, श्री चौधरी भी ईस्टर्न कोलफील्ड्स के बारे में जानना चाहते थे।

श्री अधीर चौधरी : वहां पर कितना क्षेत्र होगा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं है मंत्री महोदय, कृपया आगे और अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु नहीं कहिये।

(व्यवधान)

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, मैं पूछ नहीं रहा हूं। मैं केवल उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

मास्टर प्लान की मुख्य बातें ई.सी.एल. की पट्टे वाली भूमि पर भराव, आग, भूमि धंसाव तथा पुनर्वास से संबंधित हैं जिसे कार्य सूची में अगस्त, 2006 को अद्यतन किया गया था।

निर्माणाधीन योजनाओं सहित जिन स्थलों का पुर्नवास किए जाने का प्रस्ताव है, उनकी संख्या 139 है। पुर्नवास किए जाने वाले घरों की संख्या 33,196 है। निर्माणाधीन घरों सहित चरण-एक में पुर्नवास किए जाने के लिए प्रस्तावित घरों की संख्या 18,136 है। चरण-दो में पुर्नवास के लिए प्रस्तावित घरों की संख्या 15,060 है। इस प्रकार के घरों की कुल संख्या 33,196 है।

पुर्नवास के लिए अनुमानत: भूमि 896.29 हेक्टेयर अपेक्षित है। कार्यान्वयन हेतु समय सीमा 10 वर्ष है। यह 20 वर्ष थी। इसे कम करके 10 वर्ष कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि आप उन को आमंत्रित करेंगे और वे सारी जानकारियां देंगे। आप माननीय सदस्यों को आमंत्रित करें।

श्री संतोष बागड़ोदिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप कह रहे हैं मैंने केवल उन दोनों को आमंत्रित करता हूं बल्कि मैं सदन में उपस्थित सभी को भी आमंत्रित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को।

श्री सन्तोष बागड़ोदिया : यदि कोई माननीय सदस्य आएगा तो मैं उनसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिलूंगा और कोयले की खानों में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके बारे में पूरा स्पष्टीकरण दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहली बार हस्तक्षेप करने पर बधाई देता हूं।

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधीर चौधरी : पश्चिम बंगाल का कितना क्षेत्र है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, और उत्तर मत दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब इस महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महराजगंज, बिहार) : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सदन में माननीय सदस्यगण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण सवालों को उठाते रहे हैं। वर्ष 2007 में लोकसभा के सत्र के दौरान लोकसभा में प्रश्नों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर 1,086 आश्वासन सरकार की ओर से दिए गए। उनमें से मात्र 149, यानी केवल 14 प्रतिशत आश्वासनों पर अब तक अमल हुआ है। इससे यह लगता है कि यह सरकार आश्वासनों की सरकार हो गयी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपना मुद्दा उठाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं। असली मुद्दा इसी में छिपा हुआ है।

महोदय, 18 दिसंबर, 2006 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से हमने भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल करने की मांग की थी, जिसके उत्तर में माननीय गृहमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि अब इसमें किन्तु और परन्तु के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गयी है। भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गयी है, आगामी सत्र में ही यह बिल पारित कराया जाएगा। यह उनका आश्वासन है। जब से माननीय गृहमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है, अब तक संसद के पांच सत्र गुजर चुके हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से इस ओर ध्यान देने और इस पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं। मैंने निर्देश दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, 14 मार्च, 2008 को शून्यकाल के दौरान जब मैंने इस सवाल को उठाया था, तब आपने कहा था कि मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को संविधान की अष्टम सूची में शामिल करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करे। यह बात आपने कही थी। फिर 19 मार्च, 2008 को जब मैंने यह मामला सदन में उठाया तो श्री प्रियरंजन दासमुंशी, जो उस समय संसदीय कार्यमंत्री लेकिन अब उनको उस पद से हटा दिया गया है, ने उस हैसियत से हमें आश्वासन दिया था कि भोजपुरी भाषा की प्राथमिकता है और रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : शायद इसी के लिए उनको हटाया गया होगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उन्होंने कहा था कि इस भाषा को शीघ्र ही संविधान की अष्टम सूची में शामिल किया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार ने आश्वासन दिए, आपने भी सरकार से अनुरोध किया, इसे आप चाहे अनुरोध मानें या निर्देश या आदेश मानें। आप सदन में अनुशासन लागू कराते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ मेरे जैसे लोगों के लिए है। सरकार के लिए आप अपनी ताकत को क्यों छिपाए हुए हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी बोला है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप अगर हमें इजाजत दें तो हम कल प्रिविलेज मोशन मूव करते हैं, उस पर सुनवाई कीजिए और गलत आश्वासन देने के लिए गृहमंत्री जी को जेल में बंद कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इससे और देरी होगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम आपसे इसकी मांग करते हैं। भोजपुरी आज नहीं तो कल संविधान में शामिल होगी ही, लेकिन भोजपुरी भाषा बोलने वाले 20 करोड़ लोगों के सम्मान के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे सदन और आसन को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इससे संबंधित बिल को सदन के इसी सत्र में लाया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर सदन को ध्यान देना चाहिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अकेले श्री देवेन्द्र प्रसाद जी ही नहीं, मुझे विश्वास है कि पूरा सदन उनसे सहमत है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सरकार को इसके बारे में बयान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैंने इसके लिए बोल दिया है।

[अनुवाद]

मैंने पहले ही इसके बारे में कहा है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सदन में दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किए जाने पर सरकार को सदन में बयान देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से इस ओर गंभीरता से ध्यान देने और इस पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

एवरीबॉडी काइण्डली अपने नाम भेज दीजिए।

[अनुवाद]

अब, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा। वे भी एक महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मेरी बात का क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, आप इसके लिए सरकार को निर्देश दीजिए कि संसद के चालू सत्र में ही सरकार इसके लिए एक विधेयक लाए।

अध्यक्ष महोदय : आपने मेरी बात को सुना नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, इसके लिए सरकार को एक निश्चित समय-सीमा दी जानी चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उनके आश्वासन के आलोक में सरकार भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल करने के लिए विधेयक लाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि वह सदन को स्थिति से अवगत कराएं। उसमें सब कुछ शामिल होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, हम इसमें एसोसिएट करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है, यह प्रणाली लागू नहीं की जा सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो. मल्होत्रा से बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, उस पर आपका निर्देश हुआ था, लेकिन सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा है, वह रिकार्ड नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : आप भी भोजपुरी के पक्ष में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भोजपुरी के पक्ष में हूं, राजस्थानी के पक्ष में हूं और जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उन सबके पक्ष में हूं। मैं मैथिली के भी पक्ष में हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैथिली भाषा तो संविधान की अष्टम् सूची में शामिल हो गई है। भोजपुरी और राजस्थानी बाकी हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम सब भोजपुरी चाहते हैं, राजस्थानी को भी चाहते हैं। राम कृपाल जी भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं।

[अनुवाद]

हम कुछ कार्य करते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह भी महत्वपूर्ण विषय है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.41 बजे

हॉकी संघ के महासचिव द्वारा कथित त्याग-पत्र के संबंध में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को उठाने की अनुमति दे रहा हूं यद्यपि सरकार का इससे प्रत्यक्ष रूप में कोई लेना देना नहीं है लेकिन यह देश की छवि और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही दुखद घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। एक बहुत ही घिनौनी खबर आई है कि हाकी फैडरेशन के जनरल सेक्रेटरी *द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी का नाम मत लिजिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन पर पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने पर आरोप सामने आया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आरोप है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

यह आरोप है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम यहां कोई फैसला नहीं सुना सकते। हमें पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : एलीगेशन ही शर्मनाक है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह जो आरोप लगाया गया है, उससे सारे देश की बदनामी हुई है और सारा देश शर्मसार हुआ है। यह ठीक है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यही काफी नहीं है। इस प्रकरण की जांच की जाए और अगर वह दोषी पाएं जाएं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिडिंग शुरू की जानी चाहिए, ताकि औरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि सरकार का यद्यपि इसमें सीधा दखल नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि हरेक फैडरेशन पर सरकार का एक ऑब्जर्वर होता है। सेलेक्शन कमेटी में अर्जुन एवार्डी की सरकार की ओर से उसकी नियुक्ति की जाती है उसके बाद उसे सारी ट्रेनिंग दी जाती है। भारत सरकार की स्पोर्ट्स अर्थारिटी ऑफ इंडिया द्वारा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

और चयन समिति के बाद उस सेक्रेटरी को बाहर भेजने के लिए सरकार की कार्यवाही करती है। यह बहुत जरूरी है और सरकार का इसमें काफी दखल है। मैं कहना चहता हूं कि सरकार और आई. ओ.ए. दोनों बैठकर मीटिंग करें। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसकी जांच करें, ताकि कोई भी व्यक्ति सारे खेल जगत को बदनाम न करे सके। आई.ओ.ए. द्वारा लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से दागी हो जाता है, उसके लिए खेल जगत में कोई स्थान नहीं है, उसे तुरंत वहां से हटाया जाना चाहिए। इसलिए इस घटना की पूरी जांच के बाद सरकार आवश्यक कार्रवाई करे। सरकार और आई.ओ.ए. बैठकर इसकी जांच करें और कठोर कार्रवाई करें।

अध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ जी इसके साथ सहमत हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : हम भी हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने-अपने नाम भेज दें।

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : मैं अपने को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : यह राष्ट्र की गरिमा का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, उसके लिए ही हमने अनुमति दी है।

श्री मोहन सिंह : पांच लाख रुपए की घूस ली और कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : आज ही यह खबर आई है और आज ही नोटिस आया है।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और लोगों को भी सबक मिल सके

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं, उनकी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष जी, माननीय मल्होत्रा जी ने हाकी फैडरेशन के महासचिव के बारे में जो बातें यहां रखी हैं, वह अत्यंत गंभीर मामला है। कोई भी देश अथवा किसी भी टीम का खिलाड़ी अगर कहीं खेलने जाता है तो वह इंडिविजुअल नहीं खेलता, अपने लिए नहीं खेलता, पूरे राष्ट्र के लिए खेलता है, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की हाकी में पिछले काफी समय से जो शर्मनाक हार हो रही है, जैसे एशियाड में हुई और आगामी ओलम्पिक के लिए तो हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों में चयन की प्रक्रिया में जो रिश्वतखोरी की परम्परा आरम्भ हुई है, यह शर्मनाक है। कल कही घटना से, हॉकी फैडरेशन ने जो एक काला अध्याय घूस और रिश्वत का अपने साथ जोड़ा है, यह राष्ट्रीय अपमान है जो राष्ट्रीय द्रोह के बराबर है। ऐसे लोगों पर राष्ट्र-द्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए जो राष्ट्र के सम्मान को इस प्रकार से गिरवी रख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को अत्यंत गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। जब भी इस प्रकार के मामलों को हम लोग हल्केपन से लेते हैं, उसे केवल चर्चा का विषय बना लेते हैं, तो ऐसे लोग अपनी गलत गतिविधियों को लगातार जारी रखते हैं, जिससे राष्ट्र का अपमान होता है। हम आपके माध्यम से पुरजोर मांग करते हैं कि जो भी हॉकी फैडरेशन से जुड़े हुए दोषी लोग हैं, चाहे इस कार्यकाल के या पिछले कार्यकाल के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धनराज पिल्लै ने एक और आरोप लगाया है कि फैडरेशन के महासचिव ने सन् 2004 में रिश्वत लेकर, एक खिलाड़ी का चयन किया था जो कि एक अत्यन्त गंभीर मामला है। इसकी भी जांच होनी चाहिए और अन्य फैडरेशनों की कार्यप्रणाली पर भी एक बार चर्चा की जानी चाहिए और नजदीक से इन सभी पर निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मो. सलीम कृपया लम्बा भाषण मत दीजिए।

मो. सलीम : हां जनाब, इस मुद्दे का उल्लेख पहले ही हो चुका है।

[हिन्दी]

सर, हॉकी के साथ हमारी अपनी परम्परा जुड़ी हुई है। लेकिन केवल हॉकी का मामला नहीं है, ये फैडरेशन्स खेल के मैदान में

राष्ट्रीय दल का चयन करती हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खेल के लिए जब वे जाते हैं तो हमारी राष्ट्रीय भावना उससे जुड़े रहती है। वहां पर क्या चल रहा है, इसे देखने के लिए सरकार का कोई कानून या अंकुश नहीं है। आप खेल मंत्री को यह निर्देश दें कि वे यहां आयें और बयान दें, खास करके हॉकी फैडरेशन के मामले में कि इस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष जी, विरोधी दल के उपनेता ने आज जिस प्रश्न को यहां उपस्थित किया है, मैं अपनी सहमति उनके साथ प्रकट करता हूं। यह बहुत ही दुःखद स्थिति है। कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, उसके साथ इस तरह का मज़ाक किया जा रहा है। भारत की टीम पहले जब ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उस समय कह दिया कि ये सभी संगठन स्वायत्त और स्वतंत्र हैं, भारत सरकार का उसमें कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं हो सकता। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ने इस तरह का वक्तव्य देकर, गलत कामों को करने की पूरी स्वायत्तता इन संगठनों को दे दी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सरकार यदि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप रखने का अधिकार, आज की तारीख में नहीं रखती है तो सदन में एक विधेयक लाकर, खासतौर से भ्रष्टाचार और बदचलनी के जब आरोप लगें, तो उसमें हस्तक्षेप करने का सरकार को अधिकार होना चाहिए। इसी सदन ने, 5000 रुपये से 10000 रुपये की रिश्वत का स्टिंग ऑपरेशन होने पर, अपने ही साथियों को इस सदन से बाहर कर दिया था। पांच-पांच लाख रुपये के आरोप स्टिंग ऑपरेशन में आ गये और मैं कोई स्टिंग-ऑपरेशन का समर्थक नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमारा उस पर कोई हक नहीं है।

श्री मोहन सिंह : आपको उस पर हक हो या न हो, इस सदन ने सर्व-सम्मति से यह फैसला किया था।

अध्यक्ष महोदय : हम तो आपको एलाऊ कर रहे हैं।

श्री मोहन सिंह : तो ऐसे मामलों में भी इस सर्वोच्च संस्था को दखल देने का पूरा अधिकार है और ऐसे लोगों के खिलाफ, भारत सरकार को क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, यह मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन में भाजपा के उपनेता ने जो भावना व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसी गतिविधियों का अंकुश लगाने का यदि अधिकार नहीं है तो यह सर्वोच्च सदन है और इस सदन से वे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। फैडरेशन में रिश्वत लेकर जिस तरह से राष्ट्रीय खेल की अहमियत को चोट पहुंचायी गयी है, उससे राष्ट्र का अपमान हुआ है। मैं सभी माननीय सदस्यों की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई कारगर कदम उठाना चाहिए। चाहे विधेयक के जरिये या किसी भी प्रकार से, सदन से हस्तक्षेप करने की शक्ति प्राप्त कर, सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विजय कुमार मल्होत्रा साहब ने जो भावना व्यक्त की हैं, मैं उनसे पूरी तरह से अपनी सहमति जताते हुए यह कहूंगा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और हॉकी पर हर हिंदुस्तानी को नाज रहा है लेकिन आज हॉकी की जो दुर्गति हुई है, उसका कारण आज साबित हुआ है कि रिश्वतखोरी की वजह से आज हॉकी इस मुकाम तक पहुंची है। इसलिए जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सके, इसमें दो जानी चाहिए। चाहे हमें अलग से कोई कानून बनाना पड़े तो भी सारा सदन सर्वसम्मति से ऐसा कानून बनाने के लिए तैयार होगा। राष्ट्रीय खेलों में पैसा कमाने की मानसिकता जिन लोगों में पैदा हो गयी है उन्हें चौराहों पर फांसी पर लटकाया जाए, ताकि कोई इस तरह से राष्ट्र की भावना के साथ खिलवाड़ न कर सके।

अपराह्न 12.50 बजे

विश्व पृथ्वी दिवस के संबंध में

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : धन्यवाद महोदय, आज विश्व पृथ्वी दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2008 को पृथ्वी ग्रह के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। हमारा ग्रह केवल 4.5 ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि आज मैंने इस मामले का उल्लेख किया है। आप इससे सहबद्ध हो सकते हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : हां श्रीमन्त। लेकिन आज हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए है जहां समूची मानवता, वस्तुतः प्रत्येक जीवित

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

प्राणी को तापमान में वैश्विक बढ़ोतरी और जलवायु परिवर्तन से खतरा हो गया है।

तापमान में विश्वव्यापी बढ़ोतरी तो पहले से ही प्रकृति के लिए विभिषीका बनी हुई है। यह कहा जा रहा है कि अधिकांश पादपों और जीव जन्तुओं पर इस प्रभाव पड़ा है क्योंकि परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है कि वे इसके हिसाब से विकसित नहीं हो रहे। वैश्विक रूप से यदि तापमान में 4.5 फैरन हाइट की वृद्धि हुई तो पृथ्वी की 30 प्रतिशत प्रजातियां और यदि 6.3 फैरनहाइट की वृद्धि हुई तो 70 प्रतिशत तक प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। अधिक उंचाई पर ठण्डी जलवायु में पाए जाने वाले पादपों और जीव जन्तुओं पर इसकी सबसे अधिक मार पड़ेगी दीर्घावधि में प्रत्येक प्रजाति प्रभावित होगी।

ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी ग्रीन पीस द्वारा 'ब्ल्यू अलर्ट' शीर्षक से किए गए अध्ययन में कहा गया है कि इस सदी के दौरान तापमान में लगभग 4.5 सेन्टीग्रेड तक की बढ़ोतरी हो जाएगी और यह कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र को चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे गलत समझा जा रहा है। इसका उल्लेख करने के प्रयोजन को ही सही ढंग से नहीं समझा जा रहा है। लम्बे लम्बे वक्तव्य पढ़े जा रहे हैं। हमने इस विषय में फैसला कर लिया था।

(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा कीजिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लगभग 130 मिलियन लोग निम्न उंचाई के तटीय क्षेत्रों में रहते हैं जो औसतन समुद्री तल की औसत नीचाई से 10 मीटर से भी कम की उंचाई पर रहते हैं। मुम्बई और कोलकाता की समुद्र तल से उंचाई औसतन 2 से 10 मीटर तक है। यह कहा जाता है कि 125 मिलीयन लोग बेघर हो जाएंगे। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। यदि हम तापमान में वैश्विक बढ़ोतरी को 2 सेंटीग्रेड से कम रखने में सफल हो भी जाएं तो भी पलायन करने वाले लोगों की संख्या 5 मिलीयन होगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस मुद्दे से अपने आपको सम्बद्ध कर लीजिए। मैं आपको ऐसा करते रहने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : मेरा अनुरोध है कि जिस ऊंचे पद पर आप बैठे हुए हैं, उसके और इस सभा के माध्यम से आप राष्ट्र को सन्देश दीजिए कि हमें स्थिति की तात्कालिकता को समझना चाहिए। हमें लोगों की सोच में बदलाव लाना चाहिए। पृथ्वी का संरक्षण करने और इसे रहने का बेहतर स्थान बनाने के लिए तथा पृथ्वी गृह को आसन्न विनाश से बचाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अध्यक्ष महोदय, उड़िया में कहते हैं कि आज घटोली दिवस है। *[अनुवाद]* आज विश्व पृथ्वी दिवस है जिसे पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग बनाने के साधन के रूप में पहली बार अप्रैल, 1970 को मनाया गया था। खाद्य अभाव की विश्वव्यापी स्थिति के कारण के साथ-साथ जलवायु परिवर्तनों के कारण नए-नए सवाल उठ खडे हुए है। आज वास्तविकता यह है कि तापमान में वृद्धि से मानव जाति के भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। चूंकि जलवायु के पैटर्न से उत्पादन को खतरा हो गया है, किसानों को यह पक्का यकीन नहीं है कि कब बोए और कब काटें और कोई भी देश इसके परिणामों की अनदेखी करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वैश्विक खाद्य संकट की स्थिति में विकासशील देशों को सबसे अधिक कष्ट उठना पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन की स्थिति बिगड़ती जा रही है। यूरोपीय संघ द्वारा लागू की गई जलवायु परिवर्तन संदेही नीतियों से यह स्पष्ट हो जाता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया इस से संबद्ध कर लीजिए। यह भाषण का विषय नहीं है। मेरा आप से अनुरोध है कि आप सहयोग करें।

श्री भर्तृहरी महताब : महोदय, यह मुद्दा महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम इसके बारे में जानते हैं और मैंने इस विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान की थी मैं इस पर एक और चर्चा करवाने के लिए तैयार हूं। आप यह भी जानते होंगे कि हमने इस मुद्दे पर एक मंच का गठन किया है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं इसे उठा रहा हूं क्योंकि आज का दिन विशेष दिन है और आपने स्वयं इस मुद्दे के महत्व का सुबह उल्लेख किया था।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन कृपा करके यह देखिए कि हमारे पास समय का अभाव है। अतः कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं आधी मिनट में समाप्त कर रहा हूं। यूरोपीय संघ द्वारा लागू किए जा रहे कार्बन उत्सर्जन संबंधी नियन्त्रण हमारी चिन्ता के विषय हैं। विकासशील देशों ने जिनके समक्ष पर्यावरण प्रदूषण की कीमत पर भी त्वरित विकास को गति देने का विकल्प रहता है, भी पर्यावरण पर विकास को वरीयता दी है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधी सामूहिक कार्यवाही करने का प्रयास करे और इस बात पर जोर डाले कि प्रति व्यक्ति आधार पर उत्सर्जन नियंत्रण के उचित वितरण का आग्रह करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मामले का उल्लेख भर कर दीजिए प्रत्येक मुद्दे पर भाषण नहीं हो सकता।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 23.11.97 को प्रसार भारती के अस्तित्व में आने से पूर्व आकाशवाणी और दूरदर्शन सरकारी विभाग होते थे। अब दोनों प्रसार भारती निगम के अधीन हैं। इस विभाग में तीन संवर्ग के कर्मचारी इंजीनियरिंग, प्रोग्राम एवं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। 25.2.99 को प्रसार भारती द्वारा जारी एक आदेश के तहत अभियांत्रिकी एवं कार्यक्रम संवर्ग के कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतनमान और पांचवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान से भी अधिक पैसा दिया गया है। इसी विभाग में कार्यरत प्रशासनिक वर्ग के कर्मचारियों को इस विभाग से वंचित किया गया है। 1999 से प्रशासनिक वर्ग के कर्मचारी बराबर सरकार से अनुरोध करते रहे हैं। 9 वर्ष की लंबी अवधि के बाद पिछली बार इनकी सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से जब बात हुई थी तो मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि उनको तत्काल बढ़ा पैसा दिया जाएगा लेकिन उनके द्वारा बराबर अनुरोध करने के बाद भी वे वंचित रहे। प्रशासनिक विभाग के कर्मचारी आज आकाशवाणी परिसर में भूख हड़ताल पर हैं। करीब 6000 लोग कलमबंद हड़ताल पर हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार ने जो प्रतिबद्धता जाहिर की थी और वायदा इस सदन में किया था, वह उसे पूरा करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य, कृपया आप भी अपनी कह दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आकशवाणी और दूरदर्शन प्रशासनिक स्टाफ एसोसिएशन ने आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रसार भारती नामक स्वायत्तशासी निगम में परिवर्तित कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अभियांत्रिकी और कार्यक्रम संवर्ग के कर्मचारियों को प्रसार भारती में शामिल करने की एवज में उच्च वेतनमान दिए गए थे। प्रशासनिक स्टाफ जो दूरदर्शन तथा आकाशवाणी दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, को आश्वासन दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कई बार मिल चुका हूं। वास्तव में, 1 अप्रैल को उनकी स्वयं की पहल पर मंत्रीजी ने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुलाया था और उनको आश्वासन दिया था कि 3 अप्रैल को जब मंत्री समूह की बैठक होगी तो उनके मामले पर विचार किया जाएगा और उनको बढ़े हुए वेतनमान दिए जाएंगे। लेकिन 3 अप्रैल 2008 को जब मंत्री समूह की बैठक हुई तो उनके मामले पर विचार नहीं किया गया।

महोदय, समय कम है और वे देश भर में आन्दोलन कर रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं चूंकि सरकार ने उनकी मांग पर विचार करने के लिए मंत्री समूह गठित किया है, मैं यह मांग करता हूं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रशासनिक स्टाफ एसोसिएशन की वाजिब मांग पर विचार किया जाए और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के प्रशासनिक स्टाफ को बढ़े हुए वेतनमान दिए जाएं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसके साथ मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : मान्यवर, में आपके मध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि हम लोगों का लोक सभा सदस्य के नाते कोई दायित्व है लेकिन मुझे सह अनुभव हो रहा है कि उन दायित्वों का निर्वहन करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। कारण यह है कि एक विधायक को विकास के नाम पर पांच करोड़ रुपये दिये जाते हैं। वे ढाई सौ हैंड पंप लगवा सकते हैं। हम लोगों ने प्रधान मंत्री जी को राम गोपाल जी के नेतृत्व में लिख कर दिया था लेकिन एक महीना हो गया है, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम सड़क का उद्घाटन नहीं कर सकते, शिलान्यास नहीं कर सकते और हैंड

[श्री रेवती रमन सिंह]

पादप नहीं लगवा सकते। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो दो करोड़ रुपया हर सांसद को दिया जाता है, यह बंद कर दिया जाए, एक पैसा भी न दिया जाए, यह मेरी मांग है और मेरी तरह से सभी सांसद इससे सहमत होंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सब नाम भेज दीजिए। कोई भाषण नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार जी का नाम श्री रेवती रमण सिंह के साथ एसोसिएट किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल सुमित्रा जी की बात रिकार्ड होगी।

*(व्यवधान)**

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : आपकी क्या राय है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान को रिकार्ड नहीं किया जाएगा। यदि आप मेरे निर्णय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्रसन्न नहीं होंगे। मेरा निर्णय यह है कि इसे तुरन्त समाप्त किया जाए।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मोहन सिंह जी आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक मोशन ले आएं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्रीमती सुमित्रा महाजन के वक्तव्य को रिकार्ड किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सुमित्रा महाजन नहीं है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : मैं जो महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठाना चाहती हूं, सदन में बैठे हुए लोग, जो दादा-दादी भी हैं और उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इस संबंध में सब पोलिटिकल पार्टीज को एक होकर इसकी भूमिका में विचार करना बहुत आवश्यक है। एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से स्कूलों में छठी कक्षा से सैक्स एजुकेशन देने की बात हो रही है। एचआरडी मिनिस्ट्र की ओर से कुछ प्रोग्राम जारी भी किया गया है, गत वर्ष जारी हुआ था और आब्जेक्शन उठने के बाद केवल कुछ चित्र हटाए गए। मैं सभी सदस्यों से कहना चाहती हूं कि इस प्रकार से सैक्स एजुकेशन देना शिक्षक का काम नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वैचारिक मतभेद हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : एड्स कंट्रोल के लिए छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और एजुकेशन एड्स कंट्रोल के लिए दी जाती है। बायोलाजी, मौरल साइंस सोशल साइंस पढ़ाना बात अलग है, सिक्सिस पढ़ाओं तो बात समझ में आती है लेकिन इस प्रकार से एन.ए.सी. ओ. कहां से आ गई? उनके पास करोड़ों रुपए हैं और इसलिए इसमें झोंक रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब टीवी पर नाच देखते हैं?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैं सभी सदस्यों से अपील करना चाहती हूं कि हमारे बच्चों को टीवी आदि सभी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अगर सैक्स एजुकेशन स्कूलों में शुरू होता है तो वह कहर ढा सकता है। सरकार को इसे देखना ही चाहिए और तुरंत वापिस लेना चाहिए।

मेरा आप सबसे निवेदन है क्योंकि कहा जाता है- अनाज का अकाल पड़ता है तो मनुष्य मर जाता है लेकिन जब अकाल संस्कारों का होता है तो मनुष्यता मर जाती है। यह यहां कल हो सकता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मजबूती से इस बात को सपोज करें ताकि तुरंत इस चीज को रोक दिया जाए।

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा) : अश्लील फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए।

श्रीमती चपावहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : मैं सुमित्रा महाजन जी की बात से अपने को संबद्ध करती हूं।

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर) : मैं सुमित्रा महाजन जी की बात से अपने को संबद्ध करती हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : मैं सुमित्रा महाजन जी की बात से अपने को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : मैं सुमित्रा महाजन जी की बात से अपने को संबद्ध करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री छेवांग थुपस्तन एक दुर्गम क्षेत्र से आते हैं और उनकी अपनी समस्याएं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भी इनके साथ शामिल होना चाहते हैं? यदि आप भी शामिल होना चाहते हैं तो कृपया अपने आपको इसके लिए पर्चियां भेज दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह विवादास्पद प्रकृति का है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : इसमें कुछ भी विवादास्पद नहीं है। यौन शिक्षा आवश्यक नहीं है। यह मुद्दा विवादास्पद हो सकता है?

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर मतभेद है।

(व्यवधान)

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख) : महोदय, आपके माध्यम से मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं।

नुब्रा घाटी जम्मू एवं कश्मीर राज्य जिसकी प्रसिद्ध सियाचीन हिमनद सहित चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, के लद्दाख जिले का सामरिक रूप से सर्वाधिक संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नुब्रा घाटी शेष लद्दाख के साथ खारदुंगला के रास्ते गुजरने वाले मार्ग से जुड़ा हुआ है जिसे विश्व का सबसे उंचाई पर स्थित होकर मोहर चलाने योग्य यातायात मार्ग माना जाता है। शीत ऋतु के दौरान और बसन्त के प्रारंभ में यह मार्ग भारी बर्फबारी और तेज हवाओं जिसके कारण मार्ग का प्रयोग करना बहुत खतरनाक हो जाता है के कारण बन्द रहता है और यह प्राय: अवरूद्ध हो जाता है और महीनों तक इसी स्थिति में बना रहता है।

नुब्रा घाटी के लोगों की यह मांग काफी लम्बे समय से लंबित है कि खारदुंगला के आर-पार एक बहुउद्देशीय सुरंग का निर्माण किया जाए जिससे कि वर्ष भर यहां तक कि सर्दियों में भी इस क्षेत्र में सड़क संपर्क बना रहे। सुरंग के निर्माण से लेह नगर में उतरी भाग में पानी ले जाने में सहायता मिलेगी जहां सिंचाई के लिए जल की भारी कमी है। साथ ही इस प्रकार पानी ले जाने से जल विद्युत का भी उत्पादन किया जा सकेगा। इस संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन पहले ही किया जा चुका है और प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह खारदुंगला के आर-पार सुरंग निर्माण पर विचार करे जिससे न केवल सड़क संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा बल्कि जलविद्युत उत्पादन में भी सहायता मिलेगी और लेह नगर को सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल भी उपलब्ध होगा। मैं अपने हाल ही के दौरे के दौरान नुब्रा घाटी में एक सप्ताह से अधिक समय तक फंसा रहा था। सड़क मार्ग बंद हो गया था और मुझे विशेष विमान द्वारा चंडीगढ़ तक आना पड़ा था। यह हमारी खराब रक्षा तैयारियों को दर्शाता है क्योंकि काराकोरम तथा सियाचिन जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकते जिसमे सुरक्षा बलों के आवागमन में भी रुकावट उत्पन्न होती हैं। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार मेरे इस आग्रह पर यथोचित गम्भीरता से विचार करेगी और खारदुंगला के आर-पार एक बहुउद्देशीय सुरंग के निर्माण को स्वीकृति देगी।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, मैं अपने आप को इस मुद्दे से सम्बद्ध करता हूं।

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य (शिमला) : महोदय, मैं अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पश्चिम) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान अतिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था 2006-07 पर भारतीय रिर्जव बैंक की सांख्यिकी संबंधी पुस्तिका में दर्शाया गया है कि वर्ष 2007 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 30,639 ग्रामीण बैंक शाखाएं थी। इसका यह अर्थ हुआ कि 1993 से पंद्रह वर्षों में 4750 ग्रामीण बैंक शाखाओं को बंद किया जा चुका है। औसतन प्रत्येक माह में 26 शाखाओं अथवा प्रत्येक कार्य दिवस में एक शाखा को बंद किया गया है। कृषि अर्थव्यवस्था संकट में है तथा गरीब किसान अत्यंत दवाब में है और ग्रामीण शाखाओं में कमी करने से वे साहूकारों पर निर्भर होने के लिए मजबूर है जिसके कारण वित्तीय संकट तथा किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है। इन परिस्थितियों में मैं यह पुरजोर मांग करता हूं कि इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए तथा ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या और पहुंच बढ़ायी जानी चाहिए।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन बैंकों के संचालन से ग्रामीणों को ऋण उपलब्ध कराकर और साहूकारों और लघु वित्त संस्थानों जैसे संस्थागत वित्तीय स्रोतों पर निर्भरता कम करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करने में सहायता मिलेगी।

बढ़ती ब्याज दरों के संदर्भ में वहनीय ऋण दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीमित संचालन क्षेत्र, प्रति राजसहायता के लाभ प्राप्त करने के सीमित अवसर तथा प्रायोजित बैंकों के साथ संसाधन जुटाने और ऋण प्रदान करने में स्पर्धा और कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की उनकी अधिक क्षमता जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषण दरों में की गई वृद्धि से भी निधियों की लागत पर प्रभाव पड़ा है।

ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में ऋण दरों में की गई इस वृद्धि का परिणाम काफी घातक हैं और वित्त प्रदान करने के उद्देश्यों के विपरीत है। यह सरकार तथा बैंक उद्योग की जिम्मेदारी है कि वह उच्च ऋण लागत के कारण उत्पन्न ग्रामीणों के संकट का निवारण करे।

मैं वित्त मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कम लागत पर निधि उपलब्ध कराने के लिए तत्काल एक कोष का गठन करे जिससे कि ये संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध करा सकें और ग्रामीण गरीबों पर ब्याज के बोझ को कम कर सके।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान पूर्व हैदराबाद राज्य के धन संबंधी विवाद की ओर दिलाना चाहता हूं। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उसमान अली खां ने एक लाख 303 राइफल खरीदने के लिए 1948 में लंदन के नेशनल वेस्टमिनस्टर बैंक में 10 दस लाख पाउंड हस्तांतरित किए थे। तथापि इससे पूर्व कि निजाम को ये राइफल मिल पाती, केन्द्र सरकार ने पुलिस कार्रवाई आरम्भ कर दी और निजाम को पदच्युत कर दिया। तत्पश्चात निजाम ने अपना रूख बदल लिया और कहा कि बिना उनकी जानकारी के इस धन को वित्त मंत्री द्वारा बैंक में हस्तांतरित किया गया है। यह राज्य का पैसा है, उनकी अपनी निजी संपति नहीं है। भारत ने यह दावा किया है कि यह पैसा देश का है और निजाम का उस पर कोई अधिकार नहीं है। छह दशको के बाद भी यह पैसा अभी भी लंदन बैंक के पास पड़ा हुआ है। दस लाख पाउंड की राशि अब बढ़ कर 31.9 मिलियन पाउंड हो गई है। यह राशि लगभग 250 करोड़ रु. है। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान भी इस राशि पर अपना दावा कर रहा है तथा निजाम के उत्तराधिकारी भी इस राशि के हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। यह पैसा पूर्व हैदराबाद राज्य के लोगों का है! यह संपत्ति क्षेत्र के लोगों के खून-पसीने द्वारा अर्जित की गई है।

अध्यक्ष महोदय : हैदराबाद भारत का भाग है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : भारत सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलगांना क्षेत्रों, जो कि पुराने हैदराबाद राज्य के भाग थे, के विकास के लिए इस राशि का उपयोग करने हेतु इस मामले का समाधान करना चाहिए।

तेलगांना के विकास के लिए इस राशि की आवश्यकता है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मुद्दे का समाधान करे और इस धन को वापस लाये तथा इस राशि को पूर्व हैदराबाद राज्य के क्षेत्र के विकास पर खर्च करे।

श्री तुकाराम गचपतराव रेंगे पाटील (परभनी) : महोदय, मैं इस विषय में सम्बद्ध होना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्रीमती रंजीत रंजन आपका विषय राज्य का विषय है।

श्रीमती रंजीत रंजन : नहीं महोदय, वह राज्य का विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : राज्य का विषय नहीं है। आप मेरी बात को अस्वीकार कर रही हैं। ठीक है मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा के साथ आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगी। आज पूरे देश में 15 लाख मैला उठाने वाले और गटर में जाकर सफाई करने वाले लोग हैं। मैं कुछ दिन पहले ही आउटलुक वगैरह में भी पढ़ रही थी। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे देश में कई सालों से इसे बंद करने का कानून बन रहा है, लेकिन हर साल इसे बढ़ा दिया जाता है और आज बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारे गुजरात के एक बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने यह स्टेटमेंट दी है कि जो मैला उठाने वाले हैं, उनको यह सपना आया था कि भगवान ने कहा कि आप यह कार्य करो और यह भी एक अच्छा कार्य है। मैं यह कहना चाहूंगी कि जो ऐसा कहने वाले लोग हैं, उनको जरूर एक बार उन गली कूचों में और रेल पटरी में जाकर सिर्फ दो मिनट के लिए वहां जाकर खड़ा होना चाहिए और जो व्यक्ति वहां से मैला उठाते हैं, उनको जाकर देखना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहूंगी कि क्या सरकार ने यह सर्वे किया है कि मैला गटर में जाने वाले लोगों में से कितने लोग बीमार हुए हैं, कितने मर चुके हैं और कितने बीमारियों से पीड़ित हैं? आज बाहर के देश- नीदरलैंड, पोलैंड, नार्वे ब्रिटेन इत्यादि जैसे देश इंडिया के लिए इस चीज का विरोध कर रहे है कि भारत में जो यह मैला उठाने का कार्य हो रहा है, यह बंद होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि हिन्दुस्तान जो लोगों को जीने की प्रेरणा देता रहा है, इंसानियत का पाठ दूसरे देशों को पढ़ाता रहा है, आज हम ही इस अमानवीय चीज को रोकने के लिए अभी तक इस कानून को इम्पलीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आपके तहत जो वर्ष 2010 तक का समय अब दे दिया गया है, इसे जल्द से जल्द किया जाए क्योंकि यह उन व्यक्तियों के साथ बहुत क्रूरता का अमानवीय व्यवहार और मजाक है। इसे जितनी जल्दी हो, बंद करना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक लाइन कहूंगी कि बिन्देश्वरी पाठक जो सुलभ इंटरनेशनल के हैं, उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने पहल करके आज उन लोगों को समाज से जोड़ने का का काम किया है और कई लोगों को इस कार्य से हटाकर अपने समाज में नौकरियां भी दी हैं। सरकार को उन्हें उनके इस काम से मुक्ति दिलाकर उनके पुनर्वास की पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा उठाया गया विषय अच्छा और महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, आल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन अर्थात् एआईईई में शामिल होने वाले महाराष्ट्र में कई छात्र-छात्राओं के परीक्षा केन्द्र राज्य के बाहर रखे गये। महाराष्ट्र के बच्चे कहां जाएंगे? वे भोपाल में जाएंगे, अंडमान-निकोबार में जाएंगे। इससे उनको परीक्षा में जाने के लिए रिजर्वेशन की जो सहूलियत होती है, वह देंगे और वह 27 तारीख को है। मैंने सम्माननीय एचआरडी मिनिस्टर साहब को पत्र भी लिखा था क्योंकि महाराष्ट्र में तीन सेंटर्स-मुम्बई, पुणे और नागपुर हैं यानी राज्य से बाहर अर्थात अंडमान निकोबार तक बच्चे जाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह जो परीक्षा है, यह परीक्षा महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में हो जाए, आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश में हो जाए, राज्य स्तर पर हो जाए। बारहवीं के बाद इतनी दूर बच्चे कैसे जाएंगे? इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहूंगा कि इस विषय पर डायरेक्टरेट आफ टैक्नीकल एजुकेशन को निदेश दें कि महाराष्ट्र के छात्र-छात्राओं का परीक्षा केन्द्र राज्य के भीतर ही मुम्बई, पुणे और नागपुर या हमारे मराठवाड़ा में संभाजीनगर-औरंगाबाद में किया जाए। इसका भी नियम हो। इसी पद्धति से देश के अन्य राज्यों में भी एआईईई की परीक्षाएं ली जाएं, ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही 15 सदस्यों को अनुमति दे दी है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : मैं देश में फैल रही बहुत ही गंभीर बीमारी के संबंध में सभा का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। इसका नाम है सिजोफ्रेनिया। युवा लोग इसका शिकार हुए हैं और मुझे यह बताया गया है कि इस देश की लगभग एक प्रतिशत जनसंख्या इस बीमारी से पीड़ित है। विशेषकर, युवा लड़के और लड़कियां इस बीमारी का शिकार हुए हैं। इस बीमारी के उपचार हेतु बहुत ही कम सुविधायें उपलब्ध हैं। इसके उपचार हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, बंगलौर ही एकमात्र संस्थान

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

है जो इस देश के अनेक हिस्सों से बहुत दूर है। दिल्ली और देश के अन्य भागों में कुछ अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं। मैं पुरजोर यह मांग करता हूं कि पश्चिमी क्षेत्र में विमहंस जैसा संस्थान अहमदाबाद अथवा गांधीनगर में शुरू किया जा सकता है। इसकी गंभीरता को देखते हुए इस बीमारी पर सरकार का ध्यान अवश्य ही जाना चाहिये. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे अन्य राज्यों में भी स्थापित किया जाना चाहिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : यदि इसे किसी अन्य राज्य में भी स्थापित किया जाता है तो मैं अत्यधिक प्रसन्न होऊंगा। फिर भी, इस प्रकार की बीमारियों, की ओर बहुत ही कम ध्यान गया है यह बीमारी आदत, अध्ययन अथवा यह युवा उम्र में अपने कंधों पर वहन कर रहे बोझ के कारण आंशिक रूप से युवाओं को अपना शिकार बना रही है। वे मुख्य रूप से अवसाद में चले जाते हैं और अवसाद के कारण वे इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : महोदय, मैं इससे अपने आप को संबद्ध करती हूं।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय मैं भी इससे अपने आप को संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। उनके नामों को इससे संबद्ध किया जाये।

[हिन्दी]

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का समय दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको कल मौका देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य मामलों को दिन के अंत में लिया जायेगा अथवा आपको नई सूचनाएं देनी होंगी। मैंने पहले ही 17 मामलों को उठाने की अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

श्री चरकला राधाकृष्णन (चिरायिंमिल) : वर्ष 1957 में जब श्री ई.एम.एस. नम्बूदिरीपाद मुख्यमंत्री थे तो केरल विधान सभा... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत सहयोग करते हैं। मैं आपका प्रशंसक हूं।

(व्यवधान)

श्री चरकला राधाकृष्णन : वर्ष 1957 की शुरूआत में केरल विधान सभा में जब स्वर्गीय श्री ई.एम.एस नम्बूदिरीपाद मुख्यमंत्री थे, तो त्रिवेन्द्रम, राज्य की राजधानी में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने हेतु एक संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। यह क्या है? क्या आप किसी भी समय खड़े होकर बोल सकते हैं?

[हिन्दी]

नोटिस नहीं, कुछ नहीं, क्या बात है?

[अनुवाद]

श्री चरकला राधाकृष्णन : उसके बाद, जब वर्तमान रक्षा मंत्री, श्री ए.के. एंटनी मुख्य मंत्री थे तब केरल विधान सभा ने पुन: त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने हेतु सर्वसम्मति से एक संकल्प स्वीकार किया। वर्तमान सरकार ने चालू वर्ष के बजट में खंडपीठ की स्थापना हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान की हैं। इस खंडपीठ की स्थापना हेतु सभा के समक्ष गैर-सरकारी सदस्य का एक विधेयक भी है परन्तु सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले न्यायपालिका को कार्यवाही करनी है। विद्वान न्यायधीशों को निर्णय लेना है।

श्री चरकला राधाकृष्णन : भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह दावा किया है कि यह केन्द्रीय सरकार का कार्य है कि उसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने हेतु उदाहरण पेश करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सरकार को इससे सहमत होना चाहिये। न्यायाधीशों को इससे सहमत होना चाहिये।

श्री वरकला राधाकृष्णन : सरकार के समक्ष एक विकल्प है। या तो सरकार गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प स्वीकार करे अथवा वह सभा के समक्ष यह घोषणा करे कि वह अधिसूचना जारी करेगी। त्रिवेन्द्रम में तीन माह से वकील भूख हड़ताल कर रहे हैं तथा सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है। राज्य सरकार ने पहले ही इसकी सिफारिश कर दी है ...*(व्यवधान)*। मुझे भी बाध्य होकर कार्यवाही करनी होगी। इस सभा के समक्ष मुझे कार्यवाही करनी होगी और मैं सरकार से इस मामले में कार्यवाही करने का अनुरोध, करता हूं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केरल से सभी माननीय सदस्य इससे अपने आप को संबद्ध कर रहे है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं भारत सरकार तथा भारत के राष्ट्रपति से खंडपीठ की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी करने के लिये अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य तथा वे माननीय सदस्य जो त्रिवेन्द्रम से दूर के क्षेत्रों के हैं, भी अपने आप को इससे संबद्ध कर रहे है।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आपके केरल के सदस्य भी इसका विरोध कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब यह समाप्त हुआ। आपने अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज मध्यान्ह भोजनावकाश नहीं होगा। हम कार्यसूची की अगली मद पर चर्चा शुरू करने जा रहे है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : कहीं भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं है...*(व्यवधान)*। न्यायपालिका ने अपना दृष्टिकोण रखा है जब कभी भी शब्द 'कनसल्ट' (परामर्श) का प्रयोग किया है, उन्होंने इसकी व्याख्या 'कान्सेंट' (सहमति) के रूप में की है।...*(व्यवधान)*। जब कभी भी शब्द 'कनसल्ट' का प्रयोग किया जाता है तो इससे शब्द 'कानसेंट' का आभास होता है। अत:, आपको दुगुना सतर्क रहना चाहिये। जब कभी भी आप कोई संविधि पारित करते है तो उसके बाद शब्द 'परामर्श' का उपयोग नहीं करते क्योंकि उसे सहमति के रूप में लिया जायेगा और हम अधिनियम को कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं होंगे। देश में इस प्रकार की स्थिति है। चैम्बर शब्दकोश अथवा विश्व के किसी भी हिस्से जहां अंग्रेजी बोली जाती है में उपयोग किये जाने वाले किसी अन्य शब्दकोश में आपको 'कनसल्ट' तथा 'कान्सेंट' शब्द जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सरकार को सोचने दीजिये। जब तक आप अपनी बात समाप्त नहीं करेंगे वे सोचेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विधि और न्याय मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं।

अपराह्न 1.20 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभापटल पर रखा माना जाये।

(एक) कर्नाटक सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों के लिए अनुदान की राशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : कर्नाटक सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किये गये है:

(एक) जल गुणवत्ता संबंधी समस्या से निपटने हेतु 7 जिलों में 15 योजनाओं हेतु 2700 लाख रुपये अनुदान राशि जारी

*सभा पटल पर रखे माने गये।

[श्री इकबाल अहमद सरडगी]

किये जाने का 25-4-2007 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आकलित धन राशि में संभावित वृद्धि को रोकने हेतु अनुमोदित/संशोधित लागत के भीतर अनुमोदित चालू योजनाओं को शुरू करना आवश्यक है।

(दो) भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान सहित आबंटित अनुदान को जारी करने के अनुरोध के साथ सभी 27 जिलों हेतु 12286 लाख रुपये की राशि की ए.आर.डब्ल्यू एस.पी. निधियों की दूसरी किस्त जारी करना।

चूंकि ये प्रस्ताव अत्यधिक महत्वपूर्ण है अत: मैं केन्द्र से अनुदान जारी करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(दो) गुजरात के गिर (पश्चिमी) वन क्षेत्र के निवासियों तथा उनके सभी वंशजों को जनजातीय दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ (जूनागढ़) : गुजरात राज्य में गिर पश्चिम वन क्षेत्र वर्ष 1960 से लेकर 1965 तक फोरेस्ट सेटलमेंट कमिश्नर के द्वारा तीन वार्ड ए, बी, सी, से बना हुआ है। इस वन क्षेत्र में वर्ष 1956 से पहले रहने वाले वनवासी और जो अब इस क्षेत्र में नहीं रहते है, उन सभी वनवासियों को आदि जाति का माना जाता है उन्हें तथा उनके वारिसों को आदि जाति प्रमाण-पत्र लेने के लिए रेंज फोरेस्ट आफिसर से प्रमाण लेकर तालुका तहसीलदार से आदि जाति का प्रमाण पत्र लेना होता है।

समस्या यह है कि वर्ष 1956 से पहले वहां रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिवार के केवल एक ही सदस्य को उनका वारिस माना जाता है और परिवार के अन्य सदस्य को वारिस नहीं माना जाता है। रेंज फोरेस्ट आफिसर उन्हें प्रमाण पत्र नहीं देते हैं जिससे उन्हें आदि जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे वनवासी और उनके वारिस जो एक या एक से अधिक हों सभी को उनका वारिस होने का हक मिलना ही चाहिए। इस विषय से संबंधित मंत्रालय एवं विभाग को उचित कार्यवाही करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएं।

(तीन) छत्तीसगढ़ तथा देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक तथा सर्वांगीण विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पीने के पानी, आवासीय व्यवस्था, व्यावसायिक परीक्षा, नशामुक्ति योजना, कन्या-विवाह योजनाएं, बाल विवाह रोकने, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना, आम्बेडकर आवास, वाल्मीकि आवास, पीड़ित वर्गों की बीमारी से निजात पाने, धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल बनाने, सांस्कृतिक विकास संबंधी योजना, पढ़ने हेतु विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भवन, फ्री मैट्रिक छात्रावास व्यवस्था, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जाये उनके विकास के लिए दी जाने वाली राशि बहुत कम है। 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी उनकी हालत जैसी की तैसी बनी हुई है। विकास के नाम पर मिलने वाली राशि अधिकतर सरकारी व्यवस्था में खर्च की जाती है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्गों के बाहुल्य क्षेत्र राज्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य को तीन हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त विशेष पैकेज दिया जाये तथा अभियान चलाकर उनका समुचित विकास किया जाये।

(चार) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वे सड़के बनाई जा रही हैं जिन पर पी.डब्ल्यू.डी. उ.प्र. द्वारा 6 माह पूर्व तथा एक माह पूर्व कार्य कराये जा चुके हैं, किसी पर तो अभी कार्य प्रारम्भ हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत टेन्डर निकाले गये हैं। सड़कों का नाम है (1) मोठ से माण्डरे (2) मोठ से समथर (1) सिकन्दा से समथर (1) समथर से पीपरीकलां तथा अन्य सड़कों के कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं कराये जा रहे है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि अनियमितताओं की जांच मेरे समक्ष कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(पांच) गुजरात में सामुद्रिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : गुजरात राज्य में 1600 किलोमीटर सबसे लंबी समुद्रतट-रेखा है जिसमें एक बहुत बड़ा पत्तन तथा 40 छोटे पत्तन हैं। गुजरात राज्य भारत में संचालित किये जाने वाले कुल कार्गो का 25% संचालित करता है और कांडला को छोड़कर गुजरात के पत्तन सभी छोटे पत्तनों का 80% कार्गो का संचालन करता है। ग्यारहवीं योजना की समाप्ति पर क्षमता वृद्धि संबंधी भारत सरकार की संपूर्ण योजना के अनुसार 450 मिलियन टन पत्तन क्षमता को प्राप्त करने की योजना है। गुजरात पत्तनों पर प्रति वर्ष 6000 के आसपास जहाज आते हैं। इसलिये, श्रमशक्ति की आवश्यकता बहुत ज्यादा है।

क्षेत्र में नियुक्त की जाने वाली सामुद्रिक श्रमशक्ति उपलब्ध कराने के मद्देनजर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने गुजरात में सामुद्रिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु माननीय पोत परिवहन मंत्री, भारत सरकार को दिनांक 7.1.2004 को एक अर्ध शासकीय पत्र लिखा था। सामुद्रिक विश्वविद्यालय को स्थापित करने का उद्देश्य स्नातक तथा स्नातोकत्तर स्तर के पश्चात् सामुद्रिक क्षेत्र में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों की शिक्षा देना है चूंकि यह विश्वविद्यालय पत्तन प्रबंधन समुद्री अभियोजिकी तथा समुद्री विज्ञान में विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन करेगा। गुजरात सरकार ने दिनांक 2.7.2006 के अपने पत्र द्वारा पहले ही गुजरात में सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु शासी निकाय की कार्यसूची में इस मद को डालने के लिये राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी, चेन्नई से संपर्क किया था। अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

अत, मैं केन्द्र सरकार से शीघ्रातिशीघ्र इस प्रस्ताव पर कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) राजस्थान के अजमेर में विमान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर नगर का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। धार्मिक दृष्टि से भी अजमेर की सुप्रसिद्ध दरगाह शरीफ तथा तीर्थ राज पुष्कर विश्वविख्यात है। यह नगर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों तथा रेलवे से भी सब ओर से जुड़ा हुआ है परंतु अनेक आश्वासनों एवं सर्वेक्षणों के बावजूद भी यह शहर हवाई यातायात से सर्वथा वंचित है। परिणामस्वरूप विदेशी तथा देशी पर्यटकों आदि को अत्यधिक असुविधा होती है। जयपुर तक हवाई यातायात का सहारा लेकर फिर सड़क मार्ग से अजमेर पहुंचने में पर्यटकों का अत्यधिक समय व शक्ति का अपव्यय होता है। विगत वर्षों में अनेक छोटे बड़े नगरों में हवाई अड्डों की स्थापना हो गयी और वे हवाई यातायात से जुड़ गये हैं परंतु अजमेर जैसा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं पर्यटकीय महत्व वाला नगर अभी तक एयरपोर्ट एवं वायु मार्ग की सुविधाओं से वंचित है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर नगर के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखकर तथा इसकी महत्ता को बनाये रखने हेतु इसे शीघ्र हवाई सेवाओं से जोड़ा जाये तथा उपयुक्त विमानपत्तन की स्थापना की जाये।

(सात) राजस्थान राज्य सहकारी आवास सोसायटी से लघु और सीमांत किसानों के द्वारा लिए गए आवास ऋण की ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2008-09 में किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋणों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस कारण राजस्थान राज्य सहकारी आवासन कर्मचारी परेशानी में है जिनका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण किसानों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को सस्ते ब्याज पर आवास ऋण उपलब्ध कराना है। इस प्रकार राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के आवासन ऋण उपलब्ध करवा कर सहकारी आवासन संघ ने राज्य के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मेरी मांग है कि इन गरीब ग्रामीण, लघु एवं सीमान्त कृषकों के सहकारी आवास ऋणों को भी कर्ज माफी संबंधी बजटीय घोषणा 2008-09 में सम्मिलित करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को वास्तविक रूप से 50 हजार रुपये की कर्ज माफी का लाभ मिल सके।

(आठ) भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कर्मचारियों के संवर्ग पुनर्गठन संबंधी प्रतिवेदन को लागू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (हावड़ा) : सर्वे आफ इंडिया के स्टाफ को संवर्ग-पुनर्गठन संबंधी रिपोर्ट के कार्यान्वयन का कार्य विगत चार

[श्री स्वदेश चक्रवर्ती]

वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। सर्वे आफ इंडिया के विभाग में स्टाफ की संख्या में अचानक कमी करने के प्रयोजन से तत्कालीन सर्किलों/निदेशालयों को समाप्त करके और भू-स्थलीय आंकड़ा केन्द्र (जी.डी.सी.) शुरू करने के लिए वर्ष 2003 में विभाग का पुनर्गठन किया गया था। संवर्ग पुनर्गठन का प्रश्न स्वत: उत्पन्न हो गया। इसके स्थान पर महासर्वेक्षक ने दूसरी संवर्ग समीक्षा करवाने का निर्णय लिया और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी सहमति दे दी। अधिकारियों के संवर्ग का पुनर्गठन वर्ष 2003 के दौरान किया गया जिससे उनकी संख्या 22 से बढ़कर 65 हो गई। लेकिन स्टाफ के पुनर्गठन का प्रश्न अनसुलझा और लंबित रखा गया। स्टाफ के संवर्ग का पुनर्गठन कार्यान्वित नहीं होने के कारण स्टाफ में आक्रोश और असन्तोष व्याप्त है। पुनर्गठन समिति ने भारत के महासर्वेक्षक को एक अनुकूल रिपोर्ट पेश की थी और स्टाफ के सदस्य इसके कार्यान्वयन के प्रति आश्वस्त थे। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सर्वे आफ इंडिया के स्टाफ के संवर्ग के पुनर्गठन प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाये और उनके साथ न्याय किये जायें।

(नौ) उत्तर प्रदेश के देवरिया में सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नगर पंचायत क्षेत्र में एक रसोई गैस एजेंसी खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर, जो नगर का मुख्यालय है, के शहरी क्षेत्र में 40 हजार के करीब परिवार रहते हैं एवं इसमें 15 हजार परिवार सरकारी सेवा से जुड़े हैं। सलेमपुर के नगर पंचायत क्षेत्र में एक भी एल.पी.जी. एजेंसी नहीं है जिसके कारण सलेमपुर क्षेत्र के नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एल.पी.जी. की सुविधा के लिए कई दिक्कतें हो रही हैं। सलेमपुर के तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में एल.पी.जी. एजेंसी है जहां समय पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होने से एक गैस सिलेंडर पांच सौ रुपए में बेचा जा रहा है। एल.पी.जी. की आपूर्ति में जो नियम हैं उनका खुले आम उल्लंघन हो रहा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सलेमपुर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत गैस एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा की जाये और सलेमपुर के नगर पंचायत क्षेत्र में एक एल.पी.जी. गैस एजेंसी खोली जाये।

(दस) बिहार के सारण जिला के अंतर्गत मशरक स्थित केन्द्रीय विद्यालय के लिए भवन का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रांत के सारण जिला अंतर्गत मशरक में केन्द्रीय विद्यालय केन्द्र सरकार द्वारा खोला गया है, परन्तु मशरक केन्द्रीय विद्यालय के पास अभी तक अपना भवन नहीं है। विगत 5 वर्षों से विद्यालय मशरक महाविद्यालय के भवन में चल रहा है जिसकी वजह से छात्रों एवं शिक्षकों को काफी कठिनाई हो रही है और पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पर रहा है। विगत कुछ वर्षों में मशरक केन्द्रीय विद्यालय में छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई है परन्तु भवन के अभाव में उन्हें शिक्षा अध्ययन में काफी कठिनाई हो रही है, जबकि राज्य सरकार द्वारा विद्यालय भवन हेतु जमीन का हस्तान्तरण किया जा चुका है।

मशरक केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है तथा मशरक केन्द्रीय विद्यालय बनाने की जिम्मेदारी सीपीडब्ल्यूडी को दी गई है परन्तु सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अभी तक डीपीआर भी नहीं बनाया है जिनकी वजह से विद्यालय भवन निर्माण हेतु अभी तक निविदा नहीं निकाली गयी है। सीपीडब्ल्यूडी की शिथिलता की वजह से भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। महाविद्यालय के भवन में विद्यालय चलने से विद्यालय और महाविद्यालय दोनों संस्थाओं के छात्र और शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार प्रांत के सारण जिला अंतर्गत मशरक स्थित केन्द्रीय विद्यालय का भवन निर्माण शीघ्र कराने हेतु सीपीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया जाये ताकि विद्यालय में पठन-पाठन सुचारू रूप से चल सके।

(ग्यारह) इस्पात के बढ़ते मूल्यों को रोके जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं माननीय इस्पात मंत्री का ध्यान इस्पात और कच्चे माल के मूल्यों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की ओर दिलाना चाहता हूं। लौह और इस्पात के मूल्यों में 27 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.डी.एम.सी.) ने 1 अक्तूबर, 2007 से लौह अयस्क के मूल्यों में 47.5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इस्पात कंपनियों ने दिसम्बर 2007 से इस्पात के मूल्यों में तीन बार वृद्धि करके इसमें 20-24 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक

आधारित मुद्रास्फीत दर में कमी लाकर इसे सहनीय स्तर पर लाने के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद इसने 7.28 प्रतिशत के अब तक के सबसे उच्च स्तर को छू लिया है। सीमेंट और इस्पात के मूल्यों में बढ़ोतरी होने के कारण निर्माण लागत में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। टी.एम.टी. सरियों के मूल्य बढ़ जाने से निर्माण कार्यों पर काफी असर पड़ा है। वर्तमान में, सीमेंट का मूल्य 270 रुपये प्रति कट्टा (50 कि.ग्रा.) के आस पास चल रहा है तथा इसमें और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस्पात, सीमेंट और लौह अयस्क के मूल्यों में वृद्धि से पूरे देश के आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ऐसी परिस्थिति में, मैं सरकार से पुरजोर आग्रह और मांग करता हूं कि वह इस्पात को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाये, आयात शुल्क और उत्पाद शुल्क में कमी करे और इस्पात पर तुरन्त निर्यात शुल्क लगाए जिससे सब के लिए इस्पात उपलब्ध करवाने का मार्ग प्रशस्त होगा। केन्द्र सरकार को बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए इस्पात में 'वायदा व्यापार' को स्थगित करने के प्रयास करने चाहिये।

अत: मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करता हूं कि यह देश में इस्पात के मूल्यों के विनियमन को सुनिश्चित करने और उसे सुकर बनाने के लिए विनियामक तंत्र स्थापित करे तथा इस्पात और कच्चे माल के मूल्यों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को रोकने के उपाय करे।

(बारह) डा. बी.आर. अम्बेडकर के योगदानों को उजागर किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : डा. बी.आर. अम्बेडकर जिनका राष्ट्र के प्रति योगदान किसी से भी कम नहीं हैं, का सही ढंग से सम्मान नहीं किया जा रहा है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी सरकारी कार्यालयों के सामने उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएं। उनका सम्मान करने के लिए इस संबंध में एक विधान लाने और अन्य उपायों पर विचार किया जाए। सभी विश्वविद्यालयों में अम्बेडकर पीठ स्थापित करने के लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहियें ताकि इस महान व्यक्ति के संदेश का पूरे देश में प्रचार-प्रसार किया जा सके। अम्बेडकर से संबंधित और अधिक सामग्री केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम और अन्य माध्यमिक शिक्षा स्तरों पर शामिल की जानी चाहिये।

अपराह्न 1.21 बजे

अनुदानों की मांगे, (सामान्य) 2008-2009—*जारी*

रक्षा मंत्रालय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। हम रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में चर्चा से संबंधित मद संख्या 21 पर विचार करेंगे। हमने इस चर्चा हेतु चार घंटे का समय आबंटित किया है और मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा ताकि सदस्यों को इस पर चर्चा करने हेतु समय मिल सके।

अब, मैं श्री टी.पी.एस. रावत से अनुरोध करूंगा कि वे बोलें। वे पहली बार बोलेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि कार्य-सूची के स्तंभ 2 में रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग सरकार 19 से 26 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिये कार्य-सूची के स्तंभ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें:-

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदानों की मांगे (सामान्य)

संख्या और मांग का शीर्षक	दिनांक 14 मार्च, 2008 को सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि	
	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1 2	3	4	5	6
रक्षा मंत्रालय				
19. रक्षा मंत्रालय	1292,83,000	167,78,00,000	6464,14,00,000	838,90,00,000

1	2	3	4	5	6
20.	रक्षा पेंशन	2593,96,00,000	—	12969,79,00,000	—
21.	रक्षा सेवा-थल सेना	6276,96,00,000	—	31384,81,00,000	—
22.	रक्षा सेवा-नौसेना	1250,28,00,000	—	6251,40,00,000	—
23.	रक्षा सेवा-वायु सेना	1881,14,00,000	—	9405,68,00,000	—
24.	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	1108,99,00,000	—	—	—
25.	रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	568,83,00,000	—	2844,12,00,000	—
26.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	7996,02,00,000	—	39980,08,00,000

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजपाल सिंह रावत (गढ़वाल) : माननीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रक्षा बजट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

अपराह्न 1.22 बजे

[श्री मोहन सिंह *पीठासीन हुए*]

मेरी पहली टिप्पणी रक्षा बजट के आवंटन के आधार पर ही है। यदि हम विगत पांच वर्षों के आवंटन देखें, तो पाएंगे कि ये आवंटन 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.41 प्रतिशत है जो 90,928 करोड़ रु. है; 2005-06 में आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 2.25 प्रतिशत था जो 1,00,960 करोड़ रु. है; 2006-07 में आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 2.06 प्रतिशत है जो 1,10,251 करोड़ रु. है; 2007-08 में आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 1.97 प्रतिशत है जो 92,500 करोड़ रु. है जबकि 2008-09 में आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 1.99 प्रतिशत है जो 1,05,600 करोड़ रु. है। यह देखा जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद आवंटन के संदर्भ में, विगत पांच वर्षों में आवंटन घटा दे अर्थात् यह 2004-05 में 2.14 प्रतिशत था जबकि 2008-09 में 1.99 प्रतिशत रह गया।

यह बात स्पष्ट है कि आवंटन का आधार सांख्यिकीय आवंटन है जो प्रत्येक वर्ष कीमतों में होने वाली सामान्य वृद्धि के अनुरूप होता है। दुर्भाग्यवश यह सही दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि इससे हमारी रक्षा तैयारियों और हमारे संभावित शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने हेतु उन्हीं के समकक्ष क्षमताओं को हासिल करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा के मामले में इस प्रकार, आवंटन के आधार को ही चुनौती दी जा रही है।

प्रश्न यह है कि रक्षा बलों से हमें क्या अपेक्षायें हैं? उनकी पहुंच कहां तक होनी चाहिये? हम अब तक उन्हें युद्ध में टिके देखना चाहते हैं? ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं मिलता और जिन पर चर्चा नहीं होती, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य और राष्ट्रीय हित क्या हैं? क्या हमारे पास कोई राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत है?

रक्षा बलों को आवंटन करते वक्त, हमें उस धनराशि और उस उद्देश्य पर विचार करने की आवश्यकता है जिसे हमारे संभावित शत्रु अपनी रक्षा सेवाओं पर व्यय करते है और जिस उद्देश्य के लिये व्यय करते हैं? उनकी तैयारी और क्षमता कैसी है? यदि हम पाकिस्तान और चीन के द्वारा वर्ष 2008-09 में रक्षा सेवाओं पर किये जाने वाले व्यय को देखें, तो पता चलेगा कि उनकी क्षमताओं में हमारी क्षमताओं से अधिक वृद्धि है।

पाकिस्तान ने वर्ष 2008-09 में रक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत व्यय किया है जबकि चीन ने रक्षा क्षेत्र हेतु सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत आवंटित किया है और विगत कुछ वर्षों से यही सामान्य पद्धति रही है। वर्तमान में पाकिस्तान ने भारत के समान क्षमताओं का विकास कर लिया है। इसने ऐसे परमाणु आयुध भंडार का विकास कर लिया है जिससे यदि एक बार आक्रमण शुरू कर दिया तो कोई नियंत्रण नहीं हो पाएगा। यह आतंकियों को भारत

में कारगुजारी करने हेतु वेस, धनराशि और अन्य सभी सहायता मुहैया कराता है ताकि जम्मू और कश्मीर में अस्थिरता बनी रहे और यह भारत से संभवतः उसे छीन सके।

चीन ने ब्ल्यू वाटर नौसेना विकसित की है इसने एक प्रक्षेपास्त्र-रोधी प्रणाली विकसित की है जो आने वाली मिसाइलों के हवा में नष्ट कर सकती है और हमारे देश के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला कर सकती है।

इसने हमारे देश में आक्रमण करने के लिए भूमि, समुद्र और वायु से कई प्रक्षेपण पैड्स विकसित किये हैं। यह दूसरी बार आक्रमण परमाणु क्षमता हासिल करने में लगा हुआ है। हमारे संभावित शत्रु हमारे आवंटन पर नजर रखे रहे हैं और अपनी सैन्य क्षमताओं की पहचान करने में लगे हैं ताकि वे एक आक्रमण रक्षा नीति अपना सकें जिससे हमारे प्रति आक्रमक बने रहें और हम पर राजनीतिक दबाव डाल सकें ताकि वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। वर्तमान में चीन ने हमारा 38,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है और वह अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर भी दावा ठोक रहा है। हम इस बारे में क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान ने कारगिल में हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया और हमें कारगिल विवाद में धकेल दिया है। यह अभी भी पाक अधिकृत कश्मीर में है।

चीन ने आज तिब्बत को कब्जा लिया है और माओवादी नेपाल में ऊथल पुथल मचा रहे हैं, जो हमारी सीमाओं तथा नेपाल से लगते हमारे राज्यों पर मंडराते खतरे का संकेत है। नेपाल में माओवादी नेतृत्व वाली सरकार चीन के नक्शे कदम पर चलेगी और हमारे लिये समस्यायें पैदा कर सकती है। बहुत से राज्य आतंकवाद और नक्सलवाद का मुकाबला कर रहे हैं जबकि अन्य राज्यों को भी बहुत खतरा है। हमारी संसद, जहां हम विराजमान हैं, को दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना करना पड़ा।

भारत के पड़ोस में उथल-पुथल भरा है जहां पड़ोसी देशों के साथ लगातार सीमा विवाद होते रहते हैं, सीमा-पार आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा और बढ़ती हुई क्षेत्रीय जिम्मेदारियां हैं। भारत विशाल देश है और अपने साथी देशों पर निर्भता मायने रखती है। हम हमेशा निर्गुट रहे हैं। क्या ये सभी घटनायें हमें 'जगाने' के लिये पर्याप्त नहीं है। यह समझ में नहीं आता कि हम किसका इन्तजार कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 1962 की हार दोहरायी जायेगी।

हमारी रक्षा सेनाओं के समक्ष अनेक समस्याएं है।सेना के तीनों अंगों में अधिकारियों की कमी है। थल सेना में अभी भी पुराने घिसे पिटे एआर डिफेंस इक्विपमेंट हैं तथा इसके इन उपकरणों की खामियों को जहां तक हो सके दूर किये जाने की आवश्यकता है। वायु सेना के पास 39.5 स्क्वाड्रन विमानों से कहीं कम विमान है। आम तौर पर उड़न ताबूतों फ्लाइंग कोफिनस के नाम से जाने जाने वाले इन मिग विमानों को बदले जाने की आवश्यकता है। नौ सेना के पास 131 से भी कम पोत हैं जबकि इसके पास कम से कम 140 पोत होने चाहिएं। छोटी तथा लम्बी दूरी के मैरी टाइम एनाक्राफ्टों की कमी एक बड़ी समस्या है। उन युद्ध वाहक जहाजों को बदले जाने की आवश्यकता है जिन्हें 2006 में सेना से हटाया जाना था। वह रक्षक बल के पास से स्वीकृत संख्या से 35 प्रतिशत कम जहाज हैं।

इसके अतिरिक्त सेनाओं के तीनों अंगों में उक्त चीजों की भारी कमी के कारण लीडरशिप मैंटीरियल का भी अभाव है। सेना के सामने समस्या यह आ रही है कि वह जवानों को कैसे रोक कर रखें चूंकि बेहतर सेवाओं की तलाश में भारी संख्या में सैन्य कर्मी सेना छोड़ देना चाहते हैं। हम इस बारे में हम क्या कर रहे हैं। छठे वेतन आयोग ने रक्षा बलों के साथ न्याय नहीं किया है जिससे स्थिति और गंभीर हो गयी है। विसंगतियां तो इस कारण हैं कि जितनी कठिन सेवा शर्त कर दी जाती है उतना ही अधिक उनके जीवन को खतरा हो जाता है और उनका परिवार दुःखी हो जाता है और उतनी ही कम उनकी तनख्वाह दी जाती हैं। सेनाओं से बड़ी अपेक्षाएं होती हैं लेकिन जब सभी मार्ग बंद हो जाते हैं तो देश कठिनाई से उबारने की रक्षा बलों से आस लगाता है। सेनाओं का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है। युद्ध के मैदान से लेकर कुएं में गिरे हुए बच्चे को बचाने तक का। आप चाहते हैं कि वे ईमानदारी से अपना काम करें परन्तु आप उन्हे इतना कम वेतन देते हैं कि वे बेइमान बन जायें।

सभापति महोदय, बजट आवंटन रक्षा नियोजन, नीतियों और रणनीतियों के निर्माण पर आधारित होना चाहिए जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निधियां आवंटित हो और उनकी खरीद हो। हमें राष्ट्रीय हितों और उद्देश्यों को स्वीकार करके तथा उनकी पहचान करके रक्षा नीति बनानी होगी। हमारे यहां न तो कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति है और न ही रक्षा नीति दस्तावेज। राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत के अभाव में रक्षा नियोजना प्रक्रिया बाधित होती है। इस प्रकार रक्षा आयोजना और बजट निर्माण दो अलग-अलग बाते बनी हुई हैं तथा उनके आपस में कोई संबंध नहीं है। ऐसे संबंधों के अभाव मे रक्षा नियोजना में तदर्थ वाद है और इस प्रकार बजट आवंटन का हमारे उद्देश्यों और हितों से कोई लेना देना नहीं है।

[लेफिटनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजपाल सिंह रावत]

रक्षा नियोजना में विभिन्न कमियों के अलावा अन्तर योजना संबंधी प्राथमिकता देने के संबंध में संबंधी अंतर सेवा योजनाओं को कार्यरूप देने के लिए कोई संगठन नहीं है। सेना के प्रत्येक अंग सम्मिलित रक्षा रणनीति अथवा सिद्धांत को पूरा करने के लिए अपनी अपनी आधुनिकीकरण की अपनी अपनी योजनाएं बनाता हैं।

कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए एक संदर्शी योजना बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे एक पंचवर्षीय योजना बनाई जा सके। संदर्शी योजना खतरे के वक्त भविष्य में अपने वाली चुनौतियों तथा उनके विकल्पों के मूल्यों के आधार पर बनाई जानी चाहिए। रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें अनुसंधान और विकास तथा रक्षा उत्पादन को शामिल किया जाना चाहिए। संदर्शी योजना उस समेकित रक्षा मुख्यालय में बखूबी ढंग से बनाई जा सकती है जहां सैन्य तकनीकी तथा अनुसंधान और विकास विशेषज्ञों का भविष्य के खतरों और चुनौतियों के बारे में एक समेकित मत होता है। ये भविष्य में छिड़ने वाली जंग विकल्प रणनीतिक मूल्यांकन तथा मिश्रित बल, तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं के मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार से रक्षा नियोजन महज खरीद की अपेक्षा बलों का नियोजन तथा उनकी क्षमता बढ़ाने के बारे में है। रक्षा नियोजन का उद्देश्य मौजूदा और भविष्य की सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किफायती मिला जुला बल प्राप्त करने का होना चाहिए।

मौजूदा सैन्य बल का ढांचा प्रत्येक सेवा, संगठनात्मक हितों के आधार पर संदर्श योजना पर तैयार किया जाता है। कुछ रक्षा विशेषज्ञ क्षमता आधारित नियोजना प्रारूप की ओर रुख करने पर बल देते हैं, और चुनौती-आधारित नियोजना का विरोध करते हैं जिससे कि कार्यों को पूरा करने में बलों को क्षमता प्रदान की जा सके। यह प्रणाली सही प्रकार से योजना, लोग, उपस्कर और कार्यकलाप प्रदान करेगा जिससे कि सैन्य बलों को सौंपी गई भूमिका में उनकी इष्टम क्षमता का प्रयोग किया जा सकेगा। हमारी क्षमताओं के निर्धारण में वित्तीय संसाधन महत्वपूर्ण घटक होगें, केन्द्र सरकार इस बात से प्रसन्न हो सकती है कि रक्षा बल उन्हें आवंटित की गई निधि का पूरा प्रयोग करने में सफल नहीं रहे हैं और प्रत्येक वर्ष वे राशि को वापस करते रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान 2003-04 में लगभग 20 प्रतिशत, 2004-05 में 5 प्रतिशत, 2005-06 में 6 प्रतिशत, 2006-07 में 8 प्रतिशत और वर्ष 2007-08 में 10 प्रतिशत राशि वापिस की गई है।

स्थिति पूर्णत: स्पष्ट है। मौजूदा संगठन और खरीद प्रक्रिया बडे बजट को कुशलता पूर्वक सम्भालने में सक्षम नहीं है। तहलका कांड और दलाली के आरोपो ने रक्षा सौदो में तथा प्रस्ताव की प्रक्रिया में अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए हर किसी को सतर्क कर दिया है कुशल कार्मिकों की आवश्यकता अथवा विशिष्ट हथियारों और प्रणाली के अनुमान में अधिक समय लगता है। इसके बाद एक प्रारूप तैयार किया जाता है अथवा किसी उपस्कर पर परीक्षण किए जाते हैं जिसमें काफी समय लगता है, कुछ मामलों में इससे बचा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप आधुनिकीकरण प्रभावित होता है।

उपर्युक्त खरीद प्रक्रिया के अतिरिक्त और सेना मुख्यालयों और विभिन्न मंत्रालयों के मध्य फाइलों को भेजने में समय बर्बाद किया जाता है। उनके अनुमोदन और स्वीकृति में काफी विलम्ब हो जाता है और फिर दोषारोपण होता रहता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय नहीं की गई राशि को खर्च करने के लिए सेना मुख्यालयों और मंत्रालयों में जद्दो जहद होती है। ऐसी स्थिति में बजट बढ़ोत्तरी से कोई लाभ नहीं होगा।

समस्या हमारी दोषपूर्ण खरीद योजना प्रणाली है जिसमें अनेक सुधार किये जाने की आवश्यकता है। वार्षिक आवंटन के आधार पर हमारा बजट दोषपूर्ण है। हमें रोल आन अथवा गैर व्यपगत बजट के साथ बहु वर्षीय आवंटन योजना प्रणाली में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, रक्षा सामग्री सामान्यत तैयार उपलब्ध नहीं होती है। क्यू आर के बनाए जाने और खरीद के लिए स्वीकृति से लेकर इसकी निर्माण अवधि में काफी लम्बा समय लगता हैं तथा कभी-कभी तो वर्षों यहा तक की दशकों का समय लग जाता है। साथ ही प्रौद्योगिकी प्रगति तेजी से हो रही है और अक्सर जब तक खरीदे जाने वाला उपकरण या आयुध प्रणाली प्राप्त होती है तब तक वह वास्तव में पुरानी और अप्रचलित हो जाती है। इस प्रकार इसका प्रभाव और उपयोग कम हो जाता है।

[अनुवाद]

पहली बात तो है सेना में अर्जुन टैंकों को शामिल करने की। इस परियोजना को मार्च, 1974 में अनुमोदित किया गया था और तब से 34 वर्ष का समय बीत चुका है। इन 34 वर्षों के पश्चात् इसी वर्ष दो टैंकों के खरीदे जाने की संभावना है।

दूसरी बात है नौसेना के बारे में विराट विमान वाहक पोत को 2006 तक बेडे से हटाया जाना था लेकिन इनकी मियाद 2008 तक

बढ़ा दी गयी है। क्योंकि उसके स्थान पर एडमिरल गोरसकोव, विमान वाहक को लाया जाना था लेकिन 2012 के अंत तक भी तैयार नहीं होगा। इसी तरह से वायु सेना के मामले में हल्के लडाकू विमान (एलसीए) को दशकों लग गए हैं। लेकिन अभी तक भी इस विमान का विनिर्माण नहीं हुआ है जबकि इसके वर्ष 2110-11 तक बेडे में शामिल किए जाने की सम्भावना है। इसलिए हमारे बलों की विभिन्न शस्त प्रणालियों में वास्तविक रूप से शामिल किए जाने में इस प्रकार के विलम्ब हो रहे है।

इसलिए हमें अपनी रक्षा खरीदों की योजनाएं यदि ज्यादा नहीं तो अपनी विनियोजित क्षमताओं तथा आधुनिकीकरण की योजनाओं को 15 से 25 वर्ष के आगे के समय को ध्यान में रखते हुए काफी पहले बनाना होगा। इसलिए वर्तमान प्रणाली में पूर्णत: आमूल चूक परिवर्तन करने तथा फ्रांस, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा ईजाद की गई खरीद प्रक्रियाएं जैसी सर्वोत्तम बातें अपनाने की आवश्यकता है।

जहां तक महत्वपूर्ण मिलिट्री प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता तथा अतिविकसित शस्त्र प्रणालियों द्वारा शस्त्र निर्माण किये जाने का संबंध है वर्षों के प्रयासों के बावजूद हमारा आत्म निर्भरता का सूचकांक दसवी योजना के अंत तक 70 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 30 से 35 प्रतिशत ही रहा है। इसी कारण हमारे बल आयात पर निर्भर हैं। इसका कारण यह है कि हमारी आयुध निर्याणियों को जो रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों के घरेलू उत्पादन का समेकित आधार है, और जिनका प्राथमिक उद्देश्य हमें आत्म निर्भर बनाने का है, विस्तारण और आयुनिकी करण के लिए अपेक्षित बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा उन्हें संगठनात्मक और प्रमार्मात्मक सुधार करने की जरूरत है जिससे कि वे निजी और विदेशी निगमों के साथ संयुक्त शुरू कर सकें। और डीपीएसयू को और कारगर बना सकें।

हमारे अनुसंधान और विकास का रक्षा बजट केवल 6.1 प्रतिशत है। इसमें से सात आठ से दस प्रतिशत मौलिक अनुसंधान पर व्यय किया जाता है जबकि इसका एक बड़ा भाग विदेशी प्रौद्योगिकियों के आयात पर खर्च हो जाता है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो कि देश का प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन है, को आधुनिक शस्त्र प्रणालियों प्लेटफार्मों और संबंधित उपकरणो का डिजायन करने उनको विकसित करने और उनके विनिर्माण में सहायता करने का मिशन सौंपा गया है। यह संगठन पूर्णत: रक्षा प्रणालियों, आधुनिक प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान और विकास अवंरचना और देश की क्षमता में आत्म-निर्भरता लाने के उत्तरोत्तर विकास में लगा हुआ है। इसका मूल उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश को विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भर रहने से मुक्त करना है। रक्षा अनुसंधान और विकास सगठन बजट की कमी के कारण आधारिक प्रौद्योगिकियों के विकास और मौलिक अनुसंधान की अपनी बुनियादी भूमिका को नहीं निभा पा रहा है। इसके अतिरिक्त, वह अपने उच्च योग्यता वाले और अनुभवी कर्मियों को कम वेतन मिलने के कारण उनके द्वारा कार्य छोड़े जाने की समस्या से भी जूझ रहा है। रक्षा बजट में बढ़ोतरी से उनकी बंढती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्रोतों के आवंटन में और देश को आत्म निर्भरता की ओर ले जाने में सहायता मिलेगी।

हमारे विरोधियों के पास जितनी अधिक शक्तियां होंगी उनकी स्थिति हमें नीचा दिखाने के लिए उतनी ही भडकाऊ और आक्रामक होगी, हमारे प्रयास ये होने चाहिये कि हम अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा करके और पर्याप्त बजट आवंटित करके ऐसी शक्ति असंतुलनों पर बराबर का प्रतिकूल प्रभाव डालें अथवा उन्हें प्रतिसंतुलित करे। भारत को प्राय: 'सोफ्ट स्टेट' हमारी कमियों और विकास से जुड़ी क्षमताओं के अभाव के कारण कहा जाता है। चीन हमेशा से ही घोषणा करता रहा है कि "तोप है तो सत्ता है" और वर्षों से उसने अपने कमजोर पड़ोसियों के प्रति आक्रामक रुख अपनाने के लिए ही अपनी क्षमताएं बढ़ायी हैं। वह धीरे धीरे लेकिन अनवरत रूप से अपने बढते प्रभाव को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दक्षिण एशियाई देशों तक और बढ़ायेगा। हम से या तो वह अपने दावों को मनवायेगा या फिर यह कहेगा कि अगर इन्हें नहीं मानते हो तो इसके दुष्परिणाम भुगतो। भली भांति किए गये विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत चीन प्रभावित देशों से घिर गया है। इसकी असली मंशा है अपने राजनीतिक और विस्तारवाही लाभ के लिए भारत का आर्थिक और सामरिक रूप से गला घोंटना।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि 'धमकी की अवधारणा' के आधार पर व्यापक रक्षा समीक्षा की जानी चाहिए। हमें धमकी का मुकाबला करने की आवश्यकता है, किस तरह की बल संरचना हो और हमें किस तरह की प्रतिनिवारक क्षमता और तैयारी करनी चाहिए इन सब बातों पर रक्षा बजट में विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आगत आधारित बजट के स्थान पर हमें कार्यक्रम आधारित बजट अपनाना होगा, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, उपकरण, शस्त्र प्रणाली और उन क्षमताओं का समावेश होना चाहिए। जिसे हम अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा भरने के लिए अनुसंधान तथा विकास तथा रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हासिल करने की आकांक्षा करते है।

[लेफिटनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजपाल सिंह रावत]

एक समेकित दृष्टिकोण अपनाकर हमें खरीद और आयोजना को पूरी प्रक्रिया में शामिल लोगों की एक समिति बनानी चाहिए और आयोजना और खरीद हेतु बेहतर परिणामों के लिए योग्य पेशेवर और सुविज्ञता युक्त प्रणाली विकसित करनी चाहिए। रक्षा आयोजना खरीद की बजाय बल आयोजना और क्षमता निर्माण से संबंधित है। वित्तीय संसाधन क्षमताओं जिन्हें हम सम्मान के साथ रहने के लिए हासिल कर सकते हैं के निर्धारण में प्रमुख कारक होगें।

रक्षा आयोजना का समग्र दृष्टिकोण एक ऐसे साझा ढांचे का निर्माण करने का होना चाहिए जिसमें रणनीतिक, कार्यक्रम संबंधी तथा आपरेशन की विधि की आयोजना का समावेश किया जा सकें। इस प्रकार से बजटीय आवंटन क्षमता और बल आयोजना के निष्पादन में सहायता से संबंधित होना चाहिए न कि वित्तीय प्रतिवद्धता पर आधारित होना चाहिए। इसलिए, हमारी चिंता आवंटन ही नहीं बल्कि आधुनिकीकरण हेतु इसके त्वरित व्यय के बारे में भी होनी चाहिए।

जो मैंने कहा है उसके विचार से यह सिफारिश की जाती है कि रक्षा बजट का वर्तमान आवंटन जो स.घ.उ. का लगभग 2 प्रतिशत है उसे हमें दो वर्षों में स.घ.उ. के 2.5 प्रतिशत तक आरंभिक रूप से बढ़ाना चाहिए। इसी अवधि के दौरान हमें अपनी खरीद प्रणाली का सुधार भी करना चाहिए और तत्पश्चात् इसे स.घ.उ. के तीन प्रतिशत तक ले जाना चाहिये जो कि भविष्य के आवंटन हेतु बेचमार्क होगी। ताकि हम अपने प्रतिद्वंदियों के समान क्षमता विकसित कर सकें और साथ ही उसके द्वारा की गई किसी अवसरवादी सैनिक कार्यवाही को रोकने के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकें। इसी के चलते हम भविष्य में वार्ता करने और शक्ति की स्थिति की ओर से सौदेवाजी करने संक्षम होंगे और इसी बात के चलते हमें क्षेत्रीय शक्ति की भूमिका का निर्वाह करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : धन्यवाद। आपकी इस सदन में यह पहली स्पीच थी। आपने बहुत ही थाटफुल और अनुभव के साथ अच्छी बाते कही। मैं आपको बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा पेश की गई अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह सुनिश्चित तथ्य है कि भारत अपने राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में समझौता नहीं कर सकता। अपनी सभी विपत्तियों और विरोधियों के बावजूद हमने विश्व समाज में एक शक्तिशाली और महान देश के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

महोदय, व्यय के शीर्ष न तो कार्यक्रम होते हैं और न ही रक्षा उद्देश्य अपितु ये व्यय की मदें होती हैं। इन की देश के रक्षा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तार्किक ढंग से पुनर्संरचना और बजटिंग किए जाने की आवश्यकता है। हमारी रक्षा नीति और तंत्र के अंतर्गत इस पथ का अनुसरण किया जा रहा है। इस प्रकार भारत का राजनीतिक सुरक्षा उद्देश्य युद्ध को टालना है। हमें अपना पूरा जोर सुरक्षा करने और युद्ध को टालने पर देना है। हमारा सैन्य सुरक्षा उद्देश्य एक मोर्चे पर प्रहार करने और दूसरे मोर्चे पर डटे रहने के लिए देश को तैयार करना है। सुसंगत और प्रबल तरीके से योजना बनाने की रक्षा सेवाओं की योग्यता सरकार से आश्वस्त बजटीय सहायता पर निर्भर करती है। मेरे विचार से यह सरकार हमारी रक्षा सेवाओं को पर्याप्त निधि प्रदान करने के मामले में बहुत उदार है।

महोदय, यदि हम रक्षा बजट 2008-09 की बात करें तो हम पाते हैं कि कुल बजट 1,00,000 करोड़ रुपये से भी अधिक होने का अनुमान है। यह 1,05,000 करोड़ रुपये का बजट है। हमारे देश के आजाद होने के पश्चात पहली बार रक्षा बजट ने एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया है। इस वर्ष के रक्षा बजट के लिए 1,05,600 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया गया है।

यह सच है और मैं विपक्ष के माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि सकल घरेलू उत्पाद की रक्षा बजट की प्रतिशतता में गिरावट आई है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो राजस्व का हिस्सा और पूंजी आवंटन क्रमश: 54.54 प्रतिशत और 45.46 प्रतिशत है। पूंजी अधिप्राप्ति आधुनिकीकरण बजट जो पूंजीगत बजट का एक उप-शीर्ष है, के अंतर्गत 37482.77 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। जो पूंजी आवंटन का 78.07 प्रतिशत है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्त की गई चिन्ता को भी इस सरकार द्वारा दूर किया जा रहा है जिसका रक्षा बजट के पूंजी अधिप्राप्ति कार्यक्रम से स्पष्ट रूप से पता चल रहा है।

वर्तमान वर्ष के रक्षा आवंटन में 2007-08 के बजट अनुमान जो 2006-07 के बजट अनुमान से 7.87 प्रतिशत अधिक था, 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तत्पश्चात, दसवीं रक्षा योजना के दौरान औसत वृद्धि भी 10.38 प्रतिशत रही थी। सेवाओं और विभागों का

हिस्सा भी पिछले वित्तीय वर्ष जितना ही है। समग्र रक्षा आवंटन में सेवाओं, विभागों के संबंधित हिस्से में कोई अधिक परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में रक्षा आवंटन 1.99 प्रतिशत बैठता है जिसे केन्द्रीय सरकार के व्यय के एक हिस्से के रूप में आकलित करके रक्षा व्यय का अनुमान लगाने का एक यथार्थपरक उपाय बनाया जा सकता है। उस स्थिति में वर्तमान वर्ष का रक्षा व्यय केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का लगभग 14.06 प्रतिशत बैठता है। जो दसवीं रक्षा योजना अवधि के दौरान 14.39 प्रतिशत के औसत हिस्से के समान ही है।

हमें अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है। हम धीरे-धीरे इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। रक्षा बजट गैर योजना बजट का का एक भाग होता है। यह कुल गैर योजना व्यय का लगभग 20.81 प्रतिशत बनता है। राजस्व और पूंजी शीर्षों के अंतर्गत यह गैर योजना राजस्व और पूंजीगत व्यय का क्रमश: 12.85 प्रतिशत और 81.17 प्रतिशत बैठता है। इस व्यय में रक्षा मंत्रालय (सिविल) हेतु आवंटन जो 2370.82 करोड़ रुपये निवल बनता है और रक्षा पेंशन भी जो 1564 करोड़ रुपये बनती है, शामिल नहीं है। रक्षा मंत्रालय (सिविल) तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय सचिवालय, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा सम्पदा के महानिदेशक, कैंटीन स्टोर्स विभाग और रक्षा सरकारी उपक्रमों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

विशेष रूप से रक्षा बजट पर चर्चा करते समय निवल पूंजीगत व्यय का प्रमुख घटक बहुत महत्वपूर्ण होता है। 37705 करोड़ रुपये के निवल पूंजीगत व्यय के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं- भूमि के लिए 52.75 करोड़ रु., निर्माण कार्यों हेतु 4725.97 करोड़ रु., वायुयान हेतु 11255.39 करोड़ रु.; भारी और मध्यम आकार के वाहनों के लिए 1657.64 करोड़ रु.; अन्य उपस्कर के लिए 10994.45 करोड़ रु.; नौसेना के बेड़े हेतु 5858.47 करोड़ रु., नौसेना के डाकयार्ड के लिए 725.38 करोड़ रु., आयुध निर्माणियों के लिए मशीनरी और उपस्कर हेतु 24.40 करोड़ रु.; अनुसंधान और विकास हेतु 2184.66 करोड़ रु., और अन्य मदों के लिए 225.85 करोड़ रु. मेरा सुझाव यह है कि भारत एक प्रभुत्ता सम्पन्न राष्ट्र है तथा यह अपनी स्वयं की परिस्थितियों को देखते हुए अपनी रक्षा नीति का अनुसरण करेगा। हम अपने पड़ोसी देशों के रक्षा बजट की आंख मूंद कर नकल नहीं कर सकते। यहां अधिकतर चीन का उल्लेख किया जाता है। सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि चीन की तरह न करके हम एक लोकतांत्रिक देश चला रहे हैं जहां हम आम लोगों के कल्याण हेतु उत्तरदायी हैं। यह सच है कि सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट की अपेक्षा अधिक है। पाकिस्तान के बजट की भी यही स्थिति है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें चीन के रास्ते पर चलना चाहिये क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं है जिस पर कभी भी किसी शक्ति ने आक्रमण होने का आरोप लगाया हो। हमें यह देखना है कि हम अपने संसाधनों की सीमा में रह कर अपनी सीमाओं और लोगों की रक्षा करने में सक्षम हैं। हमारी रक्षा नीति इस पर आधारित है और हम, हमारे महान सैनिक, थल सेना, नौ-सेना और वायुसेना सहित हमारी महान रक्षा सेवाएं विश्व की किसी भी शत्रु शक्ति द्वारा रचे गए षड्यंत्र अथवा किए गए आक्रमण को विफल करने में पूरी तरह सक्षम हैं। अब 1962 का समय नहीं है। उस समय भारत लोकतंत्र के शैशवकाल में था और हमने राष्ट्र निर्माण का कार्य शुरू ही किया था। लेकिन अब भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है जिसकी सेना में 1.1 मीलियन सैनिक हैं जो किसी भी शत्रु अथवा विरोधी से भयभीत नहीं होती है। वे अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं जो कारगिल की पहाड़ियों में हुई लड़ाई से सिद्ध हो चुका है जहां सभी विरोधियों, सभी प्रकार के षडयंत्रों और विभिन्न देशों की मिलीभगत के बावजूद हम शत्रु के कब्जे से अपनी भूमि छुड़ाकर पुन: उस पर अधिकार करने और दुनिया को हमारी बहादुर सेना की शक्ति दिखाने में सफल रहे हैं। अत: हमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने पड़ोसी देशों के भारी भरकम रक्षा बजट को देखकर अनावश्यक रूप से भयभीत नहीं होना चाहिये। यह सच है कि हम बहुत से ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जो हमारे देश जैसे लोकतांत्रिक देश नहीं हैं। लेकिन फिर भी संप्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक देश होने के कारण हम पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक गरिमा, आपसी समझ और समर्थन के आधार पर अपने सभी पड़ौसी देशों को हर संभव सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

इसी कारण चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने हमारे देश की यात्रा की थी। हमने चीन की सरकार के साथ प्रोटोकाल पर भी हस्ताक्षर किए थे। हम पड़ोसी देशों के साथ अपनी चिन्ताओं और आशंकाओं को बरकरार रखते हुए अपने संबंधों को विकसित कर रहे हैं। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि हमारे रक्षा मंत्री ने कुछ शक्तियों द्वारा हर प्रकार का शोर शराबा किए जाने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी। चीन सरकार के अधिकारियों ने भी उस समय आलोचना की थी जब हमारे प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी।लेकिन हमारे रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र, जिस पर चीन सरकार द्वारा उसका अपना क्षेत्र होने

[श्री अधीर चौधरी]

का दावा किया जा रहा है, का दौरा करने का साहस किया। इसका अर्थ यह है कि अपने रूख पर कायम हैं और हम अपने विश्वास पर दृढ़ हैं और हम अपने देश की सीमा को जानते हैं।

महोदय, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान आर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 1988-89 में केन्द्र सरकार के व्यय के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय 17.81 प्रतिशत था और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय 3.16 प्रतिशत था। लेकिन अब वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में मैं यह देख रहा हूं कि केन्द्र सरकार के व्यय के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय घटकर 14.06 प्रतिशत रह गया है और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय घटकर 1.99 प्रतिशत रह गया है। पहली बार सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय 2 प्रतिशत से भी कम रह गया है जबकि हमारे विशेषज्ञ अपने सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में रक्षा व्यय को बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं।

महोदय, वर्ष 2006-07 से पूंजी बजट में पूंजी अधिप्राप्ति का प्रतिशत हिस्सा निम्नवत है और मैं उसकी ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित चाहता हूं। वर्ष 2006-07 में कुल पूंजीगत व्यय 33825.80 करोड़ रुपये था, वर्ष 2007-08 में यह 37,705.00 करोड़ था और 2008-09 में यह 48,807.00 करोड़ रुपये है। इस कुल पूंजीगत व्यय में से 23,904.06 करोड़ रुपये की वचनबद्ध देयताएं है और 13,578.71 करोड़ रुपये नई योजनाओं के लिए आवंटित किये गये हैं।

मैं यह कहूंगा कि बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए हम जब अपने आप को समुद्री ताकत के रूप में तैयार कर रहे है, तो हमें अधिक उन्नयन, अधिक अधिप्राप्ति तथा अधिक युद्धक सामग्री की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, हमें युद्ध संबंधी आधुनिक प्रौद्योगिकियों को समझना होगा क्योंकि आज प्रौद्योगिकी युद्ध के विश्व में हमें उन सभी प्रौद्योगिकी क्रांतियों और यथार्थत: सैन्य प्रौद्योगिकी क्रांतियों जो विश्व में होते रही है, की जानकारी रखनी होगी।

अपराह्न 2.00 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

भारतीय वायुसेना के संबंध में कुछ चिंता व्यक्त की गई है कि भारतीय वायुसेना 39.5 लड़ाकू स्क्वाड्रनों हेतु प्राधिकृत है। भारतीय वायुसेना की दीर्घावधि संदर्शी योजना में यह परिकल्पना की गई है कि बल के इस स्तर को तेरहवीं योजना के अंत यानि 2022 तक प्राप्त किया जाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से हमारी वायु सेना स्क्वाड्रन में कमी के संबंध में विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को दूर करने का अनुरोध करता हूं।

नौवीं तथा दसवीं योजना अवधि के दौरान, संसाधनों के आबंटन से वर्तमान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान बेड़े को 32 स्क्वाड्रन तक कर दिया है। आगामी 15 वर्षों में, विद्यमान लड़ाकू विमानों के बेड़े का दो-तिहाई हिस्सा भी क्रमबद्ध तरीके से हटा दिया जायेगा। अत: निस्सन्देह, इससे कुछ आशंकायें उत्पन्न होती है। बल में कमी को रोकने हेतु आगामी 15 वर्षों में 30.5 स्क्वाड्रनों को शामिल करने की योजना बनाई गई हैं; ग्यारहवीं योजना में आठ स्क्वाड्रनों; बारहवीं योजना में 13.5 स्क्वाड्रनों तथा तेरहवीं योजना में नौ स्क्वाड्रनों को शामिल करने की योजना है। इनमें से 11 सुखोई-30, एम.के.आई. स्क्वाड्रन 230 विमानों को शामिल करने की योजना पहले ही बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, मध्यम मल्टी-लोड कॉम्बैट एयरपोर्ट के 6 स्कवॉड्रन, लाइट कॉम्बैट एयरपोर्ट के 6 स्क्वाड्रन तथा पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के चार स्क्वाड्रन सुनियोजित तरीके से शामिल किए जाने के विभिन्न चरणों में है। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार आधुनिक विमानों की अधिप्राप्ति अथवा उन्हें शामिल करने के प्रति गंभीर है।

जैसाकि हम जानते है, कि जटिल प्रक्रिया के कारण कभीकभार हमारी इच्छानुसार उपस्करों को शामिल करना कठिन हो जाता है। इसलिये सरकार ने सुस्पष्ट खरीद नीति बनाई है जो समेकित, और तर्कसंगत नीति बनाई है ताकि तहलका जैसी घटना फिर से न होने पाए और हमारी प्रतिष्ठा को आघात न लगे। इसलिये, सरकार की रक्षा नीति में हमेशा ही पारदर्शिता तथा ईमानदारी को बनाये रखा जाता है। हमें वर्तमान सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिये।

तथापि, मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में तेजी लायी जाये ताकि टैंकों, विमानों, युद्धपोतों आदि के संबंध में किसी उपस्कर की कोई कमी न हो और हम किसी भी प्रकार के युद्ध के लिये हमेशा तैयार रहें।

पंचतंत्र में, यह कहा गया था कि कोई राजा जो सारे उपहार दे सकता है, वह सोने का उपहार नहीं है, वह गाय का उपहार नहीं है, वह भूमि का उपहार नहीं है, अपितु सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा का उपहार। मुझे आशा है कि हमारी सरकार भारत के लोगों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगी।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। रक्षा बजट का समर्थन करते हुए मुझे कुछ टिप्पणियां करनी है।

निस्संदेह, पहली बात आवंटन के बारे में है। यह भावना हो सकती है कि इसे और ज्यादा होना चाहिये अथवा यह और ज्यादा हो सकता था। परन्तु माननीय वित्त मंत्री ने यह बताया है कि यदि आवश्यकता होगी तो और ज्यादा आवंटन किया जा सकता है। बजट प्रस्तुतीकरण के तुरंत बाद, माननीय रक्षा मंत्री ने इसका स्वागत किया है तथा उन्होंने कहा है कि वह बजट से प्रसन्न हैं।

इस स्थिति को देखते हुए मैं कुछ और टिप्पणियां करूंगा कि रक्षा मंत्रालय में धनराशि का कम उपयोग एक चिरकालिक बात बनते जा रही हैं विशेषकर विगत वित्तीय वर्ष में कुछ बड़ी खरीदारियां करने अथवा उसके निष्पादन में विफलता के कारण धनराशि का कम उपयोग हो रहा है।

विभिन्न कारणों से इसे पूरा नहीं किया जा सका। केवल यही बात नहीं है। बजट आवंटन तथा बजट आवश्यकता के बीच पूर्व तालमेल होना चाहिये। व्यावहारिक दृष्टिकोण होना चाहिये। हमारी समस्या यह है कि कभी आवश्यकता तदर्थ आधार पर की जाती है। हमारी संदर्शी योजना में सुरक्षा माहौल, हमारा आकार, हमारे पड़ोसी देश में मौजूदा स्थिति अथवा घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में हमने यह बताया है कि पूर्ववर्ती एन.डी.ए. सरकार की तरह नहीं अनितु हम एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाहते है। स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि रक्षा तथा सुरक्षा के संबंध में खरीद में हो रहा विलंब गम्भीर चिंता का विषय है और संप्रग सरकार को उन मुद्दों को हल करना चाहिये। परन्तु हम यह देखते है कि इसे न केवल उपकरणों के मामले में अपितु शस्त्रनिर्माण, अनुसंधान, कार्मिक, कमी को दूर करने, उन्नयन तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में भी नहीं किया गया है। समग्र तस्वीर यह है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् में अभी तक कुशलता की कमी है। मुझे बाध्य होकर यह टिप्पणी करनी पड़ रही है।

रक्षा के निभिन्न क्षेत्रों में तालमेल का अभाव है। ये कौन से क्षेत्र है इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और यह उचित भी नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें आत्म-निर्भर होना चाहिये। अनेक संसदीय समितियों ने यह सिफारिश की थी कि हमें यथासंभव शीघ्र आत्मनिर्भर बनना चाहिये।

हमारे रक्षा बल उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। हमारा डी.आर.डी.ओ. उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। परन्तु हमें यह देखते हुए निराशा हुई है कि डी.आर.डी.ओ. के लिये किया गया प्रावधान न केवल बहुत कम है अपितु यह अनुमानित राशि से भी कम है। मैं माननीय रक्षा मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि उनका डीआरडीओ की एक समस्या का समाधान कैसे करने का प्रस्ताव है क्योंकि डी.आर.डी.ओ. के लगभग 55% हमारे वैज्ञानिक अपनी नौकरी छोड़कर निजर क्षेत्र की सेवा से जुड़ रहे है। आपका क्या करने का विचार है? उनमें से कुछ सर्वोत्तम वैज्ञानिक हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें रोकने हेतु आपका क्या कार्यक्रम है? बाद में मैं सामान्यत: वैज्ञानिक समुदाय तथा विशेषत: डी.आर.डी.ओ. तथा रक्षा प्रतिष्ठापनों में कार्यरत वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई शिकायतों के मुद्दे पर आऊंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का न केवल छठे वेतन आयोग के प्रतिवेदन अपितु पदोनति, न्याय के मुद्दों के संबंध में भी क्या करने का प्रस्ताव है। अनेक वैज्ञानिक नौकरी छोड़ रहे हैं। उनमें से कई वैज्ञानिक अन्तत: उच्च न्यायालय में अपील करने जा रहे है। आज, माननीय रक्षा मंत्री ने यह टिप्पणी की है कि हमें सशस्त्र कार्मिक अधिकरण की आवश्यकता है ताकि पदोन्नति, न्याय तथा अन्य विषयों से संबंधित मामलों का निपटान किया जा सकें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करे।

श्री रूपचंद पाल : आज ही मैंने यह देखा है कि माननीय मंत्री ने यह कहा है कि सेवाओं में पदोन्नति निष्पक्ष होनी चाहिये और मैं नहीं जानता कि इसकी रिपोर्टिंग वस्तुपरक ढंग से की गई है अथवा नहीं परन्तु यह बात सामने आई है। विभिन्न क्षेत्रों में रक्षा बल न केवल हमारी सुरक्षा के प्रति योगदान दे रहे हैं अपितु हमारे राष्ट्र, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे सामाजिक सामंजस्य और अन्य क्षेत्रों में भी विकास हेतु भी योगदान दे रहे है। वे कभी-कभी आर्दश के रूप में कार्य करते हैं। परन्तु हमारे युवाओं के लिये इसमें क्या आकर्षण है?

हमारे पास युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम है ताकि वे रक्षा बलों में भर्ती हो सकें। हम पाते है कि वायु सेना में कार्मियों की भारी कमी है। नौसेना में भी अधिकारियों और कार्मियों की भारी कमी है। सेना में भी अधिकारियों और जवानों की कमी है। यह कमी अभी भी बनी हुई है।

मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इतनी भारी संख्या में कर्मियों की कमी को कैसे पूरा करेगी। सेना में 24 प्रतिशत अधिकारियों की कमी है। लेफ्टिनेंट कर्नल और निचले स्तर

[श्री रूपचंद पाल]

पर 11,153 अधिकारियों की कमी है। यदि आप नौसेना में अधिकारियों के आंकड़े देखेंगे तो पायेंगे कि नौसेना में 1403 अधिकारियों और 3829 नाविको की कमी है। यदि आप भारतीय वायु सेना पर नजर डाले तो पायेगे कि विभिन्न स्तरों पर 12676 अतिरिक्त स्वीकृत पद हैं परन्तु हम पाते है कि संवर्ग में भारी कमी है।

इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार का कर्मिकों की इस कमी के संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह कोई प्रौद्योगिकी विकसित करने का प्रश्न नहीं है जिससे आप यह कह सकें कि यह प्रोद्यौगिकी आयेगी और इसमे समय लगेगा तथा इस कारण से इसके अधिग्रहण में समय लग रहा है। हम जानते हैं कि विलम्ब क्यों हो रहा है। मैं उस पर भी चर्चा करूगां। इसमें देरी का कारण यह है कि रक्षा के संबंध में हमारी सोच में है। पहले यह हमारी आत्मनिर्भरता से संबंधित है। फिर हमें विस्तार विकट स्थिति का सामना करना पड़ता है। बराक सौदे का क्या हुआ। यह तहलका प्रकरण का ही प्रश्न नहीं है। परसों ही नौसेना प्रमुख ने यह टिप्पणी की थी कि अमरीका के साथ एक यूज समझौता घातक होगा। हम यू एस ट्रेन्टोन, जिसे भारत में जलाशय के नाम से जाना जाता है, की कहानी जानते हैं कि सरकार ने एक बेकार जहाज, जो 2003 के आरंभ में ही बेकार हो गया था, शीघ्र यह दुर्घटना ग्रस्त हुआ और नाविक मारे गये। ऐसा माना जाता है कि उसमें गैस रिसाव हुआ था। उसमें एक एण्ड यूज खंड है कि आप इस का युद्ध अथवा हमले के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। फिर आपने इसे किस लिए खरीदा? यह केवल एक ही उदाहरण नहीं है।

केवल दो-तीन दिन पूर्व ही नौसेना प्रमुख द्वारा यह टिप्पणी की गई है। यह इस पर गम्भीर टिप्पणी है कि यह सरकार किस प्रकार प्रगति कर रही है जो एनडीए सरकार की आलोचना करती रही है कि वे अमरीका को अपना स्वाभाविक सहयोगी मान रहे हैं और रक्षा मिसाइल संबंधी पहलों, अनेक सयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण आदि में शामिल होकर गौण भागीदार के रूप में स्वयं को उनके अधीन कर रहे है।

इस सरकार से हमें यह उम्मीद थी कि यह कुछ अलग करेगी। हम जानते है कि इस सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम से एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का संकल्प किया था। लेकिन जून, 2005 के रक्षा ढ़ांचे को देखकर हमें हैरानी हुई। हमें इसकी जानकारी पहले नहीं थी। जुलाई, 2005 के वक्तव्य, जिसे मूल रूप से भारत-अमरीकी असैनिक परमाणु करार के रूप में जाना जाता है, के पश्चात इसकी जानकारी हुई कि यह कोई साधारण और अलग असैनिक परमाणु करार नहीं है और यह कि इसमें जून, 2005 के रक्षा ढ़ांचे के साथ-साथ अनेक बातें शामिल हैं। भजपा द्वारा किये गये उपायों को भी जारी रखा गया जो इनके अनुसार भारत को एशियाई नाटो बनाने के उद्देश्यों में भारत को एशिया में गौण भागीदार बनाने के लिए किये गये थे।

इस करार के इन चार घटकों का विश्लेषण करने पर मैंने यह पाया है कि वे घातक हैं। करार के पहले प्वाईंट में यह कहा गया है कि बहुर्राष्ट्रीय संचालन में भारत एक भागीदार होगा।

सयुंक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ के बिना बहुराष्ट्रीय संचालन क्या है जैसा कि इरान के मामले में हुआ था। उन्होंने भारत पर दबाव डाला ताकि हमारी सैनाओं को इराक पर हमले के लिए अमरीकी सेनाओं का साथ देना चाहिए। हमने इसी सभा में एक संकल्प पारित करके इराक पर हमले की निन्दा की थी। वे इस समझौते के बारे में क्या कहते हैं? हम यह जानना चाहते हैं। यह मिसाइल रक्षा क्या है? फिर प्रशिक्षण, सयुंक्त अभ्यास का क्या होगा?...*(व्यवधान)* मैं बजट पर आ रहा हूं। यह आपकी सोच दे। मैं इसकी आलोचना कर रहा हूं ताकि वे आपका अनुकरण न करें। अन्यथा वे आपका अनुकरण करेगे। आपको क्या हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : रूपचन्द पाल जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें, न कि व्यक्ति विशेष को।

श्री रूपचंद पाल : मैं उनकी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं अपनी बात पर आ रहा हूं...*(व्यवधान)*

अपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहे। कृपया टोका-टाकी न करे।

श्री रूपचंद पाल : संयुक्त अभ्यास में उन्होंने अमरीकी पोत का नाम लिया। वह पोत यहां पहुंच गया था और एक संयुक्त अभ्यास किया गया था। यह अच्छा है क्योंकि अन्ततः यह हमारी सरकार ने किया था, आस्ट्रेलिया ने सार्वजनिक रूप से यह घोषित कर दिया था कि वे शामिल नहीं होगें।

परन्तु भारत अभी भी शांत है। अभी तक भारत ने कोई रूख नहीं अपनाया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हमे अपने मित्र राष्ट्रो से

अलग कर देगा। यह न केवल चीन से लड़ने और अलग-थलग करने का अमरीका का उद्देश्य है बल्कि दुर्भाग्यवश यह हमे भी इसमें शामिल करना चाहता हैं। अमरीका के पिछले रिकार्ड को भली-भांति जानते हुए, हम ऐसा करार कैसे कर सकते हैं? हम नहीं जानते। परन्तु हमने ऐसा किया है, और सरकार इस करार के बारे में स्पष्टीकरण भी देती है।

हम जानते हैं कि चंद्रशेखर जी की सरकार के समय में अमरीकी पोत भारतीय भूमि पर रुकना चाहता था, पूरे देश ने इसका विरोध किया था। अब, आप सहमत हो रहे हैं। स्वतंत्र विदेश नीति के लिए प्रतिबद्ध और वाम दलों द्वारा समस्थिति संप्रग सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अपने आपको बता दिया है। हमारे नेताओं और दलों ने आपको निश्चित रूप में बता दिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा के घटकों के बजाय अन्य बातों के आधार पर अधिग्रहण और खरीद की जा रही है।

यह एक राजनैतिक मजाक बन गया है कि 123, 123 ही नहीं है बल्कि यह 126 भी है। मेरे कहने का क्या अर्थ है, इसे सरकार समझती है। 10 मिलियन डालर के लड़ाकू जहाजों की खरीद के समय से लेकर आज तक हम केवल रूस से ही हथियार खरीदते रहे हैं। क्योंकि हम अमरीका का पिछला रिकार्ड जानते हैं। वे अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति करने और एशिया के प्रति उनके दृष्टिकोण का साथ देने हेतु हम पर दबाव डालने के लिए इसका राजनैतिक हथियार के रूप में उपयोग करेंगे। आप यह जानते थे। मुझे इसका पता नहीं है। अप्रैल में तकनीकी क्षेत्रीय परीक्षण के बाद 2009 में की जाने वाली यह सबसे बड़ी खरीद होगी। यह न केवल इस हेलिकाप्टर बल्कि पिछले सौदे के संबंध में भी अब तक की सबसे बड़ी खरीद होगी। यूरोपीय निर्माताओं के साथ यह सौदा लगभग तय हो गया है।

अब हमने रक्षा उत्पादन में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निदेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। क्यों? क्या आपकी स्थिति इतनी दयनीय है? क्या आप दूसरो पर इतना निर्भर हो गये हैं? क्या यह वास्तविकता नहीं है कि संसदीय समिति ने बार-बार आपको आगाह किया है कि आप अपने वैज्ञानिकों, अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों तथा 39 आयुद्ध प्रोडक्ट्स का समर्थन करें। हमारे पास बी ई एल, बी ई एम एल और एच ए एल जैसी नवरत्न कम्पनियां हैं। वे बेहतर कार्य कर रही हैं। यदि उन्हें सरकार से उचित सहायता मिले तो वे अपने इस बेहतर कार्य को जारी रख सकेंगी। मेरे विचार से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से हमारे रक्षा उत्पादन को अत्यधिक हानि होगी।

हमें एक बात यह भी बताई गई है और माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट कर सकते है कि रक्षा खरीद समझौता 2006 में एक आफसेट क्लाज था लेकिन अमेरिका के निर्यातकों तथा आपूर्तिकर्ताओं ने सरकार पर यह दबाव डाला है कि उस आफसेट क्लाज को समाप्त किया जाए।

इस खरीद में 30 बिलियन डालर की एक बहुत बड़ी राशि शामिल है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने से इन्कार करना एक गंभीर मुद्दा है। अत: मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उसे सभा पटल पर यह आश्वासन देना चाहिए कि अमरीकी निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं के भारी दबाव के बावजूद उसे आफसेट क्लाज को किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं करना चाहिए।

अब मैं दो और मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं और फिर मैं अपनी बात समाप्त करूगा। पहली छठी वेतन आयोग के बारे में हैं। यदि ब्रिगेडियर और उससे उपर के रैंक के अधिकारियों को अधिक वेतन दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। परन्तु कर्नल, लेफिटनेंट कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों की गंभीर शिकायते हैं। भारी संख्या में अधिकारियों ने सेना की नौकरी छोड़ दी है। यह निरुत्साहित करने वाली बात है।

मुझे मालूम है कि इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। मैं जानता हूं कि मंत्रिमंडल सचिव इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। कल ही माननीय प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी की है कि इस संबंध में न्याय किया जाना चाहिए। मैं माननीय रक्षा मंत्री से सभा में अनुदानों की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते समय यह आश्वासन चाहता हूं कि देश के नौजवान अधिकारियों, जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और जिन पर हमें गर्व है, के साथ न्याय किया जाये। उन्हें बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। वैज्ञानिकों के मामले में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए ताकि उन्हें इन सेवाओ के प्रति आर्कषित किया जा सके, उन्हें थकान से बचाया जा सके, आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके और उनको अनुसन्धान संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित किया जा सके तथा अन्य डीआरडीओ और अन्य संस्थाओं को सहायता दी जा सके।

मेरा अन्तिम मुद्दा भूतपूर्व सैनिकों के बारे में हैं। रक्षा के बारे में न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह वचन किया गया था और मैं इसे पढ़ रहा हूं, ''भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी एक नये विभाग

[श्री रूपचंद पाल]

का गठन किया जायेगा। काफी लम्बे समय से लम्बित एक रैंक, एक पैंशन, मामले की पुनः जांच की जायेगी।" इन दो मुद्दों पर वायदा किया गया था। मैं माननीय रक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या प्रगति की गई है ताकि भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने अपनी युवा में अपने देश के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, यह महसूस करें कि उनके साथ न्याय किया गया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मामलों के बजट संबंधी चर्चा में आपने मुझे हिस्सा लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। राष्ट्र की रक्षा एक ऐसा विषय है, जो राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। भारत के सभी नागरिकों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे भारत की सीमाओं की हिफाजत और देश की गरिमा की रक्षा करने में सहयोगी हों। दुनिया में किसी भी देश की पहचान उसकी रक्षात्मक तैयारियों से होती है। राष्ट्र की शक्ति का सबसे बड़ा मापदंड उस देश की रक्षात्मक ताकत कितनी है, अब इसके आधार पर निर्धारित होता है। भारत एक विशाल देश है और दक्षिण एशिया की स्थिरता भारत की सामरिक तैयारियों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करती है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की पूरी रक्षा नीति आजादी के बाद से रक्षात्मक रही है, आक्रामक कभी नहीं रही। भारत का चार-पांच हजार वर्षों का पूरा इतिहास, जो लिखित इतिहास है, यदि उसका अवलोकन करें तो आक्रमणकारी हमारे देश में आये, बहुत सीमित पैमाने पर दक्षिण के कुछ राजा साउथ ईस्ट एशिया में आक्रमणकारी बनकर गये, उन्होंने वहां के कुछ इलाकों पर कब्जा किया, वरना हमारा इतिहास रक्षात्मक संग्राम का और रक्षात्मक युद्ध की तैयारी का ही रहा है और आजादी के बाद भी हमने इसी तरह के इतिहास को दोहराने का संकल्प किया। लेकिन यदि हम अपने पड़ोसियों से दोस्ती का भी रिश्ता रखना चाहते हैं तो वह रिश्ता पड़ोसियों को तभी मंजूर होता है, जब वे हमारी ताकत की ठीक-ठीक पहचान करते हैं।

भारत में हम जो रक्षा का बजट तैयार करते हैं हर साल इसमें वृद्धि होती है और अभी भारत सरकार ने पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी की वृद्धि की है। 96000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 105600 करोड़ रु. किया है। ऐसा कहते हैं कि 10 फीसदी ऐसी वृद्धि है। लेकिन रक्षा मंत्रालय से जितनी हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, उन्होंने अपनी सारी संस्तुति इस बात की दी कि हमारे देश का जो जीडीपी है, उसका 13 फीसदी हमें जरूर रक्षा की तैयारियों में खर्च करना चाहिए और जीडीपी के हिसाब से जब इस बजट का हम निर्धारण करते है तो हमारे जीडीपी का 2 फीसदी के आसपास किसी तरह मुश्किल से पहुंचता है। पिछली साल हमने 96 करोड़ रु. खर्च करने के लिए सेना के विभाग को दिया था लेकिन उसमें से तकरीबन 4.5 करोड़ उन्होंने बचा दिया। कुछ तकनीकी कारणों से जो रक्षा सामग्री खरीदने के उन्होंने आदेश दिये, उसमें आपत्तियां आईं, दुनियाभर के झंझट आए जिसके चलते 4.5 करोड़ उनका बच गया। इसलिए जो 105600 करोड़ रु. है, इसमें से 4.5 हजार करोड़ रु. तो उनका पुराना है, इसलिए यदि हम टोटल रक्षा बजट बढ़ने की बात सोचें तो 2 हजार या ढ़ाई हजार करोड़ रु. के आसपास हमने बढ़ाया है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह बहुत ही कम है और इस हिसाब से कम है कि जब हम अपने पड़ोसियों को देखते हैं कि वे अपनी जीडीपी का कितना पैसा रक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। हमारे पड़ौस का पाकिस्तान जिसकी अपनी आर्थिक दिक्कतें जबर्दस्त हैं, जिसके यहां भुखमरी, परेशानी और कंगाली है लेकिन चूंकि तानाशाही हुकूमत अब तक रही, इसलिए जो सामाजिक दायित्व है, सरकार ने उसे मंजूर नहीं किया। रक्षा ही हमारी सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है। इसलिए वे अपनी जीडीपी का 5 प्रतिशत से अधिक रक्षा के ऊपर खर्च करता है। पड़ौस में दूसरा देश चीन है जिससे हमारी पूरी प्रतिद्वन्द्विता है। हमारे देश की सरकार चीन के सामने अपनी आंख मूंद ले तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह सच्चाई से बहुत दूर हैं। वह अपनी जीडीपी का 7 फीसदी से अधिक अपनी रक्षा तैयारियों पर खर्च करता है और इस वर्ष जो उसने अपना रक्षा बजट अपने देश में अपनी संसद में पेश किया है, जो उनकी बनी हुई संसद है तो हमारे बजट का तकरीबन ढ़ाई गुना अधिक खर्च करने का बजट उन्होंने अपने देश की संसद में रखा है।

हम अमेरिका की भारत से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि हम तो अपनी सीमा की चार दीवारी की हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो दुनिया का इन्तजाम अपने सिर पर लिए घूमता है। इसलिए उसके रक्षा बजट की तुलना भारत के रक्षा बजट से हम नहीं कर सकते। उसने 551 मिलियन डालर जो भारत के अपने रक्षा बजट से तकरीबन 21 गुना है, इस साल पेंटागन के ऊपर खर्च करने के लिए यू.एस. कांग्रेस में जो बुश साहब ने अपना बजट पेश किया है। केवल इराक और अफगानिस्तान की लड़ाई में उन्होंने 75000 बिलियन डालर जो भारत के अपने वार्षिक रक्षा बजट से तकरीबन ढ़ाई गुना से अधिक है, उसके ऊपर खर्च करने का बजट दिया और उन्होंने जो बात अपने देश के सामने पेश की है, वह यह है कि यदि उस पूरे खाके को पढ़ा जाए तो केवल इराक

को दुरूस्त करने के लिए ट्रिलिइन डालर यानी हिन्दुस्तान का जो सम्पूर्ण जीडीपी एक वर्ष का है, इतनी रकम अकेले इराक को दुरुस्त करने पर खर्च कर दी है। इसलिए हम अमेरिका की रक्षा तैयारियों से भारत की तुलना कभी नहीं कर सकते क्योंकि वह अपने ऊपर दुनिया की जिम्मेवारी लेकर चलता है और भारत अपनी जिम्मेवारी अपनी सीमाओं की हिफाजत को लेकर चलता है। लेकिन हमें खास तौर से चीन से सावधान रहना पड़ेगा, इसके लिए बुरा न माना जाए क्योंकि कुछ हमारे साथी चीन का नाम लेते ही परेशान होने लगते हैं। यदि अमेरिका के साथ भारत का संयुक्त युद्धाभ्यास हो तो भारत की विदेश नीति कुछ दब रही है लेकिन यदि चीन के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास हो तो भारत की विदेश नीति कुछ प्रगतिशीलता की तरफ जा रही है, ऐसे दोहरे मापदंड इस देश की सरकार को नहीं अपनाने चाहिए।

हम इत्मीनान से कहना चाहते हैं कि हमारा प्रमुख प्रतिद्वंद्वी आज की तारीख में हमारे पड़ोस में यदि कोई है तो उस देश का नाम चीन है। अभी भी भारत सरकार की सारी कोशिशों से सीमा विवाद हल करने के लिए दोनों तरफ से एक के बाद एक 21 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद समस्या का हल नहीं निकलता। भारत के प्रधानमंत्री अपने देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में गए और परेशानी उस देश को हुई कि यह तो हमारा है, आप यहां क्यों आ गए? मैं भारत सरकार को किसी युद्ध के लिए ललकारने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा युद्ध में विश्वास नहीं है क्योंकि जो भी देश युद्ध में शामिल होते हैं, उनका नुकसान होता है। इसलिए जितने भी मसले हैं, अधिक से अधिक उनको बातचीत से हल कर सकें, वह एक बड़ी आदर्श स्थिति है। लेकिन बातचीत किससे सफल होती है- "क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो।" इस देश के महान राष्ट्रकवि जो इसी संसद के सदस्य थे - दिनकर जी ने ये पंक्तियां लिखी थीं कि क्षमा तो वही सर्प कर सकता है जिसके अपने विष में लोगों को मार डालने की शक्ति हो। जो दंतहीन और विषहीन है, वह दूसरों को क्या क्षमा करेगा? इसलिए भारत को अपनी रक्षा तैयारियां ऐसी करनी चाहिए कि जो हमारा प्रतिद्वंद्वी है, उसके सामने भी जब कभी आवश्यकता पड़े तो हमारी वह स्थिति न आए जो 1962 में आई थी कि हमारे देश की सेना को लड़ने के लिए जूते नहीं थे, हिमालयकी उत्तुंग पहाड़ियों में जाने के लिए हमारे पास कोट नहीं थे। उस स्थिति से उबरकर भारत को उसके समानांतर अपनी रक्षा की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि हमारे देस के रक्षा कार्यों में लगे हुए जो लोग हैं, डीआरडीओ में हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इनका वेतन ठीक से जोड़ा जाए तो बाहर ये इससे अधिक चार पांच गुना वेतन पाते हैं, यदि उनके ऊपर जबरन कुछ वर्ष काम करने की शर्त न हो कि आपने डीआरडीओ जाइन कर लिया तो आपको इसमें आठ-दस वर्ष काम करना ही पड़ेगा। वरना एक-दो साल के बाद हमारे देश के डीआरडीओ जाइन करने वाले वैज्ञानिक दूसरी जगह जाने लगते हैं। दूसरे, हमारे एयर फोर्स के जो शानदार पायलट हैं, उनको करीब 35000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। यदि वह आज की तारीख में एयर इंडिया ही जाइन कर लें, दुनिया की उड़ाने वाली संस्थाएं जाइन कर लें तो उनको ढाई लाख रुपये तक वेतन आज की तारीख में मिलता है। ऐसी हालत में केवल इसलिए कि देश की रक्षा करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, हमें अपने स्वार्थ का बलिदान करके इस काम को करते रहना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूं कि रक्षा के काम में लगे हुए जो हमारे श्रेष्ठ अधिकारी हैं, इनकी स्वयं की जिन्दगी को सुधारने के लिए भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए।

अभी हाल ही में जब पे कमीशन की संस्तुतियां आई तो उनके आने के बाद एक बड़ी अलार्मिंग खबर अखबारों में छपी कि इस देश के जो रक्षा के बड़े अधिकारी हैं, अपने पदों से त्यागपत्र देने तक को तैयार हैं। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि रक्षा को बाकी सेवाओं से अलग किया जाना चाहिए और रक्षा सेवा के कार्य में जैसे हम सदन में अलग से रेलवे का बजट पेश करते हैं, जैसे हम इस सदन में बहस कर रहे हैं रक्षा विभाग के बजट की, वैसे ही हम भारत सरकार से अपील करना चाहते हैं कि रक्षा के काम में लगे हुए ऊपर से लेकर नीचे तक के जितने कर्मी और अधिकारी हैं, उनका अलग से एक वेतन आयोग गठित होना चाहिए जो केवल रक्षा के काम में लगे हुए अधिकारियों तक ही सीमित हो और उनकी दूसरे देशों में इस काम में लगे हुए लोगों की अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर यहां के भी सैन्य और रक्षा अधिकारियों को वेतन उसी अनुमात में बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी मांग हम करना चाहते हैं।

तीसरी बात है वन रैंक वन पे की। 1989-90 में इस देश में सरकार बनी। उसने अपने चुनाव घोषणापत्र में एक वादा किया था और तब से हम इस बात को सुनते हैं। उस सरकार ने भी उसको पूरा करने से इंकार कर दिया। उसके बाद की जितनी सरकारें हैं, एक के बाद आती हैं और चली जाती हैं। इस सिद्धांत का पालन करने के लिए कोई भी सरकार नहीं बनी। भारत सरकार और सेना विभाग के 22 सैनिक स्कूल हैं। उनको 440 करोड़ रुपये दिये गये

[श्री मोहन सिंह]

हैं। इनके अलावा भी कुछ सैनिक स्कूल हैं जैसे लखनऊ का सैनिक स्कूल है। वह उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उनको सुख-सुविधाएं नहीं देती।

भारत की सेना में लखनऊ के सैनिक स्कूल में पढ़े-लिखे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है, वे बहुत बड़े-बड़े पदों पर हैं। आज उसकी हालत बहुत बुरी है। मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लखनऊ का जो सैनिक स्कूल है, उसका राष्ट्रीयकरण करके अपने ही सैनिक स्कूल 22 में से 23 करके लखनऊ के सैनिक स्कूल की दशा को सुधारने का काम भारत सरकार करे।

महोदय, एनसीसी मिलिट्री का एक अभिन्न अंग है और हम जब मिलिट्री का बजट तैयार करते हैं तो देश के नौजवानों को आंशिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने का जो सबसे सशक्त माध्यम है, वह एनसीसी है। लेकिन एनसीसी के बारे में मुश्किल से एक जिले में एक करोड़ रुपए का बजट जाता है, एक बेटेलियन बन जाती है, दो-तीन डिग्री कालेजेस में उसकी शाखाएं खुल जाती हैं और कस्टमरी तौर पर जब कोई ऊपर का आफिसर जाता है तो लड़कों को बुला कर सलामी आदि देकर अपनी इतिश्री कर ली जाती है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उच्च शिक्षा के जितने भी प्रतिष्ठान हैं, एनसीसी की ट्रेनिंग उन सब के लिए अनिवार्य की जाए और एनसीसी के ही लड़कों को लिया जाए, क्योंकि ये कहते हैं कि साढ़े ग्यारह हजार मिलिट्री में आफिसर्स रैंक के अधिकारियों की कमी है। ऐसी कमी क्यों है, क्योंकि आज की तारीख में हमने जो ओपन इकोनोमी कर दी, जिसके चलते पढ़े-लिखे सुयोग्य लड़कों के लिए दूसरी गुड अपोरचुनिटी एवेलेबल हो गई। ऐसी हालत में उनके सामने मिलिट्री के आफिसर्स के रूप में ज्वाइन करना सबसे पीछे की प्रायोरिटी होगी। ऐसी हालत में आफिसर लेवल रिक्रुटमेंट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है - एनसीसी के ट्रेंड पढ़े-लिखे नौजवान। इसलिए एनसीसी को ग्रेजुएशन स्तर पर अनिवार्य किया जाए।

महोदय, इन थोड़े से सुझावों के साथ मैं भारत सरकार से दूसरी अपील करना चाहता हूं। हर साल मिलिट्री की बदनामी होती है और रक्षा सौदों के खरीद के मामलों में बदनामी होती है। एक के बाद एक जो भी सरकारें आती हैं, हर डिफेंस मिनिस्टर और उससे जुड़े हुए डिफेंस के आर्मी के बड़े आफिसर्स, जिनका शानदार इतिहास रहता है, रिटायर होते-होते उनके खिलाफ सीबीआई लग जाती है, सीएजी की रिपोर्ट आती है। सीएजी की जो रिपोर्ट आती है, उस पर पीएसी का सदस्य होने के नाते मैं कह सकता हूं कि पीएसी कमेटी जिस-जिस विभाग को सीएजी के पैरा की सूचना देती है, उसका वे माकुल और युक्त उत्तर देते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत की सेना ऐसी है जो किसी भी सीएजी के पैरा का जवाब देना, वे समझते हैं कि यह हमारे सामर्थ्य की सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए वे देते नहीं हैं। जब वे रिटायर होने लगते हैं तो उनके पीछे सीबीआई प्रवेश कर जाती है। भारत की सेना का एक यशस्वी इतिहास है, जिसने जब कभी भी भारत के ऊपर संकट आया तो अपने त्याग और बलिदान से देश की सीमाओं और इज्जत की बहाली का काम किया। उसी हौंसले के साथ भारत की मिलिट्री को अपनी खुद की भी इज्जत बचाने के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए।

महोदय, मेरी तरफ से सुझाव है कि जो कुछ भी रक्षा सौदे होते हैं, उसकी जो खरीदारी होती है, उसमें मिलिट्री के आफिसर्स को नहीं लगाया जाना चाहिए। उसके लिए मिलिट्री के ही रिटायर्ड आफिसर, उसी के जाने हुए वैज्ञानिक, उनकी एक रेगुलेटरी आथोरिटी होनी चाहिए और रक्षा सौदों की खरीद का इनडिविजुअल नहीं, एक सामूहिक निर्णय होना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। इस देश के अंदर जब हम इस तरह की बातें करते हैं, सिंगल और इनडिविजुअल डिसीजन होता है तो आर्मी के अंदर गुटबाजी भी फैलती है। एक आफिसर दूसरे के खिलाफ शिकायत करता है, जो ऊपर आफिसर रहता है यदि वह बेईमानी में शामिल है और नीचे के आफिसर ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी तो जो शिकायत करता है उसी का कोर्ट मार्शल हो जाता है और ऊपर वाला आफिसर उसके कुछ विपरीत हो जाता है।

महोदय, भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़े हुए आरोपों की जांच मिलिट्री के ही आफिसर की नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अलग व्यवस्था मिलिट्री के ही अंदर होनी चाहिए। जिससे कि जो ईमानदार अधिकारी हैं, जूनियर होने के नाते, उन्हें दंड न मिले और जो बड़े लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उनका बचाव होता चले। इस पद्धति के बारे में भी मिलिट्री विचार करे, तो मैं समझता हूं कि मिलिट्री की जो प्रतिष्ठा है, उसमें वृद्धि हो सकती है। इन थोड़ी सी बातों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति अभार प्रकट करता हूं। आज

ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है, जो इस राष्ट्र की गरिमा, मर्यादा, आजादी और स्वायत्तता की रक्षा करता है। इन सब कार्यों के अलावा रक्षा विभाग के तीनों सेनाओं के जो अधिकारी और सेना बल हैं, वे सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। अब प्रश्न यह है कि रक्षा बजट में जितने धन का प्रावधान किया गया है और प्रति वर्ष जिसमें 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो रही है, तो क्या यह बढ़ोत्तरी यथेष्ट है, क्या इससे हम संतुष्ट हैं या इसे बढ़ाने की जरूरत है, इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है? भारत के पड़ोसी देशों की ओर से जो चेतावनियां और धमकियां भारत को दी जा रही हैं, उन्हें देखते हुए क्या भारत की सेनाओं को और सशक्त करने के लिए, और मजबूत करने के लिए उसके पास जो वर्तमान में हथियार हैं तथा उपकरण हैं, उनके आधुनिकीकरण हेतु धन की और अधिक आवश्यकता है; इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है?

महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह जी बता रहे थे कि जी.डी.पी. के मुताबिक हम चीन के मुकाबले में रक्षा के ऊपर कम धन खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में बहुत सारे लोग और अखबार बोलते हैं कि रक्षा विभाग का बजट सभी विभागों के बजट से अधिक रखा गया है। जो परिस्थितियां हैं, उन्हें देखते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट कम है और रक्षा के लिए और अधिक बजट रखा जाना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, श्रीलंका और बांग्लादेश हैं। इन तमाम देशों में जो स्थिति बन रही हैं, उनसे हमारे देश को भी खतरा है। इससे हमारी रक्षा को खतरा है और इससे भारी नुकसान होने की आशंका है। इतने बजट का प्रावधान होने के बाद भी, हमारे पास इस समय जो लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें हमने 20-25 साल पहले रूस और अन्य देशों की सहायता से खरीदा था, क्या उनके स्थान पर नए और आधुनिक तकनीक से भरपूर विमानों को खरीदने की आवश्यकता है या नहीं, इस पर भी हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यदि आवश्यकता है, तो उन्हें खरीदने के लिए रक्षा विभाग को और धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमारे जो पारम्परिक हथियार जैसे थल सेना के पास रायफल वगैरह हैं, उन्हें भी अत्याधुनिक रायफल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें विकसित देशों के साथ संयुक्त तकनीक के आधार पर टैकनौलौजी ट्रांसफर करने हेतु करार करने चाहिए, जिससे इन्हें और आधुनिक बनाया जा सके।

महोदय, सीमाओं पर हमेशा खतरा रहता है। कहीं घुसपैठ का मामला होता है, कहीं किसी देश की ओर से युद्ध की धमकी दी जाती है। चीन के साथ लम्बे अर्से से विवाद चल रहा है। उसने हमारे देश की जमीन पर नाजायज तरीके से दखल कर के अपने कब्जे में ले लिया है, उसे छुड़ाने में भी हम आज तक सफल नहीं हुए हैं। यह बात सही है कि हम सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी आज तक चीन के साथ भूमि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत के द्वारा मैत्रीपूर्ण हल निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। हमारे देश की सीमाएं पाकिस्तान, तिब्बत और चीन से लगती हैं। जो हमारे जवान सीमाओं की रक्षा करते हैं, फिर चाहे वे वायु सेना के जवान हों, थल सेना के जवान हों या हिन्द महासागर में नौसेना के जवान हों, उनके वर्तमान जहाजों से ताकतवर और अत्याधुनिक जहाजों की क्या उन्हें आवश्यकता है या नहीं।

मैं बार-बार कह रहा हूं कि आज जो परिस्थिति उपस्थित है, उसके लिए धन की आवश्यकता है। एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये बहुत ज्यादा नहीं हैं। अपने देश की आर्थिक सम्पन्नता को यदि हम कायम रखना चाहते हैं तो हमें रक्षा पर भी अधिक खर्च करना होगा। पाकिस्तान हिन्दुस्तान का छठा भाग है, लेकिन वह रक्षा पर पूरा खर्च करता है, रक्षा की पूरी तैयारी करता है। लेकिन हम पीछे क्यों हैं? यह बात सही है कि हमारी आक्रामक नीति नहीं है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए उसकी आवश्यकता है। अभी हाल के तीन-चार वर्षों में बोर्डर पर माडर्न फैन्सिंग वॉल का निर्माण किया गया है। हमने कुछ जगहों पर देखा भी है। यह काफी हद तक देश के दुश्मनों को देश में घुसने से रोकती है। इसको और बढ़ाने की जरूरत है ताकि हमारा देश, हमारी आजादी सुरक्षित रहे।

महोदय, सेना के जवान की जब कुर्बानी होती है, तो उसका अपने परिवार और समाज से त्याग होता है। लेकिन उसके बलिदान के मुकाबले उसे जो वेतन दिया जाता है, वह बहुत ही कम है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात हो रही है। लेकिन इसमें निचले स्तर के सेना के कर्मियों को कोई खास सुविधा प्रदान नहीं की गई है। हम यह कहते अवश्य हैं कि हम उन्हें पुनर्वासित करेंगे, उनकी पत्नी और बच्चों को नौकरी देंगे। लेकिन यह घोषणाएं ही रह जाती हैं। ऐसे बहुत से जवानों के परिवार हैं, जिन्हें देखने वाला आज कोई नहीं है। उनका परिवार दर-दर की ठोकर खा रहा है, भटक रहा है। इस तरह की क्रूर नीति सरकार को नहीं अपनानी चाहिए। सरकार को सर्वे करवाना चाहिए कि युद्ध के दौरान शहीद हो चुके जवानों के परिवारों की स्थिति क्या है? उनकी आर्थिक स्थिति

[श्री गणेश प्रसाद सिंह]

क्या है? उनके बच्चों की शैक्षणिक स्थिति क्या है? उस सर्वे के मुताबिक ही सरकार को काम करना चाहिए।

दूसरी बात, जो लोग सेना में काम करने के बाद डिसचार्ज हो जाते हैं, उन्हें सीजीएचएस का कार्ड नहीं मिलता है। जब वे बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है। मेडिकल सुविधा उन्हें भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो जवान दस साल की सेना की नौकरी करते हैं, उन्हें पूरा पेंशन न सही, लेकिन कुछ भत्ता अवश्य मिलना चाहिए। यदि सरकार इस तरह के कार्य नहीं करती है तो सेना से प्रशिक्षण प्राप्त इस तरह के लोग खाली बैठकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाएंगे और समाज का भला न करके, बुरा करेंगे। इसलिए उनके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि देश की रक्षा के लिए सेना के आधुनिकीकरण की अत्यंत आवश्यकता है। मंत्री जी द्वारा रक्षा की जो मांग प्रस्तुत की गई है, मैं उसका पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहजहांबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे रक्षा मंत्रालय के बजट पर अपने ख्यालात प्रस्तुत करने का मौका दिया।

मैं डिफेंस मिनस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी में रह चुका हूं। इसका दस प्रतिशत बजट बढ़ाया गया है और एक लाख पांच हजार करोड़ रुपए तक हुआ है। इस पर मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। रक्षा मंत्री जी फौज की जरूरतों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे और जरूरत पर कम से कम डिफेंस मिनस्ट्री के मामले में पैसे की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। देश की रक्षा के लिए जितनी जरूरत महसूस हो, उतना पैसा खर्च करना चाहिए। मैं इसकी पूरी-पूरी हिमायत और ताईद करता हूं।

हमारे भाई मोहन सिंह जी ने कुछ इशारा किया था कि हमारे यहां रक्षा सौदों की खरीदारी में खासतौर से बाहर से सामान खरीदने पर बहुत जोर दिया जाता है। हमारे यहां से जूता और वर्दी वगैरह विदेशों में एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन हमारी फौज के लिए खरीददारी करने वाली जो अथारिटीज हैं, वे मुल्क से खरीदना बेहतर नहीं समझतीं, बल्कि विदेश से जूता और वर्दी तक खरीदकर आती है। क्या कमीशन खाने के अलावा कोई दूसरा इसका जवाब पेश किया जा सकता है? भ्रष्टाचार हद से ज्यादा हो चुका है, इसके बारे में रक्षा मंत्री जी, जिनकी छवि अच्छी है, मैं चाहूंगा कि इस पर खास तौर से ध्यान दें। देश की सबसे बड़ी सेवा यह होगी, अगर रक्षा मंत्रालय से खरीददारी के मामले में असलहे से लेकर दूसरे सामान तक की खरीददारी तक के मामले में, यह खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसमें कमी ला दें, तो मैं समझता हूं कि देश आपके इस दौर को याद रखेगा।

मैं जब स्टैंडिंग कमेटी में था, तब मैंने देखा कि हमारी सेना में जवानों और अफसरों के जीवन-स्तर में, उनकी मयार-ए-जिंदगी में शर्मनाक हद तक फर्क है। वह फर्क इतना ज्यादा है कि हमें इसके बारे में कहते हुए शर्म आती है। रक्षा मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि जो फर्क है, उसमें वे कमी लायें। मैं यह नहीं कहता कि जवान और अधिकारी दोनों बिल्कुल बराबर की जिंदगी बितायें, लेकिन उनकी जिंदगी में जो बहुत ज्यादा फर्क है, उसमें कुछ न कुछ कमी लायें, इससे देश की और सेना की बहुत बड़ी सेवा होगी और हमारे आदमियों में एक दूसरे के खिलाफ दुर्भावना नहीं पैदा होगी। अगर इसमें कमी न लायी गयी, तो कुछ दिनों के बाद ऐसी समस्यायें भी पैदा हो सकती हैं, जिनका समाधान हमारे लिए मुश्किल होगा। बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं, अखबारों में छप रही हैं कि सेना में आफीसरों की बहुत कमी हो गयी है और जो आफीसर्स इस वक्त हैं, वे भी वक्त से पहले रिटायरमेंट लेने के चक्कर में हैं। अभी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें आयी हैं, उसके बारे में भी अखबारों से पढ़कर लगता है, मुझको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उससे यही लगता है कि सेना में उसके बारे में भी बेचैनी है, इसका भी समाधान होना चाहिए। मोहन सिंह जी ने जो कहा कि अलग से एक कमीशन फौज के लिए होना चाहिए, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं।

मैं कुछ बातें बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी तारीख के हर दौर में चाहे वह मुगलों की बादशाहत का जमाना रहा हो या अंग्रेजों की गुलामी का जमाना, हमेशा हमारी फौज मुल्क के हर हिस्से, हर तबके, हर मजहब के मानने वालों की आनुपातिक नुमाइंदगी रही है, चाहे वह बादशाहों का जमाना रहा हो, चाहे वह गुलामी का जमाना रहा हो। बहुत समय तक हमारे सामाजिक सिस्टम में अछूतों को फौज में नहीं लिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में जो अछूत कहे जाते थे, जो आज दलित कहे जाते हैं, उनकी बड़ी तादाद फौज में थी, यहां तक कि इस देश के मसीहा बाबा साहब भीम राव अंबेडकर का जन्म भी फौज की महू छावनी में हुआ था।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगस्त, 1947 में जब अंग्रेज भारत के इक्तेदार अपने पुराने वफादारों के हवाले करके इंग्लैंड वापस गए और उसके बाद जो लोग पावर में आए, अपनी मानसिकता के अनुसार उन्होंने फौज में भर्ती शुरू की। यह हमारी कमी थी और आज तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। मैं एक सच्चे हिंदुस्तानी के नाते और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से दूर तक अगर आप सोचें, वफादारी की सोच के तहत यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि आज हमारी फौज में समाज के सभी तबकों, सभी इलाकों और धर्मों के मानने वालों की आनुपातिक नुमाइंदगी नहीं है। फौज में मुसलमानों की नुमाइन्दगी शर्मनाक हद तक कम है। इसी मौजूदा सरकार ने मुसलमानों की नुमाइन्दगी जानने के लिए सच्चर कमेटी बनाई थी और जब श्री सच्चर ने जानना चाहा कि फौज में मुसलमानों की क्या तादाद है, हमारी फौज में 15 अगस्त, 1947 से पहले मुसलमानों का अनुपात 40 प्रतिशत रह चुका है, आज एक प्रतिशत भी नहीं नहीं है। मैं समझता हूं कि यह शर्मनाक बात है। क्या बात थी जिसे श्री प्रणब मुखर्जी, जो उस वक्त रक्षा मंत्री थे, छुपाना चाहते थे कि उसी सरकार के एक केबिनेट मंत्री थे जिस सरकार ने सच्चर बनाई थी। जस्टिस राजेन्द सच्चर के समाने लाठी लेकर खड़े हो गए कि हम नहीं बताएंगे कि फौज में कौन कितना है। किस सच्चाई को उसी सरकार के मंत्री छुपाना चाहते थे और आज भी आर्थेटिक तौर पर मालूम नहीं है कि फौज में मुसलमानों की कितनी तादाद है। अंदाजा है कि उनकी तादाद एक प्रतिशत से भी कम है जबकि मुल्क में मुसलमानों की आबादी की तनासुब 13 प्रतिशत है। हमारे रक्षा मंत्री माइनारिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, वह भी क्रिश्चियन माइनारिटी से ताल्लुक रखते हैं। मुसलमान भी माइनारिटी हैं। इसमें माइनारिटी, मेजोरिटी का सवाल नहीं है, सवाल सबकी नुमाइन्दगी का है, सवाल है कि सब लोग सेना को अपना समझें, सवाल यह है कि सेना से सबका भावनात्मक जुड़ाव हो, सेना हमारी सोसाइटी का सबसे अहम भाग है। यह नहीं कहता कि आप एकदम सिर्फ मुसलमानों की भर्ती कर लें, लेकिन यदि पुराने जमाने का कोई जीओ हो जो बंटवारे की तल्खी के तहत जारी हुआ हो कि मुसलमानों को एक-दो प्रतिशत से ज्यादा न लिया जाए, मैं रक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि उसे बदलें और भर्ती में ऐसा इंतजाम करें कि कोई तबका यह महसूस न करें कि हमें या हमारी वफादारी पर जान-बूझकर शक किया जा रहा है, जबकि ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर हवलदार अब्दुल हमीद तक सेना में आधा प्रतिशत मुसलमान हैं। उन्होंने कारगिल की लड़ाई में साबित किया है। उसमें मुसलमानों का अनुपात एक प्रतिशत था और शहीद होने वालों में मुसलमानों का अनुपात लगभग 10 प्रतिशत था, जो उस वक्त के पहले रक्षा मंत्री ने मुझे बताया था। किसी के अंदर यह भावना पैदा न हो कि सोसाइटी के किसी विंग में महजब के नाते, जबान के नाते, जाति के नाते या धर्म के नाते भेदभाव होता है। इसलिए मैं रक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि धीरे-धीरे इस चीज को खत्म करें और 5-10 सालों में सबको अनुपातिक नुमाइन्दगी मिल जाए। सेना में भर्ती एक मसला बन रही है। यदि यह हो जाए तो आपको उस मसले से भी छुटकारा मिल जाएगा। जमाना बदल चुका है। मैं जानता हूं जिन हालात में यह हुआ था कि सेना में मुसलमानों की आबादी 40 प्रतिशत से घटते-घटते एक प्रतिशत से नीचे आ गई थी। मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन अब जमाना बदल चुका है, सोसाइटी की सोच बदल चुकी है, पुरानी तल्खियां खत्म हो रही हैं जो बहुत अच्छी बात है। मैं रक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस तरफ भी ध्यान दें। मैं ज्यादा न कहते हुए चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय में सामानों की खरीद में, जो विदेशों से होती है, यदि उसमें भ्रष्टाचार को कम किया जा सके तो देश की बहुत बड़ी सेवा होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय रक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत रक्षा बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

महोदय, भारत जिस रक्षा नीतियों का अनुपालन करता है वे रक्षात्मक प्रकृति की है और इसकी रक्षाक्षमता देश की स्वतंत्रता, संप्रभुत्ता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा बलों के समर्थन में एक साथ होता है। हमें अपने जवानों के कौशल और योगदान पर गर्व है।

अपराह्न 3.00 बजे

वर्ष 2008-09 के बजट अवंटन में रक्षा क्षेत्र के लिए 105,600 करोड़ रु. का अनुमान किया गया है जबकि वर्ष 2007-08 में 96,000 करोड़ रु. का वित्तीय परिव्यय किया गया था जिसे बाद में संशोधित कर 92.500 करोड़ रु. कर दिया गया। तथापि रक्षा पर खर्च जीडीपी के 2 प्रतिशत से कम हो रहा है। विशेषज्ञों तथा रक्षा संबंधी संसदीय समिति की रक्षा पर जीडीपी का न्यूनतम 3 प्रतिशत व्यय किए जाने की लगातार मांग किए जाने के बावजूद ऐसा किया जा रहा है। दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान रक्षा पर जीडीपी का 4.5 प्रतिशत से अधिक

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

खर्च कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में वर्तमान आवंटन इस वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के कुल खर्च का 14 प्रतिशत है। पिछले वित्तीय वर्ष में 4217 करोड़ रु. का खर्च न दिए जाने के बावजूद इस वर्ष के बजट में इसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है रक्षा सेवाओं का आधुनिकीकरण बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और से ही यह गति धीमी रही है। रक्षा अधिग्रहण नियमावलियां और नीतियां आती जाती रही है परन्तु आवश्यक तत्परता का आभाव रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के विशेषज्ञों ने हाल ही में कहा था कि आतंकी आधुनिक युद्ध के लिए संसाधानों का अभाव है। रक्षा आधुनिकीकरण वास्तव में रक्षा बजट स्वदेशी क्षमता से जुड़ा हुआ हैं और इस क्षेत्र में इस संबंध में ऊंची कमी है। अत: हमें रक्षा उपस्कर आयात करने के अपने नकारात्मक रवैये को त्यागना चाहिए और समय की यह मांग है कि हमें सुदृढ़ अनुसंधान और विकास आधार तैयार करना चाहिए जो परियोजनाओं को उत्तरदायित्वों के साथ पूरा कर सके और उन्हे निष्पादन के सभी पैमानों के साथ पूरा कर सके। रक्षा उत्पादन और डीआरडीओ ने रक्षा उपस्करों तथा मिसाइल प्रौद्योगिकी में उत्पादन और विकास में मामूली सफलता प्राप्त की है, परन्तु अनेक प्रमुख शस्त्र मंचों तथा परियोजनाओं में सुधार की आवश्यकता है। एसोचेम द्वारा कराये गए अध्ययन के अनुसार 2012 तक देश के सैन्य उपस्करों का आयात बढ़ कर चौदह गुना हो जाएगा। अब हमें डीआरडीओ तथा उपस्करों के स्वदेशी उत्पादन और अनुसंधान और विकास पर और अधिक धन किए जाने की आवश्यकता है।

डीआरडीओ की स्थापना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से तथा देश की अवसंरचना के कार्यक्षेत्र अनुसंधान तथा विकास के साथ कारपोरेट क्षमता को प्रोत्साहन देने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश को विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता से मुक्त कराने के लिए की गई थी। यद्यपि पिछले कई वर्षों के दौरान डीआरडीओ की वास्तविक हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है, परन्तु रक्षा बजट में डीआरडीओ के हिस्से में प्रतिशत के आधार पर कोई वृद्धि नहीं की गई है। वर्तमान बजट में डीआरडीओ के लिए केवल 33 मिलियन रु. का आवंटन किया गया है। 2007 में डीआरडीओ के पास 411 परियोजनाएं थी इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 17061.97 करोड़ रु. थी। अब इस लागत में कई गुना वृद्धि होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर दिया जाएगा तथा सरकार इन परियोजनाओं के लिए कब तक पूरा पैसा उपलब्ध करायेगी? डीआरडीओ के गठन के बाद 50 वर्षों के पश्चात इसकी उपलब्धियां और सफलाताओं के बारे में आत्मनिरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं की हमारा देश डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का आभारी है यद्यपि अपनी रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अभी तक बाहरी स्रोतों तथा आयात पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए हल्का लड़ाकू विमान जैसे तेजस भारतीय वायु सेना, नौसेना, और सेना की आवश्यकता है। इस हल्के लड़ाकू विमान में अक्तूबर 2007 तक कावेरी इंजन लगाए जाने की योजना थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह परियोजना पूरी हो गई है अथवा नहीं तथा क्या इस इंजन का डिजाइन को अतिम रूप दिया जा चुका है अथवा नहीं। कावेरी इंजन कार्यक्रम के संबंध में इसके डिजाइन और तैयारी निराशाजनक है। इस परियोजना में 18 वर्ष से अधिक समय लग गया है और परियोजना की लागत पूर्व निर्धारित लागत से आठ गुना बढ़ गई है। हम नहीं जानते कि यह परियोजना कब पूरी होगी।

अब मैं सामरिक मिसाइल पर आता हूं। भारत के विश्वसनीय दूसरी मारक क्षमता निवारक अग्नि III के 3500 कि.मी. दूर तक एक टन का विस्फोटक फेकने की क्षमता होनी चाहिए। रक्षा सूत्रों के अनुसार परीक्षण सफल था परन्तु इसके परिणाम अभी प्रतीक्षित है। उनका अभी विशलेषण नहीं किया गया है। अग्नि III की तुलना पाकिस्तान की गौरी III और चीन की डाग टैंग से की जा सकती है तथापि डाग टैंग को पूर्णत: आईसीबीएम कार्यक्रम में परिणत कर दिया गया है और डाग टैंग-41 को परीक्षण कर 14000 कि.मी. की दूरी की मारक क्षमता के साथ विकसित किया जा रहा है। अग्नि III के प्रक्षेपण की तैयारी 30 महीने पहले ही पूरी कर ली गई थी परन्तु वशिंगटन के साथ असैनिक परमाणु सौदे पर जबरदस्त राजनयिक प्रयासों के कारण इसमें विलंब हो रहा है।

जहां तक बाहरी अनुसंधान (ई.आर) तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का संबंध है 13 देशों से रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए विदेशी 75 बौद्धिक संपदा अधिकार प्रौद्योगिकी वाले दर्ज किए गये तथा 40 को पेटेंट प्रदान किए गए और 50 को अनुमान की स्वीकृति दी गई थी, 2007 तक चार प्रतिलिपि अधिकार तथा एक डिजाइन पंजीकृत किया गया परन्तु ईआर योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना है? क्या इस सरकार ने ईआर योजना को बढ़ाने का निर्णय लिया है?

दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमे डीआरडीओ के लिए परेशानी का कारण रहे है हमारे बहुत से वैज्ञानिकों को अच्छा वेतन व भत्ते नहीं मिल रहे हैं और जिसके कारण वे संगठन छोड़ रहे है। इसी कारण से डीआरडीओ को भारी क्षति हो रही है। क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही है जैसा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें उनके लिए आकर्षक नहीं है? उनकी शिकायत है कि निजी क्षेत्र तथा अन्य विदेशी देशों की तुलना में हमारे देश के वैज्ञानिकों को मिलने वाला वेतन तथा अन्य भत्ते कहीं कम है। इस कारण से हमारे बहुत से वैज्ञानिक संगठन छोड़ रहे हैं। भविष्य में हमारे लिए अच्छे और अनुभवी वैज्ञानिक पाना कठिन हो जाएगा। उन्हे डीआरडीओ में बनाए रखने के लिए सरकार के पास क्या कार्यक्रम है? ऐसा केवल वैज्ञानिकों के मामले में ही नहीं है। सभी रक्षा बलों में यही कहानी है।

अकेले भारतीय सेना में 24 प्रतिशत अधिकारियों की कमी है। वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक और उस से नीचे के 11,153 अधिकारियों की कमी है। माननीय मंत्री जी ने सभा में यह जानकारी दी है। अत: सेना में इतनी भारी कमी है।

नौसेना और वायुसेना में भी अधिकारियों की भारी कमी है। वर्तमान परिस्थितियों और वैश्वीकरण के दौर में निजी क्षेत्र में नौकरी कहीं अधिक आकर्षक हैं। बहु-राष्ट्रीय कंपनियां नौजवानों को बेहतर वेतन और भत्ते की पेशकश कर रही हैं जो कहीं अधिक आकर्षक हैं। इसी कारण से युवा लोग रक्षा सेवाओं में भर्ती होने के इच्छुक नहीं है। देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में भारी परिवर्तन के कारण तीनों सेनाओं में अधिकारियों की कमी आयी है। अत: सरकार प्रतिभावान युवा लोगों को रक्षा बलों में लाने के लिए क्या कर रही है।

तीनों सेनाओं ने वेतन आयोग को संयुक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के पश्चात उन्होंने रक्षा मंत्री को एक अभ्यावेदन दिया था। वे वेतन आयोग कि सिफारिशों से असंतुष्ट है मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों में वेतनमानों के संबंध में संशोधन करने पर विचार कर रही है। क्या आप उनकी मांगों के संबंध में कुछ और अधिक वृद्धि करने जा रहे है?

लेखा परीक्षा टिप्पणियों के प्रति रक्षा मंत्रालय का दृष्टिकोण अत्यंत दुखद: है। संसद की लोक लेखा समिति के अनुसार यह अनिवार्य था कि रक्षा मंत्रालय संसद में रखी गई प्रत्येक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में की गई कार्रवाई प्रतिवेदन को चार महीने के भीतर प्रस्तुत करें। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अंतिम रिपोर्ट में 1996 के पश्चात 90 टिप्पणियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके बारे में रक्षा मंत्रालय ने की गई कार्रवाई के संबंध में कोई रिपोर्ट भेजने की जहमत नहीं उठायी। रक्षा मंत्री को सीएजी की रिपोर्ट के बारे में पीएसी को जवाब देना चाहिए।

सीजीडीए भी रक्षा सेवाओं का वार्षिक समेकित लेखा तैयार करना है और वह प्रधान लेखा अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य सेनाओं की आंतरिक लेखा परीक्षण करना है।

परंतु जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) ने रक्षा लेखा विभाग (डी.ए.डी.) द्वारा की गयी आंतरिक लेखापरीक्षा की नमूना जांच की तो इसको लेखा तथा लेखापरीक्षा के संबंध में विभागीय व्यवस्था में अनेक, विसंगतियां, खामियां, तथा अनियमिततायें देखने को मिली। यह बड़ी गंभीर बात है क्योंकि पूरी सभा ने हमेशा ही रक्षा बजट का समर्थन किया है। इसने कभी भी कोई प्रश्न नहीं, किया तथा इसने रक्षा बजट पर बहुत ही कम चर्चा की है। पूरी संसद तथा पूरे देश ने हमेशा ही रक्षा बजट का समर्थन किया है। परन्तु रक्षा लेखों में अवश्य ही पारदर्शिता होनी चाहिये तथा चूक (दोष) हेतु जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिये।

रक्षा मंत्रालय में समेकित वित्तीय सलाहकार योजना के अगस्त, 1983 से शुरू हो जाने के साथ ही रक्षा लेखा विभाग रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ गया। डी.ए.डी. विगत 15 वर्षों से 26% कम कर्मचारियों के साथ कार्य कर रहा है। उसके पास भी 26% कम कर्मचारी है। तो फिर वह किस प्रकार से 1,05,000 करोड़ रुपये के बजट वाले इतने बड़े मंत्रालय के लेखों को संभालेगें?

नियंत्रक महालेखापरीक्षक में निर्देशों तथा लोक लेखा समिति के बार-बार दिय गये निर्देश के बावजूद मंत्रालय उनकी बात नहीं सुन रहा है। इसलिये मेरा हार्दिक अनुरोध यह है कि मंत्रालय उनकी बात सुने तथा सी.ए.जी. तथा पी.ए.सी. की आवश्यकता के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करे।

अब मैं सैनिक स्कूल, जो और अधिक सैन्य प्रशिक्षण हेतु लड़कों की भर्ती के लिये मूलभूत आवश्यकता है, के मुद्दे पर आता हूं। हमें इसे रक्षा बलों हेतु आकर्षक बनाना होगा। जहां तक सैनिक स्कूलों का संबंध है, इस वर्ष के बजट में 440 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : सैनिक स्कूलों हेतु 44 करोड़ रुपये प्रदान किये गये है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : अत: मेरी मांग यह है कि सरकार को देश के विभिन्न भागों में इन सैनिक स्कूलों के विस्तार हेतु भी सोचना चाहिये और इन सैनिक स्कूलों के लिये और अधिक धन प्रदान किया जाना चाहिये। सैनिक स्कूलों में लड़कियों का नामांकन करवाना भी आवश्यक है और महिलाओं की रक्षा बलों में भर्ती भी की जानी चाहिये।

**डा. रतन सिंह अजनाला* (तरनतारन) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008-2009 हेतु रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर मुझे बोलने का अवसर देने हेतु आपका धन्यवाद। अनेक माननीय सदस्यों ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित मामलों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। मौटे तौर पर सदस्यों के बीच एकमत है कि रक्षा मंत्रालय हेतु प्रदान किया गया धन पर्याप्त नहीं है। समय बदल गया है। सशस्त्र बलों की आवश्यकतायें भी बदल गई है। उन्हें पूरा करना होगा।

सशस्त्र बलों ने चाहे वह स्वतंत्रता पूर्व दौर रहा हो अथवा स्वातंत्रयोत्तर का हमेशा ही भारत के लोगों की मदद की है। जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो उस समय भी हमारे सशस्त्र बलों ने ब्रिटिश सेना के साथ प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। जहां तक वीरता तथा बहादुरी का संबंध है वे किसी से कम नहीं थे। हमारे सशस्त्र बल अपने गौरवपूर्ण परम्परा तथा उपलब्धियों हेतु सारे संसार में जाने जाते हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया। जब मैं कालेज में पढ़ रहा था तो हमारे सबसे बड़े पड़ोसी देश चीन के साथ मैत्रीपूर्ण माहौल था। चारों तरफ 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' (भारतीय और चीनी भाई भाई हैं) के नारे हवा में गूंज रह थे। इसके बावजूद वर्ष 1962 में चीनी लोगों ने हमारी पीठ में छुरा घोप दिया। उस समय हमारे सशस्त्र बलों की प्लानिंग तथा इसका संगठनालय ढांचा ठीक नहीं था। और वे हथियारों से लैस चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर-सके हमने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अपने देश का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है जिस पर आक्रमण करने वाली चीन की सेना ने कब्जा कर लिया।

महोदय, मैंने वर्तमान लोक सभा में संसद सदस्य के रूप में चार वर्ष से अधिक समय पूरा किया है। मुझे यह नोट करते हुए दु:ख होता है कि भारत के किसी भी रक्षा मंत्री ने इस सम्माननीय सभा में यह घोषणा नहीं की है कि चीन ने हमारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और हमें इसे खाली करवाना है।

चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश के मामले के संबंध में हमें डरा-धमका रहे है। वे हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। परन्तु सरकार इस मुद्दे पर शांत है। वह चीन से घबराती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें अपने देश के आस-पास सुरक्षा संबंधी माहौल पर नजर रखनी चाहिये। यदि हमारे सशस्त्र बल कमजोर है तो हम अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते है। आंतरिक सतर्कता स्वतंत्रता का मोल हैं। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के समय सेना पर सेना जीपों की खरीद से संबंधित घोटालों के आरोप लगाये गये। उस समय रक्षा संबंधी तैयारी कुछ भी नहीं थी। अत: महोदय, मैं माननीय सदस्य मोहन सिंह के सुझाव से सहमत हूं कि सेना हेतु शस्त्रों तथा शस्त्र प्रणाली की खरीद हेतु एक पृथक समिति होनी चाहिये। इस प्रकार की सभी खरीदों में पारदर्शिता होनी चाहिये। सेना में जवाबदेही होनी चाहिये। मुझे आशा है कि रक्षा मंत्रालय इस मामले पर गौर करेगा।

महोदय, शारीरिक रूप से स्वस्थ नवयुवकों को सेना में शामिल किया जाना चाहिये। दुर्भाग्य से सेना की भर्ती नीति दोषपूर्ण है। वर्तमान नीति बताती है कि प्रत्येक राज्य से सेना में नवयुवकों का केवल निर्धारित प्रतिशत ही भर्ती हो पाता है। सेना पंजाब से केवल 2% सैनिकों की ही भर्ती कर सकती है। स्वतंत्रता से पूर्व पंजाबी लोग भारतीय सेना में 26% तक हुआ करते थे। अब उनकी भर्ती को बहुत ज्यादा कम करके 2% तक कर दिया है। वे व्यक्ति जो उस लड़ाकू (युद्धप्रिय) वर्ग से आते है, की भर्ती नहीं की जा रही है। यदि आप सेना में डरपोक तथा कमजोर लोगों की भर्ती करते है तो किस प्रकार से सेना युद्ध जीतेगी तथा हमारी सीमाओं की रक्षा करेगी? वे व्यक्ति जो गरीब है परन्तु शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है को सेना में भर्ती किया जाना चाहिये। वर्तमान भर्ती नीति काफी दोषपूर्ण (त्रुटिपूर्ण) है। अथवा इसके अतिरिक्त आपको सेना में आरक्षण प्रदान करना चाहिये। सेना में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण की तर्ज पर हष्ट पुष्ट गरीब लोगों को आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये...*(व्यवधान)*

मैं सेना में शारीरिक रूप से स्वस्थ गरीब लोगों की भर्ती का समर्थन करता हूं। मेरी मांग में क्या गलत है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छठे वेतन आयोग ने हमारे सशस्त्र बलों का उत्साह भंग कर दिया है। यह हमारे सशस्त्र बलों हेतु बहुत बड़ी निराशा के रूप में आया है। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया ने सशस्त्र

---

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

बलों के अधिकारियों तथा कार्मिकों में व्याप्त असंतोष को सही ढ़ग से उजागर किया है। यदि बहुत ही कम वेतन दिया जाता है तो असंतोष सही है। वे व्यक्ति जिन्होंने आतंकवादियों तथा पृथक्तावादियों के विरूद्ध लड़ाई लड़ने में अपनी जाने गंवा दी हैं को अच्छा वेतन दिया जाना चाहिये। सशस्त्र बल ज्यादा वेतन के हकदार है। थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना में अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग कर रहे है। निजी क्षेत्र उन्हें अच्छा वेतन देते है। कारपोरेट घराने हमारे अधिकारियों को सशस्त्र बलों से दूर कर रहे है। सरकार को समय नहीं गंवाना चाहिये और हमारे सैनिकों तथा अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करनी चाहिये। केवल इतना ही नहीं, अपितु सरकार को अवश्य ही हमारे सैनिको तथा अधिकारियों के परिवारों की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ोसी देशों में सुरक्षा माहौल ठीक नहीं है। हमने पाकिस्तान के विरूद्ध वर्ष 1948, 1965 तथा 1971 में तीन युद्ध लड़े। हमने पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाने का भरसक प्रयास किया। परन्तु पाकिस्तान ने हमेशा ही हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। महोदय, हमें अवश्य ही बातचीत के माध्यम से अपने सभी विवादों का निपटारा करना चाहिये। परन्तु हमें दृढ़ता से अपनी बात रखनी चाहिये। कोई भी व्यक्ति कमजोर आदमी की बात नहीं सुनता है। केवल एक मजबूत देश ही उत्साही (उग्र) पड़ोसी देशों के साथ समुचित ढंग से डील कर सकता है।

महोदय, सियाचिन में तथा करगिल में पाकिस्तान की सेना ने हमारी शिष्टता का फायदा उठाया और पहाड़ के प्रमुख स्थलों पर कब्जा कर लिया। हमारे सशस्त्र बलों के बहुत सारे सैनिक घुसपैठियों को बाहर निकालने के प्रयास में हताहत हुए। इसलिये मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह हमारी सशस्त्र बलों को मजबूत और सतर्क रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीमावर्ती क्षेत्र से हूं। सैनिक युद्ध के दौरान किसानों की जमीन को अपने कब्जे में ले लेते है। शांति के दौरान भी सेना अभ्यास करती है। यह किसानों की जमीन पर बारूदी सुरंग बिछाती है। गरीब किसानों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह गरीब किसानों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान करे।

महोदय, संकट के समय सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग हमारी सेनाओं को सभी प्रकार की मदद प्रदान करते है। हमारी महिलायें युद्ध के दौरान सैनिकों के लिये भोजन भी बनाती है। सैनिक हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते है। हमें अवश्य ही उनका ध्यान रखना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ड्रग्स बेहोश करने वाले पदार्थों तथा मादक द्रव्यों की हमारी विशाल सीमाओं के माध्यम से देश में तस्करी हो रही है। यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिये खतरा है। सशस्त्र तथा अर्द्ध-सैनिक बलों को हमारे देश के शत्रुओं को विफल करने के लिये सतर्क रहना चाहिये।

महोदय, 'एक पद एक पेंशन' से संबोधित भूतपूर्व सैनिकों की एक लंबित मांग है। मैंने पिछले 4 वर्षों से बार-बार इस सम्माननीय सभा में इस मामले को उठाया है। तथापि सरकार ने इस मामले में केवल झूठे आश्वासन दिये है। सशस्त्र बलों की यह उचित (सही) मांग है। सरकार को अवश्य ही भूतपूर्व सैनिकों के साथ किये जा रहे अन्याय को खत्म करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में रक्षा मंत्रालय हेतु और ज्यादा धन प्रदान किया जाना चाहिये। हमारे समक्ष बहुत सारी चुनौतियां है। हमारे पड़ोसी देशों में सुरक्षा माहौल को खराब (विकृत) किया गया है। इस प्रकार के परिदृश्य में हमें किसी भी स्थिति से निपटने हेतु अपनी सशस्त्र बलो को अवश्य ही मजबूत करना होगा।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अनपार्लियामेंट्री शब्द यूज किया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आदरणीय नेता डा. एम. कलाइगनार करूणानिधि की अध्यक्षता वाली अपनी पार्टी डी.एम.के की ओर से रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आप का बहुत धन्यवाद करती हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए]

महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं लेकिन इसके साथ ही मैं देश के सशस्त्र बल कार्मिकों की स्थिति के संबंध में कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूं। सर्वप्रथम, मैं इस सम्मानित सभा में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती हूं कि डा. एम. कलाइगनार करूणानिधि के

[श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन]

सफल शासन में तमिलनाडु राज्य में केवल शांति और समृद्धि है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं शांति के प्रदेश अर्थात तमिलनाडु से हूं लेकिन मुझे इस बात पर सन्देह है कि क्या भारत के सभी राज्यों में ऐसी ही स्थिति है।

महोदय, हमारे महान तमिल कवि तिरूवल्लुवर ने अच्छी सेना के बारे में निम्नलिखित दोहा रचा है:-

''तरतंगी सेल्वाधु तनाप तलाइवन्ता पोरतांगुम तन्मय अरिन्तु''

इस दोहे का अर्थ यह है कि शत्रु सेनाओं की स्थिति को समझते हुए अच्छी सेना हमेशा शत्रु, को खदेड़ते हुए आक्रामक मुद्रा में रहती है। हमारी सशस्त्र सेनाएं भी ठीक इस दोहे की तरह हैं। लेकिन इसके साथ ही मुझे शंका है कि क्या हमारे देश में हमारे सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए सभी कल्याणकारी और सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। इसलिए में मांग करती हूं कि हमारे रक्षा कार्मिकों के कल्याण हेतु कुछ सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं।

इस स्थिति में मैं इस सम्मानित सभा को अपने घर में हुई एक दुखद घटना के बारे में बताना चाहती हूं। एक लम्बे अंतराल के बाद मैं अपनी नौकरानी के साथ कल शाम को ही दिल्ली आई थी। जब मैं अपने घर गई तो मैं यह देखकर स्तब्ध रह गई कि किसी चोर ने सभी दरवाजे तोड़ दिए थे और कुछ चीजें चुरा ली थी। यदि इस देश में संसद के एक माननीय सदस्य को दी गई सुरक्षा का यह हाल है तो गरीब आम लोगों को दी गई सुरक्षा कैसी होगी? इस लिए मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि सभी संसद सदस्यों विशेषकर महिला संसद सदस्यों के आवासों के आस-पास कुछ अच्छे सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं।

महोदय, हमें अपने सशस्त्र बल कार्मिकों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तभी वे प्रसन्न रहेंगे, वे बहुत सतर्क रहेगें और पूरी लगन के साथ देश की सेवा करेंगे।

हमें रक्षा कार्मिकों के लिए और अधिक कल्याणकारी उपाय करने चाहिए क्यों कि वे अपनी जान को जोखिम में डाल कर शत्रुओं का सामना करते हुए जो नेक सेवा कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें कम वेतन दिया जाता है।

हम सभी जानते हैं कि समाचार पत्रों में इस बात की अत्यधिक आलोचना हुई है कि छठे वेतन आयोग ने पी.ओ.डब्ल्यू के वरिष्ठ लोगों और अधिकारियों जो देश के लिए लड़ने वाली वास्तविक सेना होती हैं, की वेतन वृद्धियों की अनदेखी की है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और सीधे कमीशन के माध्यम से आने वाले अधिकारियों की संख्या में कम सुविधाओं और पदोन्नतियों में गत्यारोध के कारण कमी आई है। इसलिए रक्षा मंत्रालय को इस बात पर और अधिक ध्यान देना चाहिए।

दुर्गम स्थानों पर तैनाती और कम सुविधाओं के कारण 95% से भी अधिक रक्षा कार्मिक अपने बच्चों को रक्षा सेनाओं में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर कौशल प्राप्त औसत छात्रों को बहुत मोटा वेतन मिल रहा है जबकि रक्षा बलों, जो देश की रक्षा के लिए कठिन कार्य कर रहे है, में किसी अन्य संगठन की अपेक्षा चयन का अधिक कठिन मानदण्ड होता है और इसके बावजूद उनको कम वेतन दिया जाता है।

हमें इस कारूणिक सच्चाई पर शर्म आनी चाहिये कि बाध्यकारी सैन्य नियमों, कम वेतन और सुविधाओं तथा काम के अधिक दबाव के कारण अधिकांश आत्महत्याएं रक्षा सेवाओं में होती हैं। उनका सैन्य सेवा वेतन बहुत कम है। तुलनात्मक रूप से देखें तो एक सैनिक को 15 से 20 वर्ष की सेवा करने पर केवल 4000 रुपये की निवल वेतन वृद्धि मिलती है। यदि सातवें वेतन आयोग के गठित होने तक अगले दस वर्षों के लिए इसी वेतनमान की गणना की जाये तो यह राशि बहुत कम बैठती है।

इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि यदि उनकी वेतन वृद्धि पर कोई विचार नहीं किया जाता तो कम से कम सभी रक्षा कार्मिकों को आय कर से छूट प्रदान की जानी चाहिए। हम जितना कम वेतन देंगे उतने ही कम अधिकारी और जबान सेना में भर्ती होंगे। हमें पश्चिमी देशों में रक्षा कार्मियों की स्थितियों को भी देखना चाहियं जहां लोग रक्षा सेवाओं में काम करने पर गर्व करते हैं जबकि हमारे देश में किसी व्यक्ति को बाहरी दुनिया से यह बताने में शर्म आती है कि वह रक्षा सेवा में कार्यरत है क्योंकि उसको बहुत कम वेतन मिलता है।

रक्षा सेवाओं के लोग सेना की कैन्टीन से कम मूल्य पर चीजें खरीद सकते हैं। जब रक्षा सेवाओं के लोगों को हम कम वेतन दे रहे हैं तो उन्हें मुफ्त में चीजें उपलब्ध क्यों नहीं करवाई जाती? इसलिए आप उनको यह सुविधा दे सकते हैं। सेवा निवृत्त रक्षा कार्मिकों को निःशुल्क घर प्रदान किए जाएं। वह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

रक्षा सेवाओं के लोग अधिकांशतः दुगम स्थानों पर तैनाती और इस प्रकार के अन्य कारणों को लेकर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। हमें उनको योग का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा है कि रक्षा कार्मिकों को दी जाने वाली वर्दियां अच्छी नहीं होती और उन्हें अपने लिए उपयुक्त वर्दियां खरीदने के लिए बाजार में जाना पड़ता है। बात यह है कि वे देश के लिए कार्य करते हैं लेकिन उनकी देखभाल ठीक से नहीं की जाती। इसलिए हमें रक्षा कार्मिकों के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिएं।

महोदय, महान तमिल कवि तिरूवल्लुवर ने तमिल में बहुत सुन्दर वर्णन किया है कि एक अच्छी सरकार निम्न प्रकार की होनी चाहिए:-

"इयात्रालुम इएतालुम का था तालुम काक्का वागुथ्थालुम वल्लाथरासु"

इसका अर्थ यह है कि, "एक महान राजा सार्वजनिक हित में राज्य के खर्च पर समान वितरण हेतु धन अर्जित करने, उसका विकास और उसकी रक्षा करने में समर्थ होगा? इसलिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यशस्वी प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह और मैडम सोनिया गांधी के कुशल नेतृत्व में देश के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य कर रही है। हमने किसानों के 60,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए हैं और हम महंगाई को कम करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं।

निःसन्देह माननीय रक्षा मंत्री बहुत ही अच्छे विख्यात, सुयोग्य और वरिष्ठ व्यक्ति हैं और वे रक्षा कार्मिकों के विकास हेतु बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।

इसके साथ ही रक्षा कार्मिकों की शारीरिक और मानसिक दोनो स्थितियों तथा उनके जीवन का गंभीरता से ध्यान रखा जाना चाहिये और रक्षा कार्मिकों के संबंध में सभी कल्याणकारी उपाय किए जाने चाहिए क्यों कि रक्षा कार्मिक हमारे महान देश भारत की रक्षा कर रहे हैं।

मैं यह बता देना चाहती हूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलाइगनार तमिलनाडु के लोगों के लिए सभी अच्छे कार्य कर रहे हैं और कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। यह सब शांति और समृद्धि के लिए हैं। इसलिए जिस प्रकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया है, उसी तरह विशेष रूप से रक्षा कार्मिकों, जो हमारे देश का दिल हैं, के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएं।

मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, हम रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हैं। मेरे विचार से सभा हमेशा बड़े उत्साह के साथ रक्षा बजट का समर्थन करती है क्योंकि हमारी स्वाधीनता और स्वतंत्रता तथा हमारे क्षेत्र की सीमाओं की सुरक्षा करने में भी हमारी सेना हमारे रक्षा बलों के काम काज पर हमें बेहद गर्व हैं।

वास्तव में रक्षा बजट हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दो प्रतिशत है। जोर शोर से यह मांग की जा रही है कि इसे बढ़ाकर तीन प्रतिशत किया जाए। लेकिन यदि आप आवंटित बजट को खर्च करने में सरकार के कार्य निष्पादन को देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह सन्तोषजनक नहीं है। यह बहुत सारा धन नहीं खर्च कर सकी और इसने स्थायी समिति द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का भी समर्थन नहीं किया कि अव्यपगतनीय निधि का सृजन किया जाए। मैं नहीं जानता कि इसने इस प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं किया। जब मंत्रालय को प्रदान की गई इतनी सारी निधियां व्यपगत हो रही हों, क्योंकि वह इसे खर्च नहीं कर सकता। तो पर इस प्रस्ताव पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये था लेकिन मंत्रालय ने उसका जवाब नहीं दिया।

मुझे नहीं लगता कि रक्षा खर्च के मामले में हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिये। पहली बात तो यह है कि हमारा देश शांति और विकास को समर्पित हैं। इसलिए शायद इस बात की आवश्यकता है कि आवंटित निधियों को कारगार एवं सार्थक ढंग से खर्च किया जाना चाहिये ताकि रक्षा बलों को सतर्क और अच्छी स्थिति में रखा जा सके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें किसी प्रकार की हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिये और यह भारत के लिए ठीक भी नहीं है। लेकिन कुछ नीतिगत मुद्दों पर मंत्री जी द्वारा थोड़ा प्रकाश डाले जाने की आवश्यकता है।

अब आप बंगाल की खाड़ी में हुए नौसैनिक अभ्यास को ही लीजिए जिस पर देश में बहुत विरोध हुआ और यहां तक कि विश्व ने भी इसे शक की दृष्टि से देखा। इसका सीधा सा कारण यह है कि विभिन्न देशों के सहयोग से सैन्य अभ्यास भारत के समुद्री तट अथवा अन्य देशों के समुद्री तट पर होते थे। यह एक सामान्य बात है जो नौसेना करती है। लेकिन इस विशेष मामले में पहली

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

बार हम बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं यही नहीं हम यह अमेरीका, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान के सहयोग से कर रहे हैं। चीन ने इसका वर्णन दक्षिण नाटों के आविर्भाव के रूप में किया है। मैं यह नहीं कहता कि वे ठीक हैं लेकिन हमने ऐसा क्यों किया। इसकी क्या जरूरत है? मैं भारत द्वारा अन्य देशों के साथ किये जा रहे नौसैन्य अभ्यास के खिलाफ नहीं हूं लेकिन उसे इस ढंग से और ऐसे देशों के समूह के साथ अभ्यास नहीं करना चाहिए जिससे उस अभ्यास का पूरे विश्व द्वारा अलग अर्थ निकाला जाये।

इसलिए मेरे विचार से इस पर सरकार को थोड़ा स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, रक्षा उत्पादन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें भी नीतिगत मामला अंतर्ग्रस्त है। रक्षा उत्पादन एक ऐसा क्षेत्र है जो पंडित नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में सरकारी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आरक्षित था। बाद में इस में बदलाव आया। सरकारी क्षेत्र ने निजी क्षेत्र को भी इस में आने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब हम रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान करके इसे खोल रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं जिससे हमारी सुरक्षा को कुछ हद तक खतरा है। हम विभिन्न देशों के हाल ही के अनुभवों के बारे में जानते हैं। उस समय इसके बारे में विभिन्न लेख और पुस्तकें लिखी गई थी जब चिली की सरकार को सी.आईए. के हस्तक्षेप से गिरा दिया गया था। दूरभाष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके बारे में बहुत से लेख और पुस्तकें लिखी गई थी। यहां तक कि सी.आई.ए. के लोगों ने कहा था, हां, इसमें यह शामिल था।

अब हम इस खेल को रक्षा क्षेत्र के और अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में खेल रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रहे हैं जो कि अब 26 प्रतिशत है। मुझे लगता है कि आप इसमें और अधिक वृद्धि करने की अनुमति दे रहे हैं। इसलिए इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष एक और पहलू लाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर पूरा देश एक है। इस पर कोई मतभेद नहीं है। लेकिन यह किस प्रकार प्रशासित किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। बहुत से भ्रष्टाचार के मामले और प्रकरण चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह आपके कार्यकाल में हुआ है। कारगिल युद्ध के दौरान सैन्य खरीदो के संबंध में ताबूतों की खरीद का बदनाम सौदा हुआ। हम बोफोर्स के पुराने मामले के बारे में भी जानते हैं। ये ऐसे मामले हैं जो लम्बे समय से लंबित पड़े हुए हैं। वे इतने लम्बे समय से लंबित क्यों पड़े हुए हैं? अत: मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह इसकी जांच करे और इनका निपटारा करे। यदि मामले में सच्चाई न हो तो इसको निपटा दिया जाए। यदि मामला गंभीर हो और अपराधियों का पता चल जाए तो उनको दण्डित करो। लेकिन यह बुरी बात है कि मामले दशकों से लटक रहे हैं।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट के निष्कर्ष का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें धन खर्च करने और रक्षा की परिसंपत्तियों से निबटने में अक्षमता के बारे में कहा गया है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। आप सभी ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पढ़ी होगी। इनकी परिसंपत्ति का उचित रख रखाव करने के लिए एक क्लब सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुछ जमीन अवैध रूप से रखी जा रही है। लगभग छह से तीस वर्षों से मामला चल रहा है और कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भूमि किसी क्लब के पास है; कुछ भूमि किसी शैक्षणिक संस्थान के पास है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने हैरानी व्यक्त की कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से अक्षमता और भाई भतीजावाद की ओर संकेत किया गया है। कुछ भी हो यह बहुत आदर्श बात नहीं है।

समान रूप से महत्वपूर्ण एक और पहलू जिसके बारे में विभिन्न माननीय सदस्यों ने बोला है और जिसके संबंध में हमारे मंत्री जी भी चिंतित हैं, वह है सैन्य कर्मियों द्वारा आत्महत्या किया जाना।

लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह केवल मनोवैज्ञानिक विकृति अथवा उस जैसी कोई चीज अन्य नहीं है जैसा कि कुछ लोगों ने इसका वर्णन करने की कोशिश की है। इसका प्रशासनिक कारण भी हो सकता है। कुछ मामलों में अधिकारियों पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। यह स्पष्टीकरण दिया गया कि उसने छुट्टी मांगी थी; उसकी स्थिति गंभीर थी और छुट्टी की आवश्यकता उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अधिकारी ने असहानुभूतिपूर्ण और अमानवीय रूख अपनाया और उसने अधिकारी की हत्या कर दी है। कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप हमेशा कह सकते हैं कि लाखों लोग सेना में काम करते हैं। आत्महत्या

की घटनाएं एक प्रतिशत या इससे भी कम हो सकती हैं। लेकिन यह काला धब्बा है। इसके लिए स्पष्टीकरण दिये जाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए बल्कि विशेषकर जवानों के निचले स्तर पर होने वाली ऐसी घटनाओं के कारणों का पता लगाने और रक्षा बलों के माथे पर लगे कलंक को मिटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि श्री एंटनी ने पद ग्रहण करने के बाद अधिकारियों से चर्चा की और कोई तंत्र स्थापित किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह तंत्र अभी भी काम कर रहा है या नहीं।

अब लिंग असमानता का एक प्रश्न है। एक दुखद मामला प्रकाश में आया है। मंत्री महोदया भी स्वीकृति में अपना सिर हिला रही हैं। कुछ अधिकारियों, स्पष्टत: महिला अधिकारियों ने इस व्यवहार के विरुद्ध शिकायत की लेकिन उनकी शिकायत का निष्पक्ष रूप से समाधान नहीं किया गया। इस प्रकार हम इसे तभी समझते हैं जब हम इसके बारे में पढ़ते है क्योंकि सेना गोपनीयता के पर्दे से घिरी रहती है। इसलिए हम वही समझेंगे जो समाचार पत्रों में लिखा है। लेकिन मैं मंत्री जी से उस मामले की गंभीरता पूर्वक जांच करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण बात है कि सेना में महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अथवा उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए जिसमें लिंग आधारित असमानता की बू आती हो। यह अच्छी स्थिति नहीं है।

तत्पश्चात मुझे लगता है कि सदस्यों ने कुछ कार्य निष्पादनों के विषय में उल्लेख किया है। एडमिरल गोर्शकोव नामक विमान वाहक जिसका माडल पुन: तैयार किया जायेगा और जिसे रूस से लाया जायेगा, के सौदे के बारे में स्थायी समिति के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है। हमने सोचा कि जब वर्ष 2008 तक एडमिरल विराट को बेड़े से हटा दिया जायेगा तो उसका जलावतरण होगा विराट को बेड़े से हटाना निश्चित है। जब तक सरकार का हाल ही का वायदा कि उसे नया जीवन दिया जाएगा, पूरा नहीं किया जाता तब तक ऐसा नहीं होगा। जो अन्य जहाज आना था उसके बारे में आप अब कहते हैं कि यह 2010 में मिल सकता है। लेकिन यह बात पक्की है या नहीं कोई नहीं जानता। इसलिए यह जानकारी मिलनी चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह मामला गंभीर है।

उसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोच्चि शिपयार्ड में आप वायु रक्षा पोत का विर्माण कर रहे हैं। इसको इन्हीं दिनों में चालू किये जाने की सम्भावना थी। लेकिन लगता है कि इसमें भी विलम्ब हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? यदि इस विलम्ब को नजर अंदाज कर दिया जाए और एडमिरल विराट जहाज को बेड़े से हटा दिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि हमें अपनी नौ सैन्य-रक्षा के साथ समझौता करना पड़ेगा। यह अपेक्षा की जाती है कि एक जहाज बंगाल की खाड़ी और दूसरा जहाज हिन्द महासागर में होगा। यह बात हमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बताई है लेकिन हो यह रहा है कि हमारे सामने ऐसी स्थिति आ रही है कि जिसमें इनमें से कोई भी जहाज वहां नहीं होगा। विराट जहाज जो वहां है, उसको बेड़े से हटा दिया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस संबंध में भी स्पष्टीकरण दिये जाने की आवश्यकता है।

अब तट रक्षक बल सेना का अच्छा अंग है और यह हमारी लम्बी तट रेखा की रक्षा कर रहा है। यह सराहनीय सेवा कर रहा है।

इसमें कोई शक नहीं है। हम सभी तट रक्षक बल के कार्य से प्रसन्न हैं। लेकिन हाल ही की कुछ रिपोर्ट विशेषकर केरल के बारे में रिपोर्ट चिन्ताजनक हैं। दो तरह की रिपोर्ट आई हैं। एक यह है कि लिट्टे ने तमिलनाडु के रास्ते केरल में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर ली है। इसमे तमिलनाडु का कोई दोष नहीं है। वे तमिलनाडु के रास्ते आए और वाइपिन द्वीप में कोच्चि के पास केरल तट पर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। नाव का निर्माण करने वाले स्थानीय लोगों की सहायता से उनके पास अपना स्वयं का शिपयार्ड है। यह बहुत चौंका ने वाली बात है। विशेषकर उस क्षेत्र में लिट्टे का खतरा गंभीर हो जाने के बाद हमारी समस्त रक्षा तैयारी के बावजूद ये लोग कैसे घुस गये? उन्होंने नाव का निर्माण करने वाले लोगों के साथ सौदेबाजी की न कि शिपयार्ड बनाने वालों से ...*(व्यवधान)*

महोदय अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिसमें आपकी भी रूचि है लिट्टे को हमारे तटीय क्षेत्र में घुसने और सैन्य प्रयोजनों हेतु अपनी नौकाओं को चालू करने के लिए नौवा निर्माण करने वाले हमारे लोगों के साथ मिलीभगत करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये। किसी न किसी कारण से हम वहां सब नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था।

अंत में, अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। छठे वैतन आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही स्वागत योग्य भाषण दिया है जिन्होंने रक्षा बलों सैन्य और असैन्य दोनों को यह आश्वासन दिया है कि उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है यदि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका आश्वासन देते हैं। मैं महसूस करता हूं कि आश्वासन को क्रियान्वित किया जाएगा।

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

लेकिन रक्षा बलों की वेतन संबंधी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। पेंशन संबंधी लाभों को ही लीजिए। 20 लाख भूतपूर्व सैनिक और 4.6 लाख भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं हैं। उनकी वर्तमान स्थिति बहुत दयनीय है। विभिन्न प्रकार की पेंशन संबंधी सुविधाएं मौजूद हैं। मुझे यह कहना होगा कि और अधिक मानवीय और उदार दृष्टिकोण अपनाकर सभी प्रकार की सुविधाओं की जांच की जानी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान भी ढूंढा जाना चाहिये।

महोदय, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं इस चर्चा में उठाना चाहता हूं। मैं सरकार को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि हमारे रक्षा बलों और देश के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में बोलने हेतु खड़ा हुआ हूं। यह एक संयोग है कि आज पृथ्वी दिवस भी है और मैं नौसेना तथा तटरक्षक बल की प्रशंसा करता हूं क्योंकि वे हमारे तटीय क्षेत्र को स्वच्छ रखने का महान कार्य करते है। उनके पास करने के लिये अन्य कार्य हैं परन्तु यह कार्य भी उनकी नौकरी का एक हिस्सा है। पृथ्वी दिवस पर मैं वास्तव में उनकी प्रशंसा करता हूं कि वे हमारे तटीय क्षेत्र जो कि बहुत बड़ा है को प्रदूषण मुक्त तथा स्वच्छ रखते है।

महोदय, इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है और मुझे यहां पर अवश्य ही यह कहना चाहिये कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 60 वर्षों के दौरान रक्षा बलों ने काफी बड़ा योगदान किया है। और हमें उन पर गर्व है। इसके साथ-साथ हमें अवश्य ही यह भी कहना चाहिये कि अर्द्धसैनिक बलों तथा रक्षा बलों ने बहुत बड़ा तथा प्रशंसनीय कार्य किया है और हमें वास्तव में उस पर गर्व है।

मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने पहले ही अधिकांश मुद्दों पर चर्चा की है। उनमें से एक मुद्दा छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के बारे में है जिसका उल्लेख प्रत्येक माननीय सदस्य ने किया है। यहां पर मैं उल्लेख करता हूं तथा मैं यह नोट करके प्रसन्न हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया है और यह कहा कि इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि सशस्त्र सेना एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिये।

अपराह्न 4.00 बजे

इसके साथ ही, मैं माननीय रक्षा मंत्री के समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री को अवश्य ही यह बतायें कि आज जिस समीक्षा समिति की बात की जा रही है, वह पुन: नौकरशाहों की बनने जा रही है, जिसमें वे अपने ही प्रतिनिधि रखना चाहेंगे। यदि यह पुन: नौकरशाहों की बन गई तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका झुकाव नौकरशाहों की तरफ ही होगा। क्योंकि इसकी समीक्षा वही मुख्य लोग कर रहे हैं जो छठे वेतन आयोग में शामिल थे। अत, इसमें व्यापक भागीदारी होनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज एक कर्नल अपनी सेवा के 15 वर्ष के पश्चात् उस वेतन, जिस पर उसने अपनी नौकरी शुरू की थी, से केवल 15,000 रुपये अधिक प्राप्त कर रहा है। जब वह एक अधिकारी बनता है तो उसे 30,000 रुपये मिलते है और 15 वर्ष की सेवा के पश्चात् उसे केवल 45,000 रुपये मिल रहे है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यह एक खेदजनक बात है और हमें अवश्य ही इसे ठीक करना चाहिये।

आज हर चीज बदल गई है। हमारी युद्ध प्रणाली परंपरागत नहीं रही है तथा यह वैसी नहीं रही है जैसी हुआ करती थी और युद्ध प्रणाली की चौथी पीढ़ी में चीजें परम्परागत युद्ध प्रणाली से भिन्न हो गई है। आपको वास्तविक प्रौद्योगिकी, बेहतर शस्त्रागार तथा हथियारों की आवश्यकता है ताकि एक छोटा सा समूह अनेक लोगों पर नियंत्रण रख सके। ऐसा करने के लिये अधिकारियों की सोच की भी आवश्यकता है। यदि अधिकारियों की सोच की आवश्यकता है तो हमें ऐसी सोच वाले अधिकारी चाहिये और यदि हमें ऐसी सोच वाले अधिकारी चाहिये तो हमें उन्हें अच्छा पैसा भी देना होगा। मैं यहां पर यही बात रखना चाहता था।

महोदय, रक्षा बजट अच्छा है किन्तु हमें रक्षा पर खर्च किये जा रहे जी.डी.पी. के दो अथवा तीन प्रतिशत के बारे में ही बात नहीं करनी चाहिये, यदि हम इसे खर्च नहीं कर सकते है। जब हम जी. डी.पी. के इस दो अथवा तीन प्रतिशत को खर्च नहीं कर सकते है, तो हम इसे चाहे पांच प्रतिशत कर दे और यह अप्रयुक्त पड़ा रहे तो इसका कोई लाभ नहीं है। अत: ऐसे मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि आप इस पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे है तो एक बात यह है कि 25 वर्ष पहले बोफोर्स का एक मुद्दा हमारे सामने आया था। मैं यहां यह बात कर रहा हूं कि किसने धन लिया, धन कहां गया और क्वात्रोची कौन है, मेरी इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है। परन्तु बोफोर्स मुद्दे की छाया अभी भी हम पर है। यही

कारण है कि हम धन खर्च करने में सक्षम नहीं है। यह चिंताजनक बात है कि 25 वर्ष के पश्चात् भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में लोग और अंतर्राष्ट्रीय विक्रेता भारत से बचते रहते है क्योंकि वे यह महसूस करते है कि यहां पूछताछ की जायेगी, निविदाओं को दुबारा मांगा जायेगा। आप इसे सही ढंग से क्यों नहीं कहते कि हमें संपूर्ण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है? सभी राष्ट्र पर्याप्त खरीद करते है। भारत हथियारों का बहुत बड़ा खरीददार है। जब हमारे पास बहुत सारा धन है जो युद्ध सामग्री पर खर्च किया जा रहा है तब हमारे पास ऐसी प्रणाली क्यों नहीं है जिसकी हम आस्ट्रेलिया अथवा अन्य देशों, जो खरीददारी भी कर रहे है, से नकल कर सकें ताकि हमारे पास ऐसी प्रणाली हो जो पारदर्शी तथा अच्छी हो? अन्यथा, हम पिछड़ जायेंगे। हमारे पास जो धन है उससे हम उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं यह अवश्य ही कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में इस कारोबार में बिचौलिये है। अनेक कंपनियां तथा सरकारे इससे बहुत सारा धन कमाती है। यदि वे इससे बहुत सारा धन कमा रहे है तो हमारे पास भी इसी तरह की एक प्रतिनिधित्व प्रणाली होनी चाहिए जैसी कि हमारे पास अन्य क्षेत्रों, विषयों अथवा मंत्रालयों में है। हमारे पास विद्युत मंत्रालय में इस प्रकार की प्रणाली है। हमारे यहां यह प्रणाली क्यों नहीं है और हम ऐसे लोगों की पहचान क्यों नहीं करते जो इस कार्य को कर सकते हैं।

इस कारोबार में लगे अंतर्राष्ट्रीय लोग भारतीयों के साथ कारोबार करना नहीं चाहते। इसलिए, हमें सबसे अच्छे उपकरण नहीं मिलते। इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

एक अन्य मुद्दा सी.डी.एस. के संबंध में है। आज, सभी देशों में सी.डी.एस. प्रणाली लागू है। हमारे यहां यह प्रणाली लागू क्यों नहीं है? यदि हमारे यहां सी.डी.एस. प्रणाली लागू हो जाये तो यह समन्वित युद्धप्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि एक विभाग अथवा एक एजेंसी से दूसरे विभाग अथवा एजेंसी को सहयोग नहीं मिलता अर्थात यदि नौसैना, वायुसेना तथा थलसेना के साथ सहयोग नहीं कर रही है तो समस्यायें उत्पन्न होगीं। हमने इसे उस समय देखा है जब हमने सुनामी का सामना किया था। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप में सी.डी.एस. प्रणाली लागू थी और मैं प्रशंसा करता हूं तथा इस बात का उल्लेख करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था क्योंकि उस छोटे से द्वीप में सी.डी.एस. प्रणाली लागू थी। यदि वहां सी.डी.एस. प्रणाली लागू नहीं होती तो मेरे विचार से हम उस चीज को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते जिसे हमने अण्डमान में सुनामी के पश्चात् प्राप्त किया है।

मैं वास्तव में इसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं परन्तु आज सेना प्रमुख का चयन भी बहुत सारे विवादों में घिरा हुआ है। यहां पर इसका उल्लेख करना सही नहीं है और मैं उनके नाम नहीं लूंगा। परन्तु सेना प्रमुख ने वक्तव्य दिये हैं और वह यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह उससे चिंतित नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति लेने चाहिये तथा हमारे पास सर्वश्रेष्ठ प्रणाली होनी चाहिये। आज मैं देखता हूं कि प्रणाली में किसी प्रकार की विसंगति या खामी के कारण महीने में किसी तिथि को सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को लेखा सुविधा प्रयोजनार्थ महीने की अंतिम तिथि को सेवानिवृत्त किया जाता है। परन्तु वास्तव में चयन में हुआ यह है कि कोई सेवानिवृत्ति हुई है और लेखा प्रणाली का अनुसरण करने की बजाए आप लोगों ने उस व्यक्ति को सेवानिवृत्त कर दिया है जो आई.एम.ए. में 'गार्ड आफ ऑनर' में प्रथम था और जिसकी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन.डी.ए.) में मेरिट थी।*

श्री के.एस. राव (एलूरू) : महोदय, मैं रक्षा बजट की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं अपनी बात रक्षा सेनाओं को नमन करते हुये आरंभ करूंगा जो हमारी स्वतंत्र प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में बलिदान दे रहे हैं।

वे जो सेवा कर रहे हैं और जो बलिदान दे रहे हैं उसको हम पैसे से नहीं माप सकते। मेरा विचार है कि हमें रक्षा सेनाओं के वेतनमानों में भारी वृद्धि करनी होगी। मैंने बजट में प्रावधान देखा है। वेतन में वृद्धि भी 10 प्रतिशत से कम है। हम जानते हैं कि खासकर मध्यम वर्ग और निश्चित आय वाले लोगों के काम के दृष्टिगत कीमतों में होने वाली वृद्धि, जीवन स्तर बनाये रखने में लगने वाली लागतें वास्तव में बहुत अधिक हैं, यद्यपि यह सूचकांक में नहीं दिखाई पड़ता।

जब माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया तो उससे यह भी देखने में आया है कि 11,000 अधिकारियों और अन्य कर्मियों की कमी है तथा रक्षा सेनाओं में ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, जबकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले हमें सेना में भर्ती होते हुये गर्व महसूस होता था। किंतु वर्तमान में, हर कोई सोचता है कि रक्षा सेनाओं की अपेक्षा

*अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री के.एस. राव]

कार्पोरेट क्षेत्र में बेहतर जीवन हो सकता है। स्पष्टत:, इसका अर्थ है कि उत्साहवर्धन नहीं किया जा रहा है। बात 1,05,000 करोड़ रु. की राशि की नहीं है जो उन्होंने रक्षा क्षेत्र को आवंटित की है जिससे हमारी स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। लोगों में यह भावना अथवा तीव्र इच्छा होनी चाहिये कि वे भी एक पक्ष अथवा सदस्य बनें और देश की रक्षा बलों की शक्ति बढ़ाने में योगदान दें ताकि मुश्किल से हासिल की गई स्वंतत्रता और प्रभुसत्ता की रक्षा की जा सके। यह केवल तभी संभव है कि जब खासकर विद्यार्थी स्तर पर प्रयास किया जाये।

जब हम विद्यार्थी थे तब लगभग हर कोई एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) का विद्यार्थी था। किंतु वर्तमान में हम पाते हैं कि कई विद्यार्थी एनसीसी में भर्ती होने के इच्छुक नहीं हैं; और एनसीसी में भर्ती होने वालों की संख्या भी बहुत ही कम है। मा. मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पहलू की ओर खास ध्यान दिया जाये। मेरा यह भी विचार है कि यदि संभव हो तो इसे खासकर पुरुषों, यदि महिलाओं के लिये संभव न हो तो, के लिये यह अनिवार्य कर दिये जाये कि वे रक्षा क्षेत्र में 'प्रशिक्षण लें' और जरूरत पड़ने पर रक्षा करने हेतु तैयार रहें। इसका अर्थ यह नहीं कि वे सभी सेना में काम करेंगे, बल्कि वे तैयार रहेंगे। अपने जीवनकाल में, उन्हें रक्षा क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष कार्य करना चाहिए। जब अमरीका और यूरोपीय देश इस नीति को अपना रहे है, तो भारत में इसे क्यों नहीं अपनाया जा सकता?

महोदय, रक्षा क्षेत्र में बलिदान करने के इच्छुक व्यक्ति को दो वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है जबकि कार्पोरेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति ढेर सारा पैसा कमाता है। क्या न्याय है? क्या इसमें समानता नहीं होनी चाहिये? सैनिक राष्ट्र के लिये किस प्रकार का बलिदान करता है और कार्पोरेट सेक्टर में कार्यरत व्यक्ति राष्ट्र के लिये किस प्रकार का बलिदान करता है? इसकी तुलना की जानी चाहिये और तत्पश्चात् पर्याप्त ईनाम दिया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि मा. मंत्री जी इस पहलू पर ध्यान दें।

बचपन से ही मूलत: मेरा विचार यह है कि रक्षा क्षेत्र में अधिकांश व्यय हमारे पड़ोसी देशों पर विचार करते हुए किया जाता है। हम अपने रक्षा व्यय पर निर्णय लेने के लिये अमरीका अथवा यूरोपीय संघ पर विचार नहीं करते। हम केवल यह देखते हैं कि पड़ोसी देशों से हमें किस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अधिकांशत: पाकिस्तान ही हमारे व्यय के बारे में निर्णय लेने का आधार बन गया है, क्योंकि अन्य देशों, चाहे श्री लंका हो, बंग्ला देश, म्यांमार, नेपाल अथवा अन्य कोई भी देश हो, से इस देश में रक्षा व्यय, में की गई वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ देशों ने भारी मात्रा में आधुनिक रक्षा उपकरण देकर इन वर्षों में पाकिस्तान की मदद की है और उनकी सरकारें ऐसी हैं कि अपनी राजनीतिक स्थिति बरकरार रखने के लिये वे इन दोनों देशों के बीच संदेह एवं शत्रुता पैदा करके इनमें झगड़ा करवाती है। वहां ऐसा सब हुआ था और वह हमारा अनुभव था। इस पर ध्यान देते हुये, हम अपना रक्षा बल बढ़ा रहे हैं। अब, संबंध सुधर रहे हैं, वे बेहतर हुये हैं और सकारात्मक हो रहे हैं। मेरी इच्छा है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ राजनयिकता बढ़ाकर और संबंध मजबूत करके मा. मंत्री जी रक्षा क्षेत्र पर होने वाले व्यय को कम करने के बारे में सोचें। यदि ऐसा किया जा सका तो उस धन का विकास कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। यदि ऐसा पहले किया जाता तो हम बहुत पहले ही अमरीका से भी आगे निकल गये होते।

मैं चाहता हूं कि मा. मंत्री जी इस पहलू पर और ध्यान दें और रक्षा मंत्रालय की सेवाओं का खासकर पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने में उपयोग करें ताकि हमारा रक्षा व्यय और कम किया जा सके। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनसे रक्षा व्यय को अभी कम करने के लिये कह रहा हूं किंतु हम संबंध सुधरने के बाद इसमें कमी कर सकते है।

मैंने देखा है कि वित्त मंत्री जी ने देश में 22 सैनिक स्कूलों को लगभग 44 करोड़ रु. आवंटित किये हैं। सैनिक स्कूल में प्रवेश पाना कभी गर्व की बात होती थी। तथापि, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं समझता हूं कि सैनिक स्कूलों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य सरकार अधिकाधिक सैनिक स्कूलों की स्थापना किये जाने की मांग करें। हमें विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ानी चाहिये और शिक्षा के उच्च स्तर को बनाये रखना चाहिये। मेरे द्वारा इस ओर खास जोर दिये जाने का एक कारण यह है कि आम जीवन में मूल्यों का दिन-ब-दिन पतन हो रहा है। अनुशासन की भावना नहीं है। राष्ट्र के लिये बलिदान की भावना नहीं रही। सेवा की भावना भुला दी गई है। ये सभी बातें रक्षा सेनाओं में प्रचुर मात्रा में मिलती है। अत:, लोगों में नैतिक मूल्यों का विकास करने का एक मात्र तरीका यह है कि प्रत्येक नागरिक कम से कम कुछ समय के लिये रक्षा सेनाओं का सदस्य बने। मैं चाहता हूं कि रक्षा सेवा का इस संबंध में भी उपयोग हो।

जहां तक सीमा सड़कों की बात है, हमने लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में हाल ही में कुछ सीमा सड़कों का दौरा किया है। यह एक भयावह स्थिति है जिसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग देश के सुदूर क्षेत्रों में यात्रा करते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में न तो कोई संचार सुविधा और न कोई सड़क की सुविधा होती है। मैं समझता हूं कि इन दिनों में यह रक्षा सेवाओं का सीमा सड़क संगठन कर रहा था। जब सरकार कई चीजों के निजीकरण की बात पर विचार कर रही है तो मंत्रालय इस संबंध में कार्पोरेट सेक्टर की सेवायें लेने और तुरन्त सुविधायें बढ़ाने पर विचार क्यों नहीं कर सकती यदि हम कार्पोरेट सेक्टर की मदद लें तो हमें अपने लक्ष्यों का सौ वर्षों तक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी सड़क का निर्माण करते हैं तो उसका उपयोग वर्षों तक लगातार किया जा सकता है। जब हमारे एक पड़ोसी देश ने हमारी सीमा तक रेल लाइन बिछा दी है, तो क्या हम रक्षा क्षेत्र के अपने लोगों को सुविधा देने और सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा करने हेतु इन क्षेत्रों तक सुगमता से पहुंचना सुगम बनाने के लिये ऐसा नहीं कर सकते? मेरी इच्छा है कि मा. मंत्री जी निजी क्षेत्र की सेवायें लेकर सीमा सड़क संगठन में सुधार लायें।

रक्षा क्षेत्र के अधिकांश उपकरण आयात किये जाते हैं। मंत्रालय भारतीय विनिर्माताओं को ऐसे उद्योग यहां आरंभ करने के लिए क्यों नहीं कहता? अगर ऐसा हो जाये, तो हम अपने बेरोजगार युवकों को रोजगार दे सकते हैं, हम आर्थिक कार्यकलाप बढ़ा सकते हैं और हम उपकरण की लागत कम कर सकते है। हम आयात पर कब तक निर्भर रहेंगे? क्या हमेशा के लिये ऐसा ही रहेगा? हमारे लोग बुद्धिमान हैं। हम अपने रक्षा अनुसंधान संगठन को ज्यादा धनराशि आवंटित कर सकते हैं? हमने सिद्ध कर दिया है कि यदि हमें अवसर और संसाधन मिलें, तो हम अधिकांश विकसित देशों से अधिक अच्छा काम कर सकते है। हमारे पास जन शक्ति की कमी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मा. मंत्री जी अनुसंधान और विकास कार्यकलाप के लिये और आर्थिक धनराशि आवंटित करें; देश में उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन दें; रक्षा उद्योग आरंभ करने के लिये कार्पोरेट सेक्टर को प्रोसाहित करने पर विचार करें। विकसित देश भी अपने रक्षा क्षेत्र में अपने निजी क्षेत्र को प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हैं। इससे सरकारी काम कम होगा और आर्थिक कार्यकलाप बढ़ेगा।

मैं समझता हूं कि छावनी बोर्डों के पास लगभग दो लाख एकड़ भूमि है। वह भूमि कहां है? यह गांवों में नहीं है; यह शहरों के बीच में है। इस भूमि की कीमत करोड़ों मिलियन रु. है। यदि इस भूमि का उपयोग उस तरीके से किया जाये जिसे छावनी बोर्डें उपयुक्त समझते हैं, तो इससे आर्थिक कार्यकलाप बढ़ेगा। इससे रक्षा सेनाओं के संसाधनों में वृद्धि होगी। उस भूमि का उपयोग शहरों में आम प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है। अत:, ऐसी भूमि का इस्तेमाल किये बगैर उसे दशकों तक खाली रखने की बजाय मैं चाहता हूं कि मा. मंत्री जी छावनी बोर्डों की भूमि का भी उपयोग करने पर दृढ़ता से विचार करे।

हम खासकर प्राकृतिक आपदाओं और कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के समय सैना कार्मिकों की सेवाओं की प्रशंसा करते हैं। हम उसकी सराहना करते हैं। क्या उसके लिए अलग डिवीजन हो सकती है जिससे कि दूसरे कार्यकलापों से न जोड़े जाने की आवश्यकता न रहे और उनकी सेवाएं तत्काल सुलभ हो सकें? उन्हें इस संबंध में और अधिक प्रतिभाशाली और प्रशिक्षित बनाना होगा और संबंधित राज्य के लोग भी राहत महसूस करेंगे और वे हर पल तथा हर समय उनकी सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं विशेषरूप से वे लोग जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में हैं।

मैंने पिछले वर्ष का पूंजी परिव्यय देखा है। मुझे मालूम है कि 70 प्रतिशत धनराशि का आज तक प्रयोग नहीं किया गया है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा जितना भी आवंटन किया गया है उसका उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। मुद्रास्फितिकारी अर्थव्यवस्था में आवंटित की गई राशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो यह अर्थहीन हो जायेगी। अत:, मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय मंत्री को इस पर भी ध्यान देना चाहिए...*(व्यवधान)* मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि अमरीका द्वारा 550 बिलियन अमरीकी डालर का आवंटन किया है जबकि भारत ने 26 मिलियन अमरीकी डालर का आवंटन किया है मैं पुन: इस बात की सराहना करता हूं कि हम अमरीका की तरह न तो किसी प्रकार से हथियारों की दौड़ में शामिल हैं और न किसी अन्य की भूमि पर कब्जा करने की हमारी कोई इच्छा है। हमारा देश एक शान्ति प्रिय देश है। हमें आक्रमण के लिए नहीं हमें रक्षा के लिए हथियार चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें इतने धन की आवश्यकता नहीं है परन्तु अमरीका आदि देशों से इन सब उपस्करों का आयात करने को लेकर पारदर्शिता के बारे में अनेक बार प्रश्न उठे हैं। अनेकों शंकाए पैदा होती है जो वास्तविक भी हो सकती है अथवा नहीं भी। परन्तु वर्तमान मंत्री जी के बारे में कोई शंका नहीं है। यदि कोई ऐसा मुद्दा उठता भी है तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है। परन्तु मैं यह चाहता हूं कि अधिकारियों की पदोन्नति में भी यही पारदर्शिता होनी चाहिए। अनेकों बार यह

[श्री के.एस. राव]

महसूस किया जाता है कि इस संबंध में कोई पारदर्शिता नहीं है। चाहे अधिकारियों को दंडित किया जाना हो अथवा पदोन्नति दी जानी हो, इस बारे में अनेक शंकाए सामने आयी हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्थानान्तरण और पदोन्नतियों भी पारदर्शिता लायें। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री, श्री ए.के. एंटनी के कार्यकाल में रक्षा मंत्रालय की साख बेहतर होगी इससे सशस्त्र सेनाओं की कार्यकुशलता बढ़ेगी उन्हें प्रेरणा मिलेगी तथा मितव्ययता आयेगी और इससे परिणाम स्वरूप विदेश मंत्रालय पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार लायेगा जिससे कि हम रक्षा बजट में कमी कर सकते है और इस धन का उपयोग देश के विकास में कर सकते हैं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग ले रहा हूं। सर्वप्रथम, मैं उन रक्षा कार्मिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मैं उन रक्षा कर्मिकों को नमन करता हूं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मुझ से पूर्व मेरे दल के वक्ता ने रक्षा बजट की अनुदानों की मांगों पर कुछ सामान्य टिप्पणियां की थी। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मुझे दो तीन मुद्दों पर अपनी बात कहनी है। पहला मुद्दा रक्षा बलों में जनशक्ति की कमी के बारे में हैं। तीनों सेनाओं में जनशक्ति का अभाव है। केवल नौसेना में ही 4500 नाविकों और अधिकारियों की कमी है। वायु सेना और सेना में भी ऐसी ही स्थिति है। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तुत होने पर मुझे आयांका है कि यह दर और न बढ़ जाए।

हालांकि मंत्री जी ने सभी वर्गों के लोगों का समर्थन मांगा है, किन्तु छठे वेतन आयोग ने सैनिकों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया हैं। वेतन आयोग की रिर्पोट को लेकर न केवल रक्षा कार्मिकों बल्कि पुलिस कांस्टेवलों तथा आईपीएस अधिकारियों में भी भारी असंतोष है। यदि वेतन आयोग पर ध्यान नहीं दिया जाता तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। ऐसा पता चला है कि सरकार ने सभी सचिवों की एक समिति का गठन किया है। मेरा विचार है कि हालांकि सचिवों की समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और मंत्रियों का समूह छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगा। रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के वर्दीधारी कार्मिकों का पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए।

अनुसंधान एक दूसरा चिंता का विषय है। डीआरडीओ और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम वास्तव में देश की शान हैं। डीआरडीओ ने अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परन्तु डीआरडीओ के प्रति कुछ चिन्ताएं हैं। हमने समाचार पत्रों में डीआरडीओ के संबंध में नकारात्मक समाचार देखे हैं। डीआरडीओ द्वारा किए गए विशिष्ट अनुसंधानों को कोई उजागर नहीं करता। बजट में भी 75 प्रतिशत प्रक्षेपित राशि डीआरडीओ को दी गई है। मंत्रालय द्वारा डीआरडीओ के बजट में प्रक्षेपित राशि का 24 प्रतिशत से अधिक, जो कि लगभग 2,300 करोड़ रु. हैं, की कमी की गई है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि प्रक्षेपित राशि के बजाय डीआरडीओ को और अधिक राशि दी जानी चाहिए क्योंकि हम रक्षा बलों में अधिकाधिक स्वदेशी उपकरणों के उपयोग की ओर अग्रसर हैं।

रक्षा खरीद के लिए हम विदेशों पर निर्भर है जिसके कारण अधिक समय तथा लागत आती है और अंतत: कुछ मामलों में हमें परियोजना ही रद्द करनी पड़ती है। अनुसंधान और विकास के कार्यकलापों को शामिल कर निजी उद्यमशीलता को देश में ही प्रोत्साहन देना चाहिए।

हमारी रक्षा खरीद नीति के अनुसार, ऑफसेट क्लॉज के साथ रक्षा खरीद में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। ऐसा पता चला है कि इस आफसेट क्लाज को पूरा नहीं किया गया है। मुझे एक प्रकार के षड्यत्र की आशंका है क्योंकि विदेशी उद्यमी इस राशि में बढ़ोत्तरी चाहते हैं। कुछ रिर्पोटों के अनुसार, इसे 49 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। रक्षा खरीद में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 26 प्रतिशत के ऑफसेट क्लॉज को पूरा नहीं किया गया है। अत: ये रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार को बाध्य कर रहे हैं उस पर दबाव डाल रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार द्वारा रक्षा उत्पादन से जुड़ी सरकारी क्षेत्र की इंकाईयों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

हमारी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां एचएएल, बीईएल, बीईएमएल तथा अन्य उपक्रम अच्छा कार्य कर रही हैं। यदि आप रक्षा क्षेत्र से जुड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के राजस्व पर नजर डालें, तो आप पायेंगे कि ये सभी इकाईयां लाभ अर्जित कर रही हैं। सरकारी क्षेत्र की इन इकाईयों में और अधिक निवेश किया जाना चाहिए तथा डीआरडीओ और देश के अन्य अनुसंधान कार्यकलापों के लिए और अधिक धन दिया जाना चाहिए।

समुद्री मार्ग से खतरे को देखते हुए तटरक्षक बल का महत्व बढ़ता जा रहा है परन्तु तटरक्षक बल को पर्याप्त आवंटन नहीं किया जा रहा है तथा इसके मानव संसाधन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मैं भी समुद्री तटवर्ती गांव से आता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि समुद्री तटवर्ती लोगों के पास अन्तर्निहित क्षमता है परन्तु तटरक्षक बल और नौसेना में समुद्री तटवर्ती लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। हम तटवर्ती लोगों को नौसेना और तटरक्षक बलों में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। इसलिए समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों के स्कूल और कालेजों में भर्ती करने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्हें तटरक्षक बल और नौसेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण का संबंध है, उनके लिए पुनर्वास और पुनर्नियोजन कार्यक्रम चल रहा है। पुनर्वास महानिदेशक ने सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों को कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्हें अधिकांशत: सुरक्षा संबंधी नौकरियां दी गई हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। मैंने आपको दोगुना समय दिया है।

जो माननीय सदस्य, अपने भाषण सभा-पटल पर रखना चाहते है, वे रख सकते हैं।

डा. के.एस. मनोज : भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है। केरल में बीएसएनएल भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा गार्ड के रूप में रोजगार दिया करता था, परन्तु अब उन्हें सुरक्षा गार्ड का काम नहीं दिया जा रहा है परन्तु अब आउटसोर्सिंग के बहाने यह काम बाहरी ऐजेंसियों को दिया जा रहा है। वे डीजीआर प्रत्योजित सुरक्षा ऐजेंसियों को यह काम नहीं दे रहे हैं। यह काम बाहरी निजी एजेंसियों को दिया जा रहा है। मैंने माननीय रक्षा मंत्री और सूचना प्रौद्योगिक मंत्री को पत्र लिख कर उनसे आग्रह किया है कि इसकी अनुमति न दी जाये। यदि उन्हें सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में ही सुरक्षा की नौकरी मिलती है। यदि उन्हें इससे भी वंचित किया जाता है, तो भूतपूर्व सैनिक कहां जाएगे? वे युवावस्था में सेना से सेवानिवृत हो रहे हैं और उन्हें केवल इसी प्रकार की नौकरियां ही दी जा सकती हैं। रक्षा संबंधी स्थायी समिति की इस संबंध में सिफारिश की है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

डा. के.एस. मनोज : महोदय, मैं अपने दल का अंतिम वक्ता हूं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण समाप्त कर बैठ क्यों नहीं जाते?

डा. के.एस. मनोज : हाल ही में, रक्षा बलों से रक्षा कार्मियों को बर्खास्त किए जाने के अनेक मामले सामने आए हैं। पुलिस सत्यापन के पश्चात यह तथ्य सामने आए हैं कि अपनी युवावस्था में उन्होंने वामपंथी दलों के लिए काम किया था। अब सं.प्र.ग. की सरकार को वामपंथी दलों का समर्थन प्राप्त है। किन्तु इस बहाने कि उन्होंने अपनी युवावस्था में वामपंथी दलों के लिए काम किया है, उन्हें रक्षा बलों से बर्खास्त किया गया है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें केवल एक यही बात है कि उन्होंने वामपंथी दलों के लिए काम किया था। माननीय मंत्री जी को इस पर गौर करना चाहिए और कुछ सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। उन्हें दुबारा भर्ती नहीं किया जा सकता है, परन्तु उन्हें कुछ पेंशन संबंधी लाभ दिये जाने चाहिए।

महोदय, रक्षा बलों में लैंगिक असमानता है। सेनाओं में न केवल लैंगिक असमानता है बल्कि लैंगिक भेद-भाव भी है। सेनाओं में मिलिट्री नर्स ही केवल महिला कर्मचारी हैं। नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब उनकी वर्दी बदल दी गई है साथ ही उनके पद नाम भी बदल दिए गए हैं। उन्हें अपने कार्य स्थलों पर उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पहलू पर गौर किया जाना चाहिए। उन्हें सेना का भाग समझा जाना चाहिए। पश्चिमी देशों की भांति, सरकार को सेना नर्स कोर का गठन करना चाहिए।

महोदय, समय की कमी के कारण मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2008-09 से संबंधित रक्षा मंत्रालय की अनुदानों मांगों पर होने वाली चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने काफी अच्छे सुझाव दिए हैं, मैं उनसे अपने सम्बद्ध करता हूं तथा उन सुझावों में कुछ और बातें भी जोड़ना चाहता हूं।

देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने वाले सेना के

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

अधिकारियों और सैनिकों पर हमें गर्व है। आज वे विभिन्न मौसम में, विभिन्न परिस्थितियों में देश की सीमा पर एकता और अखंडता को अनुक्षण्ण रखने के लिए तैनात हैं। हमारे देश में जल सेना, थल सेना और वायु सेना है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी रक्षा प्रणाली और ज्यादा दुरुस्त हो तथा खास कर हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वह चीन है, पाकिस्तान है, उनके बजट के बराबर हमारा बजट होना चाहिए, क्योंकि भारत ने हमेशा मैत्री, शांति और सौहार्द के दूत के रूप में अगुवाई की है। हमारा पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अच्छा रिश्ता है और कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, जिससे हम इन राष्ट्रों के आगे कमजोर सिद्ध हों।

जहां तक रक्षा उपकरणों का सवाल है, अगर वे सही मापदंड पर खरे नहीं उतरते हैं, तो इससे हमारे देश का सम्मान गिरता है। रक्षा उपकरणों में सैनिकों की ड्रैस तथा लड़ाई के दूसरे उपकरण भी शामिल होते हैं। उनमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजें होनी चाहिए। हमें इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। मैं माननीय रक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा कि जब हम अन्य देशों से उपकरणों की खरीद-फरोख्त करते हैं, तो उस समय ज्वायंट पार्लियामेंटेरी कमेटी का गठन होना चाहिए। इसी सदन में पिछली सरकारों पर रक्षा सौदों के बारे में आरोप लगे हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जिस तरह से सामान्य बजट और रेल बजट प्रस्तुत होता है, उसी प्रकार रक्षा बजट भी अलग से प्रस्तुत होन चाहिए। सामान्य बजट और रेल बजट की तरह हमे रक्षा बजट को भी सम्मान देना चाहिए। यह चिंता का विषय है कि रक्षा मंत्रालय में अधिकारियों की कमी है। समय-समय पर समाचार-पत्रों में आता है कि सेना के अंदर अधिकररियों तथा सैनिकों में बहुत असंतोष व्याप्त है। यह बहुत गहन चिंता का विषय है। छठे वेतन आयोग की सिफारिश आई हैं। हमने देखा है कि समय से पहले कितने ही अधिकारियों और सैनिकों ने वीआरएस लिया है और यही अधिकारी तथा सिपाही प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं। उन्हें रक्षा मंत्रालय से जो वेतन मिलता था, प्राइवेट सेक्टर में उससे ज्यादा वेतन दिया जाता है, इस कारण उनमें असंतोष फैला हुआ है। इस बारे में विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

क्या कारण है कि आज हमारे फाइटर विमानों में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं में हमारे अच्छे-अच्छे पायलट्स की जानें जा रही हैं। जिससे हम देश का गौरव खोते हैं, इस पर हमें चिंता करनी चाहिए। मैं जब सरकारी कालेज में पढ़ता था तो एनसीसी एअर विंग के लड़के इसमें बहुत अच्छी तरह इंटरेस्ट लेकर भाग लेते थे। आज क्या कारण है कि हमारे तमाम डिग्री कालेजेस में यह विंग कमजोर हो रहा है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। मैं मांग करना चाहूंगा कि क्लास नाईंथ से बीए तक एनसीसी एअर विंग को कम्पलसरी कर दिया जाए जिससे अच्छे पढ़े-लिखे नौजवान सेना में आने के लिए प्रेरित होंगे।

यहां सैनिक स्कूल की बात हुई। मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम वहां एडमिशन के लिए हमारा कोटा फिक्स हो जाए जिससे हम अच्छे बच्चों की सिफारिश कर सकें और वे प्रवेश लेकर देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

मैं इसके साथ ही अपने क्षेत्र की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का ज्यादातर हिस्सा सेना के एरिया में आता है। बमरौली एयरपोर्ट एअर बेस है, वायु सेना का सैंटर है और कैंट एरिया है। हमारे थल सेना में बहुत से नौजवान हैं। बमरौली खास तौर पर मेरे क्षेत्र में पड़ता है, एक असेम्बली सैगमैंट है, जहां रास्ते को लेकर आए दिन झगड़ा होता है। मैंने कई बार सदन में यह बात उठायी है और वहां के अधिकारियों से भी बात की है। आपने उन्हीं लोगों की जमीन अधिग्रहण करके एअर बेस बनाया है। अगर उनको रास्ते की प्राबलम आए तो यह बहुत चिन्ता की बात है। मैं चाहूंगा कि उस एरिया के एमपी या एमएलए के साथ बैठ कर उनके रास्ते के बारे में विचार किया जाए। बमरौली एअरपोर्ट के अगल-बगल देखा गया है कि वायु सेना के कर्मचारी और अधिकारी किसानों की जमीनों पर बोर्ड लगा देते हैं और कहते हैं कि यह जमीन एक्वायर की गई है जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एअरफोर्स के लोग हमारे साथ बैठ जाएं तो मेरे ख्याल में यह समस्या दूर हो सकती है। उमरी गांव पूरा एअर बेस है। आए दिन वहां लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में हैप्पी होम होकर एक रास्ता गया है, जिसे बंद का दिया गया है। इससे आम लोगों को दिक्कतें आती हैं। आप वार के समय रक्षा के दृष्टिकोण से इसे बंद कर दीजिए लेकिन नार्मली उस रास्ते को खोल देना चाहिए।

वायु सेना बेस पर जो एअरपोर्ट है, वहां दो एअरक्राफ्ट्स चलते हैं, एक एअर इंडिया का है और दूसरा जैट का है। नाइट लैंडिंग प्राबलम दिखा कर आए दिन प्राइवेट एअरक्राफ्ट्स कैंसिल रहते हैं। उससे लोगों को बड़ी असुविधा होती है। मैं एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। कंटोनमेंट बोर्ड में कम से कम स्थानीय

एमएलए या एमपी को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाना चाहिए ताकि कंटोनमेंट बोर्ड की तमाम समस्याएं दूर हो सकें और वे अच्छे सुझाव दे सकें। मेरे यहां एक नीवां गांव है। उसका कंटोनमेंट से होकर रास्ता जाता है। वह भी आए दिन बंद रहता है। इसे लेकर सेना के लोगों के साथ झगड़ा होता है। आपने भर्ती बोर्ड के कुछ सैंटर्स बनाए हैं। मैं चाहूंगा कि तहसील और ब्लाक स्तर पर विशेष भर्ती अभियान चलाएं। मेरे क्षेत्र में कोशाम्बी जनपद है। वहां भर्ती बोर्ड बनाएं। मैं जानता हूं कि मेरे क्षेत्र में अगर अच्छे नौजवान भर्ती होंगे तो सेना को बल मिलेगा। मेरे क्षेत्र में लांस नायक सूर्यबली सिपाही था। वह वीर गति को प्राप्त हो गया। 6 महीने हो गए हैं। बहुत लिखा-पढ़ी करने के बाद आज तक उसे सुविधा नहीं दी गई है। मैं चाहता हूं कि जो सेना के जवान या सिपाही मारे जाते हैं, उनका गांव में स्मारक बने, उनके परिवार को सुविधा दी जाए। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक तहसील और ब्लाक स्तर पर बनता है, उनके शिलापट्ट लगते हैं, उसी प्रकार सेना के शहीदों के शिलापट्ट लगें ताकि आज के नौजवान उनसे सीख ले सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, मैं वर्ष 2009 की अवधि के लिए अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करता हूं।

(एक) एन.सी.सी. – राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 16 जुलाई, 1948 को की गई थी तथा सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर हमारे युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्कन्ध है जिससे हमारे देश के लिए अनुशासित नागरिक तैयार होते हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इसे कम प्राथमिकता दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बहुत महत्वपूर्ण स्कन्ध में सुधार करने पर अधिक ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

(दो) सैनिक स्कूल – इसी प्रकार, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे विशेषकर देश के प्रत्येक जिले में अधिक से अधिक सैनिक स्कूल स्थापित करवाएं ताकि भविष्य में सेना में अफसरों की कमी को पूरा किया जा सके।

(तीन) सामुद्रिक अभियांत्रिकी संस्थान – चूंकि हमारे देश का समुद्र तट बहुत विशाल है और इसलिए हमारी नौ सेना द्वारा सामुद्रिक अभियांत्रिकी विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है ताकि हमारी नौसेना के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित अपेक्षित कार्मिक उपलब्ध हो सकें। यहां मैं पृष्ठ 61-63 और 65 पर दिए गए वर्ष 2008-2009 हेतु रक्षा सेवा प्राक्कलनों संबंधी व्याख्यात्मक टिप्पणों का संदर्भ देना चाहता हूं।

मुख्य शीर्ष 2077 संबंधी व्याख्यात्मक टिप्पण :- यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय नौ सेना में समुद्री पोत जैसे विमान वाहक क्रूजर, विध्वंसक, फ्रिगेट, माइन स्वीपर, पनडुब्बी आदि है तथा साथ ही तटीय प्रतिष्ठान जैसे प्रशिक्षण संस्थान, डाकयार्ड, भंडारण डिपो तथा अन्य विविध तकनीकी और प्रशासनिक प्रतिष्ठान हैं। इसका अलग विमानन स्कंध है जिसमें नौसेना वायु स्टेशन और बेड़ा आवश्यकता इकाई है। प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में नये भर्ती हुए नाविकों प्रशिक्षुओ और लड़को साथ ही मकैनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गनरी, संचार, नौवहन, पनडुब्बी रोधी तथा नौसेना वैमानिकी आदि क्षेत्रों में अधिकारियों और पुरूषों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। नौसेना में सीमैनशिप, शारीरिक प्रशिक्षण, आपूर्ति और सचिवालय आदि प्रशिक्षण स्कूल भी हैं।

लघु शीर्ष 101 : इस लघु शीर्ष के अंतर्गत नौसेना के कार्मिकों, जिनमें कैडेट, वाइज, प्रशिक्षु आदि शामिल हैं जो नौसेना में कमीशन प्राप्त करे नियमित होने से पूर्व पाठयक्रमों का प्रशिक्षण लेते हैं, को दिया जाने वाला वेतन तथा भत्ते पर होने वाला व्यय शामिल है।

इसमें नौसैना की सेवा में लगे रक्षा सुरक्षा कोर के कर्मिक तथा सैन्य अभियन्ता सेवा में तैनात सेना के अधिकारियों और कर्मिकों को दिये जाने वाला वेतन और भत्ते का भी प्रावधान हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पण : लघु शीर्ष 104 : इस शीर्ष के अंतर्गत नौसेना के असैनिक कार्मिकों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते का प्रावधान है।

लघु शीष 104(क) : इस शीर्ष के अंतर्गत नौसेना के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों जैसे इलैक्ट्रिक और मैकनिकल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, शिपराइट प्रशिक्षण स्कूल, डाकयार्ड प्रशिक्षण स्कूल संयुक्त स्कूल आदि में तैनात असैनिकों को दिया जाने वाले वेतन और भत्ते का प्रावधान है।

लघु शीर्ष 104(ख) : इस शीर्ष के अंतर्गत नौसेना के भंडार डिपो (शस्त्र भंडार डिपुओं को छोड़कर) में कार्यरत असैनिक कार्मिकों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते का प्रावधान है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी.एस. गढ़वी]

(चार) विमान इंजीनियरिंग संस्थान : इसी प्रकार, हमारे लड़कों को एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण देने के लिए अधिक से अधिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए और ऐसे प्रशिक्षण संस्थान देश के प्रत्येक राज्य में खोले जाने चाहिए जिससे कि वायु सेना में प्रशिक्षण कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जा सके।

(पांच) गुजरात में रक्षा उत्पादन ईकाइयां : सेनाओं के लिए रक्षा उपस्कर उत्पादन आवश्यकता को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए और आयुध निर्माणियों को भी विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हालांकि गुजरात को विकसित औद्योगिक राज्य माना जाता है गुजरात का बहुत लम्बा समुद्री तट है, जामनगर और पोरबंदर में महत्वपूर्ण नौसेना बेस हैं साथ ही जामनगर भुज और नालिया में वायु सेना के अत्यंत महत्वपूर्ण बेस हैं, फिर भी मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि गुजरात में एक भी आयुध निर्माणी नहीं हैं यद्यपि गुजरात में महत्वपूर्ण आयुध निर्माणी की संम्भावनाओं पर करायी गई सभी सर्वेक्षण रिपोर्ट सकारात्मक थी। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वायु सेना के लिए आवश्यक आयुध और उत्पादन इकाइयों के संबंध में रिपोर्ट सकारात्मक थी। गुजरात में एक बड़ी इकाई और नौसेना पोत निर्माण ईकाई स्थापित की जा सकती है।

(छह) भुज हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग सुविधा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान वर्तमान में भुज विमानापत्तन का नियंत्रण वायुसेना के पास है और भुज जिला मुख्यालय है।

इस विमानापत्तन पर वायुयानों के रात्रि में उतरने की व्यवस्था है परन्तु वायु सेना सूर्यास्त के पश्चात नागरिक विमानों को उतरने की अनुमति नहीं देती है जिसके कारण नागरिक वायुयान यात्रियों को रात्रि में उतरने में कठिनाई होती है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस मामले की जांच की जाये और नागरिक विमानों को रात्रि में उतरने की अनुमति दी जाये।

(सात) सीमा पर बाड़ : बजट में इस परियोजना के लिए 608 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया हैं। महोदय मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किस सीमा क्षेत्र में वहां के भू-भाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना बाड़ लगाने का काम किया जा रहा है। मेरा यह मानना है कि कच्छ के रन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नमक के भंडार पाए जाते हैं और यदि तार तथा इस्पात की कटीली तार बाड़ वहां लगाई जाती हैं तो वहां के वातावरण के कारण इस्पात और तार की बाड़ में थोड़े ही समय में जंग लग जाएगा और इस पर हुआ सारा व्यय व्यर्थ हो जाएगा।

कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि इस क्षेत्र में कटीली तार बाड़ अथवा सीमेंट की दीवार के बजाय खाई नुमा नहर खोदी जाए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप लोहे की तार बाड़ के उपयुक्त विकल्प पर विचार करें।

श्री मानवेन्द्र सिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं पहले अपने सहयोगी श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा हमारे वीर सैनिकों के योगदान और बलिदान को स्वीकार करने के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसका समर्थन करता हूं। देश के प्रत्येक भाग में शहीद सैनिकों का सम्मान किया जाना चाहिए।

मुझे आपने रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। मेरी चर्चा में आलोचना और प्रशंसा दोनों हैं। मैं आलोचना से आरम्भ करूगा और बाद में अच्छाई के बारे में बताऊंगा।

पिछले वर्ष संशोधित अनुदान के स्तर पर स्वीकृत किये गये पूंजी व्यय को कम किया जाना अत्यन्त चिंताजनक हैं यह बात खेदजनक, चिंताजनक और खतरनाक है। मैं इस तथ्य पर और ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे सहयोगी इस पर पहले ही बहुत बोल चुके हैं। मैं उन्हीं मुद्दो को पुनः दोहराना नहीं चाहता। अधिक चिंताजनक बात यह है कि नई खरीद प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् नई खरीद नीति अपनाई गई है। आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्रालय और माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाए।

रक्षा क्षेत्र में चयन, परीक्षण प्रतिष्ठापन तथा मूल्यांकन लम्बी प्रक्रियाएं हैं। ऐसे मामलों में विलम्ब देश के लिए चिन्ताजनक है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में पुनः ऐसा नहीं होगा। पिछले वर्ष बहुत ही विचित्र और क्षुब्धकरी घटना हुई। यह योजना में त्रुटियों को दर्शाता है। इस प्रकार कमियां यह भी दर्शाती हैं कि किस प्रकार हमारे व्यय-परिव्यय को तय किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम

'टू-फ्रंट-वार स्थिति' के बजाय 'वन-एंड-हाफ-फ्रंट वार स्थिति' पर कार्य कर रहे हैं जैसा कि हमें हमेशा ही यह बताया गया है कि सेना नौसेना तथा वायुसेना का ढांचा इसी प्रकार तैयार किया गया है। उसे 'टू-फ्रंट-वार स्थिति' का होना चाहिए।

जो कुछ आज हम अपनी संरचनाओं में देख रहे है, अपनी प्लानिंग में देख रहे है वह सब इन प्लानिंग खामियों की वजह से है। हमारा व्यय 21वीं सदी के खतरों से नहीं निपट पायेगा। विभाजन-पूर्व अथवा वर्ष 1947 के माडेल से पूर्व की घिसी-पिटी (पुरानी) अवसंरचनाओं के लिये यह आवश्यक है। यदि आप 21वीं सदी के खतरों को देखते तो हम मुख्य खतरा समुद्र से है। यह वह क्षेत्र है जहां भारत हमेशा ही कमजोर रहा है। इसे दोहराते हुए मुझे दुःख हो रहा है चूंकि इसे पहले भी दोहराया जा चुका है। जहां तक नौसेना का संबंध है, हमारे परिव्यय, हमारी योजना, हमारी तैयारी अभी भी अपर्याप्त, नाकाफी तथा अपूर्ण है। सुरक्षा तथा आर्थिक दृष्टि से अर्थात दोनों दृष्टियों के नौसेना की हमारे भविष्य की प्रमुख जिम्मेदारी है। लाल सागर से दक्षिण चीन के सागर तक नौसेना की यह जिम्मेदारी है कि वह व्यापार मार्गों को बनाये रखे, संचार संबंधी समुद्री लाइनों को अक्षुण्ण रखे, सामरिक बचाव-कार्य का ख्याल रखें, विपिदा प्रबंधन, विपिदा राहत हेतु कार्य करे और मित्र राष्ट्रों को सहायता भी दे।

मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि वह इसके बारे में फिर से सोंचे तथा नौसेना की तैयारी पर फिर से ध्यान दें क्योंकि सभा के तीनों अंगो में से नौसेना हेतु पोतों के डिजाइन, विकास, निर्माण तथा उनको शामिल करने के लिये अधिकतम समय की आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि अस्त्र-शस्त्र ही (हार्डवेअर) नहीं अपितु श्रम शक्ति भी हमें सुरक्षा तथा संरक्षण दे सकती है और भारत को एक सुरक्षित देश बना सकती है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू श्रमशक्ति है। श्रमशक्ति की कमी की बात को बार-बार दोहराया गया है। अतः, मैं उस पर जोर नहीं दूंगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगियों द्वारा छठे वेतन आयोग संबंधी मामले को दोहराया गया है और पुनः मैं उस संबंध में बात करना नहीं चाहता हूं।

महोदय, मैं इस मामले के संबंध में माननीय रक्षा मंत्री की थोडी सी प्रशंसा करता हूं कि काफी समय के पश्चात् सैनिक स्कूलों की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है। सैनिक स्कूलों हेतु कुछ बजटीय प्रावधान किये गये है। मैं इसका स्वागत नहीं करता बल्कि यह कहता हूं कि यह पर्याप्त है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा कदम है। परन्तु, दुर्भाग्य से, यह पर्याप्त नहीं है। हम जानते है कि देश में सैनिक स्कूलों की स्थिति क्या है। राज्य सरकारों को अपना योगदान देना है। उस योगदान का अभाव है। मैं आगे बात करता हूं और आपके हस्तक्षेप के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि सैनिक स्कूलों तथा मिलट्री स्कूलों जिन्हें सेवाओं के मद्देनजर बनाया गया था, में अधिकारियों तथा सैनिकों के संदर्भ में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ श्रमशक्ति का समर्थन किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाये। रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे मिलट्री स्कूलों जैसे ही यदि सैनिक स्कूलों के दिन-प्रतिदिन के कार्य को देखा जाये, व्यवस्था में बदलाव लाया जाये, तथा इनके संपूर्ण माडल को बदला जाये तो यह अच्छा होगा। आज, मुझे यह विश्वास दिलाया गया है कि सैनिक स्कूल के विद्यार्थी अधिकारी दल में हमारी नियुक्ति का केवल 22% के लगभग है। यह अपर्याप्त आंकड़ा है। मेरी इच्छा है कि इस आंकड़े को बढ़ाया जाये और रक्षा मंत्रालय सैनिक स्कूलों को जो वे आज है, की तुलना में उन पर और अधिक ध्यान दें। मैं आश्वस्त हूं कि अधिकारियों की इस कमी जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं से लंबे समय में निपटा जा सकेगा।

महोदय, मैं अपने दो मुद्दों (बातें) पर बोलना चाहता हूं और दोनों ही निकट भविष्य में आने वाली तबाही की चेतावनी से संबंधित है। पहला मुद्दा भूमि से संबंधित है और मेरे सहयोगी, श्री शैलेन्द्र कुमार ने कुछ बातों (बिन्दुओं) का उल्लेख किया है। मैं माननीय रक्षा मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश का कितना भूमि क्षेत्र रक्षा मंत्रालय भूमि का था और अब कितना है। रक्षा मंत्रालय द्वारा भूमि उपार्जन तथा भूमि उपयोग का युक्तीकरण होना चाहिये। इस भूमि पर बिना किसी तर्क के और इक्कसवीं शताब्दी की प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के बिना ही बे-रोक-टोक अधिग्रहण किया जाना चाहिये जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि इससे लोगों में दूरी बढ़ती है।

मेरी दूसरी तथा आखिरी बात यह है कि यह विचित्र प्रतीत होता है कि जब विश्व संयुक्त प्रचालनों, संयुक्त योजना तथा संयुक्त सिद्धांतों की ओर उन्मुख हो रहा है और भारतीय रक्षा अवसंरचना अपनी पुरानी अर्थात् 1947 से पूर्व की अवसंरचना, 1947 से पूर्व की योजना तथा 1947 से पूर्व की सोच को बनाये रखे हुए हैं। यदि सेना की धमकी सेना के लिए ही है तथा नौसेना की धमकी नौसेना के लिए ही है तो भी हम रह सकेंगे प्रचालनों का भविष्य संयुक्त प्रचालन है और संयुक्त अवसंरचनाओं को बनाया जाना चाहिये। परन्तु मैं उस दिशा में कोई प्रगति नहीं देखता हूं।

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

अत: मैं आपकी नीति में हस्तक्षेप करता हूं तथा यह अनुरोध करता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री इस के संबंध में और अधिक ध्यान दे इसकी तत्काल आवश्यकता है। यह भविष्य की आवश्यकता नहीं वरन् आज की आवश्यकता है।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : महोदय, मैं वर्ष 2008-2009 हेतु रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मागों का समर्थन करता हूं।

सबसे पहले, मैं माननीय मंत्रियों श्री ए.के. एंटनी तथा श्री एम. एम. पल्लम राजू को बधाई देना चाहता हूं। वे इस देश में सैनिकों जो इस राष्ट्र हेतु बहुत ही मूल्यवान सेवा प्रदान कर रहे है के कल्याण हेतु व्यक्तिगत तौर पर बहुत रुचि ले रहे है।

हमारी भारतीय सेना सेना कार्मिकों के संदर्भ में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। यह एक स्वैच्छिक सेवा है।

महोदय, वर्ष 2008-2009 के बजट में वित्त मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र हेतु 1,05,600 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। यह पिछले वर्ष के 96,000 करोड़ रुपये के आबंटन से 10% अधिक है। यदि हम चीन तथा पाकिस्तान के साथ तुलना करते है तो यह उनसे कम है। हमारी सेना में 1.3 मिलियन आदमी है और उन्हें 36,270 करोड़ रुपये मिल रहे है।

भारतीय वायु सेना हेतु आबंटन में 4.6% तक की वृद्धि हुई है। नौसेना हेतु 329 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यदि हम रक्षा व्ययों की तुलना करते है तो इस वर्ष का आबंटन बहुत ज्यादा है। वर्ष 2002-2003 के दौरान यह केवल 65,000 करोड़ रुपये था; वर्ष 2003-2004 में इसे 65,300 करोड़ रुपये तक बढ़ाया; वर्ष 2004-2005 में यह 77,000 करोड़ रुपये था; वर्ष 2005-2006 में यह 83,000 करोड़ रुपये था; वर्ष 2006-2007 में यह 89,000 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 2007-2008 में यह 96,000 करोड़ रुपये था। चालू वर्ष में यह 1,05,600 करोड़ रुपये है।

इसी तरह, विगत वर्षों में रक्षा मंत्रालय द्वारा बिना खर्च की गई राशि काफी ज्यादा है। यह काफी ज्यादा है वर्ष 2002 से रक्षा मंत्रालय द्वारा बिना खर्च की गई कुल राशि 22,517 करोड़ रुपये है। मैं बिना खर्च की गई तथा व्ययगत राशि का उल्लेख करके यहां पर उसका ब्यौरा देना चाहता हूं। वर्ष 2002-2003 में यह 9000 करोड़ रुपये थी; वर्ष 2003-2004 में यह 5000 करोड़ रुपये थी; वर्ष 2005-2006 में यह 1300 करोड़ रुपये थी; वर्ष 2006-2007 में यह 3000 करोड़ रुपये थी। तथापि, मैं माननीय रक्षा मंत्री से इसे देखने तथा कम से कम सीमा क्षेत्रों में काम कर रहे हमारे सैनिकों के कल्याण हेतु धन खर्च करने का अनुरोध करता हूं। यद्यपि हम अत्यधिक राशि का आवंटन कर रहे है और काफी राशि खर्च कर रहे है फिर भी इस देश के सीमा क्षेत्रों में कार्यरत सैनिकों तक यह राशि नहीं पहुंचती है।

मैं अब कुछ बाते कहना चाहता हूं। यह सैनिकों की छुट्टी की सुविधा से संबंधित है। कुछ माह पहले एक साप्ताहिक पत्रिका में एच.आई.वी. एडस के बारे में एक लेख छपा था। मुझे यह कहते हुए खेद है कि भारतीय सेना के लगभग 50 नौजवान सैनिक मुम्बई गये थे। उन सभी को रक्त दान शिविर में ले जाया गया था उन सभी ने रक्त दिया था। 50 व्यक्तियों में से लगभग 19 व्यक्तियों के रक्त को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि रक्त में एच.आई.वी. एड्स संक्रमण था। हालात ये है। इसका कारण यह है कि दो अथवा तीन वर्षों से उन्हें छुट्टी पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। वे लगातार कार्य करते है। इसलिये, कम से कम वर्ष में एक बार छुट्टी दी जानी चाहिये। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहना चाहिये।

मैं अब एक अन्य महत्वपूर्ण बात पर आता हूं। हम तीन सेवाओं हेतु कुछ अधिकारियों का चयन करते है। हम उन्हें विदेशों में नियुक्त कर रहे है। लगभग चार अथवा पांच देशों में वे सेना के विकास हेतु कार्य कर रहे है। उदाहरण के लिये ताजिकिस्तान में हमारे सेना अधिकारी उस देश में सेना के विकास हेतु वहां पर कार्य कर रहे है। चार देशों में से शेष तीन देशों में संबंध में अधिकारियों को अपनी पत्नी तथा परिवार को ले जाने की अनुमति दी गई है। ताजिकिस्तान अपवाद है। ताजिकिस्तान में कार्यरत सेना अधिकारियों को अपनी पत्नी तथा बच्चों को ले जाने के लिये अपना जेब-खर्च खर्च करना होगा। इसलिये, इसका अनुसरण एक जैसे तरीके से किया जाना चाहिये।

इससे आगे मैं सीमा सड़क संगठन के मुद्दे पर आता हूं। इस माह की 12 तारीख को सीमा सड़क संगठन में श्री गोविंदसामी नाम का हमारा एक व्यक्ति जो तमिलनाडु से था अफगानिस्तान में मारा गया। इस प्रकार के मामले वहां पर है। इसलिये, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय को सेना कार्मिकों के परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु और अधिक निधियां आबंटित करनी चाहिये।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं। यह एन.सी.सी. के बारे में है। एन.सी.सी. को प्रोत्साहित करने के लिये इसकी स्थापना वर्ष 1948 में एन.सी.सी. अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। एन.सी.सी. का विस्तार 8514 स्कूलों तथा 5255 कालेजों को शामिल करते हुए 607 जिलों तक किया गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री एस.के. खारवेनथन : मुझे पांच मिनट का समय और चाहिये। यह एनसीसी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

सभापति महोदय : कई मा. सदस्यों को बोलना है।

श्री एस.के. खारवेनथन : कृपया मुझे दो मिनट का समय और दीजिये।

सभापति महोदय : मै आपसे सहमत नहीं हो सकता। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री एस.के. खारवेनथन : हम विद्यार्थियों को कई सुविधायें दे रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के पास शौर्ट सर्विस कमीशन है। एनसीसी की स्पेशल एंट्री स्कीम के अंतर्गत, एनसीसी केडेट्स, जिनके पास 'सी' प्रमाण पत्र है और जिन्होंने 50 प्रतिशत अंक हासिल किये हैं, शार्ट सर्विस कमीशन की परीक्षा देने के पात्र हैं। मैं मा. रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सभी राज्य सरकारों को निर्देश दें कि वे एनसीसी प्रमाण-पत्र धारक विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर प्रदान करें।

अगली बात छठे वेतन आयोग से जुड़ी हुई है छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से सेना कार्मियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। वे सीमा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वे देश के लिये मूल्यवान सेवा दे रहे हैं। उदाहरणार्थ, 1.1 मिलियन लोगों वाली शक्तिशाली भारतीय सेना में से, लगभग 45,000 मात्र अधिकारी हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

उनमें से बाकी सैनिक हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सैनिकों को मिलिट्री सर्विस पे के रूप में मात्र 1000 रु. प्रति माह मिलेंगे। अधिकारियों को 6000 रु. प्रति माह मिलें। जो वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं उन्हें तो 6000 रु. मिल रहे हैं और जो इस राष्ट्र पर अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं उन्हें मात्र 1000 रु. मिल रहे हैं। यह दु:खद स्थिति है।

हमारे मा. रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी ने भी इस संबंध में कई कदम उठाये हैं, किंतु इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया है। जहां तक भत्ते का संबंध है, वर्तमान अधिकारी सियाचिन भत्ते के रूप में 7000 रु. प्रति माह ले रहे हैं जबकि एक सैनिक को 4667 रु. प्रति माह मिलते हैं। विद्रोह का सामना करने संबंधी भत्ते के अंतर्गत, एक अधिकारी को 3150 रु. से 3900 रु. प्रति माह मिलते हैं जबकि एक सैनिक को 1500 रु. से 2700 रु. प्रति माह मिलते हैं। अशक्तता संबंधी पेंशन और परिवार पेंशन में भी काफी अन्तर है। इन चीजों में सुधार करना होगा। हमें, सैनिकों, खासकर सीमा क्षेत्रों और दूर-दराज के क्षेत्रों में कार्यरत सैनिकों के कल्याणार्थ पैसा आवंटित करना चाहिये। ये मेरे सुझाव हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : जब हम युवा थे तो हम सोचा करते थे कि कुल सरकारी व्यय के एक भाग के रूप में रक्षा व्यय के कारण देश की विकास संबंधी प्राथमिकताओं में विपथन हो रहा है। हम सोचते थे कि क्योंकि बहुत सा धन रक्षा क्षेत्र को दिया जा रहा है, अत: ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या इत्यादि के लिये पर्याप्त धन नहीं है। यदि आप अब आंकड़े देखें तो पायेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद काफी तेज दर से बढ़ रहा है—हमने एक ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पहले ही पार कर लिया है—किंतु सकल घरेलू उत्पाद में रक्षा व्यय का प्रतिशत वर्ष दर वर्ष गिर रहा है। इस समय यह पहले ही 2 प्रतिशत से कम हो गया है। अत:, यह गंभीर चिंता का विषय है कि हमारी सभी सीमा के असुरक्षित हो रही हैं। डर बढ़ रहा है और खतरे का स्वरूप भी बदल रहा है। इस बात की गंभीरता आवश्यक रक्षा व्यय को बढ़ाकर महसूस नहीं की जा रही है। अत:, यह एक काफी गंभीर मामला है कि एक ओर तो हमें यह अहसास है कि हमारे पास सशस्त्र सेनाओं की देख-रेख करने वाले अधिकाधिक लोग हों। और हमारे पास अधिक उपस्कर हों, किंतु दूसरी ओर हम इसमें से काफी कुछ खोने का प्रयास कर रहे हैं। यह व्यय इस बात का निर्धारण करने के लिए काफी नहीं है कि हम अपनी सशस्त्र सेनाओं में कितना निवेश कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वह व्यय किस प्रकार का हो। यदि मैं लोगों की बेहतरी अथवा आधुनिकीकरण के लिये व्यय करता हूं तो मैं इस बात को समझ सकता हूं। यदि मैं मात्र व्यय के औचित्य से ही व्यय करता हूं, तो यह अच्छी बात नहीं है। सेना धरती की रक्षा करेगी। नौसेना समुद्र की रक्षा करेगी और वायु सेना आकाश मार्ग की रक्षा करेगी। किंतु, खतरा, इस प्रकार से नाटकीय ढंग से बदल रहा है कि हमें वास्तव में मात्र इन सीमित क्षेत्रों तक ही स्वयं को

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

सीमित रखने की जरूरत नहीं है, किंतु हमें इससे आगे जाना चाहिये। अब, मैं रक्षा उपस्कर के बारे में बात करना चाहूंगा। वास्तव में हमें इसी पर शर्मिन्दा होना चाहिये।

अपराह्न 5.03 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हर समय हम भारत के महाशक्ति बनने की बात करते हैं– समय ही बतायेगा कि क्या हम महाशक्ति बनेंगे अथवा नहीं। किंतु आज हम महाशक्ति बनना चाहते हैं। उस महाशक्ति की स्थिति को कौन बचायेगा? जिन उपस्करों को हम पूरे विश्व से खरीद रहे हैं, वे आयातित उपस्कर हमारी रक्षा करेंगे। क्या हम अपनी रक्षा सेनाओं की रक्षा करने के लिए आयातित उपस्करों से महाशक्ति बन सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह नोट करना है कि हम अपनी रक्षा निर्माणियों का आधुनिकीकरण कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नोट करना है कि हम अपनी रक्षा फैक्टरियों का आधुनिकीकरण किस प्रकार से करें हम उनका आधुनिकीकरण न केवल इसलिये करें कि उनसे हमें तकनीकी व्यावहारिक ज्ञान अर्जित हो सके अपितु इसलिए करें कि भारत में उपस्कर बनाने हेतु हम अपने घरेलू और विदेशी व्यावहारिक ज्ञान का उपयोग कर सकें। रक्षा उपस्करों का आयातक बनने की बजाए हमें रक्षा उपस्करों का निर्यातक बनना चाहिये। आज हम विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने के लिये अपने सीमित रक्षा बजट का उपयोग कर रहे है। जब हम रक्षा उपस्करों का आयात करते हैं तो क्या वास्तव में हम यही कर रहे हैं। हर बार हम यह देखते हैं कि किसी देश के माननीय राष्ट्रपति अथवा माननीय प्रधानमंत्री जब भारत का दौरा करने आते हैं तो उनके साथ हमेशा ही कंपनी के लोग होते हैं जो रक्षा उपस्कर बेचते है। आजकल हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत आ रहे है। कभी-कभार मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वे उन देशों के प्रतिनिधियों के रूप में यहां पर आ रहे हैं अथवा किसी रणनीति के तहत हमारी मदद करेंगे अथवा उपस्कर बेचेंगे। इसलिये, माननीय रक्षा मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि हमें अवश्य ही यह आश्वस्त करना चाहिये कि रक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण इस तरीके से हो कि हम वास्तव में अपनी सीमाओं के रख-रखाव हेतु आयातित उपस्करों पर निर्भर न हो।

महोदय, वर्ष 1958 में ठीक 50 वर्ष पहले हमने डी.आर.डी.ओ. की स्थापना की थी, हमें बहुत तरह से उनके रिकार्डों पर गर्व है। उन्होंने अच्छा कार्य किया है। परंतु मेरे विचार से 50 वर्ष का समय कम नहीं होता है। इसलिये, वहां पर सीखने का जो भी समय था उसे पहले ही पूरा कर लिया गया है। अब, मेरे विचार से डी. आर.डी.ओ. को वास्तव में अनुसंधान तथा विकास के संदर्भ में विश्व में सर्वश्रेष्ठ रक्षा अनुसंधान संगठनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करना चाहिये। हमें उन्हें मानक मान लेना चाहिये क्योंकि जो कोई भी नये उपस्कर हम बनाने जा रहे हैं और नई प्रौद्योगिकियां जिन्हें हम विकसित करने जा रहे हैं विश्व में जो उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम होनी चाहिये। इसलिये, मैं माननीय रक्षा मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे डी.आर.डी.ओ. हेतु वैश्विक मानकों से संबंधित इच्छाएं जागृत करें जो वास्तव में घरेलू उत्पादन के संदर्भ में भविष्य की हमारी चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम हो तथा केवल आयातित उपस्करों पर निर्भर न हो।

एक अन्य मुद्दा जो कि हमेशा ही रक्षा मंत्रालय को परेशान कर रहा है वह यह है कि सभी माननीय रक्षा मंत्री उपस्कर खरीदने में संकोच करते हैं। यदि हम नहीं खरीदते है तो उपस्करों की कमी की समस्या हो जायेगी और यदि हम खरीदते हैं तो यह एक विवादास्पद मुद्दा बन जायेगा। इसलिये, मेरा माननीय रक्षा मंत्री से यह अनुरोध है कि उन्हें एक प्रक्रिया के साथ आना चाहिये जो इन सभी मुद्दों के शीघ्र निपटान को सुविधाजनक बनाये तथा उसी समय हम खरीद करने में सक्षम हो परंतु हमें किसी किस्म की गोपनीयता रखकर विवादों में नहीं पड़ना चाहिये।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा स्वयं लोग है क्योंकि लोगों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है तथा लोग सेना को छोड़ रहे है। वायुसेना के हमारे पायलट भी जेट एयरवेज तथा अन्य निजी वाणिज्यिक एयरलाइन में जाना चाहते हैं। मेरा यह कहना है कि हमें अपने सेना (कैंचमेंट एरिया) को सुदृढ़ करना चाहिये जहां से सशस्त्र बलों हेतु नई भर्तियां होती है। सैनिक स्कूलों तथा एन.सी.सी. का वास्तव में इस तरीके से आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये कि वे संस्थान वास्तव में और अधिक लोगों को पाने में सेना कैंचमेंट संस्थानों के रूप में कार्य करने सक्षम हो जायें। हमें अपने लोगों को भी सुग्राही बनाना चाहिये। हमें अवश्य ही सशस्त्र बलों में किसी प्रकार का आकर्षण पैदा करना चाहिये ताकि लोग हमारे सशस्त्र बलों में आने के लिये आकर्षित हो सकें। आज, निजी क्षेत्र इस प्रकार के प्रोत्साहनों की पेशकश कर रहे हैं। फिर सेना इसके साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव है। अतः, मैं माननीय रक्षा मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे सशस्त्र बलों

हेतु कुछ आकर्षण लाने के लिये जनसंचार का उपयोग करें ताकि लोग सशस्त्र बलों में आने हेतु आकर्षित हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदय, मैं अपने दल का एकमात्र वक्ता हूं। मैंने अभी अपनी बात शुरू ही की है। इसलिये, कृपया मुझे कुछ और समय दीजिये।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पार्टी का टाइम खत्म हो गया है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदय, कृपया मुझे कुछ और समय दीजिये।

जब हम लोगों द्वारा सशस्त्र बलों को छोड़े जाने की बात करते है तो विगत कुछ वर्षों में हमने बहुत भारी संख्या में लोगों द्वारा सशस्त्र बलों को छोड़ते हुए देखा है। इसलिये, हमें वास्तव में यह निश्चित करने की आवश्यकता है कि हम निजी क्षेत्र हेतु नये लोगों को भर्ती करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की बजाए उन्हें अच्छे प्रोत्साहन प्रदान करे। इसलिये, उन्हें किस प्रकार से सेना में बनाये रखा जाये यह भी हमारे समक्ष एक चुनौती है जिसका हमें सफलतापूर्वक सामना करने का प्रयास करना चाहिये।

सशस्त्र सेनाओं में एक विचित्र बात है कि हम चाहते है कि लोग सेना छोड़े जिससे कि नौजवान लोग सेना में आ सके यह एक बहुत ही सूझ-बूझ वाली बात है। परन्तु जब आप चाहते है कि लोग नौकरियां छोड़े, तो यह सशस्त्र सेनाओं की जिम्मेदारी है कि उन्हें ऐसा प्रशिक्षण दे जिससे कि वे ऐसा कौशल प्राप्त कर सके जो उन्हे सेना छोड़ने के बाद अपनी अजीविका अर्जित करने में सहायक हों। हमें ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए।

सशस्त्र सेनाओं का मनोबल अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं समझता हूं कि हमें मनोबल ऊंचा बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें उन्हे उचित पदोन्नति देकर उचित ढंग से सम्मानित करना चाहिए। सशस्त्र सेनाओं ने हमारे देश के लिए जो कुछ भी किया है उस पर हमें गर्व है परन्तु यदि हम उन्हे पर्याप्त पदोन्नति और प्रोत्साहन दें तो बेहतर काम कर सकते हैं। फिर हमें अपनी देश में होने वाली किसी नागरिक अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र सेनाओं का जब कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हे केवल अपवाद की परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए।

मैं केवल दो और मुद्दों पर बोलना चाहता हूं। पहला आसूचना से संबंधित है। मेरे विचार से हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं के आसूचना आधार को बड़े पैमाने पर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अब खतरे का आकार बदल रहा है और इसकी अवधारणा इतने नाटकीय रूप से बदल रही है कि उनके समक्ष चुनौती यह है कि उन्हें सूचना पहले ही मिलनी चाहिए। इससे पूर्व कि कोई और कार्रवाई करले हमें यह पता होना चाहिए कि क्या घटित होने जा रहा है जिससे कि हम उनसे पहले ही कार्रवाई कर सके। अत: हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं की आसूचना को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। जिसके लिए हमें विभिन्न आसूचना संस्थानों के बीच सहयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें और अधिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, परन्तु साथ ही हमें इसे सम्भव बनाने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता हैं। हमें आशा है हम ऐसा करेंगे।

मेरा अंतिम मुद्दा रणनीति से संबंधित है। मैं रक्षा मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि अनेक मुद्दों पर हमें सामरिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है हम जानते हैं कि जैसा अक्सर होता है, विश्व भर में सरकार ही मात्र ऐसी संस्था नहीं है जहां मूल विचारों का सृजन होता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि सरकार बहुत से कार्य करती है। अत: हम भारत में विचारकों के सृजन को प्रोत्साहित करना चाहिए। जिसका सरकार द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए और ऐसे विचार यदि वास्तव में बेहतर हों तो सरकार उन्हें लागू करने को कहेगी। मेरा विचार है कि हमें इसका प्रयास करना चाहिए और यदि हम ऐसा करते है तो इससे सशस्त्र सेनाओं को सहयोग मिलेगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगले सदस्य का नाम बोलने के लिए पुकारने से पहले मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपना भाषण कृपया पांच मिनट में समाप्त कर दें।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने सुझाव रखने और अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। मुझे याद है, कुछ दिन पहले ही श्री एम.एम. पल्लम राजू,

[श्री अविनाश राय खन्ना]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि सेना में लगभग 15 हजार आफीसर्स की पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं। उसके उन्होंने कई कारण बताए, जैसे कि प्राइवेट सैक्टर में सैलरी या रैस्पैक्ट ज्यादा है। इस प्रकार के कई कारण बताए थे। सेना में चेंज इन कैरियर परफारमेंस है और टफ सर्विस कंडीशंस हैं। मैंने बाद में मंत्री जी से मिलकर एक बात कही थी कि शायद सरकार ने जो नैचुरल फीडिंग सैंटर्स थे, जो नैचुरल फीडिंग सैंटर्स थीं, उन्हें इगनोर कर के, उन्हें भूलकर आर्मी की रिक्रूटमैंट पर ध्यान दिया। जैसे पंजाब, आर्मी में, हमेशा अपने यहां से सबसे ज्यादा लोग भेजता था। पंजाब में भी, मेरे संसदीय क्षेत्र होशियारपुर के एक पार्ट कंडी से सबसे ज्यादा लोग फौज में भर्ती होते थे। मेरा ख्याल है कि कंडी एरिया में ऐसा कोई घर नहीं होगा, जहां से परिवार का एक न एक सदस्य फौज में न हो।

महोदय, आज उस फीडिंग स्टेशन को इगनोर किया गया है। उसके कई कारण रहे हैं। पहले पंजाब और हिमाचल प्रदेश एक राज्य था। हिमाचल प्रदेश हिल एरिया है। हिली ऐरिया होने के कारण उसे रिलैक्सेशन दिया जाता था। जब पंजाब और हिमाचल प्रदेश अलग हो गए, तो हिमाचल प्रदेश को तो वह रिलैक्सेशन मिला, लेकिन पंजाब का रिलैक्सेशन वापस ले लिया गया। उसमें कुछ सर्टीफिकेट बनते थे, जैसे डोगरा सर्टीफिकेट बनता था। आज पंजाब में यह स्थिति है कि जो डोगरा आर्मी में है, उसके पिता के पास तो डोगरा सर्टीफिकेट है, लेकिन यदि बेटा आर्मी में जाना चाहता है, तो उसके बेटे के पास डोगरा सर्टीफिकेट नहीं है। इसके कारण आर्मी की रिक्रूटमैंट पर काफी फर्क पड़ा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सरकार इस विषय में सोच-विचार कर के कोई न कोई हल निकाले। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें एक मौका दें, मैं अपने क्षेत्र से ही, एक साल के अंदर जितनी भी पोस्टें खाली हैं, उन्हें भर सकता हूं। यह मेरा चेलेंज भी है।

महोदय, देश में यदि सबसे अनुशासित फोर्स अगर कोई है, तो वह आर्मी है। जब वे आर्मी में रहते हैं, तब भी उनकी समस्या रहती है और जब वे आर्मी से रिटायर होने के बाद फील्ड में आते हैं, तो भी उनकी समस्याएं बनी रहती हैं। अगर किसी भी सर्विस करने वाले के पीछे 'एक्स सर्विसमैन' वर्ड यूज होता है, तो वह सिर्फ आर्मी वालों के लिए होता है। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सारे देश में अनुशासन लाना है, अगर सारे देश को डिसीप्लिन्ड करना है, तो आर्मी की ट्रेनिंग सब के लिए कम से कम एक साल के लिए कम्पलसरी होनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाए, तो मैं समझता हूं कि देश में एक नया वातावरण बनेगा, लोग अनुशासित होंगे और जहां-जहां अनुशासनहीनता की बात आ रही है, वह भी कम होगी।

महोदय, अभी कुछ समय से जो एक नया ट्रैंड शुरू हुआ है, वह है आर्मी के लोगों द्वारा सुसाइड करना। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। घर से आदमी आपने देश की रक्षा करने के लिए गया है, लेकिन सूचना मिलती है कि दुश्मन की गोली से मरने की बजाय, उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। उसके कई कारण हैं। मैं समझता हूं कि उन कारणों की कैंसलिंग कर के, आर्मी पर्सोनैल की समस्याओं को पर्सनली सुनकर, अगर हल नहीं किया गया, तो यह टैंडेंसी बढ़ती जाएगी। उनका जॉब बहुत टफ है। वे परिवार से दूर रहते हैं। यदि परिवार में कोई समस्या आ जाए और वे छुट्टी लेना चाहें, तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। इस कारण वे मैंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वे अपने जीवन से ही मायूस होने लगते हैं और आर्मी में भर्ती होने से पहले जो जज्बा होता है कि मैं दुश्मन से लड़ते हुए मरूंगा, उसके बजाय वे अपना जीवन सुसाइड कर के खत्म कर देते हैं। इस ट्रैंड को भी रोकना होगा।

महोदय, एक और बहुत बड़ी बात है, जिस पर कभी भी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज कितने ही प्रिजन आफ वार देश की रक्षा करते हुए, विदेशों की जेलों में बन्द हैं। लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप उन परिवारों से बात कीजिए। वे परिवार चिन्ता करते हैं कि मेरा घरवाला, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा दोस्त देश की सेवा करने गया और दूसरे देशों में आज वह कैद है। लड़ाई के लिए भी और कैदियों की रिहाई के लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए।

दूसरी बात आधुनिकीकरण की भी कही गई है। मैं निवेदन करूंगा कि तीनों सेनाओं के बारे में सरकार ने काफी कुछ किया है, जैसे फ्रंट लाइन टैंक्स हैं, यूएवी मिसाइल्स हैं, न्यू इंफैंटरी वैपन्स हैं, स्टील वारशिप है, सबमैरीन्स हैं, लेकिन वायु सेना के लिए 136 मल्टी रोल काम्बेट, यह वेटिंग लिस्ट में है। मैं चाहता हूं कि जैसे रोज एमआईजी विमान क्रैश होते हैं और कितने ट्रैंड पायलेट्स मर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए भी ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, 440 करोड़ रुपया 22 सैनिक स्कूलों के लिए रखा गया है। जैसा मैंने पहले बताया है कि आर्मी के लिए जो फीडिंग स्टेशंस

हैं, वहां सैनिक स्कूल नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 600-700 गांव हैं, जहां आपको सैनिक से लेकर आफिसर तक आपको मिलेंगे। वहां कोई भी सैनिक स्कूल नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर रोपड़ में एक सैनिक स्कूल बन जाए, तो उससे हम आर्मी में जो मैन पावर की कमी आ रही है, उसे दूर कर पाएंगे और उनके बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। एजुकेशन और हैल्थ के लिए हर व्यक्ति चिंतित रहता है और आर्मी के लोगों के लिए भी चिन्ता है। एक्स सर्विसमैन या आर्मी में काम करने वाले लोग हैं, उनके परिवारों के लिए जो हैल्थ सेंटर है, हमने जालंधर में एक हैल्थ सैंटर बना रखा है, लेकिन चंडीगढ़ से लेकर जालंधर तक कोई भी हास्पिटल नहीं है। चंडीगढ़ और जालंधर के बीच में आर्मी का एक नया अस्पताल खुलना चाहिए, ताकि आर्मी के एक्स सर्विसमैन उसका फायदा उठा सकें।

एक्स सर्विसमैंस के लिए कैंटीन का प्रोविजन है, लेकिन ये कैंटींस इतनी दूरी पर हैं कि जो लोग दूरदराज या एरियाज में रहते हैं, उनके लिए कैंटीन का लाभ लेना बहुत मुश्किल है, इस कारण अगर मोबाइल कैंटींस शुरू की जाएं, तो कैंटींस का बेनिफिट हम एक्स सर्विसमैंस को दे सकते हैं। एक चिन्ता की बात यह है कि जब भी कोई सरकार आती है, तो वह वायदा करती है कि हम रैंक, वन पैंशन देंगे। मैं समझता हूं कि हर आर्मीमैन के लिए कोर इश्यू है। जब भी उससे बात करो, तो वह कहता है कि वन रैंक, वन पैंशन के लिए हर सरकार कहती है, लेकिन किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। यहां भी चर्चा शुरू हुई थी, जब सैशन हुआ, तब सरकार ने एक कमिटमैंट दी थी, हमारे प्रणव मुखर्जी उस समय डिफैंस मिनिस्टर थे, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी और कहा था कि आगे इस बारे में कोई कमेटी नहीं बनेगी तथा हम वन रैंक, वन पैंशन देंगे, लेकिन अभी तक सैनिकों को वन रैंक, वन पैंशन के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। वे इंतजार कर रहे हैं। आप उन्हें बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन उनके मन में जो टीस है, वह वन रैंक, वन पैंशन के बारे में है। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में जल्द फैसला करें।

महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। एयर बेस की बात सामने आई है, जो सिविलियंस के लिए यूज किए गए हैं। आदमपुर का एयर बेस, क्योंकि यहां कोई थ्रेट नहीं है, बहुत शांतिपूर्ण एरिया है और वहां बहुत पोटेंशियल है, सिविल एविएशन मिनिस्टरी ने अप्रूवल दी है, लेकिन डिफैंस मिनिस्टरी उस बात को नहीं मान रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका आदमपुर का जो एयर बेस है, अगर उसे आपकी जो शर्तें हैं, उन्हें फुलफिल करने के बाद उस एयर बेस को सिविलियंस के लिए यूज करने दिया जाए, तो सरकार को तथा लोगों को उसका बहुत लाभ मिल सकता है।

मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि 26 अप्रैल को भूतपूर्व सैनिक छठे वेतन आयोग के खिलाफ देश भर में रैली कर रहे हैं। आप उस रैली को रोकिए, क्योंकि अगर एक डिसिप्लिड फोर्स को धरने पर बैठना पड़े, यह देश के हित में अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि 26 अप्रैल से पहले इस बात के बारे में कोई निर्णय ले कर इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकाला जाए।

[अनुवाद]

श्री के.एम. आबून रशीद (पेरियाकुलम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदानो की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

रक्षा के लिए 96.000 करोड़ रु. की आवश्यकता है जबकि एनडीए के शासन काल में वर्ष 2002-03 में यह राशि केवल 56.000 करोड़ रु. थी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि वर्ष 2006 के दौरान रक्षा खरीद नीति अपनाने के पश्चात खरीद संबंधी क्रियाकलापों में पारदर्शिता आयी है। कुंछ परियोजनाओं को मेक श्रेणी के अंतर्गत चिन्हित किया जाना प्रक्रियाधीन है। रक्षा मंत्रालय एकीकृत रक्षा सेवाओं की सहायता से दो स्तरों, सेनाओं के भीतर छोटे पैमाने पर और रक्षा सेवाओं में बड़े पैमाने पर व्यर्थ व्यय बातो को जो की पहचान कर उससे बच सकता है। आशा है कि सरकार द्वारा किसी भी खाते में व्यर्थ व्यय को रोका जा सकेगा।

सशस्त्र सेना न्यायधिकरण की स्थापना के पश्चात सैनिको से जुड़े मुकदमों को शीघ्र निपटाने में सहायता मिलेगी मेरे विचार से तटरक्षक बल को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उनकी उनके परिवारों का संरक्षण किया जाना चाहिए विशेषरूप से उन तटरक्षक बलों जिन्हें सुदूर तैनात किया गया है उन परिवारों को तटवर्ती क्षेत्र के 20 से 25 कि.मी. के भीतर ही आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि तटरक्षक बल के कार्मिक यह महसूस न करे कि वे अपने परिवारों से दूर हैं, अत: वे एक साथ एक महीने की छुट्टी पर नहीं जाएगे। भूतपूर्व सैनिको, युद्ध में शहीद सैनिको की विधवाओं तथा युद्ध में अपंग सैनिकों को और सुविधाए दी जानी चाहिए। जो और अधिक समय तक सेवा करना चाहते हैं उन्हें और अवसर दिया जाना चाहिए और राज्य सरकार को उन्हे पुलिस, सतर्कता और अन्य विभाग जैसे बीएओ और राजस्व जो भी उनके लिए उचित हो ये उन्हे नौकरिया देकर उनका ख्याल रखना चाहिए।

[श्री जे.एम. आरून रशीद]

युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके परिवारों और सेवानिवृत्त सैनिको तथा उनके परिवारों को संपूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

छठे वेतन आयोग की सिफारिशें तत्काल लागू की जानी चाहिए। हम संबंध में हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह पहले ही कह चुके है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाएगा जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

महोदय, वायु सेना के अनेक पायलट वायु सेना छोड़कर बेहतर वेतन के लिए निजी क्षेत्रों में जा रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता छात्रवृति कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। अभी इस योजना के अंतर्गत 4000 बच्चों को छात्रवृति दी जा रही है। मेरा विनम्र निवेदन है कि बच्चों की संख्या और राशि में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए। सभी विद्यालयों में बालकों अथवा बालिकाओं दोनों के लिए एनसीसी को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

मैं गैर व्यपगत्य रक्षा आधुनिकीकरण कोष का गठन करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों तथा पुनर्वास के लिए धन के वितरण के संबंध में राज्य सरकार के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्णय के लिए भी सराहना करता हूं। इस निधि का गठन बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आधुनिकीकरण की हमेशा ही आवश्यकता होगी।

माननीय महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र चेरिमाकुलम तमिलनाडु के थेनी जिले में हैं इस क्षेत्र से काफी संख्या में लोग रक्षा सेनाओं तथा अर्ध सैनिक बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में तैनात हैं। तमिलनाडु के थेनी और थिरूनेवेली जिले के काफी लोग सेनाओं में तैनात हैं। परन्तु यह अत्यंत दुख की बात है कि इन दो जिलों सहित देश के विभिन्न भागों के रक्षा कार्मिक देश की रक्षा और और मात्र भूमि के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर रहे हैं। मैं उनकी संवेदनाओं को बांटने और सांत्वना देने के लिए उनके घर गया। मैं हमेशा ही उनकी संवेदनाओं को बांटने और उन्हे सांत्वना देने के लिए इन जिलों मे उनके घर जाता हूं। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार उनकी सहायता कर रही हैं। मैं उनकी सहायता करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूं। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है कि मृतक के परिवार का ध्यान इस प्रकार से रखा जाना चाहिए। जिससे कि उसकी विपत्ति को कुछ कम किया जा सके और मृतक के परिवार के एक सदस्य को एक महीने के भीतर ही नौकरी दी जानी चाहिए।

यह जानकर मैं बहुत क्षुब्ध हूं कि रक्षा बलों में जनसंख्या की तुलना में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काफी कम है। क्योंकि ये अनुशासन प्रिय सेवा है रक्षा सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को और अवसर दिए जाने चाहिए।

उन्हे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे अपेक्षित हैं। इससे अल्पसंख्यकों को सही संकेत जाएगा क्योंकि वे भी समाज की मुख्य धारा का अभिन्न अंग है।

जहां तक सैनिक स्कूलों का संबंध है पूरे देश में केवल 22 सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूलों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप शेष भाषण को सभा-पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जे.एम. आरून रशीद : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

[अनुवाद]

यह उचित होगा कि रक्षा कर्मचारियों की संख्या के आधार पर भारत के प्रत्येक जिले विशेषकर तमिलनाडु के थेनी जिले जहां कि मेघमलाई नामक पर्वतीय क्षेत्र है में एक अथवा दो सैनिक स्कूल खोले जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बाकी की स्पीच लिख कर दीजिए, मंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्री जे.एम. आरून रशीद : महोदय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। इन कर्मचारियों

को कम वेतन दिया जाता है। इन कर्मचारियों का उत्तर भारत में स्थानतरण करने से उनका परिवार प्रभावित होगा। मेरे समक्ष एक मामला आया है एक परिचारक का उत्तर भारत में स्थानांतरण किया गया है। वह उत्तर भारत के कहां जाएगा कहां रहेगा? वह वहां की भाषा भी नहीं जानता है। इससे उसकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। अत: इसे रोका जाना चाहिए।

इजराइल जैसा छोटा देश दुनिया भर में रक्षा उत्पाद बेंच रहा है। हमारे देश को एक सुपर पावर माना जाता है। हमारे देश को साफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी शीर्षस्थ माना जाता है और विश्व ने तकनीक और आधुनिक अनुसंधानों की सराहना की है। हाल ही में घरलू बैंकों में जमा और विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई है हमे एक सुदृढ़ विपणन रणनीति तैयार करनी चाहिए और रक्षा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि हम उत्पाधुनिक रक्षा उत्पादों के आयात के कतिपय प्रतिशत को पूरा कर सकेगे।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री पी.एम. अब्दुल रशीद : एक पृष्ठ और शेष है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

मैंने आपकी बात मान ली अब आप मेरी बात मान ले और अपनी स्पीच लिख कर दें।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. अब्दुल रशीद : डेढ़ पेज का भाषण और शेष है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा। निश्चित रहें इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

श्री पी.एम. अब्दुल रशीद : धन्यवाद महोदय, मैं शेष भाषण सभा-पटल पर रख रहा हूं।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं*

1. नौकरियों में आरक्षण : केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ग' में 10% और समूह 'घ' की सेवाओं में 20% आरक्षण प्रदान किया है। परन्तु अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इस प्रतिशत को लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस योजना का सांविधिक आधार नहीं है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों (वीएओ), ड्राइवर और संवाहकों की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को पर्याप्त नौकरियां नहीं दी गई है।

भूतपूर्व सैनिकों को अवसर के मामलों में यह एक कटु सच्चाई बन गई है तथा केवल समर्थ लोग ही इसका लाभ उठा सकते है। इसके अतिरिक्त निजी प्रतिष्ठानों द्वारा भर्ती के मामले में यह केवल एक दिखावा बन कर रह गया है क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियों में बने रहने से कम वेतन वाले बाहरी व्यक्ति लगाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते है। इस प्रकार निजी नियोजक भूतपूर्व सैनिकों के भर्ती संबंधी सरकार के आदेशों का अनुपालन करने का दिखावा करते हैं। इसलिए भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करना एक गतिरोध है और इस योजना के अर्थपूर्ण क्रियान्वयन में सांविधिक उपाय करने की आवश्यकता है। भूतपूर्व सैनिकों को निजी प्रतिष्ठानों में कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और अन्य लोगों के बराबर आंका जा रहा है। सरकारी नौकरियों में भी वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है केवल समृद्ध अधिनस्थ ही अवसरों का लाभ उठाते हैं।

2. चिकित्सा सुविधाएं : जहां तक दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधाओं का प्रश्न है ईसीएचएस प्राधिकृत निजी अस्पतालों द्वारा उन्हें चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। ऐसे अस्पताल 50 कि.मी. दूर स्थित हैं और बीमार लोगों को दूर अस्पताल में जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे निजी अस्पतालों को ईसीएचएस द्वारा लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है। ऐसी स्थिति में जब इन निजी अस्पतालों को नियमित रूप से अंशदान नहीं मिलता भूतपूर्व सैनिकों को इलाज के लिए इनकार कर दिया जाता है उदाहरण के तौर पर मदुरै स्थित अपोलो अस्पताल ईसीएचएस द्वारा अधिकृत है पेटियाकुलम निर्वाचन क्षेत्र से 80 कि.मी. दूर स्थित है बीमार भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को 80 कि.मी. यात्रा करने के पश्चात बिना इलाज के वापस

*...भाषण का यह भाग सभा-पटल पर रखा गया।

[श्री जे.एम. आरून रशीद]

लौटना पड़ता है क्योंकि समय पर अस्पताल के बिल की ईसीएचएस द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाती। भूतपूर्व सैनिकों को इस प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ रहा है जो देश के लिए अपने प्राणों की बली देते हैं यह चिंताजनक बात है तथा सरकार को दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए उनके आवास के समीप 50 कि.मी. से कम दूरी पर ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

3. **मद्य आपूर्ति** : उच्च श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक रियायती दरों पर 10 बोतल और कनिष्ठ श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक रियायती दरो पर 6 बोतल पाने के हकदार हैं जब फैमिली पेंशनधारकों की ओर से इसी प्रकार की मांग की गई तो कनिष्ठ श्रेणी के भूतपूर्व सैनिको की आपूर्ति में 2 बोतलों की कटौती कर दी गई और पारिवारिक पेंशन धारकों को यह सुविधा दे दी गई। इस प्रकार कनिष्ठ के भूतपूर्व सैनिकों के साथ अन्याय किया गया और 6 बोतलों की आपूर्ति को बहाल करने की मांग की जा रही है। इस प्रकार रक्षा विभाग ने पारिवारिक पेंशन धारकों को नया कोटा आवंटन करने के बजाय भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं और बढ़ा दिया है। रक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इस साधारण मुद्दे की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

4. **पारिवारिक पेंशन** : असैनिक सेवाओं में पेंशन धारक की मुत्यु के पश्चात परिवार को स्वत: ही पारिवारिक पेंशन दी जाती है। जबकि भूतपूर्व सैनिकों के मामले में परिवार को विभिन्न कार्यालयों और प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और कई वर्षों तक अनेक कठिनाइयों से गुजरने के पश्चात पारिवारिक पेंशन मिल पाती हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि मृत भूतपूर्व सैनिकों के लिए पारिवारिक पेंशन संबंधी नियमों का सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

5. **निःशुल्क भूमि** : तमिलनाडु में भूतपूर्व सैनिकों को निशुल्क 5 एकड़ भूमि के आवंटन का कार्यान्वयन पूर्णतयां नहीं किया जा रहा है जबकि अन्य राज्यों में बिना किसी समस्या के सरकारें भूतपूर्व सैनिकों को लाभ दे रही हैं यह योजना रक्षा नियमों के अंतर्गत उपलब्ध करायी गई है और भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई है।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो. रामदास को आमंत्रित करता हूं। आपको केवल चार-पांच मिनट का समय दिया जाता है।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदय, अपने दल की ओर से मैं ही एक मात्र वक्ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्यथा भी आपके दल को केवल दो मिनट का समय दिया गया है।

प्रो. एम. रामदास : मैं नहीं बोलूंगा। यह इतना विस्तृत विषय है कि मैं दो मिनट के भीतर अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चार अथवा पांच मिनट तक बोल सकते हैं।

प्रो. एम. रामदास : मैं आपकी तरह महान व्यक्ति नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जारी रखें।

प्रो. एम. रामदास : मैं नहीं जानता ऐसा क्यों होता है। जब भी मैं बोलने के लिए उठता हूं ऐसा होता है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का समय ही थोड़ा होता है, इसलिए मेरी भी मजबूरी है।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास : ठीक है फिर मैं नहीं बोलूगां।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जारी रखे। मैं देखता हूं।

[हिन्दी]

आप शुरू तो कीजिए।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास : मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों वर्ष 2008-09 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

मैं जानता हूं कि इसमें छह मांगे हैं नामत: मांग संख्या 21, 22, 23, 24, 25 और 26 जिनमें 1,05,600 करोड़ रु. खर्च किए जाएंगे। यह वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान की तुलना में 10% अधिक है तथा 2007-08 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 14.16 प्रतिशत अधिक है जो कि भारी वृद्धि है। इस वर्ष रक्षा बजट कुल व्यय का 14% होगा तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.99% होगा।

इस बजट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि रक्षा व्यय का लगभग 47 प्रतिशत व्यय पूंरी परिव्यय अथवा पूंजी व्यय पर होगा। यह राशि लगभग 48000 करोड़ रु. होगी और इसे पूंजी व्यय पर खर्च किया जाएगा। वर्ष 2000-01 में यह राशि मात्र 12000 करोड़ रु. थी। परन्तु इस वर्ष हम लगभग 48000 करोड़ रु. खर्च कर रहे हैं जो कि पूंजी व्यय में चार गुना वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यह देश को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने की यूपीए सरकार की इच्छा को दर्शाता है जिसके लिए पूजी व्यय की आवश्यकता है। यह देश को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने की सरकार को दर्शाता है।

अपराह्न 5.29 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

सशस्त्र सेनाएं इस देश की सुरक्षा देश के सुचारू आर्थिक विकास को संरक्षण प्रदान करने, हमारी सीमाओं तथा संचार व्यवस्था की सुरक्षा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे आतंकवाद जंगजुओं तथा देश के विभिन्न भागों में नक्सलवाद का सामना करने में हमारी सहायता कर रही हैं।

तिब्बत तथा साथ ही अरुणाचल प्रदेश में चीनी षड्यंत्र की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अत: इन सभी सामरिक समस्याओं के लिए अधिक व्यय किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए हम रक्षा मंत्रालय को आवश्यक 1,05,600 करोड़ रु. की मांग का समर्थन करते हैं। निसन्देह समाज के कुछ वर्गों का मत है कि देश को आवश्यक रक्षा तैयारियों के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं होगी। इस वक्तव्य में कुछ सच्चाई हो सकती है। परन्तु तथापि हमें यह स्वीकार करना होगा कि अन्य प्रयोजनों आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध कुछ संसाधनों में से हम रक्षा प्रयोजनो पर कहीं अधिक राशि खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमें देश के विकास और सुरक्षा के लिए इस राशि का इष्टतम प्रयोग करना चाहिए।

रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते समय मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ आवश्यक बिंदुओं की ओर दिलाना चाहता हूं। संभवत: गत कुछ वर्षों में हम रक्षा बजट के अंतर्गत आवंटित की गई राशि को खर्च नहीं कर पाये है अत: इस बजट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। उदाहरण के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित किए गए कुल व्यय का लगभग 60,474 करोड़ रु. जो कि कुल बजट परिव्यय का 14.46 प्रतिशत है को पर्याप्त रूप से खर्च नहीं किया गया है। गत वर्ष 2007-08 में लगभग 5,000 करोड़ रु. खर्च नहीं किए गए। इसलिए हमें पूंजी व्यय पर धन खर्च करने लिए एक उचित योजना प्रक्रिया बनानी चाहिए। जिससे कि हम उसका इष्टतम उपयोग कर सके। साथ ही हमें रक्षा सेनाओं में अनावश्यक व्यय को कम करने के तरीके आने चाहिए जिससे कि बचत की गई राशि का प्रयोग संसाधनों के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकें।

महोदय, आज देश को अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से अधिक रक्षा क्षमता की आवश्यकता है। अब एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या भारत को रक्षा उत्पादन में स्वावलम्बी होना चाहिए। निसन्देह हमे स्वावलम्बी होना चाहिए क्योंकि हम इन उपस्करों के आयात के विकल्प पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि इससे हमारा आयात बिल बढ़ेगा। दूसरी बात यह कि यदि हम इन वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वयं उत्पादन करते हैं तो उस पर खर्च की जाने वाली धनराशि अर्थव्यवस्था में ही रहेगी और हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा देश के लिए आवश्यक उपस्कर बनाने में समर्थ होंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. एम. रामदास : इसलिए रक्षा उत्पादन में स्वावलम्बन सरकार के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए हमें अपनी अनुसंधान क्षमताओं को विकसित करना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारा देश तकनीकी तथा वैज्ञानिक श्रम शक्ति का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है।

मैं नहीं समझता कि हम इसका उत्पादन क्यों नहीं कर सकते। यदि धन की कमी है, तो हम रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि भी कर सकते हैं। वर्तमान में क्षेत्र में 26 प्रतिशत की सीमा है। हम इसे 49 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं जिससे कि हम निवेश संसाधन तथा प्रौद्योगिकी संसाधन दोनों ही प्राप्त हो सकें।

महोदय, सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी है। लगभग 24 प्रतिशत अधिकारियों की कमी है और इसे विभिन्न तरीकों से

[प्रो. एम. रामदास]

पूरा किया जाना चाहिए। जैसे यह सरकार पहले ही कर चुकी है। सरकार को परिणामी बजट प्रस्तुत करना चाहिए। यद्यपि रक्षा मंत्रालय को परिणामी बजट प्रस्तुत करने से छूट है क्योंकि हम एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक राशि खर्च करने जा रहे हैं इसलिए हमें इस परिणामी बजट तैयार करने के तरीके तलाशने चाहिए तथा रक्षा सेनाओं को सभी कार्यवाईयों को लोगों के लिए पारदर्शी बनाना चाहिए। हमें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सुधारना चाहिए और शिक्षा में शैक्षणिक अभिमुखता की बजाय सेवा गुणवत्ता में अभिमुखता की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर सशस्त्र सेनाओं में असंतोष व्याप्त है और माननीय मंत्री जी को इस असंतोष को दूर करना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह नोट करते हुए बहुत खुशी होती है कि माननीय वित्त मंत्री जी वित्तीय कार्यकलापों के लिए बैंकिंग क्षेत्र में लगभग एक से दो लाख भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने जा रहे हैं। इसी प्रकार, अर्द्ध सैनिक बलों में भूतपूर्व सैनिकों की पार्श्विक भर्ती की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे कि उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की शैक्षिक सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए स्वयं मंत्रालय को एक कोष की स्थापना करनी चाहिए जिसके माध्यम से वे उन्हें शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। शैक्षिक संस्थानों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित होनी चाहिए।

प्रत्येक राज्य में सैनिक स्कूल होने चाहिए ताकि वे देश की रक्षा हेतु नेतृत्व प्रदान कर सकें।

मैं दो महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे उठाना चाहता हूं। तमिलनाडु में मछुआरे समुद्र में जाते हैं और वे अनजाने में श्रीलंका की सीमा में चले जाते हैं और जहां उन्हें श्रीलंका की सेना और नौ सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है।

उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं और इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि भारत-श्रीलंका सीमा पर तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाए और मछुआरों को श्रीलंका की सेना द्वारा पकड़े जाने से बचाना चाहिए। हमने कच्चातिवु व्यापक हित में दे दिया था और इसे अब वापस लिया जाना चाहिए। अब समय आ गया है जब हमें इसे वहां के मछुआरों की आजीविका के हित में वापिस लेना चाहिए।

आज हम देखते हैं कि श्रीलंका में तमिलों के विरुद्ध अनेक अत्याचार किए जा रहा है। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, श्रीलंका को भारत सरकार द्वारा ऐसे उपस्करों की आपूर्ति नहीं करनी चाहिए जिन्हे श्रीलंका द्वारा तमिलों के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। वे अपने लोग हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। तमिलों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही में रक्षा मंत्रालय को उनका साथ नहीं देना चाहिए।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें देश की रक्षा से अधिक अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए क्योंकि सौहार्दपूर्ण संबंध करके ही हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं न कि हथियारों पर निर्भर रह कर। पड़ोसी देशों के साथ शांति स्थापित करने की आवश्यकता है और उसके लिए रक्षा मंत्रालय को कार्य करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, चर्चा के लिए नियत समय समाप्त हो चुका है। अभी सदस्यों को बोलना है। यदि प्रत्येक सदस्य को तीन मिनट का समय दिया जाए तो चर्चा पूरी हो सकती है। अन्यथा मैं माननीय मंत्री को आंमत्रित करूंगा।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, आपने मुझे रक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, रक्षा विभाग, हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सीमा पर जवान, खेत पर किसान और देश के अंदर विज्ञान, ये तीनों सजग रहें तो निश्चित रूप से हमारा ताकतवर रहेगा। हमारे देश के एक महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है कि अगर आपको शांति से जीना है तो 24 घण्टे युद्ध के लिए तैयार रहो। जो देश युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, वे ही शांति से जी सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश के सैनिकों के मजबूत कंधों पर ही यह भार है। आज छठे वेतन आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं, उनसे सेना के लोग खुश नहीं हैं और जैसा कि अभी खन्ना जी ने कहा, 26 अप्रैल को देश भर में अनशन पर बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। निश्चित ही हमें इसकी चिन्ता करनी चाहिए कि वे आंदोलन न करें। जो देश की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति देते

हैं, 24 घंटे अपने सीने पर गोली खाने के लिए वे सीमा पर खड़े रहते हैं, उनको इतना वेतन मिलना ही चाहिए जिससे उनका व उनके परिवार का भरण-पोषण हो सके। आर्मी का जवान जब 17 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर अपने घर पहुंचता है, तो उसे जो पेंशन मिलती है, उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता है। निश्चित ही केन्द्र सरकार को इसकी चिन्ता करनी चाहिए। चाहे प्राइवेट सैक्टर हो या गवर्नमैंट सैक्टर हो, जहां भी उचित हो, जहां भी वैकेंसीज निकलें, ऐसे लोगों को नौकरी देनी चाहिए। यदि उन्हें जगह नहीं मिलती तो वे लोग एक प्रकार से बेकार रहते हैं। हम लोग देखते में देखते हैं, मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन में माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र है। वहां से हजारों लोग सेना भर्ती हैं। जब उनमें से कई लोग रिटायर होकर घर आते हैं तो हमने देखा है कि वे या तो घर बैठे रहते हैं या फिर खेती-बाड़ी करते हैं। प्रदेश सरकारों को यहां से निर्देश जाना चाहिए कि सेना के लोग जब रिटायर होकर घर आते हैं, तो उन्हें आर्म का लाइसेंस देना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उन्हें सिविल में गार्ड वगैरह की नौकरी आसानी से मिल जाएगी और वे अच्छा वेतन भी प्राप्त कर सकेंगे।

मेरे क्षेत्र में सैनिकों के बच्चों के लिए एक सैनिक विद्यालय है। इन विद्यालयों की देखरेख का जिम्मा राज्य सरकार पर होता है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इन सैनिक विद्यालयों का जो खर्च इत्यादि प्रबंध है, वह अपने हाथ में ले। इसके अलावा केन्द्र सरकार को हर साल किसी न किसी राज्य में एक सैनिक विद्यालय खोलना चाहिए। अगर सब जगह ये विद्यालय खुल जाएंगे तो सैनिकों के बच्चों को आसानी से इनमें दाखिला मिल सकेगा और वे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, परन्तु मुझे खेद है कि मैं आपसे समाप्त करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : एनसीसी में हायर सैकंडरी से लेकर बीए तक के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है। जिन छात्रों ने सी सर्टिफिकेट ले लिया है, उन्हें सेना में तुरंत ले लेना चाहिए। हमने देखा है कि ऐसे कई छात्र, जिन्होंने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर सेना में भर्ती करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने अच्छे सुझाव दिए हैं, लेकिन समय कम है इसलिए संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : हमारे क्षेत्र झांसी में छावनी इलाका है। आज की स्थिति में उस एरिया के अंदर प्राइवेट लोगों द्वारा जमीन बेची जा रही है। जबकि कैंटोनमैंट एरिया के अंतर्गत आने वाली जमीन को वहां के नियमों के अनुसार अनुमति मिलने पर ही बेचा जा सकता है। इसलिए आप उसकी जांच कराएं और जो गलत रजिस्ट्रीज हुई हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। मैं इस संबंध में मंत्री जी से मिल भी चुका हूं इसलिए आप इसे अवश्य देखें और जो गलत रजिस्ट्रीज हुई हैं, उन्हें कैंसिल कराने का काम करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपने भाषण के लिए बधाई देता हूं क्योंकि आपने एक अच्छा सुझाव दिया है। परन्तु मुझे खेद है कि आपको बोलने के लिए अधिक समय नहीं दे सका। निस्सन्देह अगली बार इसकी पूर्ति की जा सकती है।

अगले वक्ता डा. करण सिंह यादव हैं कृपया चार मिनट में समाप्त करने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिंदुओं में ही अपनी बात कहूंगा। देश की रक्षा करने वाले जवानों के इस विभाग की अनुदानों की मांगों पर हम चर्चा कर रहे हैं। रक्षा के अलावा हमारे जवान देश में अन्य क्षेत्रों में भी काम करते हैं। चाहे देश में कोई आतंकवादी गतिविधि हो, चाहे समुद्र में कोई व्यक्ति डूब रहा हो या किसी होल में कोई प्रिंस घुस जाए, उसे निकालने की बात हो, आर्मी को सदा याद किया जाता है। आज देश में ऐसा वातावरण हो गया है कि आर्मी में आफिसर रैंक के कई पद खाली पड़े हैं, क्योंकि कोई फौज में जाना नहीं चाहता है। पहले लोग खुशी-खुशी फौज में भर्ती होते थे। आज की तारीख में आर्मी में 11,000 से ज्यादा पद आफिसर्स के खाली पड़े हैं। इस पर गहराई से चिन्ता करने की जरूरत है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे देश के नौजवान आर्मी में अपना कैरियर बनाएं। इस बारे में कई कमेटीज भी बनी हैं, कई मंत्रणाएं भी हुई हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी यह मामला ब्यरोक्रेसी और हमारे सिविल सर्विस के अधिकारियों के पास जाता है, वे आर्मी और सिविल दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। उन्हें

[डा. करण सिंह यादव]

लगता है कि फौज के आदमी को अगर कोई ज्यादा सुविधा दे दी, उसकी पैंशन के अंदर कोई ज्यादा बैनिफिट दे दिये, तो थोड़े दिन के बाद हमारे सिविल के लोग भी उसी तरह से फायदे मांगने लगेंगे। मैं समझता हूं कि सिविल से उन्हें अलग करना पड़ेगा और जो पुरानी रिकमेंडेशन है कि मिडिल लेवल के आर्मी अफसर्स को जो आईएएस, आईपीएस एग्जाम्स में बैठने की छूट दी जाती थी, लेकिन।

[अनुवाद]

आज कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग उन्हें आईएएस और आईपीएस परिक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दे रहा है। विभिन्न सरकारी सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में इसी तरह के पदों तक भी उनकी पहुंच नहीं हैं। इन बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

दूसरा विषय जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह 'एक रैंक एक पेंशन' से संबंधित है। लोगों द्वारा समय-समय पर इसकी मांग की गई है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी इसका उल्लेख किया गया है। इस माह की 26 तारीख को काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिक सारे देश में और इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस संबंध में कनिष्ठ स्तर पर अर्थात सिपाही और हवलदार स्तर पर कुछ कदम उठाये गए थे तथा अधिकारी कुछ बेहतर स्थिति में हैं, परन्तु सेना में मध्य रैंक के अधिकारी अर्थात् गैर कमीशन अधिकारियों को कुछ लाभ नहीं हुआ है। मेरे विचार से इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

आजादी से पहले सेना की यूनिटों के नाम जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, गुज्जर रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट रखे गये थे। अहीर बहादुर समुदाय थे; वे हमेशा ही सेना पर आगे ही रहे है। हरियाणा से एक योद्धा राव तुलाराम ने ब्रिट्रेन के लोगों के विरूद्ध लड़ाई लड़ी। संभवत:, उस समय के दौरान ब्रिट्रेन के लोगों ने सभी समुदाय के रेजिमेंट बनाये परन्तु अहीर रेजिमेंट नहीं बनने दी। मैं यह जानता हूं कि इस समय एक समुदाय के नाम पर एक रेजिमेंट को बनाना कठिन होगा परन्तु एक क्षेत्र के नाम पर इसे हमेशा ही बनाया जा सकता है। हमारे पास 'अहीरवाल' क्षेत्र के नाम से यह क्षेत्र है जो आंशिक रूप से राजस्थान में तथा आंशिक रूप से हरियाणा में है। अत: सेना में या तो अहीर रेजिमेंट अथवा अहीरवाल रेजिमेंट बनाई जानी चाहिये।

मैं यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि सशस्त्र सेना चिकित्सा बल को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। हमारे पास पुणे में सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज के रूप में सर्वश्रेष्ठ संस्थान है; हमारे पास छावनी क्षेत्रों में बहुत अच्छे रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल हैं। वहां पर अच्छे अतिनिपुण डाक्टर, अच्छे तन्त्रिका-चिकित्सक तथा अच्छे श्वसन चिकित्सक है। माननीय अध्यक्ष, महोदय आपकी पहुंच सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पतालों में चिकित्सा हेतु हैं और आप जानते है कि ये अस्पताल कितने बढ़िया है। इन अस्पतालों को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। वास्तव में, दिल्ली में सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज की आवश्यकता है। वास्तव में, हमारे पास पुणे में केवल एक कालेज है। मेरे विचार से एक प्रस्ताव कहीं लंबित है। यही समय है जब हम इसके बारे में सोचते है और उसी तरह एक अन्य अच्छा संस्थान बनाते है। पुणे चिकित्सा कालेज एक बहुत बड़ा (महान) संस्थान है और यदि दिल्ली अथवा उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वैसा ही संस्थान स्थापित किया जाये तो यह अच्छा होगा। यदि भूमि एक समस्या है तो मेरा अपना निर्वाचन-क्षेत्र, अलवर बहुत ही पास है। वहां पर सेना का बहुत बड़ा संस्थान है तथा वहां पर बहुतसारी भूमि उपलब्ध है। माननीय मंत्री उस क्षेत्र में इसे स्थापित करने पर विचार कर सकते है।

मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर सेना में बहुत सारे लोग है और वहां पर चीन युद्ध अथवा पाकिस्तान युद्ध के भी अनेक शहीद है; और कारगिल युद्ध के भी दो दर्जन से अधिक शहीद है। मेरे विचार से मेरे क्षेत्र में हमें एक अथवा दो ई.सी.एच.एस. औषधालयों की आवश्यकता है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है। हमारे पास अलवर में एक अस्पताल है जो सैनिक अस्पताल है। इसे सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है; इस इमारत के नवीकरण किये जाने की आवश्यकता है; और अलवर सैनिक अस्पताल में और ज्यादा विशेषज्ञों को लगाये जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्षेत्र और मेरा क्षेत्र।

डा. करण सिंह यादव : आपके पास एक निश्चित योजना है जिसके माध्यम से आप सेना के लोगों के आश्रितों हेतु शैक्षणिक कार्य करते है। मेरे क्षेत्र में 'बेहरोड' नामक निर्वाचन-क्षेत्र है जहां पर अनेक सेना कार्मिकों के पुत्र और पुत्रियां अध्ययन कर रहे है। यदि आपके पास प्रावधान है तो मैं बेहरोड उप-मंडल, जहां पर अनेक विद्यार्थी लड़कियां अध्ययन कर रही है, में लड़कियों के छात्रावास के निर्माण हेतु अनुरोध करता हूं। कार्यशील सेना कार्मिकों की पुत्रियां दूरस्थ स्थलों पर जाकर रह नहीं सकती है। यदि कोई प्रावधान है, और मैं यह

जानता हूं कि इस प्रकार की चीजों हेतु कुछ बजट आवंटन है, तो उस उद्देश्य हेतु धन का आवंटन किया जाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपका मुझे समय देने हेतु धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सेना के अस्पताल की उत्कृष्टता को प्रमाणित कर सकता हूं; मैं आपसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। किसी भी देश का गौरव उसकी शक्ति है। भारत माता की दिन-रात रक्षा करने वाले वायु सेना, जल सेना, थल सेना के अफसर और सैनिक गौरव के समान है। इस बार एक लाख पांच हजार छह सौ करोड़ रुपयों का रक्षा बजट में एलोकेशन हुआ है, वह हमारी जीडीपी का दो प्रतिशत है। जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन अपनी जीडीपी का पांच प्रतिशत और सात प्रतिशत तक रक्षा बजट में एलोकेशन करते हैं। हम भी इस बात पर जोर दें, ध्यान भी दें और मैं सरकार से अपील करना चाहूंगी कि हमारे सैन्य बल के सैनिक, जो देश की सेवा कर रहे हैं, उन्हें और ज्यादा बल देने के लिए तथा उनकी सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें सोचना चाहिए।

अभी छठे वेतन आयोग की कुछ बातें चौंकाने वाली सामने आ रही हैं कि हमारे अधिकारी और सैनिक, जो दिन-रात देश की सेवा कर रहे हैं, वे कहीं न कहीं वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज हैं। उत्कृष्ट सेवा करने वाले, अनुशासन में रहने वाले लोग क्यों नाराज हैं, इस पर सरकार जरूर ध्यान दे, क्योंकि छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर फोर्स के लोगों ने नाराजगी जताई, जो कभी शिकायत नहीं करते हैं, कभी बिना बात बोलते नहीं हैं। उनकी नाराजगी के प्रति ध्यान दे कर, इस गंभीर मामले को सुलझाने का प्रयत्न करें, क्योंकि पहले ही हम इन व्यवस्थाओं को, नौकरियों को अधिक आकर्षक बनाने में कहीं-न-कहीं चूक गए हैं। आज आईटी क्षेत्र में काम करने वाले छोटे-छोटे बच्चे भी बहुत आकर्षक वेतन पाते हैं, मान-सम्मान भी पाते हैं, लेकिन देश की रक्षा में दिन-रात एक करने वाले, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले भारत माता की सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को हम धन, मान-सम्मान और वेतन नहीं दे पा रहे हैं। इस बात पर सरकार ध्यान जरूर दे और कोई न कोई हल जरूर निकाले।

मैं तीसरी बात सुझाव के तौर पर आर्डिनेंस फैक्ट्रियों के बारे में कहना चाहती हूं कि अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिला कर चलना है, तो जरूरी है कि उनके फंक्शन और मलेजमैंट में उन्हें ग्रेटर आटोनौमी और फलेक्सिबिलिटी दें। इससे भारत वर्ष की जो ताकत है कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उसे और मजबूत किया जा सकता है। आर्डिनेंस फैक्ट्रियों को वायब्रेंट और एफिशियेंट बनाने के लिए जो जरूरत है, उसे कोई कम्पनी बना कर या ज्वायंट वेंचर के रूप में उन्हें ताकत देनी चाहिए।

हमारे सैन्य बल में बहुत जल्दी रिटायरमेंट है, ये उनकी कार्यभार की ही अनुशंसा है, लेकिन रिटायर हुए लोगों को हम अपनी सीमा सुरक्षा में, जैसे बहुत से राज्यों में आतंकवाद, उग्रवाद का सामना कर रहे हैं, उन पैरामिलट्री फोर्सिस में कैसे इन्हें काम पर लगा सकते हैं। मैंने जो आंकड़े देखें हैं, मैं उनमें नहीं जाती हूं, लेकिन बहुत कम मात्रा में हमारे रिटायर लोगों को हम इस प्रकार की सेवाओं में लगा सकते हैं। क्यों न सरकार सोचे की एक इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए, जिनमें रिटायर लोगों के लिए कौन सी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जिनसे वे अपने लिए कुछ कर सकें। आज वे लोग रिटायर होने के बाद मारे-मारे फिरते हैं। कहीं न कहीं रोड़ टोल प्लाजा पर अपनी शक्तियों को लगाते हैं। ऐसे प्रदेश जो सीमाओं से सटे हैं, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोस्टल गार्ड के ऊपर एलोकेशन कम हो रहा है। उसे बढ़ाना चाहिए। उन्हें जो संसाधन फोर्स के रूप में दिए जाते हैं, उसे बढ़ा कर हमें सीमा की रक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर, मुझे आपको कुछ और समय दे पाने के लिए खेद है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लाल सिंह जी, आपको बोलने के लिए चार मिनट दिए जाते हैं। आप बहुत ब्रीफ में टू दी प्वाइंट बोल सकते हैं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आर्मी देश की शान है। उसने आज से नहीं बल्कि सदियों से कुर्बानी दी है। उन्होंने कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा है। हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है। इसलिए उनकी सहूलियतों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। खास तौर पर बहुत दिनों से वन रैंक वन पैंशन का मामला पैंडिंग पड़ा है। हम इसे सैट नहीं

[चौधरी लाल सिंह]

कर पाए हैं। इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के डोगरा लोगों ने देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। सेना ने देश का फ्रंट बढ़ाया है और हम तिब्बत और खुर्द तक पहुंचे। हमारे बहादुरों ने बड़ी जंगे लड़ी हैं। जंग लड़ने के बाद सरहदें बनी हैं। हमारा कुछ हिस्सा पाकिस्तान और चीन के पास चला गया है। यहां कहा गया कि इसमें फलां लोगों की मैजोरटी कम है, फलां की ज्यादा है। इसमें धर्म तक की बातें कही गई हैं। जो देश की प्राथमिकताएं हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आर्मी में लोग देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। आफिसर्स की पोस्टें क्यों खाली पड़ी हैं? आज देश के लिए कुबानी देने का जज्बा कम होता जा रहा है क्योंकि उसमें पैसा इनवाल्व हो गया है। मैं एक छोटी सी बात सुनाना चाहता हूं। महाराज गुलाब सिंह जी के समय की बात है। जब जंग चल रही थी। तो हमारे जनरल भूप सिंह आगे चल रहे थे। जनरल को महाराज खुद वर्दी देते थे। वे कपड़े दिए काफी दिन हो गए हैं। वे जंग लड़ रह थे। जनरल के टोटली कपड़े फट जाते हैं और जब महाराज ने उनकी कंडिशन देखी तो कहा कि क्या दशा बना कर रखी है, उसने तलवार निकाल कर दिखायी जिसे जंग नहीं लगा था, ढाल दिखायी, जिस में कुछ नहीं था। वह खुश हुए और कहा कि जो अच्छी धन-दौलत इकट्ठी की है, इसमें से थोड़ी लेकर घर जाओ, उसने कहा कि नहीं, हमारे देश को, हमारी स्टेट को, हमारे रजवाड़ों को इस समय अच्छे हथियार और घोड़ों की जरूरत है, लिहाजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, शक्कर, गुड़, चने दे दो, मैं घर से वापस आ जाऊंगा। सवाल देशभक्ति पैदा करने का है लेकिन आज उसमें बड़ी कमी आ रही है। हिली एरियाज का तीन परसेंट को कोटा होता था चाहे गढ़वाली हों, डोगरा हो, दूसरे लोग हों, इसमें कोई कास्ट का सवाल नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने पहली बार बगावत की थी तो गढ़वाल राइफल्स और इन लोगों ने की थी। इसलिए इन लोगों की जो रिजर्वेशन तीन परसेंट थी, उसे दोबारा बहाल करना चाहिए। आर्मी में भर्ती होने के लिए उनका कद पांच फुट चार इंच रखा गया था। उन्हें रिलैक्सेशन होती थी। गोरखा को पिन्नी से नापा जाता था। ये चीजें अब रह गई हैं। हमारे यहां के तीन जिले कठुआ, सांबा और जम्मू में अधिकतम लोग आर्मी में सर्विस करते हैं।

सायं 6.00 बजे

पूरी स्टेट ने इन डिस्ट्रिक्ट्स में कानून बना दिया और इनकी तरफ से आर्डर आया है कि इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में मैट्रिक वाला का सिपाई भर्ती होगा और बाकी जगह आठवीं पास होगा जबकि मैक्सीमम आर्मी परसन्स इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। मैं कहना चाहता हूं कानून बनाते समय ध्यान रखिए और लोगों को इग्नोर मत कीजिए।

अंत में मेरा सब्मिशन है कि हमारा एरिया बार्डर वाला है, यहां जो डिच बनाई गई है और जो जमीन का कम्पेनसेशन है उसमें मैक्सिमम लोग रह गए हैं। यहां एक ब्रिज बैठ गया है, वह बहुत बड़ा ब्रिज है जिसका लिंक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और बसौली बनीखेतवाकिरतवाड़ की तरफ जाएगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि प्रेस्टीजियस रोड है, यह सिक्योरिटी के लिहाज से बनानी बहुत जरूरी है। इस पर किरतवाड़ कैंटोनमेंट को सैटल करना है, 98 परसेंट जमीन लोगों ने दे दी है इसलिए मेरे कहने का मकसद है कि यहां इसे बना दीजिए और जल्दी इसका इनआग्रेशन कर दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब 6.00 बजे है। जब तक आज का कार्य समाप्त नहीं हो जाता सभा चलती रहेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री रिजीजू आपकी पार्टी का निर्धारित टाइम खत्म हो गया है।

[अनुवाद]

चूंकि आप पूर्वोत्तर से है इसलिये मैं आपको बोलने के लिये चार मिनट का समय दूंगा।

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : मैं 15 मिनट के लिये बोलना चाहता है परन्तु अब यह संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम आपकी पार्टी से वक्ताओं की सूची में अंतिम है। मैं क्या कर सकता हूं?

श्री किरेन रिजीजू : सबसे पहले मैं यहां पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

कोई भी रक्षा संस्थान अपनी अवसंरचना क्षमता पर आधारित है। यदि हम वास्तव में सीमा क्षेत्रों में अवसंरचना की ओर देखते है तो यह अत्यधिक दयनीय दशा में है। जब माननीय रक्षा मंत्री सीमा क्षेत्रों में गये तो उनके लिये सुविधाओं का सृजन किया गया परन्तु जब वे वापिस चले गये तो जवानों के पास वे सुविधायें नहीं रही। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आप अपने दौरे के दौरान जो सुविधायें देखते है वह सुविधायें सारा वर्ष रहे विशेषकर शीतकाल के दौरान जब काफी बर्फ गिरती है। सियाचीन से अरुणाचल प्रदेश तक हमारे हिमालय क्षेत्र में ऊंचे पर्वत, कम आक्सीजन तथा अत्यधिक बर्फबारी होती है।

मुझे आपकी अवश्य ही प्रशंसा करनी चाहिये और यह कहना चाहिये कि रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पल्लम राजू जो बी.आर. ओ. संबंधी कार्य देख रहे है बहुत ही प्रभावशाली मंत्री है। उन्होंने बहुत ही उत्साहवर्द्धन तरीके से मेरे साथ स्थानीय नेताओं, वहां के लोगों के साथ बातचीत की। उनके दौरे के पश्चात् वहां पर काफी प्रोत्साहन का माहौल था और कार्य में भी गति आई केवल गत सप्ताह ही मैंने उन क्षेत्रों का दौरा किया और तथा बी.आर.टी.एफ. 14, 44, 756 के बी.आर.ओ. अधिकारियों की प्रशंसा की। उन्होंने प्रशसंनीय कार्य किया है। मुझे खेद है कि अब मैं माननीय रक्षा मंत्री की प्रशंसा नहीं कर सकता हूं क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे आमंत्रित नहीं किया है अथवा मुझे अभी तक परिणाम नहीं दिखाये है। शायद, भविष्य में मैं उनकी प्रशंसा करूंगा।

वर्ष 1962 के युद्ध में मारे गये श्री जसवंत सिंह रावत को महावीर चक्र दिया गया था। मैं मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि वह इसकी समीक्षा करे तथा उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दे क्योंकि यदि आप युद्ध के दौरान उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को देखते है तो आप यह कहेंगे कि वह परमवीर चक्र पाने के हकदार है। मैं इसे रिकार्ड में लाना चाहता हूं।

मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश में एक भी सैनिक स्कूल नहीं है। सैनिक स्कूल महत्वपूर्ण संस्थान है जहां हम भारतीय सेना के भावी नेतृत्व को तैयार करते है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह मेरे राज्य में एक सैनिक स्कूल की तत्काल स्वीकृति दे।

अंततः, मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों को सीमा क्षेत्रों में आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया सीमा क्षेत्रों का दौरा कीजिये। एक बार आप जब सीमा क्षेत्रों में आयेंगे तो आप राष्ट्रीयता को समझेंगे। आप दिल्ली जैसे शहर में राष्ट्रीयता को नहीं देखते है। जब आप सीमा क्षेत्रों में जाते है और सेना के लोगों के साथ बातचीत करते है तो आप समझ पाते है कि राष्ट्रीयता क्या है। आपने केवल कारगिल के समय ही राष्ट्रीयता को महसूस किया था।

अध्यक्ष महोदय : आपका तात्पर्य देशभक्ति से है।

श्री किरेन रिजीजू : जी हां, राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति दोनों। आपको राष्ट्रीयता तथा देशभक्तिकी भावना का पता तभी चलेगा केवल जब आप इन जगहों पर जायेंगे तथा सीमा क्षेत्रों में रह रहे लोगों सहित हमारे सैनिकों की स्थिति को देखेंगे।

अंततः, नागरिक-सैन्य सहयोग होना चाहिये। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कभी अनेक बीच विरोध था। मैंने अपने राज्य में भी कुछ घटनायें देखी है। सैन्य तथा नागरिकों में विरोध था और स्थानीय लोग भी शामिल थे। नागरिक-सैन्य सहयोग को अवश्य ही काफी महत्व दिया जाना चाहिये और इसे अवश्य ही नया आयाम दिया जाना चाहिये। मैं जानता हूं कि सेना के लोग एड्स शिविर, औषधीय शिविर, स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करते है और इन सभी चीजों को आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ताकि भारतीय सेना लोगों विशेषकर सीमा क्षेत्रों के लोगों के दिलों को जीतना जारी रख सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय हेतु अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं संशस्त्र बलों और अपने वैज्ञानिकों तथा उन नागरिकों जो विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे है की भी ओर से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। रक्षा तथा उन व्यक्तियों जो रक्षा के विभिन्न स्कंधों में कार्य कर रहें है के कल्याण हेतु इस सभा द्वारा दिये गये सम्पूर्ण तथा एकमत समर्थन से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। वेतन तथा उपस्कर सभी महत्वपूर्ण है परन्तु सशस्त्र बलों तथा वैज्ञानिकों हेतु मैं महसूस करता हूं कि लोगों के समर्थन से और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है तथा मनोबल में बढ़ोतरी होती है। इस सम्माननीय सभा के सभी सदस्यों द्वारा दिये गये एकमत समर्थन और प्रशंसा में समर्थन दिखाई देता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इसका तहे दिल से समर्थन करता हूं।

श्री ए.के. एंटनी : अध्यक्ष महोदय ने हमेशा से ही सशस्त्र बलों का समर्थन किया है।

[श्री ए.के. एंटनी]

इस वर्ष रक्षा हेतु आबंटन 1,05,600 करोड़ रुपये है। मैं इस उभरते हुए परिदृश्य यह भी महसूस करता हूं कि यह राशि शायद पर्याप्त न हो परन्तु निधियों की वर्तमान उपलब्धता पर विचार करते हुए सरकार ने रक्षा के लिये उचित (संगत) राशि दी है। माननीय वित्त मंत्री ने सभा में यह घोषणा की कि यदि आवश्यकता होगी तो वह सशस्त्र बलों हेतु और अधिक निधियां प्रदान करेंगे।

रक्षा में हमारे सशस्त्र बल और उनके उपस्कर शामिल है परन्तु वे ही नहीं है। रक्षा देश के विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा आयुध फैक्टरियां भी रक्षा का हिस्सा है। इसके साथ हमारे वैज्ञानिक तथा चिकित्सा सेवायें भी रक्षा का हिस्सा है। इस आधिकारिक बल के अतिरिक्त प्रादेशिक सेना तथा एन.सी.सी. संकट के समय हमारे आरक्षित बल है। हमारे अनुसार वे भी रक्षा का हिस्सा है। यद्यपि भूतपूर्व सैनिक अब अधिकारिक रूप से रक्षा का हिस्सा नहीं है परन्तु हम भविष्य में कभी कभार इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिये, हम भूतपूर्व सैनिकों की भी इच्छाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते है।

सभी वक्ताओं ने हमारे सशस्त्र बलों के कल्याण हेतु एकमत से अपना समर्थन व्यक्त किया है और वेतन आयोग की हाल ही की सिफारिशों के बारे में सभी विशेषकर चिंतित है।

महोदय, सौभाग्यवश इस चर्चा के शुरू होने से पहले संसद भवन के बाहर खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों के प्रति चिंता जताई तथा सहानुभूति व्यक्त की और उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार सशस्त्र बलों के प्रति न्याय करने हेतु भरसक प्रयास करेगी। सरकार की अन्य सेवाओं के कार्य पर विचार करते हुए सेना पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। 11,00,000 सेना कार्मिकों में से लगभग 9,00,000 सेना कार्मिक अफसरों के रैंक से नीचे के है। वे 17 वर्ष की सेवा के पश्चात् सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वे 30 वर्ष की सेवा के पश्चात् स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं परंतु 17 वर्ष के पश्चात् उन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा रहा है और यह हमारी अपनी शर्तों की वजह से है। 17 वर्ष के पश्चात् का तात्पर्य है कि ये लोग 35 वर्ष अथवा 38 वर्ष अथवा अधिकतम 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो रहे है। उनकी दयनीय दशा है। अर्थात अफसरों के रैंक से नीचे के व्यक्ति पी.बी.ओ.आर चाहे वे सैनिक हो या वैज्ञानिक हो या फिर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य करने वाले हो, प्रत्येक को हम सभी की बड़ी सहायता की आवश्यकता है। सौभाग्यवश आज, आप सभी ने बिना किसी आपत्ति के उसके लिये अपना समर्थन दिया है। मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा मंत्रिमंडल सचिव के अंतर्गत नियुक्त समिति वेतन आयोग की विसंगतियों को देखेगी। यह सभा में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी राय पर विशेष ध्यान देंगी।

महोदय, इससे पहले कि मैं माननीय सदस्यों के कुछ सुझावों तथा आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करूं मैं रक्षा मंत्रालय की कुछ विशेष बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। आप सभी ने छठे वेतन आयोग के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है और सरकार ने भी विसंगतियों का हल ढूंढने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की है। यह हम सभी के द्वारा किया गया वायदा है। मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने हमेशा ही हमारे सशस्त्र बलों के कल्याण पर ध्यान देने का प्रयास किया है। यू.पी.ए. सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् हमने अनेक निर्णय लिये जिससे सशस्त्र बलों की जीवन जीने तथा सेवा संबंधी स्थिति में सुधार होगा। हमारी सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् हमने यह निर्णय, लिया था कि शार्ट सर्विस कमिशन में अफसरों सहित सभी अफसर अब 2 वर्ष, 6 वर्ष तथा 13 वर्ष की महत्वपूर्ण सेवा के पश्चात् क्रमशः कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टिनेंट कर्नल के स्थायी पद के पात्र होंगे। सरकार ने शार्ट सर्विस कमिशन के अफसरों की कार्य-अवधि को 14 वर्ष तक बढ़ाने के भी आदेश जारी किये है। लेफ्टिनेंट कर्नल के कुल 750 पदों का दर्जा बढ़ाकर कर्नल कर दिया गया है।

महोदय, संसद ने पिछले सत्र में अधिकरण विधेयक पारित किया। लगभग 22 वर्षों की चिन्ता के पश्चात् हम किसी सम्यक विधेयक का प्रारूप तैयार कर पाये हैं और मुझे यह कहते हुई खुशी होती है कि अगले कुछ महीनों में हम, जैसा कि सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम में अंतर्विष्ट है, इसके प्रावधानों को लागू कर पायेंगे। उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में मामलों में वृद्धि हो रही है। लगभग 14,000 मामले न्यायालयों में लंबित है। एक बार अधिकरण कार्य करना शुरू कर दे तो मुझे विश्वास है कि हम इन लंबित मामलों का हल निकाल पायेंगे तथा भविष्य में भी हम सशस्त्र बल की शिकायतों का सही तरीके से शीघ्रातिशीघ्र निवारण कर पायेंगें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अधिकरण में बहुत सारे वकीलों को वकालत न करने दी जाये।

श्री ए.के. एंटनी : इस लोक सभा ने कंटोनमेंट बोर्ड विधेयक पारित किया था। यह अब अधिनियम बन चुका है। पहली बार इन बोर्डों के अधिकांश सदस्य निर्वाचित होंगे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों तथा महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा।

इन बोर्डों में चुनाव अगले माह होने जा रहे है। 59 कंटोनमेंटों में चुनाव होने जा रहें है।

हमने सियाचीन, नाथुला तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों के लिये, माननीय सदस्यों के सुझावों के अनुसार, हाईअल्टीट्यूड भत्ता बढ़ा दिया है। हमने सेवा कार्मिकों की छुट्टी संबंधी नीति में बदलाव किया है। अब सैनिक वर्ष में तीन बार छुट्टी पा सकते हैं। पहले यह वर्ष में केवल दो हुआ करती थी।

सीमा क्षेत्रों और अन्य दूरदराज क्षेत्रों में तैनात जवानों को एक अतिरिक्त मुफ्त रेलवे वारंट भी मिलेगा। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में चुने हुए मार्गों पर सैनिकों की आवाजाही के लिये चार्टर्ड विमान सेवा का प्रावधान किया गया है। मेरे माननीय सहयोगी रेल मंत्री की मदद से 50 नये यात्री आरक्षण केन्द्र दिये गये है। बीस तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों में रक्षा कर्मियों के लिये आरक्षित स्थान बढ़ा दिये गये हैं और मुख्य निर्णय यह लिया गया है कि अखिल भारतीय एलटीसी लेने के लिये 1450 किलोमीटर की शर्त हटा दी गई है। ये छोटी-छोटी बातें है परन्तु ये दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने वाले सेवा कार्मिकों की लंबे समय से लंबित मांगे है। ये एक न केवल वेतन आयोग के समक्ष रखी यह बाते हैं अपितु शुरू से ही इन सब बातों को लेकर सरकार सशस्त्र बलों के जीवन स्तर तथा सेवा शर्तों को सुधारने का प्रयास कर रही है।

हमने चार-क्रमबद्ध चरणों में सशस्त्र बलों के लिये लगभग दो लाख आवासीय मकानों का निर्माण करने का भी निर्णय लिया है। प्रथम चरण लगभग पूरा हो गया है। वर्ष 2009 में प्रथम चरण पूरा होगा। दूसरे चरण के लिये योजना को पहले ही शुरू कर लिया गया है। पांच अथवा दस वर्षों में हम सशस्त्र बलों को दो लाख और ज्यादा आवास दे पायेंगे। इससे उनको पारिवारिक समस्याओं का हल ढूंढने में कुछ हद तक मदद मिलेगी।

जहां तक एक पद-एक पेंशन योजना का संबंध है, इसे किसी भी वेतन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। परन्तु हमारी सरकार ने पिछली बार कुछ हद तक पेंशन लाभ को बेहतर बनाया था और मुझे विश्वास है कि समिति मंत्रिमंडल सचिव के अंतर्गत पेंशन समस्या का और अच्छा हल ढूंढने का प्रयास करेगी।

हवाई सुरक्षा के संबंध में पूर्व में दुर्घटनायें आम बात हुआ करती थी। पिछले कुछ वर्षों में वायुसेना के सतत प्रयासों के कारण दुर्घटना दर में काफी कमी आई है। वर्ष 2004-2005 में 17 दुर्घटनायें हुई थी और अब ये नौ ही तक हुई है। इसलिये, दुर्घटनाओं संबंधी दर में काफी कमी आई है। विमानों संबंधी सेवा में वृद्धि हुई है। अब ये 70 से 80% तक है। कुछ वर्ष पहले यह केवल 50% हुआ करती थी। अत: वायुसेना में इन क्षेत्रों में सुधार हुआ है।

कई माननीय सदस्यों ने वायुसेना में घटते शक्ति स्तर के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी। मुझे सभा को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये है। एक निर्णय यह है कि भारतीय वायुसेना में 140 सुखोई विमान शामिल किये जायेंगे। अब हमने पहले ही 126 भूमिका वाले लड़ाकू विमानों के आर.एफ.पी. जारी कर दिये है। हमने पहले ही रूस के साथ पांचवें चरण के विमान के बारे में अंतर-सरकारीय समझौता कर लिया है।

श्री के.एस. राव (एलूरू) : क्या यह भारत में है?

श्री ए.के. एंटनी : भारत में यह 50% तथा वहां पर भी 50% है। अत:, जहां तक उत्पादन तथा अधिप्राप्ति (खरीद) का संबंध है वायुसेना में कटौती करने की बजाएं मुझे विश्वास है कि कुछ ही वर्षों के भीतर हम वायुसेना के स्तर को बनाए रखने में सक्षम होंगे। थलसेना में भी, जहां कहीं भी संभव हो, हम अपने देश में वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रयास कर रहे है। अन्यथा। जब कभी भी थलसेना को आवश्यकता होगी तो हम आयात करेंगे। इसका कोई विकल्प नहीं है।

नौसेना के लिये भी हमारे अपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा भारतीय रक्षा उद्योगों के माध्यम से हम उन्हें अति आधुनिक उपकरण देने का प्रयास कर रहे है। परन्तु हमारे प्रोताश्रय आधुनिक नहीं है। अत:, हमें अभी भी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिये, वर्तमान सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता यह है कि थलसेना, नौसेना और वायुसेना को आधुनिक बनाया जाये। आधुनिकीकरण हेतु इस वर्ष का आबंटन सशस्त्र बलों हेतु सबसे ज्यादा है। हमने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण हेतु 37,482 करोड़ रुपये प्रदान किये है। अत:, सरकार सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को सबसे ज्यादा वरीयता दे रही है।

आधुनिकीकरण हेतु मुख्य कारक हमारे अपने रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम है, मैं गर्व के साथ सभा को यह सूचित कर सकता हूं कि हमारे सभी आठ रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम लाभ में चल रहे है। उनमें से दो रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एच.ए.एल. तथा बी.ई.एल. नवरत्न कंपनियां है। 39 आयुध निर्माणियों में से अधिकांश लाभ में चल रही है। अत:, हमारे पास भारत में बहुत ही सही रक्षा उत्पादन क्षेत्र है।

[श्री ए.के. एंटनी]

अनेक माननीय सदस्यों ने स्वदेशीकरण के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। स्वदेशीकरण उसी स्थिति में संभव है यदि हमारे देश में मजबूत औद्योगिक ढांचा हो। आधारों में एक आधार (ढांचा) हमारा रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम है। एक अन्य आधार आयुध निर्माणियां है। इसके साथ अब हम रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु अनुमति दे रहे है। निजी क्षेत्र की भागीदारी का तात्पर्य यह है कि भारतीय निजी क्षेत्र की 100% भागीदारी। इसके साथ रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति दी गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% नहीं है परन्तु यह केवल 26% है।

यदि हमारे रक्षा उद्योग अपनी कुशलता में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें मजबूत अनुसंधान और विकास के समर्थन की आवश्यकता है। डी.आर.डी.ओ. एक मुख्य संगठन है जो यह अनुसंधान तथा विकास प्रदान कर रहा है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू डी.आर.डी.ओ. के संस्थापक थे। यह डी.आर.डी.ओ. की शुरूआत का 50वां वर्ष है। यहां वहां कुछ विफलतायें (कमियां) हो सकती है। परन्तु डीआरडीओ ने गत वर्षों में अनेक विश्वस्तरीय उपस्करों का निर्माण किया है। इसने हमारे रक्षाक्षेत्र को सरकारी उपक्रमों आयुध निर्माणियों तथा निजी क्षेत्र को भी अनेक विश्वस्तरीय रक्षा उपस्करों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान की है। हाल ही में डीआरडीओ ने अनेक क्षेत्रों में विशेषकर मिसाइलों के क्षेत्र में विशिष्ट क्षमताओं का प्रदर्शन किया हैं। पिछले छह महीनों में इसने एक के बाद एक सफलता हासिल की हैं।

अग्नि III मिसाइल एक नवीनतम उदाहरण है। 12 अप्रैल 2007 को सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण किया गया। यह भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी। जहां तक आकाश मिसाइल का संबंध है, पहले भारतीय वायु सेना इस मिसाइल के बारे में कुछ आशंकित थी। परन्तु अब वायुसेना ने इसे स्वीकार कर लिया है। उनके अनुसार यह शत प्रतिशत सफल है। अब भारतीय वायु सेना आकाश मिसाइलों के दो स्क्वाड्रन शामिल करने को सहमत हो गई है। ठीक उसी प्रकार अस्त्र मिसाइल की भी सफलता की कहानी है। ब्रह्मोस मिसाइलों की न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी भारी मांग है। लेकिन हमारी कुछ सीमाएं हैं क्योंकि यह रूस के साथ संयुक्त उद्यम है। दोनों देशों की सहमति से ही हम इसका निर्यात कर सकते हैं। ब्रह्मोस सेना तथा नौसेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार है। मिसाइल के क्षेत्र में यह हमारी बहुत बड़ी सफलता है। अन्य क्षेत्रों में भी यह हमारी सफलता है। विशेषरूप से इलैक्ट्रानिक युद्धप्रणाली में डीआरडीओ सफलता का प्रदर्शन कर रहा है।

अब मैं मानवरहित यूएवी पर आता हूं। हमारी उत्पादन इकाईयां विश्वस्तर के यूएवी का निर्माण कर रही हैं जो सेना और नौसेना दोनों को स्वीकार्य हैं। अब वे उनका निर्माण कर रही हैं। कतिपय क्षेत्रों में कुछ विलंब हुआ है। मेरे अनेक सहयोगियों ने हल्के लड़ाकू विमान (एलएसी) का उल्लेख किया है। मैं आपको बता सकता हूं कि हम एससीए परियोजना को बंद करने नहीं जा रहे हैं। एलएसीए तेजस एक सफल परियोजना है लेकिन वर्तमान इंजन से कतिपय ऊंचाई के पश्चात उड़ान नहीं भरी जा सकती।...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : हम पिछले 18 वर्षों से परियोजना को पूरा नहीं कर पाये हैं...*(व्यवधान)*

श्री ए.के. एंटनी : 18 वर्ष नहीं, हम इससे भी अधिक समय से इसे पूरा नहीं कर पाये हैं। यह परियोजना 1974 में आरम्भ हुई थी। अब हम सफलता के बहुत करीब हैं। मुझे आशा है कि 2012 में हम इसका उत्पादन शुरू कर देंगे। परन्तु अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए हमें उन्नत किस्म के इंजन की आवश्यकता है। हमारा कावेरी इंजन अभी भी वास्तविकता से परे है। अभी हम विदेशी सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : कावेरी के बारे में बताइये?

श्री ए.के. एंटनी : कावेरी के संभव में अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आपका कहना ठीक है। इसीलिए कावेरी के लिए अब हम विदेशी सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सशस्त्र सेनाएं फिलहाल तैयार हैं। हम उन्हें बेहतर उपस्कर प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हम अभी भी मुख्यतः रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रमो और अपनी आयुध निर्माणियों पर निर्भर हैं। परन्तु गत कुछ वर्षों से सरकार पर निजी क्षेत्र मुख्यतः भारतीय निजी क्षेत्र तथा केवल 26 प्रतिशत के निवेश के साथ विदेशी कम्पनियों को भी शामिल कर रही है। इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के भारतीय उद्योगों की सफलता के लिए भी हमें वैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है। हम कई क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा भारतीय निजी क्षेत्र के उपक्रमों को सफलतापूर्वक वैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने सामान्य मुद्दों को उठाया है। मैं पहले उन पर प्रतिक्रिया दूंगा और उसके पश्चात कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करूंगा।

मेरे सहयोगियों ने अफगानिस्तान में सीमा सड़क संगठन के दो कर्मियों की दर्दनाक हत्या का मुद्दा उठाया है। सरकार ने उनके शवों को वापस लाने के लिए तत्काल कार्रवाई की तथा कुछ अस्थायी राहत पहले ही मुहैया कर दी गई है। जहां तक उनको देय अन्य लाभों का संबंध है, सरकार यथाशीघ्र सभी लाभ देगी। इसलिए इस संबंध में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

अनेक माननीय सदस्यों ने सीडीएस के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वास्तव में जब मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रणव मुखर्जी रक्षा मंत्री थे उन्होंने भी अनेक राजनीतिक दलों से परामर्श किया था। हम अभी अधिकांश राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सीडीएस के बारे में है? यह क्या है?

श्री ए.के. एंटनी : यह चीफ आफ डिफेंस स्टाफ है। जब तक इस बारे में सहमति नहीं हो जाती, सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहती। इसी कारण से इसमें देरी हो रही है।

मेरे कुछ सहयोगियों ने आईएनएस जलाश्व के बारे में कुछ प्रश्न उठाए हैं। ऐसा आरोप लगाया गया था कि यह एक परित्यक्त जहाज है और बिना किसी जांच के हमने इसे खरीद लिया। यह सही नहीं है और यह बात अनुचित है। उसे हमारे नौ सेना के वाइस उपाध्यक्ष के नेतृत्व में गठित एक जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर खरीदा गया था। प्रतिनिधि मंडल ने जहाज पर समुद्री यात्रा भी की थी और उसके पश्चात उन्होंने कहा था कि जहाज पुराना है, परन्तु फिर भी अगले दस वर्षों तक इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए हमने इसे खरीदा।

अध्यक्ष महोदय : 'नया नौ दिन, पुराना सौ दिन' वाली बात सही है।

श्री ए.के. एंटनी : कोचीन में एयर डिफेंस पोत की स्थिति के संबंध में कुछ चिन्ताएं व्यक्त की गई हैं। परन्तु मैं आपको बता सकता हूं कि कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। हमें आशा है कि वर्ष 2012 में इस पोत की डिलीवरी हो जायेगी।

जहां तक एक रैंक एक पेंशन का संबंध है, मैं इस बारे में अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुका हूं। अभी तक सभी वेतन आयोगों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। परन्तु वर्तमान सरकार भूतपूर्व सैनिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तर्कसंगत और उचित समाधान ढूंढने की इच्छुक है। इसी कारण से पिछले कुछ वर्षों में हमने पेंशन बढ़ाने का प्रयास किया है जिससे कि रैंकों के बीच अंतर को कम किया जा सके। मुझे आशा है कि मंत्रीमंडल द्वारा मंत्रीमंडल सचिव की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति इस समस्या पर ध्यान देगी। वे भी कोई न कोई बीच का रास्ता निकालेंगे ताकि हम भूतपूर्व सैनिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उपाय ढूंढ सकें।

मेरे कुछ मित्रों ने यह कहते हुए छावनी बोर्डों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए है कि छावनी बोर्डों में सांसद और विधायक नहीं हैं। पुराने अधिनियम के अनुसार वे इनमें नहीं होते थे। परन्तु नये अधिनियम के अनुसार सांसद और विधायक इनके पदेन सदस्य होंगे। यह संसद का अधिनियम है। इसी सभा में इसे पारित किया गया था। नये अधिनियम के अनुसार, नये चुनावों के पश्चात विधायकों और सांसदो को इनकी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार छावनी भूमि और छावनी क्षेत्र में रह रहे लोगों की समस्याओं से संबंधित सभी मुद्दों पर नये छावनी बोर्ड में चर्चा की जा सकती है और उनका निपटान किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हां हमने यह जिला परिषदों में देखा है। वे कभी-कभार ही इनकी बैठकों में शामिल होते हैं।

(व्यवधान)

श्री ए.के. एंटनी : हम समझौते के अनुसार सैनिक स्कूल खोल रहे हैं। सैनिक स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकारों को भूमि और आधार भूत ढांचा उपलब्ध कराना पड़ता है और कतिपय आवर्ति वचनबद्धताओं को पूरा करना पड़ता है। इस प्रकार केंद्र सरकार स्वयं कहीं पर भी सैनिक स्कूल खोलने की पहल नहीं कर सकती है। अत: एक बार फिर मैं आपसे सहमत हूं। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर और सभी राज्यों में हमें कम से कम एक सैनिक स्कूल खोलने की आवश्यकता है।...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : मैं निशुल्क भूमि दूंगा। मैं अपनी भूमि देने के लिए तैयार हूं...(व्यवधान)

श्री ए.के. एंटनी : मेरे विचार से यदि माननीय सदस्य अपनी राज्य सरकार को राजी कर लें, और यदि राज्य सरकार लिखित में दे दे तो हम सैनिक स्कूल खोलने में सहायता करेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आपकी भूमि की तरह कोई भूमि नहीं है। यदि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सैनिक स्कूल खोला जाता है तो मैं राज्य सरकार को भूमि दे दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : यदि राज्य सरकार जमीन देती है और आर्मी की जमीन भी खाली पड़ी हुई है तो क्या सरकार वहां सैनिक स्कूल खोलेगी?

[अनुवाद]

श्री ए.के. एंटनी : वर्षों पूर्व सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया था कि आज के बाद कोई भी मिलिट्री स्कूल नहीं खोला जाएगा। अब हमारे पास केवल सैनिक स्कूल हैं और हम सैनिक स्कूल ही खोल रहे है। इस समय हमारे 22 सैनिक स्कूल हैं। जहां कहीं भी राज्य सरकार भूमि और आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने और आवर्ती व्यय को वहन करने को तैयार होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम विशेष रुचि लेते हुए विशेषकर पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्रों में सैनिक स्कूल खोलने हेतु स्वीकृति प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देंगे।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास काफी धन है। वे आपको निश्चित धन उपलब्ध करा सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर तो सरकार ने देना है, इन्होंने क्या देना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कृपया अपनी बात जारी रखें वे बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

आपकी बात रिकार्ड में आ गई है।

[अनुवाद]

श्री ए.के. एंटनी : सीमावर्ती राज्यों में आधारभूत ढांचे का विकास एक गंभीर समस्या है। विगत में चाहे जो भी कारण रहे हों, मैं भी यह स्वीकार करता हूं कि हम सीमावर्ती राज्यों चाहे सिक्किम हो अथवा अरुणाचल प्रदेश हम इन क्षेत्रों के ढांचागत विकास की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाए हैं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : उड़ीसा पर भी।

श्री ए.के. एंटनी : मैं सीमावर्ती राज्यों के बारे में बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे समुद्री सीमा के साथ लगे राज्यों की बात कर रहे हैं।

श्री ए.के. एंटनी : सीमावर्ती राज्यों का अर्थ है वे राज्य जो सीमावर्ती क्षेत्र में हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे इसे समुद्री मान रहे हैं।

श्री ए.के. एंटनी : मुख्यत: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और म्यामार की सीमा से लगे राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के बारे में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हमारे पास आधार भूत ढांचा होना चाहिए. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा, म्यांमार के सीमावर्ती राज्यों।

श्री ए.के. एंटनी : हमनें प्राथमिकता के आधार पर 72 सड़कों की पहचान की है। मैं अनेक सदस्यों के इस विचार से सहमत हूं कि सीमा पर अनेक विकास कार्य हो रहे हैं। वहां आधुनिक सड़के रेलमार्ग, हवाई पट्टियों आदि का निर्माण हो रहा है परन्तु हम अपने सीमा क्षेत्र की अनदेखी कर रहे है। अब वर्तमान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आपातकालीन आधार पर हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई पट्टियों, सड़को और रेलमार्गों का विकास करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को इस बारे में सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। मेरे कुछ मित्रों ने संयुक्त अभ्यास के बारे में कुछ शंकाए व्यक्त की हैं। जहां तक-सभी देशों का संबंध है संयुक्त अभ्यास वर्तमान में महत्वपूर्ण हैं। 1992 में गोवा के तट पर भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास हुआ था। इसे मालाबार अभ्यास के नाम से जाना गया था। इस प्रकार पहला मालाबार अभ्यास 16 वर्ष पूर्व

1992 में हुआ था। उसके बाद से यह जारी है। अब भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने विभिन्न देशों के साथ संयुक्त अभ्यास किया है। हमने अमरीका रूस, ब्रिटेन फ्रांस-सिंगापुर, मलेशिया वियतनाम और मध्यपूर्व के अनेक देशों के साथ संयुक्त अभ्यास किया है। इस वर्ष भारतीय सेना ने पहली बार चीन के साथ संयुक्त अभ्यास किया। यह अभ्यास चीन में हुआ था। मुझे सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष के अंत तक चीनी सेना भारतीय सेना के साथ अभ्यास के लिए भारत आएगी। हमने किसी देश विशेष के साथ संयुक्त अभ्यास नहीं कर रहे हैं परन्तु हमारी थलसेना नौसेना और वायु सेना विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ संयुक्त अभ्यास कर रही है। यह किसी देश के विरुद्ध नहीं है। भारत का अनेक देशों के साथ रक्षा संबंध हैं, सभी महत्वपूर्ण देशों के भारत के साथ रक्षा संबंध हैं। रूस, अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन, सउदी अरब, वियतनाम, इजराइल, सिंगापुर, चीन जैसे सभी देशों के साथ हमारा रक्षा सहयोग समझौता है। ये रक्षा सहयोग समझौते हैं परन्तु मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि जहां तक हमारा संबंध है, हम किसी देश के साथ किसी प्रकार का सैनिक गठबंधन अथवा सैनिक सहयोग नहीं करेंगे। हमें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की भी चिंता है। इस देश के लिए स्वतंत्र विदेश नीति को आखिर किसने अपनाया? ये पंडित जवाहर लाल नेहरू थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वतंत्र विदेश आरम्भ की। उसी के आधार पर हम स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहे हैं और भविष्य में भी हम इसी नीति का पालन करते रहेंगें। विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान विश्व किसी भी शक्ति पक्ष में विभाजित नहीं हैं। अब तक लगभग सभी देशों के साथ सहयोग करने पर प्रयास कर रहे हैं। यह किसी राष्ट्र के विरुद्ध नहीं है। मेरे कुछ सहयोगी लोजिस्टिक्स करारों के बारे में बाते कर रहे थे। इस संबंध में चर्चा अभी जारी है अभी हमने किसी देश के साथ कोई लोजिस्टिक्स करार नहीं किये हैं। मैं आपको आश्वस्त कर हूं कि हम ऐसा कोई खंड इसमें शामिल नहीं करेगें जो भारतीय संप्रभुता के विरुद्ध हो। जहां तक भारतीय संप्रभुता का संबंध है, हम सब उस पर एक हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सशस्त्र सेनाओं के प्रोत्साहन के लिए वेतन अथवा उपलब्धियों से कहीं अधिक देश की एकता तथा लोगों का नैतिक समर्थन महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

हम सशस्त्र और अत्याधुनिक सशस्त्र सेनाओं का विकास किसी अन्य राष्ट्र को चुनौती देने के लिए नहीं कर रहे हैं अपितु हम अपनी सीमा, अपनी तटीय सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। सरकार इसको अब प्राथमिकता दे रही हैं। इसी कारण से गत कुछ वर्षों में हम सशस्त्र सेनाओं को अधिक धन उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं परन्तु जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि कुछ क्षेत्रों मे हम पैसा खर्च नहीं कर पाए हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? मैं सभा को विश्वास में लेना चाहता हूं। क्या हम खर्च करने के नाम पर सारा पैसा खर्च कर दें? कुछ रक्षा सौदे अंतिम चरण है हमने उनमें कुछ कमियां पायी हैं। कुछ लोगों ने एंटी एयर क्रफ्ट गन का उल्लेख किया है। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। अंतिम चरण में परीक्षण के दौरान कुछ हास्यास्पद हुआ। फिर हमने सोचा कि हमें धोखाधड़ी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इसलिए सरकार ने ठेका रद्द कर दिया और पुनः नई निविदा आमंत्रित की है।

महोदय, जहां तक बी.ए.ई. गन प्रणाली का संबंध है, इसका परीक्षण सफल रहा। यह सच है कि पिछले बीस वर्षों से डीआरडीओ उन्नत गन का उत्पादन नहीं करनें में सफल नहीं हो पाया है। तो क्या इस कारण से हम ऐसी गनों को स्वीकार कर लें जो गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती? इसलिए निविदा रद्द की गई। कुछ अन्य मदों के मामले में भी कुछ आरोप देखने को मिले अथवा कुछ मामलों में सीबीआई जांच जारी हैं हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सीबीआई की जांच के कारण निविदा पर कोई आंच न आए जैसा की बराक मिसाइल के सौदे में हुआ। हमने इजराइल से अधिक उपस्कर खरीदे हैं। दो, तीन मुद्दों पर हमने निर्णय लिया, क्योंकि सीबीआई की जांच जारी है हमें सौदे नहीं करने चाहिए। बराक मिसाइल सौदे पर हमने कानूनी सलाह लेने का निर्णय लिया और यह तय किया कि हमें इस और जल्दबाजी में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम खरीद पर सारा पैसा खर्च करने में सफल नहीं हो सके। परन्तु पूर्व वित्त मंत्रालय ने लगभग 4000 करोड़ रु. की कटौती कर दी। ऐसा उन्होंने हमारे द्वारा लौटाया गया धन के कारण नहीं किया अपितु उन्होंने स्वयं अनेक कारणों से कटौती की है। जहां तक शेष राशि का संबंध है, मैं समझता हूं हम समाप्त हुए वर्ष के दौरान 99% राशि खर्च कर चुके हैं और मुझे आशा है कि इस वर्ष वित्त मंत्रालय से हमें और धन मिलेगा।

महोदय, मैं इस सभा को आश्वस्त कर रहा हूं कि आपके सहयोग और पूरे देश की सहायता से हम एक सशस्त्र सेना का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सशस्त्र सेनाएं किसी को भी चुनौती नहीं देती हैं और हम किसी देश के विरुद्ध कोई संघर्ष नहीं चाहते है। वही दूसरी ओर, वर्तमान सरकार की नीति है कि जहां तक संभव

[श्री ए.के. एंटनी]

हो सके सभी राष्ट्रों विशेषकर पड़ोसी राष्ट्रों जैसे चीन और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाए जायें। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु साथ ही सतर्कता भी आवश्यक है। अत: मैं इस सभ को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सशस्त्र सेनाएं किसी भी समय किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों का सशस्त्र सेनाओं के हित का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। अब मैं सभा से आग्रह करता हूं कि अनुदानों की मांगों को पारित किया जाए।

चौधरी लाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री किरेन रिजीजू : महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह किसी के लिए नहीं हो सकता।

मंत्री जी क्या आप किन्हीं स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे।

श्री ए.के. एंटनी : जी महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हे नोट कर सकते हैं और अंत में उनका उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : मैंने कहा कि हमारे तीन डिस्ट्रिवटस में क्वालीफिकेशन मैट्रिक रखी गई है और बाकी में अंडर मैट्रिक रखी गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप पइसे दुरुस्त करेगें?

[अनुवाद]

श्री किरेन रिजीजू : महोदय आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री को इस शर्त के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे अपने किए गए वायदों को पूरा करें।

महोदय, मैंने माननीय रक्षा मंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री को कमेंग क्षेत्र में तवांग से सुबनसिरी और ऊपरी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा के समीप मिलिगथिक सड़क के बारे में भी लिखा था। उनके उत्तर में मुझे जो तीन पत्र प्राप्त हुए उनके अनुसार यह उनकी योजना में नहीं है और रक्षा मंत्रालय की इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण की कोई योजना नहीं है।

माननीय प्रधानमंत्री ने निचले क्षेत्र को पैकेज दिया है, परन्तु ऊपरी क्षेत्र को कोई पैकेज नहीं दिया है। यदि माननीय मंत्री अभी उचित उत्तर नहीं दे सकते तो मेरा उनसे आग्रह है कि वे इस पर गौर करे क्योंकि मैंने तीन पत्र लिखे हैं।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, अपने भाषण के दौरान मैंने दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। ऐसी खबरे हैं कि सरकार उपस्करों की खरीद में निर्धारित नियमों को मूल बनाने पर विचार कर रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है और इस संबंध में सरकार का क्या रुख है?

दूसरा बिंदु न्यूनतम साझा कार्यक्रम में एक अलग भूतपूर्व सैनिक विभाग स्थापित किए जाने की प्रतिबद्धता के बारे में है। इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मुझे दो प्रश्न पूछने है। एक प्रश्न कुछ भुगतान पर विश्व के विभिन्न हिस्सों में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त किये जा रहे भारतीय सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित है यद्यपि वह भुगतान संयुक्त राष्ट्र से नहीं आ रहा है। आज यह संयुक्त राष्ट्र के समक्ष लंबे समय से लंबित मामला है।

मेरा प्रश्न यह है कि आप भुगतान पर संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भारतीय सशस्त्र कार्मिकों को नियुक्त करना कब बंद कर रहे है? अमरीका, ब्रिट्रेन और फ्रांस तथा चीन भी संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अपने सशस्त्र बलों को नियुक्त नहीं करते है। तो हम क्यों पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश के समकक्ष हों?

मेरा दूसरा प्रश्न भर्ती से संबंधित है जो पूरे देश में विभिन्न भर्ती केन्द्रों के माध्यम से हो रही है। थलसेना के लिये पूरे देश में विशिष्ट उच्चाई तथा वक्षस्थल का मांप आदि समान नहीं है। उड़ीसा को बिहार तथा भूतपूर्व केन्द्रीय प्रांत से मिला दिया गया है तथा अब यह मध्यप्रदेश और पूर्वांचल हैं जहां आंध्र प्रदेश की तुलना में ऊचाई

ज्यादा है। क्या माननीय मंत्री जी उड़ीसा को आंध्र प्रदेश के साथ लेने के बारे में विचार करेंगे?

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, 17 वर्ष की सेना के पश्चात् एक सैनिक तब सेवानिवृत्त होता है जब उसकी आयु लगभग 36 से 37 वर्ष होती है। वह अभी भी नौजवान ही होता है और जब यह मानव संसाधन नागरिक क्षेत्र में आता है तो इसकी सेवायें राष्ट्र के उपयोग हेतु किस प्रकार से ली जा सकती हैं? नागरिक क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा निजी क्षेत्र में भी कोई श्रम कानून, भर्ती कानून नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उल्लेख किया है।

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या रक्षा मंत्रालय उनके रोजगार हेतु अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करेगां अथवा क्या सरकार इन नौजवानों को कार्य पर लगाने हेतु कोई निर्णय लेगी क्योंकि उनको मिलने वाली पेंशन बहुत ही कम है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उल्लेख किया है।

डा. सुधान चक्रवर्ती (जादवपुर) : महोदय, डी.आर.डी.ओ. के संगठन देश के विभिन्न हिस्सों में वास्तव में बहुत ही अच्छे अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्यकलाप कर रहे है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के सामान्य अनुसंधान तथा विकास संगठनों द्वारा इन प्रभावी अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों का लाभ उठाने हेतु मंत्रालय की क्या योजना है।

लेफ्टिनैंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजपाल सिंह रावत : महोदय, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि जहां तक थलसेना हेतु योजना संबंधी भूमिका अथवा बजट बहुवर्षीय आवंटन का संबंध है सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि यदि किसी विशिष्ट वर्ष में जिन निधियों का उपयोग नहीं किया गया है उन्हें अगले वर्ष ले जाया जा सके।

दूसरे, अभी तक रक्षा बलों के कोई युद्धस्मारक नहीं है। क्या सरकार द्वारा युद्धस्मारकों हेतु कोई योजना है ताकि उन लोगों के नामों, जिन्होंने वर्ष 1947 के पश्चात् अपने जीवन का बलिदान दिया, को उसमें शामिल किया जा सके?

अध्यक्ष महोदय : बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण।

लेफ्टिनैंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजपाल सिंह रावत : तीसरे, सरकार की सोच दो भागों में बंटी हुई है।

एक तरफ माननीय मंत्री ने यह कहा है कि निधि की मात्रा के मामले में कोई सीमा नहीं है क्योंकि रक्षा क्षेत्र द्वारा खरीद हेतु सरकार को निधियां उपलब्ध कराई जा सकती है। दूसरी तरफ वे यह कह रहे है कि 1,05,600 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है और यदि वे यह महसूस करते है कि और ज्यादा धन उपलब्ध कराया जा सकता है तब उस धन को पहले उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्टीकरण नहीं है। मुझे खेद है।

अब, प्रो. चन्द कुमार।

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रियों के एक समूह ने अधिकारी के स्तर से नीचे के व्यक्तियों हेतु कुछ पेंशनों की सिफारिश की है। अब, विसंगति समिति 'एक पद-एक पेंशन' संबंधी मामले में विचार कर रही है। मंत्रियों के समूह तथा विसंगति संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बीच क्या अन्तर है? विसंगति संबंधी समिति 'एक पद-एक पेंशन' दे सकती है। परन्तु भारत सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों तथा अनियमितातायें संबंधी समिति की सिफारिशों के मध्य अन्तर के बारे में क्या होगा? क्या वे 'एक पद-एक पेंशन' को हटाने जा रहे है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। यह स्पष्टीकरण से बहुत परे है। अब आपको उसके बारे में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब, मैं आखिरी सदस्य, श्री बृज किशोर त्रिपाठी को बोलने की अनुमति दूंगा।

सभी 20 सदस्य स्पष्टकरण नहीं पूछ सकते है। ऐसा नहीं हो सकता है।

माननीय मंत्री ने बहुत ही स्पष्ट तथा विस्तृत उत्तर दिया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने कुछ टिप्पणियां की थी तथा लोक लेखा समिति

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

को कुछ स्पष्टीकरणों और कुछ सुधारों की आवश्यकता थी। टिप्पणियों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है तथा मंत्रालय ने की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन नहीं दिया है। अतः, वास्तविक स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्टीकरण नहीं है।

अब, मैं माननीय रक्षा मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि यदि वे सही समझते है तो स्पष्टीकरण हेतु संक्षिप्त उत्तर दे तथा मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री ए.के. एंटनी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश से अपने सहयोगी द्वारा पूछे गये प्रश्न का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय सदस्य भी यह जानते है कि वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से पूर्वोत्तर तथा विशेषकर अरुणाचल के विकास में बहुत रुचि ले रही है। आपको और ज्यादा सड़कें, और ज्यादा विमान क्षेत्र तथा रेल लिंक भी मिलने जा रहे है। एक विशेष सड़क के बारे में मैं बिना सोचे कुछ भी नहीं कह सकता हूं। परन्तु मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अरुणाचल में अवसंरचना के विकास हेतु जो कुछ भी संभव होगा हम अधिकतम वरीयता देंगे।

जहां तक आफ-सेट नीति का संबंध है, केवल वर्तमान सरकार ने वर्ष 2006 में पहली बार आफ-सेट नीति को शुरू किया था जब श्री प्रणव मुखर्जी रक्षा मंत्री थे। अब, विभिन्न शिकायतों के कारण सरकार ने पहली बार व्यापक रक्षा अधिप्राप्ति नीति की शुरूआत की है। आफ-सेट नीति भी इस नीति का हिस्सा है। इस नीति के अनुसार 300 करोड़ रुपये से अपर किसी भी ठेके हेतु अब आफ-सेट दर 30% है। परन्तु इस नीति में एक प्रावधान है कि प्रत्येक दो वर्ष में इसकी अवधि बढ़ाई जाये; तथा इसे अद्यतन किया जाये। वह प्रक्रिया चल रही है। हमने निर्णय नहीं लिया है। और ज्यादा पारदर्शिता देने तथा और ज्यादा तेजी से खरीद हेतु भी वह समीक्षा होनी चाहिये। अतः, जो कुछ भी हमारे देश, हमारे सशस्त्र बलों हेतु सर्वोत्तम है– हम उसके लिये किसी भी विदेशी शक्ति से किसी भी प्रभाव द्वारा प्रभावित नहीं होंगे – तथा हम संशोधन करेंगे। वह सभी देशों हेतु मान्य होगा तथा किसी भी देश हेतु विशेष बात नहीं है।

गैर-व्यपगत निधि के संबंध में विभिन्न सरकारों द्वारा विभिन्न समयों पर जांच की गई है तथा वित्त मंत्रालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अनेक जटिलताओं के कारण यह व्यवहारिक नहीं था। परंतु उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि भविष्य में वे रक्षा मंत्रालय हेतु उचित निधि का आबंटन करेंगें। इस प्रकार से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव : पूंजीगत उपस्कर हेतु...*(व्यवधान)*

श्री ए.के. एंटनी : जी हां, पूंजीगत उपस्कर हेतु।

भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करने के संबंध में यह हमारी सरकार के वरीयता क्षेत्रों में से एक है। इसलिये, स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार, वर्तमान सरकार...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : नया कल्याण विभाग...*(व्यवधान)*

श्री ए.के. एंटनी : मैं उस बात पर आ रहा हूं। वर्तमान सरकार ने पहली बार भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का पहले ही गठन कर लिया है। वहां पर एक नये सचिव है। इसलिये, उस मांग को पूरा कर लिया गया है।

अब, हम सरकारी क्षेत्रों तथा निजी उद्योगों को और ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करने हेतु समझाने का प्रयास कर रहे है क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों में अधिकारियों के प्रशिक्षित निष्ठावान तथा अनुशासन में रहने वाले गठन होते है।

इसलिये, इस वर्ष, बड़े पैमाने पर, हम केन्द्रीय सरकार प्रतिष्ठानों तथा निजी क्षेत्र की इकाईयों आदि में विभिन्न बलों में और ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करने का प्रयास कर रहे है। जहां कहीं भी संभव हो, हम ज्यादा से ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करने का प्रयास कर रहे है।

थलसेना भर्ती रैली के बारे में, कह पाए तो यह अधिकांशत सभी जिलों में हो रही है। सशस्त्र बलों में भर्ती लगभग विभिन्न राज्यों के अनुपात में है। यहां पर एक निश्चित फार्मूला है। अतः, किसी भी राज्य के प्रति अन्याय नहीं होगा। उड़ीसा को भी उसका देय हिस्सा मिलेगा।

लैफ्टिनैंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजपाल सिंह रावत : महोदय, युद्धस्मारक के बारे में क्या है?

श्री ए.के. एंटनी : युद्धस्मारक के बारे में मैं आपसे सहमत हूं कि यह सशस्त्र बलों हेतु एक संवेदनशील मुद्दा है। रक्षा मंत्रालय भी इसे देख रहा है। परन्तु दिल्ली विरासत समिति तथा दिल्ली शहरी कला आयोग अभी भी हमारे प्रस्ताव के बारे में आश्वस्त नहीं है। अतः, हम इस पर बात कर रहे है। हम इसे देख रहे है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब सभा में मतदान हेतु रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ में दिखाई गई रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19 से 26 के संबंध में 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होंने वाले खर्चों का अदा करने के लिये कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 23 अप्रैल, 2008 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

सायं 6.57 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 23 अप्रैल, 2008/3 वैशाख, 1930 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री अधीर चौधरी	401
2.	श्री भर्तृहरि महताब	402
3.	श्री सुखदेव सिंह ढींडसा श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	403
4.	श्री एल. राजगोपाल	404
5.	श्री हितेन बर्मन	405
6.	श्री रामदास आठवले	406
7.	श्री पी. करुणाकरन	407
8.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील डा. धीरेंद्र अग्रवाल	408
9.	श्री किन्जरपु येरननायडु	409
10.	श्रीमती पी. सतीदेवी	410
11.	श्री प्रबोध पाण्डा	411
12.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	412
13.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री नन्द कुमार साय	413
14.	श्री अजीत जोगी श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	414
15.	श्री चन्द्रकांत खैरे श्री इकबाल अहमद सरडगी	415
16.	श्री रायापति सांबासिवा राव	416
17.	श्री रनेन बर्मन	417
18.	डा. एम. जगन्नाथ	418
19.	श्री कीरेन रिजीजू डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	419
20.	श्री हरिभाऊ राठौड़	420

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आदित्यनाथ, योगी	4078
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	4118, 4152
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	4033, 4085
4.	अक्षय कुमार, श्री एस.	4076, 4126
5.	अप्पादुरई, श्री एस.	4122

1	2	3
6.	आठवले, श्री रामदास	4108
7.	चारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	4018,, 4034, 4066, 4069, 4096
8.	बर्मन, श्री हितेन	4107
9.	बर्मन, श्री रनेन,	4057, 4115
10.	बसु, श्री अनिल	4048
11.	भक्त, श्री मनोरंजन	4051, 4121, 4154
12.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	4024, 4102
13.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	4010, 4082, 4095, 4142, 4165
14.	बोस, श्री सुव्रत	4057, 4107, 4114
15.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	4079
16.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	4012
17.	चौरे, श्री बापू हरी	4061, 4125
18.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4045, 4117
19.	चिन्ता मोहन, डा.	4046, 4047
20.	चौधरी, श्री पंकज	4106
21.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	4037
22.	धनराजू, डा. के.	4122
23.	धोत्रे, श्री संजय	4041
24.	दूबे, श्री रमेश	4029
25.	गढ़वी, श्री पी.एस.	4066
26.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4059, 4081, 4122, 4123, 4155
27.	गमांग, श्री गिरिधर	4019. 4106

1	2	3
28.	गांधी, श्रीमती मेनका	4050
29.	गंगवार, श्री संतोष	4025, 4105
30.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	4041
31.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	4063
32.	हसन, चौ. मुनव्वर	4071
33.	जगन्नाथ, डा. एम.	4103, 4114, 4150, 4167
34.	जटिया, डा. सत्यनारायण	4075
35.	जयाप्रदा, श्रीमती	4056
36.	जिन्दल, श्री नवीन	4035, 4122
37.	जोगी, श्री अजीत	4113, 4147
38.	कनोडीया, श्री महेश	4069
39.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4114, 4148
40.	खारवेनथन, श्री एस.के.	4014, 4092, 4103, 4140, 4163
41.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4023, 4101
42.	कृष्ण, श्री विजय	4087, 4122
43.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	4054
44.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	4120, 4153, 4168
45.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	4086
46.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4039, 4083, 4137
47.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	4077
48.	महतो, श्री नरहरि	4055, 4115
49.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	4042

1	2	3
50.	महताब, श्री भर्तृहरि	4106
51.	महतो, श्री टेक लाल	4058
52.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	4105
53.	मनोज, डा. के.एस.	4088, 4138
54.	मसूद, श्री रशीद	4028
55.	मिडियम, डा. बाबू राव	4048
56.	मेघवाल, श्री कैलाश	4020, 4097, 4143, 4169
57.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	4036
58.	मोल्लाह, श्री हन्नान	4122
59.	मंडल, श्री अबु अयीश	4040
60.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4059, 4072, 4132
61.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	4090
62.	नायक, श्री अनन्त	4031, 4109
63.	निखिल कुमार, श्री	4056
64.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	4026, 4135
65.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4017, 4133, 4160, 4172, 4176
66.	पाण्डा, श्री प्रबोध	4111
67.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	4090, 4151, 4177
68.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	4027
69.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	4034
70.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4112, 4146, 4166
71.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	4033

1	2	3
72.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	4053, 4081
73.	पिंगले, श्री देविदास	4053, 4081
74.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	4068, 4130, 4159, 4171, 4175
75.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4045, 4117
76.	राजगोपाल, श्री एल.	4094, 4145
77.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	4127
78.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4070, 4131
79.	राणा, श्री काशीराम	4179
80.	राव, श्री के.एस.	4013, 4091
81.	राव, श्री राव्रापति सांबासिवा	4104, 4106, 4149
82.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	4022, 4098, 4157, 4170, 4174
83.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	4060, 4124
84.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4129, 4158
85.	रिजीजू, श्री कीरेन	4016, 4099, 4151
86.	साय, श्री नन्द कुमार	4112, 4146, 4166
87.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4128
88.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	4037
89.	सेन, श्रीमती मिनाती	4049
90.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4059
91.	शिवन्ना, श्री एम.	4080
92.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	4016, 4177
93.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4089, 4139, 4162, 4173

1	2	3
94.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	4082, 4136
95.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4043, 4162, 4179
96.	सिंह, श्री चन्द्रभान	4036, 4122
97.	सिंह, श्री दुष्यंत	4064, 4126
98.	सिंह, श्री गणेश	4062
99.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4053, 4134, 4161
100.	सिंह, श्री रेवती रमन	4073
101.	सिंह, श्री सुग्रीव	4030, 4112, 4146, 4166
102.	सिंह, श्री सूरज	4047, 4119, 4120
103	सिंह, श्री उदय	4044, 4116
104.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	4069
105.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	4011, 4100, 4144
106.	सुब्बारायण, श्री के.	4032
107.	सुगावनम, श्री ई.जी.	4015, 4034, 4093, 4141, 4164
108.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	4052, 4054, 4122
109.	सुमन, श्री रामजीलाल	4046, 4119, 4153, 4168
110.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	4034
111.	थामस, श्री पी.सी.	4074, 4122
112.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4065, 4114, 4127, 4156, 4178
113.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	4067, 4118, 4152
114.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4084
115.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	4059, 4123, 4155

1	2	3
116.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	4021
117.	यादव, श्री गिरिधारी	4067
118.	यादव, श्री मित्रसेन	4038
119.	यास्खी, श्री मधु गौड	4059, 4081, 4122, 4123, 4155
120.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4110
121.	जावमा, श्री वनलाल	4039

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	402, 404, 408, 411, 412, 413, 416, 420
पृथ्वी विज्ञान	:	
गृह	:	403, 409, 419
मानव संसाधन विकास	:	401, 406, 407, 410, 414
सूचना और प्रसारण	:	415
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	418
खान	:	417
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	405.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	4012, 4013, 4020, 4029, 4030, 4034, 4041, 4045, 4047, 4052, 4053, 4060, 4062, 4063, 4064, 4065, 4074, 4076, 4089, 4090, 4102, 4111, 4154, 4156, 4160, 4163, 4164, 4166, 4167, 4168, 4169, 4174, 4175, 4177, 4178, 4179
पृथ्वी विज्ञान	:	4051, 4088, 4123
गृह	:	4011, 4016, 4024, 4025, 4027, 4028, 4036, 4043, 4048, 4049, 4054, 4056, 4057, 4061, 4069, 4071, 4072, 4073, 4078, 4080, 4081, 4092, 4094, 4097, 4099, 4100, 4103, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4112, 4115, 4116, 4117, 4119, 4122, 4125, 4126, 4129, 4131, 4132, 4144, 4147, 4161
मानव संसाधन विकास	:	4015, 4017, 4018, 4021, 4023, 4026, 4033, 4035, 4042, 4044, 4046, 4050, 4066, 4068, 4070, 4075, 4077, 4079, 4082, 4083, 4084, 4086, 4087, 4091, 4096, 4101, 4106, 4118, 4120, 4124, 4127, 4130, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4139, 4140, 4141, 4145, 4146, 4155, 4158, 4159, 4162, 4165, 4171, 4172

सूचना और प्रसारण	:	4010, 4014, 4022, 4032, 4039, 4067, 4085, 4095, 4138, 4142, 4148, 4157
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	4037, 4038, 4059, 4098, 4113, 4128, 4143, 4150, 4152, 4153, 4170, 4173, 4176
खान	:	4019, 4031, 4055, 4058, 4093, 4114, 4151,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	4040, 4121, 4149.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।